अष्टम माला, खंड 15, अंक 24

सोमवार, 31 मार्च, 1986
10 चैत्र, 1908 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
( आठवीं लोक सभा )

( खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

# विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 24, सोमवार, 31 मार्च, 1986/10 चैत्र, 1908 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्न-काल स्थगित करने के बारे में ... ... ... ... ... | 1—4 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ... ... ... ... | 4—23 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 473 से 475 और 477 से 480 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ... ... ... | 23—342 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 450 से 471, (27-3-86) 476 और 481 से 492 (31-3-86) | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 4261 से 4438 और 4440 से 4443 (27-3-86) 4444 से 4487, 4489 से 4492, 4494 से 4577, 4579 से 4596 और 4598 से 4625 (31-3-86) | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... ... ... ... | 342—344 |
| लघु उद्योगों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों के बारे में वक्तव्य ... | 345—346 |
| श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... | 345 |
| निर्यात विकास निधि की स्थापना के बारे में वक्तव्य ... ... ... | 346 |
| श्री जनार्दन पुजारी ... ... ... ... | 346 |


*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ


नियम 377 के अधीन मामले ... ... ... ... ... 346—350

(एक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद और बांदा जिलों को सोन नदी पर बने बाण सागर बांध से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री उमाकांत मिश्र ... ... ... ... 347

(दो) माध्यमिक स्तर और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में भारत के कृषि, औद्योगिक तथा आर्थिक विकास एवं विकसित देशों द्वारा की गई प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन को सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव ... ... ... 347

(तीन) लेह मंडी मार्ग पर लगाये गये "आंतरिक रेखा" प्रतिबन्ध को। हटाने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल ... ... ... ... 347

(चार) बिहार में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस ... ... ... ... 348

(पांच) "थारू" जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता

श्री राम बहादुर सिंह ... ... ... ... 348

(छः) देश में सक्रिय खिलाड़ियों और कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने तथा उन्हें आय-कर में छूट देने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ... ... ... ... 349

(सात) बिहार में बेगुसराय में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

प्रो० चन्द्र भानु देवी ... ... ... ... 349

| विषय | | | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|


रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, ... ... ... ... 350—425

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री हरद्वारी लाल ... ... ... ... 350

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ... ... ... ... 354

श्री धर्मपाल सिंह मलिक ... ... ... ... 356

चौधरी राम प्रकाश ... ... ... ... 359

श्री चरनजीत सिंह अठवाल ... ... ... ... 364

डा० जी० एस० ढिल्लों ... ... ... ... 370

चौधरी सुन्दर सिंह ... ... ... ... 373

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... ... ... 374

श्री मूलचन्द डागा ... ... ... ... 380

श्री अब्दुल रशीद काबुली ... ... ... ... 384

श्री गिरधारी लाल डोगरा ... ... ... ... 397

श्री सी० जंगा रेड्डी ... ... ... ... 399

श्री बीरबल ... ... ... ... 403

श्री शांति धारीवाल ... ... ... ... 404

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... ... ... 406

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव ... ... ... ... 408

श्री बी० शंकरानन्द ... ... ... ... 409

श्रीमती गीता मुखर्जी ... ... ... ... 417

रावी-व्यास जल अधिकरण का निरानुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया ... ... ... ... 421

तथा

अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी० शंकरानन्द ... ... ... ... 424

खंडवार विचार ... ... ... ...

खंड 2, 3 तथा 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव ... ... ... ...

श्री बी० शंकरानन्द ... ... ... ... 425

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|


ए० एन०-32 मालवाहक विमानों के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य ... ... ... ... ... ... ... 401—402

श्री अरुण सिंह ... ... ... ... 401

अनुदानों की मांगें, (सामान्य), 1986-87 ... ... ... ... 425—452

वाणिज्य मंत्रालय

डा० चिन्ता मोहन ... ... ... ... 426

प्रो० पी० जे० कुरियन ... ... ... ... 433

श्री सी० डी० पटेल ... ... ... ... 437

श्री आनन्द पाठक ... ... ... ... 441

श्री जयप्रकाश अग्रवाल ... ... ... ... 444

श्री एच० एन० नन्जे गौडा ... ... ... ... 447

श्री थम्पन थामस ... ... ... ... 452

# लोक सभा

सोमवार, 31 मार्च, 1986/10 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्न काल स्थगित करने के बारे में

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : नियम 388 के अन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि नियम 32 के अन्तर्गत प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया जाए और हम सीधे पंजाब की स्थिति पर चर्चा शुरू कर दें।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : हमारी भी यही मांग है।

**प्रो० मधु दंडवते** : भारत की एकता और अखंडता को खतरा है और इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। (व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : प्रो० मधु दंडवते को कुछ सद्बुद्धि तो आई। हम तो बहुत पहले इस पर चर्चा चाहते थे परन्तु उन्होंने ही इसका विरोध किया था।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर) : देर आयद दुरस्त आयद।

**प्रो० के० के० तिवारी** : हम चर्चा के लिए राजी थे लेकिन प्रो० मधु दंडवते ने ही भिन्न रुख अपनाया था।

**प्रो० मधु दंडवते** : यदि प्रो० तिवारी जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति को यह बात पहले सूझ गई होती तो शायद देरी की बात कही जा सकती थी। बहरहाल हम इस पर चर्चा चाहते हैं।

**प्रो० के० के० तिवारी** : प्रो० मधु दंडवते को सद्बुद्धि आ गई है और वह चर्चा की मांग कर रहे हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : हमारी सद्बुद्धि को देखकर ही आपको सद्बुद्धि आई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर के बाद आपसे बात करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अब मैं मांग कर रहा हूं कि प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : संसद में लोगों की इच्छाएं और भावनाएं प्रतिबिम्बित होनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे एक निवेदन करने की अनुमति दें। तीन बार आपने प्रश्नकाल को स्थगित करने की अनुमति दी···

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुझावों को हमेशा माना है।

प्रो० मधु दंडवते : ·· असम पर चर्चा करने के लिए, पंजाब पर चर्चा करने के लिए और फिर पंजाब पर पुनः चर्चा करने के लिए; दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य मैंने ही संकल्प प्रस्तुत किए थे और आपने उन्हें स्वीकार किया था। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप ऐसा पुनः करें और प्रश्न-काल को स्थगित करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी सुझावों को मानने के लिए तैयार रहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने तीन बार प्रश्नकाल को स्थगित करने की अनुमति दी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सवाल कर लीजिए, बाद में बात करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप पंजाब की स्थिति से चिंतित नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझसे पूछा ? प्रोफेसर साहब, मुझसे पूछ रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वास्तव में प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए आपको कहना चाहिए था, आप सभा की भावना को समझ सकते हैं।

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मेरा एक निवेदन है। गृह मन्त्री जी ने 3.00 बजे विपक्ष के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है। गृह मन्त्री 12.00 बजे यहां सभा में भी उपस्थित होंगे उन्हें मिल-बैठकर विचार-विमर्श करने दीजिए। पिछली बार उन्होंने प्रधान

मंत्री जी से अनुरोध किया था कि इस पर चर्चा न की जाए। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्हें गृह मंत्री के साथ विचार-विमर्श कर लेने दीजिए। प्रश्नकाल को स्थगित करने का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम 3.00 बजे अपना काम रोक कर वहां जाएंगे, लेकिन अभी प्रश्नकाल को स्थगित कर दीजिए।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा ठीक रहेगा कि मेरे ख्याल में आप बात कर लें, मैं तो एमेनेबल हूं ही। मैंने पहले भी उस दिन आपसे अर्ज किया था और आज भी वही बात है और आप मेरे से पूछते हैं कि मैं इसमें चिंतित हूं कि नहीं। प्रोफेसर साहब, देश का कौन आदमी है जो होश में हो और चिंतित न हो। आप सबको चिन्ता है और मैं तो पहले चिंतित हूं। बात करके इसको करायेंगे। पिछली दफा मैंने इसको थोड़ा-सा कह दिया था। कई आदमी समक्ष से बाहर बात कर लेते हैं, सोचकर नहीं बोलते हैं। आज भी वही बात है। देश को बचाने के लिए और सारा करने के लिए, देश है तो सब कुछ है। आप सब मिलकर काम करेंगे तो ठीक हो जायेगा। होम मिनिस्टर साहब को आने दीजिए। एडमिट किया हुआ है, सारा काम। हाउस के कहने से ही मैंने आगे टाला था। हमने तो तय कर लिया था। उसमें अब ऐसी कोई बात नहीं है। आज ही फैसला करवाकर आपसे बात करके करवा दूंगा।

**प्रो० मधु दंडवते** : स्थगन प्रस्ताव रखने के पीछे भावना इतनी है कि सारा देश यह समझे कि इस चीज को सबसे महत्वपूर्ण समझा है और इसीलिए उसकी चर्चा करना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं, आपकी बात समझ गया हूं।

[अनुवाद]

**प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी)** : जैसाकि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते कुछ सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा के लिए कहा था। प्रो० मधु दंडवते सहित विपक्ष के नेताओं के साथ जो मेरी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने मुझसे विशेष रूप से अनुरोध किया था कि चर्चा पिछले हफ्ते न की जाए और उसे स्थगित कर दिया जाए। इसलिए, उनके अनुरोध पर हमने चर्चा स्थगित कर दी। आज गृह मंत्री ने विपक्ष के सभी नेताओं को स्थिति की जानकारी देने के लिए बुलाया है। इसके बाद मैं उनसे बात करूंगा। मैं प्रो० मधु दंडवते से अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर इस बैठक में भाग लें। हमें आपस में मिलकर बातचीत कर लेनी चाहिए कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और उसके बाद हम संसद में किसी भी तरह की चर्चा कर सकते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : हम उससे मुकर नहीं रहे। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उसके बाद अनेक घटनाएं घटी हैं और कुछ वर्ग भाई-भाई में लड़ाई कराना चाहते हैं इसलिए इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसीलिए उस दिन कहा था और वही एक वार्निंग थी। मेरे मन में कोई दुष्कामना, दुर्भावना या ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे किसी की अन्तर-आत्मा को चोट पहुंचे क्योंकि मैं स्वयं इस बात को मानता हूं जो इन्सान-इन्सान में फर्क समझता है, वह इन्सान नहीं है और कम से कम भारतीय तो जरूर नहीं है। सारे भाई एक जैसे हैं, सारी बात है और उन दो या तीन भाइयों में जहां भी कोई झगड़ा कराने की कोई भी चेष्टा करता है तो वह महा नीच आदमी है। उसका निशाना आप या मैं नहीं हैं, वहां कोई और भी होता है तो उसको भी मारता है। किसी हिन्दू, सिख या मुसलमान की बात नहीं है। उसका निशाना कोई और है जो पूरा करना चाहता है। उसके लिए आप सबको मिलकर काम करना होगा। लोगों ने मेरे बयान को गलत तरीके से साम्प्रदायिकता का रूप देने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं समझते कि इससे बड़ी गाली मुझे और कोई नहीं दी जा सकती है। मैं समझता हूं इस बात को जिस दिन आदमी, इन्सान-इन्सान में फर्क समझने लगता है और अगर वह हिन्दू, मुसलमान या सिख है तो फिर वह इन्सान नहीं रहता है, वह न धार्मिक न रेंशनल और न पैट्रिअट रहता है। वह कुछ नहीं है। मैं आपकी बात को मानता हूं। मैं आपसे सहमत हूं। साथ मिलकर इसको करो, तो जो इसकी अहमियत है, इम्पार्टेन्स है, वह कम नहीं होगी। सब मिलकर काम करो। इससे देश बचेगा और देश के साथ हम बचेंगे और दुनिया की कोई ताकत इस चीज को गड़बड़ नहीं करा सकती। अगर हमारे अन्दर विल-पावर है तो कोई चीज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती।

श्री शरत देब (केन्द्रपाड़ा) : यह तो हम बहुत दिनो से सुन रहे हैं।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक के आयोजना और विकास कार्य का अन्तरण

*473. श्री राम बहादुर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ने बम्बई और सूरत के निकट थाल और हाजिरा उर्वरक संयंत्रों का डिजाइन बनाया था तथा इन्हें चालू किया था;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक का आयोजना और विकास कार्य नई दिल्ली और बड़ौदा में अन्तरित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस अंतरण के कारण 600 से भी अधिक इंजीनियर और वैज्ञानिक बेरोजगार हो गये हैं ?

**उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी हां। पी०डी०आई०एल० ने डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा अधिप्राप्ति सेवाएं प्रदान की, उन्होंने थाल अमोनिया/यूरिया और हाजिरा यूरिया संयंत्रों के निर्माण और प्रारम्भण का पर्यवेक्षण भी किया।

(ख) और (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के पास सिन्दरी में कोई आयोजना और विकास प्रभाग नहीं है। तथापि, गैस पर आधारित कुछ उर्वरक परियोजनाओं के लिए पी०डी० आई०एल० द्वारा उपलब्ध की जा रही इंजीनियरिंग परामर्शी और अधिप्राप्ति सेवाएं/संबंधित ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार सिन्दरी से नई दिल्ली और बड़ौदा स्थानान्तरित कर दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

**श्री राम बहादुर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर में कहा है कि पी०डी०आई०एल० में डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम नहीं होता है लेकिन मैं यहां अपने प्रश्न को दोहरा रहा हूं कि पी०डी०आई०एल० का संगठन इसलिए हुआ था ताकि एक ही छत के नीचे प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिजाइन और इंजीनियरिंग आदि प्रोक्योरमेंट तक के काम हों लेकिन सारी गड़बड़ी तब शुरू हुई जब तालचर में कारखाना लगाने का काम सारी सीमाओं को तोड़कर इटली की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी "स्वयं-प्रगति" को दे दिया गया। जब स्वयंप्रगति को काम दिया गया तो उसके साथ हुए इकरार-नामे में यह लिखा गया कि इसके बाद जो भी गैस पर आधारित कारखाने स्थापित किए जाएंगे उनको लगाने का काम पी०डी०आई०एल० को ही दिया जाएगा। सरकार की घोषणा होने के बावजूद इन तमाम चीजों को ताक पर रखकर हजीरा और थाल में कारखाना लगाने का काम पुनः उसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को दे दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पी०डी०आई०एल० से लेकर बहुराष्ट्रीय कम्पनी स्वयंप्रगति को जो काम दिया गया, उसमें कितने करोड़ रुपये का घाटा लगा और इकरारनामे की शर्त के अनुसार क्या सरकार यह विचार रखती है कि हाजीरा में कारखाना स्थापित करने का काम पी०डी०आई०एल० को दिया जाए।

**श्री के० नटवर सिंह** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, और जिस तरह से सवाल पूछा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पी०डी०आई०एल० की अहमियत को कम किया जा रहा है। इसके अफसरान दो जगहों पर—बड़ौदा में और दिल्ली में—भेज दिए गए थे क्योंकि जो काम सिन्दरी में हो रहा था, सिन्दरी में कुल 3391 लोग काम करते थे, जिनमें से कुछ हमने दिल्ली भेज दिये थे और कुछ को बड़ौदा भेज दिया गया था। उसका कारण यही था कि हमें काम कराने की सुविधा थी परन्तु आपके प्रश्न से, यदि मैं उसको सही समझ सका हूं तो यही माने हैं कि पी०डी०आई०एल० में कोई घाटा हुआ है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि किस दरम्यान में वह घाटा हुआ क्योंकि मेरे पास उसके सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। इस प्रश्न के तीन पहलू हैं—रिसर्च डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एण्ड कैटेलिस्ट। इंजीनियरिंग में हमको मुनाफा 3 करोड़ 26 लाख होने का अनुमान है जबकि रिसर्च और डेवलपमेंट में 1 करोड़ 36 लाख रु० का घाटा और कैटेलिस्ट में 1 करोड़ से थोड़ा अधिक नुकसान होने का अनुमान

है। यह तो स्पष्ट है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में मुनाफा नहीं होता क्योंकि इस कार्य में सरकार जो पैसा लगाती है, उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास भविष्य में अच्छे साधन उपलब्ध हो जाएं जिससे हमें कैटेलिस्ट्स आदि की जरूरत कम हो जाए। इसलिए आपके सवाल का रुख, क्षमा कीजिएगा, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं कि आप पी०डी०आई०एल० में घाटे के नतीजे पर कैसे पहुंच गए।

**श्री राम बहादुर सिंह** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पी०डी०आई०एल० की अहमियत को कम नहीं कर रहे हैं लेकिन पी०डी०आई०एल० की जो अहमियत पहले थी, सिन्दरी में या उसके बाद जो भी कारखाने लगाये गये, उन कारखानों में उसकी अहम भूमिका थी लेकिन जब से अपने देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनी स्नेम प्रगटी का पदार्पण हुआ, तब से इसकी दुर्दशा हो रही है। सरकार का जवाब है कि क्लाइंट की इच्छा के अनुसार पी०डी० आई०एल० के कुछ भाग को उठाकर बड़ौदा और दिल्ली में भेज दिया जाये। उसके पीछे भावना यह नहीं है कि बड़ौदा और दिल्ली में पी०डी० आई०एल० के किसी एक टुकड़े को भेजने से प्लांट का काम रुक जाएगा, बल्कि क्लाइंट का कहना यह है कि सिन्दरी में सड़कें ठीक नहीं हैं। सिन्दरी में रहने की व्यवस्था नहीं है, सिन्दरी में टेलीफोन को एस०टी०डी० की लाइन नहीं है, सिन्दरी में रेल-हैड नहीं है, जबकि ये सारी चीजें वहां मौजूद हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, यदि तुमको सहयोग देना है, काम करना है, तो मेरी मर्जी के अनुसार मैं जहां चाहूंगा, वहां रहकर तुमको काम करना पड़ेगा। जबकि इकरारनामे के अनुसार पी०डी० आई०एल० कोई पैटी-कांट्रेक्टर नहीं है स्नेम प्रगटी का, बल्कि उसको को-कांट्रेक्टर का दर्जा है ···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप जल्दी करिए, क्या कर रहे हैं।

**श्री राम बहादुर सिंह** : इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पी०डी०आई०एल० को, को-कांट्रेक्टर का दर्जा दिलाने के लिए जो कि अपने तरह की देश में एकमात्र संस्था है, स्नेम-प्रगटी जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल से छुड़ाने के लिये आप कुछ करेंगे, क्या सरकार इसके लिए कोई उपाय सोचती है ? कारण कि यही एक रोड़ा है स्नेम प्रगटी के लिये··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप कारण मत बताइये, इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे।

**श्री के० नटवर सिंह** : देखिये, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि स्नेम प्रगटी तो हम को सिर्फ टैक्नॉलोजी देते हैं थाल के लिये, हजीरा और गुना के लिये और पी० डी० आई० एल० हमको इंजीनियरिंग का काम देती है। अगर आपको दिलचस्पी हो तो मैं पढ़ दूं—पी० डी० आई० एल० के इस वक्त 23 काम जारी हैं जिनमें से 18 सिंदरी में हैं सिर्फ 5 बाहर गये हुए हैं और वे इसलिये गये हैं कि वहां उनकी निहायत जरूरत थी और उससे काम की सुविधा बढ़ी है, उससे नुक्सान नहीं हुआ है। जहां तक सवाल है सड़क का, टेलीफोन का, उससे मेरे महकमे का कोई ताल्लुक नहीं है।

### चाय बागान मालिकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

*474. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों के मालिक भविष्य निधि में नियोजकों और कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में आज तक भविष्य निधि के अंशदान के रूप में चाय बागान मालिकों की ओर कुल कितनी राशि बकाया है, और उन चाय बागानों के नाम क्या हैं; और

(ग) भविष्य निधि का अंशदान जमा न कराने वाले चाय बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-85 को 92 चाय बागानों/कारखानों ने भविष्य निधि की देय राशियां अदा करने में चूक की।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

| क्रमांक | प्रतिष्ठान का नाम | बकाया राशि (रुपयों में) | बकाया राशि को वसूल करने के लिये की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मैसर्स कल्याणपुर चाय बागान | 7001.40 | बकाया राशि वसूल करने के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। |
| 2. | मैसर्स बिनोदनी चाय बागान | 36737.97 | |
| 3. | मैसर्स लुकुदुआ चाय बागान | 9965.85 | |
| 4. | मैसर्स हरेन्द्रा नगर चाय बागान | 28368.70 | |
| 5. | मैसर्स हालाइचेरा चाय बागान | 57385.97 | बकाया राशि वसूल करने के लिये राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। अभियोजन मामले भी चलाये गये हैं। |
| 6. | मैसर्स कनाचेरा चाय बागान | 103244.20 | |
| 7. | मैसस मुस्तीचेरा चाय बागान | 72557.78 | |
| 8. | मैसर्स सोनामुखी चाय बागान | 11,664.70 | बकाया राशि वसूल करने केलिये राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। |
| 9. | मैसर्स रंगसंग चाय बागान | 61,252.78 | |
| 10. | मैसर्स गोपाल नगर चाय बागान | 31,332.65 | |
| 11. | मैसर्स देवास्था चाय बागान | 3340.80 | |
| 12. | मैसर्स सराला चाय बागान | 2,045.80 | |
| 13. | मैसर्स हरीदासपुर चाय बागान | 15,993.60 | |
| 14. | मैसर्स थुफानीलिंगा चाय बागान | 1,067.50 | |
| 15. | मैसर्स ब्रह्माकुंडा चाय बागान | 5,918.40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | मैसर्स हीराचेरा चाय बागान | 1,86,902.40 | बकाया राशि वसूल करने के लिये राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे हैं। अभियोजन मामले दायर करने के लिये भी कारंवाई की जा रही है। |
| 17. | मैसर्स दारंगतिला चाय बागान | 22,440.02 | |
| 18. | मैसर्स कृष्णापुर चाय बागान | 26,142.50 | |
| 19. | मैसर्स चूहोवाई चाय बागान | 49,454 00 | |
| 20. | मैसर्स मोहनपुर चाय बागान | 1,68,924.80 | |
| 21. | मैसर्स फटीकचेरा चाय बागान | 4,83,600.00 | |
| | कुल :— | 13,85,341.82 | |

**श्री अजय विश्वास** : मैंने पूरे विवरण को पढ़ लिया है। उन 92 चाय बागानों में से जिन्होंने भविष्य निधि की देय राशियां अदा करने में चूक की है इक्कीस त्रिपुरा में हैं। भविष्य निधि का कार्यालय मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है। यह कार्यालय चूक कर्त्ता चाय बागानों के मालिकों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठा रहा है। चाय बागानों के कर्मचारियों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने दावे या मामले निपटाने के लिए त्रिपुरा से शिलांग जाएं। उन्हें भविष्य निधि के विवरण भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए त्रिपुरा के चाय बागानों के कर्मचारियों की कठिनाइयों के लिये शिलांग कार्यालय ही जिम्मेदार है। विवरण में यह बताया गया है कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गए हैं। वे कब जारी किए गए थे ? क्या मन्त्री जी किसी एक भी मामले का हवाला देंगे जहां अभियोजन मामले चलाये गये हैं ? इसीलिए यह स्पष्ट है कि भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की मालिकों के साथ सांठ-गांठ है। इसलिए, मालिक कर्मचारियों को उनके हिस्से से वंचित कर रहे हैं। मालिकों के विरुद्ध बकाया वसूली प्रमाणपत्र कब जारी किये गये थे। कृपया महीने का भी उल्लेख कीजिये। क्या सरकार के पास कर्मचारियों की बकाया राशि को निपटाने के लिए अगरतला कार्यालय को और अधिक अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है जिससे उनको और अधिक नुकसान न उठाना पड़े ?

**श्री पी० ए० संगमा** : उत्तरी पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य जमा निधि आयुक्त का मुख्य कार्यालय शिलांग में नहीं बल्कि गोहाटी में स्थित हैं। हमारा उपक्षेत्रीय कार्यालय अगरतला में है। इस समय हम समझते हैं कि इसके पास स्थिति को निपटाने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। जहां तक राजस्व वसूली का सम्बन्ध है। यह मामले राज्य, राजस्व अधिकारियों, द्वारा निपटाये जाते हैं। वास्तव में इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए हमने राज्य सरकार पर दबाव डाला है। यह केवल उस परिस्थिति में होता है, जब चूक कर्ता के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता होवी है। तभी हम उसके विरुद्ध आगे मुकदमा चलाते हैं। अगरतला में राज्य के अधिकारियों द्वारा 21 चूक कर्ताओं में से 18 के विरुद्ध राजस्व वसूली चिटें जारी की गई हैं और तीन के विरुद्ध अभियोजन चलाये जा रहे हैं।

**श्री अजय विश्वास** : श्रीमन मैं समझता हूं कि मन्त्री जी उत्तर पूर्व क्षेत्र से हैं। इसलिए कम से कम उन्हें उत्तर पूर्व क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिये। सभा छोटे राज्य इस कठिनाई

से गुजर रहे हैं और वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कार्यालय अगरतला में स्थित है, उसके पास काफी अधिकार हैं लेकिन जब कर्मचारी उस कार्यालय में जाते हैं तो कार्यालय वाले कहते है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है । यहां तक कि वह कर्मचारियों को कोई सूचना भी नहीं देते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में सभी अधिकार निहित है और मन्त्री जी यहां बता रहे हैं कि अगरतला कार्यालय के पास काफी अधिकार हैं। यह सदन को गुमराह क ने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि चूंकि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र से है। इसलिए उन्हें कार्यालय केवल अगरतला में हीं नहीं बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यालयों में स्थापित करने चाहिए और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान अधिनियम इन समस्याओं को निपटाने के लिए काफी नहीं है क्योंकि पहले से ही 40 करोड़ मालिकों पर बकाया है और क्या सरकार का विचार वर्तमान अधिनियम को संशोधित करने तथा एक व्यापक अधिनियम लाने का है जिससे समस्याओं का समाधान हो सके ?

**श्री पी० ए० संगमा** : श्रीमन, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। अगरतला के कार्यालय को बीमाकृत लोगों के मामलों को निपटाने का अधिकार है और वहां पर गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इस समय हम समझते हैं कि गुवाहाटी और अगरतला कार्यालय इस स्थिति से निपट सकते हैं और --अगर भविष्य में कोई दूसरी समस्या पैदा होती है या विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो हम निश्चय ही इस मामले को देखेगें।

**श्री भद्रेश्वर तांती** : श्रीमन मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं असम में 775 चाय बागान हैं और हमारे देश में चाय बागानों के कर्मचारियों की दशा दूसरे कर्मचारियों से बहुत बुरी है। भविष्य जमा निधि की राशि सभी उद्योगों व मालिकों द्वारा रोकी जाती है। धन जमा कराने की बजाय उन्होंने इसे अपने व्यापार में लगा दिया है। सरकार और भविष्य निधि विभाग धन की वसूली में असफल रहे हैं। हम नहीं जानते कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है लेकिन ऐसा लगता है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कर्मचारियों को उनके उचित अधिकारों से वंचित किया जाता है। उनको उनकी भविष्य जमा निधि उनकी सेवानिवृत्ति के तीन, चार या पांच वर्षों के बाद भी नहीं दी जाती है। इसलिए मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

**श्री पी० ए० संगमा** : श्रीमन दुर्भाग्यवश असम चाय बागान हमारे अधिनियम की सीमा में नहीं आते। वह छूट प्राप्त श्रेणी में आते हैं और उनकी अपनी भविष्य जमा निधि योजना है। असम के चाय बागानों पर हमारा यह अधिनियम लागू नहीं होता है।

**श्री हरेन भूमिज** : महोदय मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या असम में, असम चाय कारपोरेशन, जिसमें 19 या 20 चाय बागान आते हैं, कई वर्षों से भविष्य निधि जमा कराने में असफल रही है, और अगर ऐसा है तो आज तक कुल कितनी राशि चाय बागानों के मालिकों पर बकाया है।

**श्री पी० ए० संगमा** : श्रीमन इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले से ही दे दिया है। असम के चाय

बागान हमारे अधीन नहीं हैं। यह हमारी सीमा में नहीं आते हैं।

## प्रायोजित कार्यक्रमों के दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु दिशा निर्देश

*475. श्री सुनील दत्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों के बारे में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किये गए हैं।

(ख) क्या दूरदर्शन के मुख्यालय और क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रायोजित कार्यक्रमों की जांच करने और उनमें से चयन करने के लिए कोई समितियां कार्य कर रही हैं; और

(ग) क्या दूरदर्शन पर प्रसारण के प्रयोजनार्थ प्रायोजित कार्यक्रमों और दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा निर्मित अन्य कार्यक्रमों के लिए समय निर्धारण के सम्बन्ध में कोई अनुपात निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय संजाल पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर दूरदर्शन मुख्यालय में महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तीन विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार, केन्द्रों में इन पर केन्द्र के निदेशक सहित अधिकारियों द्वारा तीन स्तरों पर विचार किया जाता है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि, प्रायोजित कार्यक्रम कुल कार्यक्रमों का लगभग 11 प्रतिशत हैं।

श्री सुनील दत्त : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा—वह सभा को बताएं कि कार्यक्रमों के चयन के लिए कौन से दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं ? वह दिशा-निर्देश क्या हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : श्रीमन कोई व्यापक और विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं है। लेकिन जो उन्हें बताया गया है वह यह है। मैं सभा को इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि उन्हें धारावाहिक का चयन करते समय इन बातों पर विचार करना होता है : धारावाहिक की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शिक्षात्मक या वैज्ञानिक प्रासंगिकता मनोरंजन मूल्य परिवार द्वारा देखे जाने के दृष्टिकोण से उसकी उपयुक्तता, कहानी और विषय सम्बन्धी मूल्य, दूरदर्शन पर व्यापारिक विज्ञापन संहिता और मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश।

श्री सुनीलदत्त : इन दिशा-निर्देशों के अधीन कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हाल ही में देखा गया है। इस माध्यम से परिवार कार्यक्रम देखते हैं। छोटे बच्चे भी इन फिल्मों को देखते हैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बुनियादी रूप से वयस्क विचारों के होते हैं और उन्हें व्यस्तम समय में दिखाया गया है और उसका बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम हैं। एक

फिल्म 'पार्टी' दिखाई गई थी जो बुनियादी रूप से वयस्कों के लिए थी। उसे व्यवस्तम समय पर दिखाया गया था और बच्चों द्वारा भी वह फिल्म देखी जा रही थी। मैं महसूस करता हूं कि यह फिल्म केवल वयस्कों के लिए है और इसे उस समय नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसलिए मैं दिशा-निर्देशों को जानने का इच्छुक हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए कार्यक्रम अलग-अलग समय पर दिखाएं जाएंगे।

**श्री वी० एन० गाडगिल :** माननीय सदस्य ने फिल्मों के बारे में बात की है प्रश्न धारावाहिक कार्यक्रमों के बारे में है। फिल्मों के सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश हैं जिन्हें मैं पहले सदन में बता चुका हूं। जहां तक धारावाहिक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैंने मुख्य दिशानिर्देशों को बता दिए हैं। जहां तक फिल्मों का सम्बन्ध है, नीति केवल 'यू' फिल्में दिखाने की है। यदि किसी फिल्म को 'यू' प्रमाणपत्र प्राप्त है लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म का कुछ हिस्सा नहीं दिखाया जाना चाहिए क्योंकि उसे बच्चे देखेंगे तो हम निर्माता से कहते हैं कि उस हिस्से को निकाल दे। इसलिए हम से जहां तक सम्भव होता है हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि बच्चे भी इस तरह की फिल्में देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान रखा जाता है। अब जहां तक अलग-अलग समय का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कुछ कार्टून फिल्में खरीदी हैं। रविवार की सुबह हमने बच्चों के लिए कुछ विशेष समय निर्धारित किया है। सप्ताह में अन्य दिनों के दौरान भी इसी तरह समय निर्धारित करने की आशा करते हैं और मेरी अभिलाषा है कि भारतीय बच्चे दूरदर्शन पर बम्बई की मसाला फिल्म न देखें बल्कि अच्छी फिल्में देखें।

**श्री सुनील दत्त :** मैं बम्बई को मसाला फिल्म की नहीं दूरदर्शन की बात कर रहा हूं। दूरदर्शन पूर्णतया भिन्न है। मैं मंत्री जी के ध्यान में यही बात लाना चाहता था। मैंने एक 'पार्टी' फिल्म का उदाहरण दिया है। एक कार्यक्रम है 'तितलियां' मैं नहीं जानता कि बच्चे उसमें क्या देखते हैं। (व्यवधान) यह कार्यक्रम व्यस्तम समय पर दिखाया जाता है। जहां तक मेरे प्रश्न के (ख भाग का सम्बन्ध है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि माननीय अधिकारी विशेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कैसे निर्णय लेते हैं क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं। माध्यम बहुत ही वैज्ञानिक है। कलात्मक और तकनीकी है। क्या इन माननीय अधिकारियों को वास्तव में इन कार्यक्रमों के चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए इन पहलुओं से प्रशिक्षण दिया जाता है।

**श्री वी० एन० गाडगिल :** श्रीमन जैसा मैंने कहा है ऐसे कार्यक्रमों का चयन करना बहुत कठिन है जो सभी को सन्तुष्ट कर सके। लेकिन हम अच्छे कार्यक्रम के चयन के लिए सभी संभव प्रयास करते हैं।

जहां तक माननीय मित्र के प्रश्न के अन्तिम हिस्से का सम्बन्ध है, वह यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने निश्चय किया है कि धारावाहिक कार्यक्रमों के चयन में कुछ सरकारी लोगों के साथ कुछ गैर-सरकारी लोगों को भी सहयोजित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सहयोजित किया जाएगा और एक पेनल बनाया जायेगा। इस पेनल में से दो व्यक्ति तीन सरकारी व्यक्तियों के साथ बैठेंगे। इसे पेनल के दो व्यक्तियों में से एक महिला अवश्य होगी जिससे कि वह ऐसे धारावाहिकों का चयन करे जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव न पड़े।

**प्रो० मधु दण्डवते :** श्रीमन् सदन के एक माननीय सदस्य जो यहां पर शांत बैठे हैं पर्दे पर सैकिण्डों में लोगों को मार कर तबाही मचा देते हैं। क्या माननीय मंत्री उन्हें फिल्मों में थोड़ा-सा गम्भीर और यहां सभा में अधिक सक्रिय रहने का अनुरोध करेंगे ?

**श्री वी० एन० गाडगिल :** श्रीमन मुझे उनकी ओर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। वह पर्याप्त ध्यान रख सकते हैं अगर प्रो० दण्डवते कम आक्रामक हो सकते हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा।

**श्री अमिताभ बच्चन :** विरोधी दल के सदस्य और एक प्रमुख प्रोफेसर ने अतीत में भी इस मामले का कई प्रकार से उल्लेख किया है। उन्होंने इस देश के दक्षिणी भाग में एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए कहा था मेरे साथी सदस्य सभा में मौन रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी एक ऐसे विवेकी वक्ता की भांति बोलने से शांत रहना अच्छा होता है जो अपने ही शब्दाडम्बर में उत्तेजित रहते हैं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी :** श्रीमन् प्रश्न क्या है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** यह आपस की बात है, घरेलू बात है।

[अनुवाद]

**प्रो० के० के० तिवारी :** मंत्री जी ने बम्बई की मसाला फार्मूला का उदाहरण दिया है। मेरे विचार से दूरदर्शन प्रायोजित कार्यक्रम के नाम में बिलकुल कूड़ाकरकट दिखा रहा है। ये फिल्में और कार्यक्रम जनता के अनुसार बिल्कुल निर्लज्ज होते हैं। उनको बच्चे नहीं देख सकते। मुझे यह भी पता चला है इन कार्यक्रमों को दिखाने के लिए काफी रिश्वत ली जाती है। क्योंकि जैसा उन्होने स्वीकार किया है कि इन कार्यक्रमों को प्रायोजित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। अत: स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में समिति या जो भी इनको स्वीकृति देता है इसका लाभ उठाता है और इन प्रायोजित कार्यक्रमों में बहुत भ्रष्टाचार है।

इन कार्यक्रमों से जनता में बुरी रुचि पैदा होती है। इसको देखते हुए और भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए, क्या मंत्री जी प्रायोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा को निर्धारित करने के लिए कोई समिति का गठन करेंगे।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** वह तो कर दिया। उन्होंने जवाब दे दिया।

[अनुवाद]

**श्री वी० एन० गाडगिल :** यह पैनल केवल इसीलिए बनाया जा रहा है।

**श्री दिनेश गोस्वामी :** महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि बच्चों की फिल्मों की नितांत कमी है। पहले उन्होंने कुछ अन्य देशों की अच्छी फिल्में दिखायीं। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह मनोरंजक बाल फिल्में बनाने के लिए कुछ प्रयास करेगी तथा विदेशों से आयातित कुछ धारावाहिक कार्यक्रमों के स्थान पर कुछ अच्छी फिल्में आयात करने की परंपरा जारी रखेगी।

**श्री वी० एन० गाडगिल :** मुझे प्रसन्नता है कि सदस्य महोदय ने यह प्रश्न उठाया है। बच्चों के कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। जब बंगलौर में प्रधान मन्त्री की उपस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव हुआ था। तब मैंने बच्चों को वचन दिया था कि हम बच्चों के लिए एक घंटे का कार्यक्रम शुरू करेंगे और हमने यह 1 जनवरी से शुरू कर दिया है।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, हम कुछ देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पहले ही हम वाल्ट डिसनी 28 कार्टून खरीद चुके हैं। हम कुछ और खरीदेंगे। जहां तक भारतीय बाल फिल्मों का प्रश्न है, मैंने श्री अमोल पालेकर को बाल फिल्म सोसाइटी का अध्यक्ष बनने के लिए निवेदन किया था। मैं समझता हूं कि वह अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ फिल्में आ रही हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बड़ोदा, बंगलौर तथा कुछ अन्य स्थानों पर बाल फिल्म सोसाइटी से सम्बद्ध व्यक्तियों से सम्पर्क करने का प्रयास किया था और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे कुछ और कार्यक्रम तैयार करेंगे।

**अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान**

***477. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने उनके मंत्रालय से सिफारिश की है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान समान करने के लिए मंजूरी दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था, और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) :** (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1985 में प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

**श्री मनोरंजन भक्त :** प्रश्न यह है कि क्या के० लो० निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए दो वेतनमान नहीं हैं। ऐसा केवल अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में ही है। लगभग 20 कनिष्ठ अभियन्ताओं को, जिन्हें 20 वर्ष से अधिक समय तक कार्य-सहायकों के पद पर कार्य करने के बाद पदोन्नत किया गया था, को कम वेतनमान मिलता है जबकि वे वही कार्य कर रहे हैं जो कि अधिक वेतनमान पाने वाले कनिष्ठ अभियन्ता कर रहे हैं। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है

कि सितम्बर, 1985 में अन्डमान और निकोबार मे प्राप्त प्रस्तावों पर अभी तक भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वह सिद्धांत रूप से यह स्वीकार करते हैं कि एक ही तरह के कार्य के लिए उसी श्रेणी में एक ही वेतनमान होना चाहिए।

[हिन्दी]

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, अण्डमान निकोबार प्रशासन ने सितम्बर, 1985 में प्रस्ताव भेजा था। वहां जूनियर इंजीनियर्स का एक स्केल है 425-700 और दूसरा स्केल है 380-600। जैसे ही यह प्रस्ताव आया, डी० जी०, सी० पी० डब्लू० डी० को कंसल्ट किया गया और डी० जी०, सी० पी० डब्लू० डी० ने यह माना है कि नार्म्स केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की तरह होंग तो इस पर विचार किया जा सकता है। फिर अण्डमान निकोबार प्रशासन ने कन्फर्म किया कि जो जूनियर इंजीनियर हैं वह इसी आधार पर हैं और उनकी नेचर आफ ड्यूटीज भी इसी तरह से हैं। उसी आधार को लकर मंत्रालय ने फाइनेन्स डिवीजन को लिखा है फरवरी में और फाइनेन्स डिवीजन ने अण्डमान प्रशासन से जानकारी चाही है—एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के रेक्रूटमेन्ट रूल्स क्या है, दूसरे कितने जूनियर इंजीनियर्स है और तीसरे फाइनेन्शियल इंप्लीकेशंस क्या हैं। अण्डमान निकोबार प्रशासन से अभी यह जानकारी नहीं आई है। इसके आने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

**श्री मनोरंजन भक्त** : मैंने मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या वह सिद्धांत रूप से स्वीकार करते हैं कि क्या एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को जो एक ही तरह का कार्य करते हैं समान वेतनमान दिया जाना चाहिए। उन्होंने उसका उत्तर न देकर उत्तरदायित्व को अण्डमान निकोबार प्रशासन पर टाल दिया है यद्यपि संघ राज्य क्षेत्र के लिए यह एक मुख्य मंत्रालय है और वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि क्या वह सिद्धांत रूप से इस बात से सहमत हैं कि एक ही श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को एक ही वेतनमान दिया जाये।

मैं अपना दूसरा प्रश्न भी पूछता हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वित्त प्रभाग ने किस तारीख को सूचना की मांग की तथा इस मामले पर निर्णय लेने पर सरकार कितना समय लेगी।

**श्री अब्दुल गफूर** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि (व्यवधान) एक कनिष्ठ अभियन्ता ने 1985 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की थी कि वेतनमान में संशोधन किया जाये··· (व्यवधान) उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या हम इस सिद्धांत से सहमत हैं अर्थात् यदि कोई व्यक्ति वही कार्य करता है तो उसे वही वेतनमान दिया जाना चाहिए। महानिदेशक ने अण्डमान लो० नि० वि० को लिखा है कि क्या कार्य उसी प्रकार का है जैसा अन्य कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा

किया जा रहा है—हमें उत्तर प्राप्त हुआ है। उत्तर मिलने के बाद मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया। और वित्त मंत्रालय उन 3 या 4 मदों के बारे में जानना चाहता था जिन्हें हमने अण्डमान और निकोबार सरकार को भेजा है तथा हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके मिलने पर हम निर्णय लेंगे।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उस सिद्धांत से सहमत हैं जिसका उन्होंने अभी उल्लेख किया है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

**केरल में समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय**

*478. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थान निश्चित करने हेतु कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार कालीकट में मछली पकड़ने की व्यापक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह विश्वविद्यालय कालीकट में स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर रही है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर अत्यन्त निराशाजनक है तथा मुझे यह कहते हुए खेद है कि बार फिर केरल राज्य की केन्द्र द्वारा उपेक्षा की गई है।

केरल राज्य में 517 कि० मी० समुद्र तट है। जो शायद सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है। समुद्री उत्पादों के मामले में केरल का स्थान पहला है निर्यात के मामले में भी मेरे राज्य का स्थान पहला है। हिन्दमहासागर अध्ययन ग्रुप ने भी यह बात अत्यन्त स्पष्ट कर दी है कि केरल के पानी में समुद्री उत्पादों की अधिकतम क्षमता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय केरल राज्य में एक समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगा।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय तथा मत्स्य विश्वविद्यालय में बहुत अन्तर है। शायद माननीय

सदस्य मत्स्य विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। यदि यह समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय है तो इसका समुद्र विज्ञान से सम्बन्ध रहेगा। परन्तु वह मत्स्य पर चर्चा कर रहे हैं। केरल में पहले ही एक मत्स्य कालेज केरल कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है तथा वहां पर आई० सी० ए० आर० की दो संस्थाएं पहले से ही हैं। जो शिक्षा और प्रशिक्षण देती हैं तथा डिग्रियां देती हैं। इस समय एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर भ्रामक है। मंत्री महोदय तथा उनके सहयोगी मंत्री प्रायः केरल जाते रहते हैं तथा वे केरल में समुद्री विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

इस संबंध में क्या मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार ने केरल में एक समुद्र विश्वविद्यालय के बारे में निवेदन किया है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : केरल में त्रिचूर में एक कृषि विश्वविद्यालय है, और कोचीन में एक मत्स्य कालेज है जो मत्स्य के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। 30 स्थान बी० एस० सी० (मत्स्य) के हैं और पांच स्थान एम० एस० सी० (मत्स्य) के हैं।

**श्री सुरेश कुरुप** : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ··(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह गलत बात करते हैं तो जवाबदेही उनकी होगी।

**रुग्ण लोह अयस्क खानें**

*479. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण लोह अयस्क खानों की संख्या के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये लोह अयस्क खानें कहां कहां स्थित हैं; और

(घ) इन खानों को पुनः सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लौह अयस्क की खानें गुमी-बादामपहाड़, गंधमर्दन-दैतारीटोम्का तथा बड़ाजम्दा क्षेत्रों में स्थित हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-1-1983 से अब तक लौह अयस्क की नौ (9) खानों ने उत्पादन करना बन्द कर दिया है। इस अवधि के दौरान इनमें से सात खानों में उत्पादन पुन: शुरू हो गया था। मांग में कमी होने के कारण स्टाक में वृद्धि होने से खनन कार्य के परिचालन को रोक देना बताया गया है।

(घ) खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा इस क्षेत्र के लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये गये हैं। अपनी गृहीत खानों से लौह अयस्क की उपलब्धि को ध्यान में रखने के पश्चात् "सेल" खनिज व धातु व्यापार निगम की मार्फत निजी खानों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक : उड़ीसा में अधिकतर लौह अयस्क खानें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि जिन लौह अयस्क खानों ने उत्पादन करना बन्द कर दिया है। उन खानों के मालिक निजी व्यक्ति हैं अथवा उड़ीसा खनन निगम है और लौह अयस्क की स्टाक में एकत्रित कुल मात्रा तथा अब तक बेरोजगारों की कुल संख्या क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जो 9 लौह अयस्क खानें बन्द हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनमें से 7 पुन: खोल दी गयी हैं। इन 9 खानों में से 6 निजी खाने हैं। उड़ीसा खान निगम की तीन खानें हैं। यह राज्य सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। यह सही है कि खानें रोजगार उपलब्ध कराती हैं; 'सेल' भी सरकारी क्षेत्र की खानों से तथा 'कैपटिव' खानों से जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं, लौह अयस्क खरीदती है। उड़ीसा में उड़ीसा खानों से लौह अयस्क के उत्पादन में अथवा उसकी बिक्री में वृद्धि हुई है। जिसका मुख्य कारण निर्यात में, एम० एम० टी० सी० के निर्यात में वृद्धि है। कुछ हद तक 'सेल' ने कुछ अधिक लौह अयस्क लेना शुरू कर दिया है। मेरे पास स्टाक उठाने तथा प्रभावित हुए श्रमिकों संबंधी सही आंकड़े नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया, 9 में से 7 खानें खोल दी गई हैं।

श्री लक्ष्मण मलिक : राज्य में लौह अयस्क का निर्यात करने वाली प्रमुख एजेंसी एम० एम० टी० सी० है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस वर्ष इन क्षेत्रों से लौह अयस्क की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गयी है : और 'सेल' ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए निजी खान मालिकों से कुल कितनी खरीद की थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : एम० एम० टी० सी० के माध्यम से पारादीप पत्तन से 1983-84 में निर्यात की गई लौह अयस्क की कुल मात्रा 7.77 लाख टन थी और 1984-85 में यह बढ़कर 11.68 लाख टन तक पहुंच गयी। 28-2-1986 तक, अर्थात् 1985-86 वर्ष के लिए, यह मात्रा 17.96 लाख टन है। जहां तक 'सेल' द्वारा एम० एम० टी० सी० के माध्यम से खरीदारी का

संबंध है, 1983-84 में 6.15 लाख टन लौह अयस्क खरीदा गया; 1984-85 में 10.45 लाख टन तथा 1985-86 में अर्थात् 28-2-1986 तक 8.97 लाख टन लौह अयस्क खरीदा गया। इन मात्राओं में बिहार से खरीदी गयी थोड़ी मात्राएं भी सम्मिलित हैं।

**श्री आनन्द गजपति राजू :** महोदय, आजादी के 30 वर्षों बाद भी हम लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं और इस तरह से हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को मूल्य वृद्धि रूप में इस्पात तथा विशेष इस्पात तैयार करने से वंचित कर रहे हैं। क्या सरकार लौह अयस्क के निर्यात को बन्द करने और इस्पात तथा विशेष इस्पात तैयार करने संबंधी नीति निर्णय लेगी एवं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को विशेष इस्पात का उत्पादन करने वाले संयंत्र में बदलने के बारे में भी विचार करेगी।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत :** मेरे विचार से हमें इस समस्या के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रथम हमारे देश में लौह अयस्क का भण्डार बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि हम लौह अयस्क का निर्यात तो कर रहे हैं और विशेष इस्पात का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। दोनों बातें साथ-साथ चल सकती हैं, हमारे देश में इस कार्य के लिए पर्याप्त लौह अयस्क है। यह मैं बिलकुल स्पष्ट कर दूं कि पहला कार्य दूसरे की कीमत पर नहीं चल रहा है।

दूसरी बात यह है कि हमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है। हमने वर्षों के प्रयास से दूसरे देशों में लौह अयस्क का बाजार बनाया है। केवल हम ही लौह अयस्क का निर्यात नहीं करते बल्कि विश्व में दूसरे देश भी हैं जो लौह अयस्क का निर्यात करते हैं। उनके पास लौह अयस्क के भंडार हैं और वे उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मेरे विचार से, इस समस्या को ठीक ढंग से समझकर हमें एक दीर्घकालिक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जहां तक विशाखापत्तनम का संबंध है, इस समय यह संयंत्र, विशेष इस्पात का उत्पादन नहीं कर रहा है जोकि छोटी भट्टियों में अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है। यह एक बड़ा संयंत्र है जहां मृदु इस्पात तैयार होता है और विशेष इस्पात बहुत छोटी बिजली की भट्टियों इत्यादि में तैयार किया जाता है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि एम० एम० टी० सी० हमेशा सरकार से तथा लोगों से यह कहती है कि चूंकि निर्यात क्षमता, जहां तक पारादीप का संबंध है जोकि लौह अयस्क के निर्यात के लिये हैं, विभिन्न कारणों से पारादीप पत्तन पर कम हो गयी है। एम० एम० टी० सी० पारादीप पत्तन से अधिक लौह अयस्क का निर्यात नहीं कर पा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर लौह अयस्क खानें जहां आदिवासी लोग कार्य करते हैं बन्द हो गयी हैं जिससे कम से कम दो लाख आदिवासी श्रमिक आजकल बेरोजगार हैं ?

मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने इस बात को नोट किया है जो एम० एम० टी० सी० हमेशा उड़ीसा सरकार से और हमसे कहती रहती है। जब कभी भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें यही उत्तर मिलता है कि चूंकि पारादीप पत्तन से और अधिक लौह अयस्क का निर्यात नहीं हो सकता

इसलिये हम पारादीप पत्तन से और अधिक लौह अयस्क का निर्यात नहीं कर सकते और लौह अयस्क खानों को बन्द कर दिया गया है; क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हां, महोदय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें लौह अयस्क के निर्यात में ब्राजील और आस्ट्रेलिया जैसे देशों से मुकाबला करना पड़ता है। ब्राजील में ऐसे पत्तन हैं जहां से 2.5 लाख टन डी० डब्ल्यू टी० के पोत चल सकते हैं। आस्ट्रेलिया के पत्तन से 160,000 टन डी० डब्ल्यू० टी० के पोत चल सकते हैं। इसके मुकाबले में पारादीप से केवल 55000 टन डी० डब्ल्यू० टी० के पोत चल सकते हैं। अतः स्वाभाविक ही आयात करने वाले देशों के लिए बड़े जहाजों से माल मंगाना स्वाभाविक है और अब छोटे जहाज पहले की भांति इतनी सरलता से मिलते भी नहीं हैं। अत: इस मामले में पारादीप पत्तन अलाभदायक स्थिति में है। पत्तन को गहरा करने का प्रयास किया गया और इसे और गहरा करने की एक योजना है जिसे दक्षिण कोरिया की एक फर्म ने प्रस्तुत किया है ताकि यहां से बहुत बड़े पोत चल सकें। परन्तु इस कार्य के लिये बहुत बड़ी निवेश पूंजी की आवश्यकता होगी और यह विचाराधीन है।

[हिन्दी]

### "जनवाणी" कार्यक्रम पर व्यय

*480. श्री मूलचन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा आयोजित "जनवाणी" कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को यात्रा भत्ता तथा कुछ अन्य भत्ते दिए जाते हैं, और यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए के आमंत्रित व्यक्तियों को इस प्रकार के भत्तों का भुगतान करने पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) भाग लेने वाले व्यक्तियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और शुल्कों के भुगतान, आदि के रूप में "जनवाणी" कार्यक्रम पर 31 दिसम्बर, 1985 तक 99,337/- रुपए व्यय हुए थे। भाग लेने वाले व्यक्तियों को दूसरे दर्जे का तीन तरफ का रेल किराया तथा 60/- रुपये प्रति दिन की दर से दो दिन का भत्ता दिया जाता है। 31 दिसम्बर, 1985 तक यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर 54,687.00 रु० व्यय हुए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जब कभी हम आंकड़ा पूछते हैं तो उससे हम स्थिति भांप लेते हैं। आशा है जनवाणी कार्यक्रम मंत्री वाणी के रूप में नहीं होगा और न इसके लिये आप कोशिश करेंगे और जनवाणी कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

मेरा पहला सवाल तो यह रहेगा कि जो पार्टीसिपेंट्स हैं वे किस आधार पर बुलाए जाते हैं। अभी तक 16 कार्यक्रम पेश किए गये हैं, इसमें कितने पार्टीसिपेंट्स ने आने की मांग की है, कितना टोटल एवरेज आता है और उनका चयन कैसे होता है ?

प्रो० के० के० तिवारी : और क्या क्वेश्चनेयर्स की लिस्ट मंत्री जी से पूछकर बनाई जाती है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल आप पूछ लेना।

मैंने जो चेहरे देखे हैं, उसमें एक्सपर्ट्स और अच्छे लोग कम होते हैं। क्या एम० पीज को भी··· (व्यवधान) बुलाया जायेगा ताकि थोड़ा आपको··· (व्यवधान) उसमें मूलचन्द डागा का नाम भी आप रखिए··· (व्यवधान) इसका चयन कैसे होता है, मंत्री जी यह बताइये। जो उनकी वाणी होती है जनवाणी, उसमें कितने मिनट मंत्रीवाणी होती है और कितने मिनट जनवाणी होती है। उस आदमी को कितना अलाउंस आप देते हैं, जो आपने छिपा दिया है यानी कितनी आप फीस देते है। यह मेरा पहला क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दे दीजिये।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं सभा को बताऊं कि यह योजना कैसे बनी। प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि ऐसा कोई कार्यक्रम हम बना सकते हैं जिसके अन्तर्गत उनके मंत्री आम व्यक्ति के साथ आपने सामने बैठकर बात कर सकें। इस प्रकार से यह कार्यक्रम बना और इसी कारण इसे "जनवाणी" कहा जाता है। सारा उद्देश्य स्पष्ट है। अत: यह जनवाणी है और मंत्रीवाणी नहीं है. उनका सुझाव कि उन्हें अथवा संसद सदस्यों को सम्मिलित किया जाये, हम उस पर विचार करेंगे परन्तु तब यह लोक सभा वाणी बन जायेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की वहां पर तस्वीर लगा दिया करो।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक चयन की बात है, जब कार्यक्रम की घोषणा की जाती कि कौन से मंत्री आयेंगे तो हमें दर्शकों से काफी संख्या में पत्र प्राप्त होते हैं। एक बार तो हमें 10,000

से भी अधिक पत्र प्राप्त हुये। आमतौर पर 5000 या 8000 पत्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बिल्कुल बाहर की किसी एजेंसी जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं या किसी ऐसे संस्थान से संबंध स्थापित करते हैं। इन्हें उनको दे दिया जाता है। वे सरकार की योजनाओं, लोगों की समस्याओं तथा कठिनाइयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकने वाले प्रश्नों को चुनते हैं। उन प्रश्नों को हमारे पास भेज दिया जाता है और हम उन लोगों को आमंत्रण पत्र भेजते हैं। हम स्वयं लोगों का चयन नहीं करते। हमने जो एकमात्र मार्ग-निर्देश दिया है कि ये लोग भारत के किसी एक भाग से नहीं बल्कि भारत के सभी भागों से होने चाहिये। प्रधान मंत्री ने एक बार यह निर्देश दिया था : उन्होंने कहा था, "मैं देखता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से बहुत ही कम लोग आते हैं।" अतः बस हमने यही एक अतिरिक्त कार्य किया है। जहां तक संभव होता है हम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अधिक लोगों को लाने का प्रयास करते हैं ताकि वे देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ सकें, अन्यथा हम हस्तक्षेप नहीं करते। चयन बाहरी शोधकर्ताओं पर छोड़ा जाता है। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के अलावा उन्हें 100 रुपये बतौर साक्षात्कार फीस दी जाती है।

और मंत्रियों को प्रश्न नहीं बताये जाते हैं। मंत्रियों को केवल विषय या उप-विषय के बारे में बताया जाता है। एकदम सही प्रश्न नहीं बताया जाता। महोदय, यह सत्य है कि हम 40 मिनट से अधिक रिकार्ड करते हैं और हम निर्णय करते हैं कि कौन से अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हें लिया जाता है परन्तु सेंसर बिल्कुल नहीं किया जाता है। मात्र संपादन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी खास मंत्री की छवि बनाने की कोशिश करते हैं। विषय को देखते हुए उसके लिये समय का नियतन किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इतना समय मंत्री जी के लिये है और इतना समय प्रश्न पूछने वाले के लिये है।

[हिन्दी]

**श्री मूल चन्द डागा :** अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया··· (व्यवधान) आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं, वैसे मैंने नहीं कहा बल्कि मैंने कहा कि आपने 16 प्रोग्राम्स करने के बाद, उनका इवैल्यूएशन किया होगा मूल्यांकन किया होगा, और उसी मूल्यांकन के आधार पर मैं चाहता था कि जनवाणी कार्यक्रम में जो लोग भाग लेने आते हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि उन लोगों को सप्लीमेंटरी प्रश्न करने का मौका मिलता है, लेकिन मैंने कभी-कभी उस कार्यक्रम को देखने का प्रयत्न किया है और मैंने यही पाया कि मंत्री जी का चेहरा ठीक रहता है या नहीं रहता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मंत्री जी और प्रश्न पूछने वाले लोगों के बीच में जो दूरदर्शन के बिचौलिये होते हैं, वे सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछने वाले को रोक लेते हैं। यह मैंने स्वयं देखा है, नोट किया है। क्या सरकार उस बिचौलिए को हटाने का कोई प्रस्ताव रखती है। क्षमा कीजियेगा, आप अच्छा करते हैं क्योंकि किसी को नंगा करना ठीक बात नहीं है। वैसे हमारे मंत्री जी काफी अनुभवी हैं और जनवाणी के कार्यक्रम को पहले से ज्यादा उपयोगी और शक्तिशाली बनाने के लिये, जैसा मंत्री जी ने कहा लगभग 8 हजार आते हैं···

**अध्यक्ष महोदय :** आप प्रश्न को लटका देते हैं, और इस तरह मेरे लिए मुसीबत हो जाती है।

मेरे ख्याल में आप कहीं स्पीकर की तो बात नहीं कर रहे हैं।

**श्री मूल चन्द डागा :** मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप जनवाणी कार्यक्रम को ज्यादा शक्तिशाली और उपयोगी बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए, क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं ताकि वह अपने उद्देश्य को सही तरीके से प्राप्त कर सके और सही रूप में जनवाणी के रूप में उभर सके।

[अनुवाद]

**श्री वी० एन० गाडगिल :** जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार को लोगों की कठिनाइयों, समस्याओं, दुःखों का समझना और लोगों को भी यह बताना कि सरकार की क्या योजनाएं आदि हैं ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें ! उद्देश्य यह नहीं है—माननीय सदस्य ने जो शब्द हिन्दी में कहे हैं मैं उसका अनुवाद नहीं कर सकता—उनका क्या मतलब है। कार्यक्रम का वह उद्देश्य नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत अधिक गम्भीर है; लोगों को और सरकार को एक साथ पेश करना है। क्या मूल्यांकन किया गया है। हमारे पास अपना एक श्रोता अनुसंधान यूनिट है और हम प्राइवेट मार्किट सर्वेक्षणों द्वारा भी जानकारी लेते हैं। एक सर्वेक्षण जिसे मैंने पन्द्रह दिन पहले देखा था उससे पता चलता है कि 62 प्रतिशत टी०वी० वाले व्यक्तियों ने एक भी 'जनवाणी' कार्यक्रम नहीं छोड़ा। इससे इसकी लोकप्रियता, महत्व और उपयोगिता का भी पता चलता है। जहां तक स्वरूप का प्रश्न है, जैसे-जैसे हम कार्य कर रहे हैं वैसे-वैसे हम सीखते जा रहे हैं; हमने देखा कि शुरू में कार्यक्रम व्यक्तिगत शिकायतों का कार्यक्रम बन जाता था। अतः हमने निर्देश जारी किये कि प्रश्न किसी खास व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित नहीं होना चाहिए बल्कि सामान्य नीति से संबंधित होना चाहिए। ये सभी प्रश्न, उनके एकत्रित करने के बाद, यद्यपि वे पूछे नहीं जाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों को भेज दिये जाते हैं।

[हिन्दी]

**श्रीमती ऊषा चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको जानकारी है कि जैसा यहां पर डागा साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि चेहरा देखकर ही बुलाते हैं और नागपुर में तो स्थिति ही दूसरी है···

**अध्यक्ष महोदय :** अपना नम्बर तो आ जायेगा।

**श्रीमती ऊषा चौधरी :** मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब नागपुर दूरदर्शन में वहां के कुछ प्रतिष्ठित साहित्यकार और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बुलाया गया तो दूरदर्शन के अधिकारियों ने उनको बाद में रिफ्यूज कर दिया कि आपको टी०वी० पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बारे में उन सब लोगों ने वहां बहुत विरोध किया और अखबारों तक में वह स्टेटमेंट आया। जब दूरदर्शन केन्द्र में ऐसी बातें होती हैं और

शिकायतें आती हैं आपके दूरदर्शन के अधिकारी इस तरह भेदभाव का व्यवहार करते हैं तो उसको रोकने के लिए आपका विभाग कुछ कार्यवाही कर रहा है या नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत नहीं हूं। जैसे मैंने बताया कि चयन कैसे किया जाता है, मैं यह बताऊं कि यह किसी खास व्यक्ति को चुनने की बात नहीं है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

### बाल भवन सोसायटी

*450. श्री मूल चन्द डागा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल भवन सोसायटी का गठन किस तारीख को किया गया था और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इसमें बच्चों के प्रवेश के लिये क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिये कितनी आयु निर्धारित की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सोसायटी पर कितना धन व्यय किया गया और उससे कितने बच्चों को लाभ पहुंचा; और

(घ) क्या इस सोसायटी के कार्य संचालन के संबंध में कोई पुनरीक्षा की गई है, यदि हां, तो क्या यह उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बाल भवन सोसायटी, भारत का गठन बच्चों को सृजनात्मक, मनोरंजक और शारीरिक कार्यकलापों के माध्यम से शिक्षा के लिये अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 10 मार्च, 1955 में किया गया था।

(ख) 5—16 आयु वर्ग के सभी बच्चे बाल भवन सोसायटी, भारत द्वारा चलाये जा रहे बाल भवन के सदस्य के रूप में दाखिले के लिये पात्र हैं।

| (ग) वर्ष | किया गया खर्च | लाभग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1982-83 | 40.04 लाख | 1,23,245 |
| 1983-84 | 41.39 लाख | 1,30,228 |
| 1984-85 | 73.88 लाख | 1,61,867 |

(घ) बाल भवन सोसायटी, भारत की वार्षिक रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं। ऐसा करते समय, सोसायटी के कार्यकरण/निष्पादनों की समीक्षा की जाती है। सोसायटी का कार्यकरण अब तक संतोषजनक रहा है।

## सम्पूर्ण बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना शुरू करना

*451. श्री काली प्रसाद पाण्डे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लगभग 100 ब्लाकों में 19 फरवरी, 1983 से केन्द्रीय सरकार के खर्च पर ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये 11,000 से अधिक लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बिहार के सभी ब्लाकों में नियमित रूप से यह योजना शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के विस्तार संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से शुरू किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइडों की सेवा शर्तों में सुधार करने और उनके वेतनमानों को संशोधित करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) बिहार के सभी ब्लाकों में इस योजना को शुरू करने का निर्णय वहां की राज्य सरकार को लेना है। यह योजना शत-प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना होने के कारण भारत सरकार राज्य सरकार को उतनी सहायता देने के लिए वचनबद्ध है जितनी सीमा तक वह इस योजना को लागू करती है।

(ग) ग्राम स्वास्थ्य गाइड स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं और उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है और ना ही उनके लिए कोई सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं। उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने अथवा उनके वेतनमानों में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## चिकित्सा कालेजों में "एक्यूपंक्चर" चिकित्सा संबंधी अध्यापन

*452. श्री हुसैन दलवाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली के, परिणामों के संबंध में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में एक्यूपंक्चर चिकित्सा प्रणाली को व्यापक लोकप्रियता मिल रही है;

(ग) सरकार का विचार चिकित्सा कालेजों में इस नई चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(घ) भारत में कितने चिकित्सा संस्थानों ने एक्यूपंक्चर चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये हैं; और

(ङ) यदि एक्यूपंक्चर की चिकित्सा प्रणाली संस्थानों द्वारा नहीं अपनाई जाती है तो एक्यू-पंक्चर चिकित्सा प्रणाली की बढ़ती हुई मांग को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत में एक्यूपंक्चर एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नहीं है। देश में इस पद्धति की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए कोई सुव्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने इस मन्त्रालय को सूचित किया है कि उसने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संबंधी सिफारिशों में एक्यूपंक्चर चिकित्सा के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की है। हमारी सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक्यूपंक्चर चिकित्सा को संवेदनाहरण विज्ञान शाखा में स्नातकोत्तर विषय के रूप में शामिल किया है।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक्यूपंक्चर और तिब्बती चिकित्सा पद्धतियों आदि के लिए पच्चीस लाख रुपये की सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

## भुवनेश्वर में बाढ़ पूर्व-सूचना सर्किल का खोला जाना

*453. श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में विभिन्न नदियों पर बांध आदि न बनाये जाने

के कारण प्रति वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ से भारी विनाश होता रहता है;

(ख) क्या भुवनेश्वर में जल विज्ञान वेधशाला तथा बाढ़ पूर्व सूचना का एक नया सर्किल खोले जाने हेतु उड़ीसा की ओर से बार-बार मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो भुवनेश्वर में शीघ्र ऐसा सर्किल खोले जाने के संबंध में, जो 1981 से विचाराधीन है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा, भारत के अत्यधिक बाढ़ प्रवण राज्यों में से एक है।

(ख) जी, हां।

(ग) वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण भुवनेश्वर में नया सर्किल खोलना संभव नहीं हो पाया है।

### दूरदर्शन के लिए शिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण

*454. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के लिए शिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण कार्य का समन्वय करने हेतु एक राष्ट्रीय अभिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किये गये शिक्षण कार्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जाएगा; और

(ग) क्या शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक समय नियत किया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 6 इन्सैट राज्यों में से प्रत्येक अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 6 राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बच्चों के लिये शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम विकेन्द्रीयकृत आधार पर तैयार करने को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समन्वित कर रहा है। प्राथमिक स्कूलों के लिये सेटेलाईट के माध्यम से प्रसारित शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम इस समय इनसैट ई०टी०वी० सेवा के लिए दूरदर्शन और केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 50:50 की साझेदारी के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने के कार्यक्रमों को समन्वित कर रहा है। जब राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय चालू हो जाएगा तो यह दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण के लिए अपने ही कार्यक्रम तैयार करने लगेगा।

(ख) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम हिन्दी में तैयार किये जाते हैं और इनको चार क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् तेलुगु, उड़िया, मराठी और गुजराती में डब किया जाता है। इस समय उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण अंग्रेजी में होता है। इनको यथा समय क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 6 इन्सैट राज्यों में सभी ट्रांसमीटरों द्वारा शैक्षिक टेलीविजन एक सप्ताह में 6 दिन तक प्रत्येक दिन 45 मिनट के लिए प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में इन्सैट के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ट्रांसमीटरों द्वारा ई०टी०वी० कार्यक्रम इन्सैट के जरिए हिन्दी में भी प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन द्वारा पाठ्यचर्या के आधार पर तैयार किए गए स्कूल टी०वी० कार्यक्रम दिल्ली, बम्बई, मद्रास और श्रीनगर में भिन्न-भिन्न अवधि के लिये प्रसारित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए गए उच्च शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम राष्ट्रीय नेट-वर्क के माध्यम से इन्सैट के जरिए अपराह्न के शुरू में एक घंटे तक प्रसारित किए जाते हैं और अपराह्न के बाद में इन्हें इतनी ही अवधि के लिए पुनः प्रसारित किया जाता है। खुला विश्वविद्यालय की, इसके कार्यक्रम शुरू होने पर, अतिरिक्त समय के आवंटन की आवश्यकता होगी।

सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित कुल समय, प्रसारण के लिए कार्यक्रमों की उपलब्धता और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आवंटित किये जा सकने वाले प्रसारण समय की सीमा आदि के ब्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं।

### आहार के माध्यम से कैंसर के खतरे को दूर करना

*455. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार विशेष रूप से समाज के निम्न आर्थिक वर्ग में मुख, मुख प्रसनी, ग्रासनली और ग्रीवा कैंसर बहुत अधिक पाया गया है जैसा कि चीन और ईरान में है;

(ख) क्या उत्परिवर्तन और कैंसर जनन की किस्मों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी कैंसर की किस्मों विस्फाक कारणों और पोषक कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी कैंसर निरोधक का पता लगाया गया है, और यदि हां, तो भारत में पुरुषों

और महिलाओं में कैंसर के खतरों को कम करने के लिए किस किस्म की आहार नीति की सिफारिश की जा रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। वैसे, कैंसर यूटिरिन सर्विक्स के अलावा शरीर के किसी अन्य अंग में भी हो सकता है, और यह किसी विशेष समाज-आर्थिक वर्ग के लोगों में ही नहीं होता बल्कि समाज के किसी भी वर्ग में हो सकता है।

(ख) कैंसर के कई कारणों का पता है और कई का नहीं। शरीर के विभिन्न अंगों पर जिन एजेंटों और परिस्थितियों के कारण कैंसर होता है उनकी सूची का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) कुछ लक्षणों से पता चला है कि तम्बाकू के इस्तेमाल और कुपोषण विशेषकर खनिजों तथा विटामिन की कमी के कारण अप्पर एलिमेंट्री ट्रेक्ट कैंसर होता है। पता चला है कि लोअर एलिमेंट्री ट्रेक्ट कैंसर आहार में उच्च रेशे वाले तत्वों की मौजूदगी से होता है। विशेषकर कैंसर के खतरे को कम करने के लिए अभी तक कोई संस्तुत आहार नीति नहीं है।

**विवरण**

**कैंसर के ज्ञात कारण**

| एजेंट अथवा परिस्थिति | कैंसर का स्थान |
|---|---|
| 1 | 2 |
| एफलाटाकसिन | जिगर |
| एल्कोहलिक ड्रिंक्स | मुख फार्नेक्स लार्नेक्स, ओय-सोफेगस, लिवर |
| अल्काइलेटिंग एजेंट्स : | |
| साइक्लोफोसफामाइड | ब्लैडर |
| मैलफालन | मैरो |
| ऐरोमेटिक एमाइन्स | |
| 4-एमिनोडिफेनल | ब्लैडर |
| बेंजिडाइन | ब्लैडर |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2-नेफथाइलामाइन | ब्लैडर |
| आर्सेक (केवल कुछ कम्पाउण्ड) | चमड़ी, फेफड़े |
| एसबेस्टोस | फेफड़े, प्लूरा, पैरीटोनम |
| बेन्जीन | मैन्रो |
| बिस (क्लोरोमैथल) ऐथर | फेफड़े |
| बुसलफान | मारो |
| कोडियम (केवल कुछ कम्पाउण्ड) | प्रास्टेट |
| चवाना (सुपारी, तम्बाकू, लाइम) | मुंह |
| क्रोमियम (केवल कुछ कम्पाउण्ड) | फेफड़े |
| क्लोरनाफेजाइन | ब्लैडर |
| क्लोरोफेबल/फेनोक्सी एसिड | सारकोमा, लिम्फोमा |
| फर्नीचर निर्माण (हार्ड वुड) | नेसल सिनुअस |
| इम्यूनोसुप्रेसिव औषधियां | रैटीकुलूनडेथीलियल सिस्टम |
| आइनाइजिंग रेडियेशन्स | मैन्रो और सम्भवतः अन्य सभी अंग |
| आइसीपोपीला अल्कोहल निर्माता | नासल सेनुअस |
| लैदर गुड्स निर्माता | नासल सेनुसस |
| मस्टर्ड गैस | लार्नेक्स; फेफड़े |
| निक्कल (केवल कुछ कम्पाउण्ड) | नासल सेनुसस, फेफड़े |
| एस्ट्रोजनस : | |
| अनअपोजड़ | एण्डोमीट्रीयम |
| ट्रांसप्लेसेण्टल (बी०ई०एस०) | योनि |
| ओवरन्यूट्रीशन (कार्जिग ओबेस्टी) | एण्डमीट्रीयम, गाल ब्लैडर |
| फेनासेटिन | गुर्दा, (पैलविस) |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| पोलिक्लीनिक हाईड्रोकार्वन्स | चमड़ी, स्क्रोटम, फेफड़े |
| रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री : | |
| प्रथम गर्भधारण देर से होना | छाती |
| शून्य अथवा लो पैरिटी | आवेरे |
| पैरासाइट्स : | |
| स्किटसटोसोमा हैमेटोबियम | ब्लैडर |
| क्लोनोरिक्स साइनेनासिस | जिग्र (कोलानजियोमा) |
| सेक्सुअल प्रौमिसक्युरी | सर्विक यूटेरी |
| स्टरायड्स : | |
| एनाबोलिक (आक्सीमैथेलोन) | जिग्र |
| गर्भरोधक | जिगर (हेमारटोमा) |
| धुम्रपान | मुंह, फानक्स, लार्नेक्स, फेफड़े, ओएसोफग्स, ब्लैडर |
| यू०वी० लाइट | चमड़ी, होंठ |
| विनलक्लोराइड | जिगर (एंजियोसेकोमा) |
| वाइरस (हेपेटाइटस बी) | जिगर (हेपाटोमा) |

आर० डोल और आर० पेटो द्वारा लिखी गई अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, की जून, 1981 की पत्रिका में प्रकाशित।

[हिन्दी]

### हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उपाय

*456. श्री उत्तम राठौड़ :
श्री मूल चन्द डागा } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश भर में संघ की राजभाषा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और इस काम पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई शब्द कोष तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो प्रत्येक का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)** जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, अहिन्दी भाषी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रहा है। भारत सरकार अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने तथा प्रकाशित करने के लिए बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जी० बी पन्त कृषि विश्वविद्यालय तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दे रही है। विभाग हिन्दी के प्रसार में कार्यरत लगभग 140 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। जिन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है उनमें निःशुल्क हिन्दी शिक्षण केन्द्रों, हिन्दी आशुलिपी तथा टंकण कक्षाओं की स्थापना, पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद हिन्दी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन शामिल है।

2. मंत्रालय ने हिन्दी के प्रसार के लिए अनुसंधान विकास तथा विस्तार कार्य के वास्ते काफी संख्या में संस्थानों का गठन किया है। इन संस्थानों में दो अधीनस्थ कार्यालय अर्थात केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली तथा एक स्वायत्त संस्थान अर्थात केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा शामिल है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने सम्पर्क तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए कलकत्ता, गोहाटी, हैदराबाद तथा मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा के गोहाटी, हैदराबाद तथा नई दिल्ली में अपने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह संस्थान हिन्दी के विकास तथा प्रसार के लिए विभिन्न कार्यकलाप करते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) पत्राचार पाठ्यक्रमों को आयोजित करना।

(ख) संस्थानों को हिन्दी पुस्तकों की भारी खरीद तथा आवंटन और प्रदर्शनी।

(ग) द्विभाषी, त्रिभाषी, बहुभाषी तथा पारिभाषिक शब्दकोषों, वार्तालाप गाइडों आदि का निर्माण।

(घ) "भाषा" "वार्षिकी" तथा "यनेस्को दूत" जैसी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन।

(ङ) भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिकों को हिन्दी का शिक्षण।

(च) हिन्दी तथा सामग्री निर्माण शिक्षण की प्रणाली में अनुसंधान।

(छ) अखिल भारतीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं तथा अखिल भारतीय हिन्दी परि-चर्चाओं का आयोजन।

(ज) अहिन्दी लेखकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, हिन्दी छात्रों का अहिन्दी भाषी राज्यों में अध्ययन दौरे तथा हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों के विख्यात हिन्दी अध्येताओं के गैर-हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में लेक्चर दौरे।

(झ) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों का पुरस्कार प्रदान करना।

(ञ) विदेशी भाषा आधारित हिन्दी शब्दकोषों तथा वार्तालाप गाईड़ें जैसे चैक-हिन्दी वार्तालाप गाइडें तैयार करना।

(त) अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को मैट्रिक स्तर से आगे हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिया प्रदान करना।

(थ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलियां तैयार करना।

(द) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।

(ध) श्रव्य केसटों के माध्यम से हिन्दी का प्रसारण।

3. छठी पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के विकास तथा प्रसार के लिए सभी कार्यक्रमों पर किया गया कुल व्यय 6.26 करोड़ रुपये था। जबकि 1985-86 के लिए बजट प्रावधान 143.00 लाख रुपये है, 1986-87 के लिये 299.00 लाख रुपये के बजट परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 99 खण्डों में 51 शब्दकोष (द्विभाषी, त्रिभाषी तथा बहुभाषी) तैयार करने प्रारम्भ किये हैं। जो शब्दकोष छप चुके हैं अथवा छप रहे हैं, उनकी आर्थिक सहायता के पश्चात नियत किया गया बिक्री मूल्य निम्नलिखित हैं।

| | बिक्री मूल्य रुपयों में |
|---|---|
| (i) भारतीय भाषा कोश | 244 |
| (ii) त्रिभाषा कोश | |
| (क) खंड—I | 153 |
| (ख) खंड—II | 130 |
| (ग) खंड—III | 74 |

(iii) द्विभाषा कोश

| | |
|---|---|
| (क) हिन्दी-मराठी | 53 |
| (ख) अन्य | 68 से 70 |

छात्रों, शिक्षकों तथा खुदरा विक्रेताओं को बिक्री मूल्य में 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

[अनुवाद]

## अस्पतालों के लिए अनिवार्य औषधियों की सूची

*457. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी अस्पतालों में अनिवार्य औषधियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐसी औषधियों की एक छोटी सूची बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के लिए एक सांझी अस्पताल फार्मूलरी तैयार करने हेतु सरकार ने जुलाई, 1982 में एक टास्क फोर्स नियुक्त किया था ताकि अस्पताल प्राधिकारी आवश्यक दवाईयों की पर्याप्त सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। और उसे मानिटर कर सके। टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई सूची केन्द्रीय सरकार के सभी अस्पतालों और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को सूचना और मार्ग-निर्देश के लिए भेजी गई थी।

[हिन्दी]

## मनोरोगियों के लिए चिकित्सा सुविधायें

*458. श्री सरफराज अहमद
श्री विलास मुत्तेमवार } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 28 फरवरी, 1986 के दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता में "मनोचिकित्सक की बीमारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मनोरोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार के रोगियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का है, और यदि हां, तो कब तक ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने इस समाचार को देखा है।

दिल्ली नगर निगम से मिली सूचना के अनुसार सम्बन्धित डाक्टर का पिछले वर्ष से स्वास्थ्य खराब है और उन्होंने कई बार छुट्टी ली है। यह भी सूचित किया गया है कि जब यह डाक्टर छुट्टी पर होता है तो उस अवधि के दौरान रोगियों को मेडिसिन विभाग द्वारा देखा जाता है।

अधिकांश राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सलाह देने और इसका उपचार करने की सुविधायें मानसिक अस्पतालों/संस्थाओं तथा जनरल अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में और अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

### सिंचाई प्रणाली की आयोजना और प्रबन्धन में किसानों को शामिल करना

*459. श्री के० बी० शंकर गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई प्रणाली की आयोजना और प्रबन्धन में किसानों को शामिल करने के लिए इंजीनियरों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि एक बड़ी संख्या में किसानों को उपलब्ध जल संसाधनों का लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या "सिंचाई प्रणाली की विकसित आयोजना और प्रबन्धन के लिए मानदण्ड तैयार करना" के सम्बन्ध में फरवरी, 1986 में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(घ) उस गोष्ठी की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और क्या केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) माइनर स्तर से नीचे जल वितरण में किसानों को सहयोगी बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक कमान क्षेत्र विकास परियोजना में मार्गदर्शी

परियोजनायें शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय सिचाई एवं शक्ति मंडल द्वारा यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसका कार्य विवरण और सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

### "एनलजीन" का कुप्रभाव

*460. श्री शांति धारीवाल }
श्री विष्णु मोदी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अनेक देशों में एनलजीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) भारत में इसके प्रयोग की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस औषधि से होने वाले किसी बुरे प्रभाव की जानकारी मिली है;

(घ) क्या यह सच है कि हमारे देश में इस औषधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है;

(ङ) यदि हां, तो इस औषधि पर आधारित तथा अन्य औषधियों के मिश्रण से बनी किन-किन औषधियों की बिक्री अधिक होती है; और

(च) क्या इन औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) यद्यपि कुछ देशों में एनलजीन पर प्रतिबन्ध है, तथापि यह अनेक देशों में बेची जाती है।

(ख) और (ग) 'एनलजीन" नामक औषधि भारतीय बाजार में 20 वर्षों से अधिक समय से बेची जा रही है और इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) एनलजीन देश में प्रयोग की जा रही एक लोकप्रिय पीड़ा नाशक औषधि है।

(ङ) देश में उपलब्ध एनलजीन की लोकप्रिय दवाएं इस प्रकार हैं :—

| एकल | योग |
|---|---|
| एनलजीन | बरालगन |
| नावलजीन | कैफीएसपायरिन |
| | ओक्सलजीन |
| | अल्ट्राजीन |
| | जिसलजीन-ए |
| | स्पैस्माइजोल |
| | अवाफोरटेन |

(च) चूंकि बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल आफ मेडिसिन यू० एस० ए० ने एनलजीन के प्रतिकूल प्रभावों को मानीटर करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था, इसलिए औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने सरकार को एनलजीन और इसके फार्मूलेशनों की बिक्री को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने से पहले इस अध्ययन के अन्तिम निष्कर्षों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है।

### प्रबन्ध और "टर्मिनल हैन्डलिंग" के संदर्भ में कलकत्ता पत्तन का गैर सरकारीकरण

*461. श्री रेणु पद दास : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबन्ध और "टर्मिनल हैन्डलिंग" के संदर्भ में कलकत्ता पत्तन के और गैर-सरकारीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) महापत्तनों में विकास संबंधी निर्माण कार्यों के लिए गैर-सरकारी धन का उपयोग करने की अवधारणा सिद्धांत रूप में मान ली गई है। इसका ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

### बसों और रेलगाड़ियों में धूम्रपान

*462. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसों और रेलगाड़ियों के यात्रियों में से अनेक यात्री नियमित रूप से धूम्रपान करते हैं, जिससे धूम्रपान न करने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों में और केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन बसों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी उनके नियन्त्रणाधीन बसों में भी धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगने के लिए सलाह देने का विचार है ?

**परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल)** : (क) यात्रियों की धूम्रपान की आदतों के बारे में कोई सांख्यिकी सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, यह कहना सही नहीं होगा कि सफर के दौरान बड़ी संख्या में यात्री धूम्रपान करते हैं।

(ख) रेलगाड़ियों और संघ सरकार के नियन्त्रणाधीन बसों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इनमें धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है :—

(i) महानगरों में, उप-नगरीय ई० एम० यू० रेलगाड़ियों के डिब्बों में;

(ii) ए० सी० 2 टीयर/कुर्सीयान आदि जैसे वातानुकूलित डिब्बों में; और

(iii) गैर-उपनगरीय रेलगाड़ियों में अन्य प्रकार के डिब्बों में यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि यदि अन्य यात्री आपत्ति करते हैं, तो यात्रियों को धूम्रपान नहीं करना है।

दिल्ली परिवहन निगम जो संघ सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है, उसकी बसों में मोटरयान नियम, 1940 के तहत धूम्रपान पर प्रतिबन्ध है।

(ग) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 67 (2) (च च) के तहत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों को उचित नियमों के माध्यम से बसों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।

### शिक्षा का व्यावसायीकरण

*463. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही**
**श्री के० प्रधानी** } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यवसाय संबंधी और कारीगरी के प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने व्यवसायीकरण की योजना अपना ली है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) से (ग) शिक्षा पद्धति के अन्दर ही कुछ चुनिंदा पोलिटेकनिकों में जिन्हें सामुदायिक पोलिटेकनिक नामोद्दिष्ट किया गया है, विभिन्न दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ कालेजों द्वारा प्रदान किए जा रहे कला, विज्ञान और वाणिज्य के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में अनुप्रयोग उन्मुख संघटक शामिल किया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक धारा के एक भाग के रूप में स्कूलों में प्रदान किए जाते हैं, यद्यपि इसमें दाखिल छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। सरकार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम रखना चाहती है परन्तु इसका आकार और स्वरूप निधियों पर निर्भर करेगा जो सातवीं योजना में इसके लिए उपलब्ध की जाएगी।

(घ) सामुदायिक पोलिटेकनिकों और डिग्री कालेजों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं :—

1. आसाम, 2. आन्ध्र प्रदेश, 3. कर्नाटक, 4. गुजरात, 5. हरियाणा, 6. महाराष्ट्र, 7. केरल, 8. तमिलनाडु, 9. उत्तर प्रदेश, 10. पश्चिम बंगाल, 11. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, 12. चण्डीगढ़, 13. दिल्ली, 14. गोवा, दमन और दीव 15 पाण्डिचेरी।

इस समय व्यावसायिक पाठ्यक्रम लगभग 1900 संस्थाओं में प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा IX में वार्षिक दाखिला लगभग 72000 हैं।

### दोषपूर्ण उपस्करों वाला औषध निर्माण एकक

***464. श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
**श्री सुभाष यादव** } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में 3000 से अधिक लघु औषध निर्माण एकक हैं जिनमें से अधिकांश के पास न तो औषध निर्माण संबंधी वैज्ञानिक जानकारी है और न किस्म नियंत्रण की सुविधाएं ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### कैंसर के उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा

*465. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के कितने सरकारी अस्पताल हैं;

(ख) उनमें से कितने अस्पताल केरल में हैं; और

(ग) क्या चिकित्सा संबंधी अनुसंधान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर का सफल उपचार हो सकता है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश के किसी भी भाग में कोई प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल नहीं चलाता।

(ग) सरकार को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैंसर के किसी सफल उपचार की कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

### रेलगाड़ियों को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाना

*466. डा० ए० के० पटेल : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-कानपुर और दिल्ली-आगरा मार्गों को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उन पर रेलगाड़ियां चलाने के उपयुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस बारे में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) तेज रफ्तार के नये गलियारों यथा नई दिल्ली-आगरा और नई दिल्ली-कानपुर तथा नई दिल्ली-आगरा-कानपुर के विकल्प, के लिए सर्वेक्षण करने के काम को 10 लाख रुपये की लागत से 1986-87 के बजट में शामिल किया गया है जिसमें से 1986-87 के लिए 8 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

### रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा स्टाल

*467. श्री अनूप चन्द शाह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जरूरतमन्द यात्रियों को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा स्टाल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अचानक बीमार हो जाने अथवा चोट लग जाने पर यात्रियों की परिचर्या के लिए सभी यात्री गाड़ियों में गार्डों के पास प्राथमिक उपचार बाक्स रखे गये हैं। रेलवे स्टेशनों पर सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में भी प्राथमिक उपचार बाक्स उपलब्ध होते हैं। गाड़ियों के गार्डों को इस आशय के अनुदेश भी हैं कि वे उस अगले निकटतम स्टेशन को अग्रिम सन्देश भेजें जहां चिकित्सा सहायता के लिए रेलवे डाक्टर उपलब्ध हो।

## 1992 में होने वाले ओलम्पिक खेलों की मेजबानी करना

*468. श्री पी० एम० सईद
श्री मुकुल वासनिक } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1992 में होने वाले ओलम्पिक खेलों की मेजबानी करने के लिए पेशकश न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों के सफल आयोजन के पश्चात भारत की क्षमता और सामर्थ्य ओलम्पिक खेलों का मेजबानी करने के लिए पर्याप्त नहीं समझी गई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यतः संसाधनों की कठिनाई के कारण।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### विजयवाड़ा के समीप कृष्णा नदी पर तीसरे पुल का निर्माण

*469. श्री टी० बाल गौड़ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप कृष्णा नदी पर तीसरे रेलवे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी पर तीसरे पुल का निर्माण कार्य 1987-88 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

### उत्तर प्रदेश में नई रेल लाइनें

*470. श्री हरीश रावत : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985-86 के दौरान कुछ नई रेल लाइनें बिछाने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य के लिए राशि का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेल लाइन के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी;

(ग) क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) शाहजहांपुर-बदायूं लाइन के लिए सर्वेक्षण की प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि सर्वेक्षण दल अन्य सर्वेक्षणों में व्यस्त थे। 1986-87 में इसमें प्रगति की जायेगी।

### विवरण

1985-86 में रखी गई राशि इस प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

| क्र० सं० | सवक्षण का नाम | 1985-86 के लिए मूल परिव्यय | प्रत्याशित खर्च |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | नई लाइनों के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | | |
| 1. | (i) अलीगंज-अफजलगढ़ (42 कि०मी०) | 25 | 92 |
| | (ii) धामपुर-आजमगढ़-कालागढ़ (36 कि० मी०) | | |

| 1 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | दौराला-मवाना-हस्तिनापुर बड़े आमान की रेल लाइन | 100 | 200 |
| 3. | खुर्जा-पलवल (संयुक्त सर्वेक्षण का भाग) | 400 | 400 |
| 4. | शाहजहांपुर से बदायूं | 968 | 25 |
| 5. | टनकपुर-घाट भागेश्वर (टोह सर्वेक्षण) | 1 | 100 |
| | जोड़ : | 1494 | 817 |

[अनुवाद]

### राज्यों को मैलाथियन की खरीद के लिए दी जा रही केन्द्रीय सहायता की समाप्ति

* 471. श्री अहमद एम० पटेल
श्री सी० डी० पटेल
: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैलाथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता बंद कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत को वहन करने का सामान्य पैटर्न 50:50 के आधार पर है। छठी योजनावधि के मध्य में इस पैटर्न में परिवर्तन किया गया था जिसके अनुसार उन क्षेत्रों के लिए, जहां पर वैक्टर में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० को हजम करने की शक्ति पैदा हो गई थी, मैलाथियन खरीदने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई। छठी योजनावधि के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव और संसाधनों संबंधी पाबंदियों के कारण सरकार को सातवीं योजनावधि के दौरान मैलाथियन खरीदने के लिए भी इस पैटर्न को फिर से 50:50 लागत के आधार पर करना पड़ा है।

## दूरदर्शन को जनसाधारण में लोकप्रिय बनाना

*476. डा० सुधीर राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का लाभ कुल जनता के केवल एक चौथाई भाग को ही मिलता है जिसमें शिक्षित वर्ग तथा आकांक्षी वर्ग के लोग ही आते हैं; और

(ख) दूरदर्शन को दर्शकों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस समय दूरदर्शन सिगनल लगभग 63 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है जिसमें से 20 प्रतिशत शहरी है और 43 प्रतिशत ग्रामीण है।

(ख) दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने तथा विभिन्न वर्गों के दर्शकों के लिए स्वीकार्य बनाने का प्रयास रहता है तथा यह प्रक्रिया चलती रहती है।

## नए कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

*481. श्री शान्ता राम नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों को उन स्थानों पर कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए, जहां अभी तक ये खोले नहीं गए हैं, वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राष्ट्रीय नेताओं के बारे में नेपाली में पुस्तकों का प्रकाशन

*482. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने सिक्किम के लोगों के लाभार्थ, जहां शत-प्रतिशत जनसंख्या नेपाली भाषा जानती है और बोलती है तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों के लाभार्थ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नेपाली में कोई पुस्तक प्रकाशित की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस प्रकार की पुस्तक प्रकाशित करने

का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रकाशन विभाग नीति के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से भिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित नहीं करता।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का बिना बारी के आबंटन

*483. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री जय प्रकाश अग्रवाल } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1984 और दिसम्बर, 1985 के बीच की अवधि में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल कितने फ्लैटों का निर्माण किया और इस अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने फ्लैटों का बिना बारी आबंटन किया गया;

(ख) क्या बिना बारी के आबंटन इस विषय से संबंधित नियमों/निदेशों में निर्धारित सीमा के भीतर किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण किए मकानों की संख्या का संकलन करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 7295 मकान तैयार किए। वर्ष 1985-86 के दौरान 31.12 85 तक विभिन्न श्रेणियों के 8996 मकान आबंटन के लिए उपलब्ध हुए। इन आँकड़ों में कुछ वे मकान भी शामिल हैं जो तैयार हो गए थे परन्तु पहले आबंटित नहीं किए गए थे। जुलाई, 84 से दिसम्बर, 85 तक की अवधि के दौरान 13,98 फ्लैटों के कुल आबंटन की तुलना में विभिन्न श्रेणियों में 247 फ्लैट बिना बारी के आबंटित किए गए थे बिना बारी के आबंटित किए गए श्रेणी-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| मध्यम आय वर्ग | — | 94 |
| निम्न आय वर्ग | — | 71 |
| जनता | — | 28 |
| स्ववित्त पोषित योजना | — | 54 |
| | योग : | 247 |

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कंप्यूटरीकृत बीज सूचना केन्द्रों के बारे में खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से परियोजना**

*484. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन कंप्यूटरीकृत बीज सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए तकनीकी सहयोग परियोजना के अन्तर्गत भारत की सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो निष्पादन योजनाओं का ब्योरा क्या है और ऐसे केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) क्या ये केन्द्र अन्य विकसित देशों और उन देशों से भी, जिनको भारत से बीजों का निर्यात किया जाता है, बीज सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करेंगे ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने 17 जून, 1985 को खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ एक तकनीकी सहयोग परियोजना संख्या टी० सी० पी०/आई० एम० डी०/4505 पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार खाद्य एवं कृषि संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बीजों के उत्पादन एवं सप्लाई के प्रबोधन के लिए राज्यों में विभिन्न एजेंसियों से मिलने वाली बीज संबंधी सूचना के कंप्यूटरीकरण की एक प्रणाली तैयार करने में भारत सरकार को सहायता देगा। केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद कार्य-योजना में केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर एक कंप्यूटरीकृत बीज सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए भारत सरकार को सहायता प्रदान करने हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन के एक परामर्शदाता की नियुक्ति का निश्चय किया गया है। इस योजना में दो ऐसे भारतीय पदाधिकारियों के विदेशी अध्ययन दौरे की व्यवस्था भी है जो कम्प्यूटरीकृत बीज सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार बन जाएंगे। केन्द्र किन स्थानों पर बने, इसका निर्णय परामर्शदाता

को रिपोर्ट मिलने और जांच हो जाने के बाद किया जायेगा।

(ग) चूंकि केन्द्रों का निर्णय अभी नहीं हुआ है, इसलिये अन्य उन्नत देशों आदि से बीज संबंधी सूचना प्राप्त करने का इस समय प्रश्न ही नहीं होता।

### आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निगमें

*485. श्री कमल नाथ
श्री हुसैन दलवाई } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन का सरकारी नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त निगमें बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इस प्रकार की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस समय भी आकाशवाणी और दूरदर्शन को सभी व्यावसायिक मामलो मे पूरी स्वायत्तता प्राप्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

### दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों की दोषपूर्ण छतें

*486. श्री शांति धारीवाल :
श्री विष्णु मोदी } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में "डी० डी० ए० के मकानों की छतें झुकीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) मकानों की दशा को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है तथा यह पाया गया है कि लगभग 10 प्रतिशत मकानों की छत की पट्टियों को आबन्टियों द्वारा पर्याप्त अनुरक्षण की कमी के कारण बदले जाने की आवश्यकता है। इन मकानों को आर्थिक दृष्टि से लोगों के कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम आवश्यकता युक्त एकक निर्मित करने के विचार से एक नवीन योजना के अन्तर्गत बनाया गया था जिसमें आबंटियों द्वारा, जब कभी आवश्यकता हो, अपने स्वयं के संसाधनों से एक और तल बनाने का प्रावधान था। दिल्ली विकास प्राधिकरण मकानों की क्षतिग्रस्त छत की पट्टियों को बदलने के उपाय कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

## राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यकरण की समीक्षा

*487. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का कार्यनिष्पादन गत कई वर्षों के दौरान अपेक्षित स्तर का नहीं रहा है; और

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

## विवरण

1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में तत्कालीन फिल्म वित्त निगम तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को मिलाकर की गई थी।

2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का मुख्य आम उद्देश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार फिल्म उद्योग के एकीकृत तथा दक्ष विकास का नियोजन, संवर्धन तथा आयोजन करना है। इसके कार्यकलापों में फीचर फिल्मों का आयात, निर्यात, वितरण तथा प्रदर्शन शामिल है। यह फिल्म उद्योग से संबंधित प्रेरक कार्यकलापों यथा फिल्म वित्तपोषण, सिनेमाघर वित्तपोषण तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने का काम करता है।

3. भारत सरकार ने अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट करने के लिए कि क्या निगम ने उन उद्देश्यों, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, को आम-तौर से प्राप्त किया है, निगम की स्थापना से लेकर अब तक के इसके कार्यसंचालन तथा कार्य-निष्पादन की जांच करने के लिए एक एक-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

4. सरकार इस संबंध में भावी कारंवाई के बारे में निर्णय लेने से पहले समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगी।

[हिन्दी]

### हैदरपुर संयंत्र से पानी की सप्लाई

*488. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हैदरपुर संयंत्र से 3570 लाख गैलन पेय जल उपलब्ध किया जाता है जबकि दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए 6000 लाख गैलन पेय जल की आवश्यकता है और बनाई गई पुनर्वास कालोनियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या हैदरपुर संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का विचार है ताकि 6000 लाख गैलन पेयजल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। हैदरपुर संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन की है।

इस समय दिल्ली में विभिन्न स्त्रोतों से प्रतिदिन 377 मिलियन गैलन जलपूर्ति है जबकि निर्धारित मांग प्रतिदिन 472 मिलियन गैलन की है। 1990 तक की निर्धारित आवश्यकता प्रतिदिन 592 मिलियन गैलन की है।

44 पुनर्वास/झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में से 28 कालोनियों में स्वच्छ पानी मुहैया कर दिया गया है। शेष कालोनियों को स्थानीय नलकूपों/हैंडपम्पों के माध्यम से पानी की पूर्ति की जाती है।

(ख) हैदरपुर जल शोधन संयंत्र के लिए 100 एम०जी०डी० कच्चा पानी पश्चिमी यमुना

नहर से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है जो कि ओखला मल शोधन संयंत्र से उतने ही मल बहिस्राव के बदले में प्राप्त किया जायेगा बशर्ते कि हरियाणा शासन इस पर सहमत हो जाये।

[अनुवाद]

### नारियल की पौध का उत्पादन

*489. डा० के० जी० अदियोडी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में टिशु कल्चर सहित नारियल की पौध का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : देश में नारियल की पौदों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. नारियल विकास बोर्ड ने कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और त्रिपुरा में पौदों के उत्पादन के लिए एक-एक क्षेत्रीय नर्सरी खोली है,

2. इस बोर्ड ने 18 लाख बीज नट खरीद कर नारियल उगाने वाले राज्यों को सप्लाई किए हैं और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में विभागीय नर्सरियों को सुदृढ़ बनाया है,

3. इस बोर्ड द्वारा तमिलनाडु में 100 हैक्टेयर का एक संकर फार्म और केरल में तीन सामुदायिक नर्सरियां भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नारियल की पौदों की सप्लाई के लिए कुछेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

केन्द्रीय पौद फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा नारियल की पौद सामग्री के उत्पादन की टिशु कल्चर तकनीक विकसित की गई है। इस विधि को वाणिज्यिक लाभ के लिए परिपूर्ण बनाया जाना अभी बाकी है।

### "न्यू दिल्ली टाइम्स" नामक फिल्म को टेलीविजन पर दिखाना

*490. श्री अमर राय प्रधान<br>श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने रविवार, 2 मार्च, 1986 की संध्या को टेलीविजन पर "न्यू दिल्ली टाइम्स" नामक फिल्म दिखाने के लिए व्यापक प्रचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन ने शनिवार, 1 मार्च, 1986 को अकस्मात "न्यू दिल्ली टाइम्स" के स्थान

पर "शर्मीली" फिल्म दिखाए जाने की घोषणा कर दी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) "न्यू दिल्ली टाइम्स" नामक हिन्दी की फीचर फिल्म को 2 मार्च, 1986 को टेलीकास्ट करने का कार्यक्रम था। फिल्म को दिखाने के बारे में दूरदर्शन पर सामान्य अग्रिम प्रचार किया गया था। प्रचार के अंग के रूप में फिल्म की एक कतरन भी दिखाई गई थी।

2. उक्त फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं, जिनके कारण इसे 2 मार्च, 1986 को, देश के कुछ भागों में उस समय विद्यमान स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट करना समय अनुकूल नहीं समझा गया था। अतः इसके स्थान पर उक्त तारीख को "शर्मीली" नामक फिल्म दिखाई गई थी।

[हिन्दी]

## सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

*491. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उच्च शक्ति वाले कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किएं जाएंगे;

(ख) क्या उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के मामले में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में सीमावर्ती जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में तथा गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यक्रम है; और

(घ) उपरोक्त सीमावर्ती जिलों में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या तथा उनके स्थान इस प्रकार हैं

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | स्थान | ट्रांसमीटरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1. तिरूपति | 1 |
| | | 2. अनन्तपुर | 1 |
| 2. | बिहार | 1. कटिहार | 1 |
| | | 2. डाल्टनगंज | 1 |
| 3. | गुजरात | 1. भुज | 1 |
| 4. | हरियाणा | 1. राजधानी | 1 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 1. शिमला | 1 |
| 6. | कर्नाटक | 1. धारवाड़ | 1 |
| | | 2. शिमोगा | 1 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 1. जबलपुर | 1 |
| | | 2. ग्वालियर | 1 |
| | | 3. जगदलपुर | 1 |
| 8. | महाराष्ट्र | 1. औरंगाबाद | 1 |
| | | 2. लातुर/परभनी | 1 |
| 9. | उड़ीसा | 1. भवानी पटना | 1 |
| 10. | राजस्थान | 1. कोटा | 1 |
| | | 2. जैसलमेर | 1 |
| | | 3. बाड़मेर | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | सिक्किम | 1. गंगटोक | 1 |
| 12. | तमिलनाडु | 1. रामेश्वरम् | 1 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 1. बरेली | 1 |
| | | | 21 |

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी हैं :—

(1) पुणे के 0.6 किलोवाट वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा रायपुर के 1 किलोवाट वाले मौजूदा ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से बदलना; और

(2) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में द्वितीय चैनल सेवा के लिए इन स्थानों पर 10 किलोवाट का एक-एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना।

दूरदर्शन की सातवीं पंचवर्षीय योजना में कवर नहीं हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने पर उचित ध्यान दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन कवरेज की स्कीम, संबंधित क्षेत्रों (बाड़मेर, जैसलमेर और कच्छ सहित) में प्रस्तावित ट्रांसमीटर के लिए स्थानों के चयन तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने में आमतौर पर 3-4 वर्ष का समय लग जाता है। तद्नुसार यह आशा की जाती है कि बाड़मेर, जैसलमेर और भुज (कच्छ) में प्रस्तावित ट्रांसमीटर, संसाधनों की वास्तविकता उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सातवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू हो जाएंगे।

[अनुवाद]

### प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए स्थायी तन्त्र

*492. प्रो० नारायण चन्द पराशर
श्रीमती ऊषा चौधरी
} : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाढ़, सूखा, अत्यधिक बर्फ गिरने, ओला वृष्टि, आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानि की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने, उसका विस्तृत मूल्यांकन

करने और नीति तैयार करने के प्रयासों को सुचारू बनाने और उनमें समन्वय लाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में कोई स्थायी तन्त्र की स्थापना करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए/तैयार किए जाने वाले तन्त्र का स्वरूप और उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का तन्त्र शीघ्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कदम उठाने में लगने वाले समय के अन्तर को कम किया जा सके ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जरूरी राहत कार्य को करने के लिए राज्य मुख्यालयों में राजस्व/राहत विभाग या किसी अन्य रूप में एक तन्त्र मौजूद है। यह विभाग एक तरफ राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और दूसरी तरफ जिला, तालुक आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाये रखता है। निवारक और तैयारी संबंधी उपायों सहित राहत कार्य करने के लिए राज्य सरकार का मार्ग-दर्शन राज्य की राहत-नियम पुस्तिका/समय-समय पर जारी किए गए विस्तृत अनुदेशों द्वारा होता है।

नुकसान का मूल्यांकन करने और राहत देने की पद्धति/तन्त्र आपदा की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के वास्ते "नयी राहत नियम-पुस्तिका तैयार करने और मौजूदा राहत नियम-पुस्तिका को संशोधित करने/अद्यतन बनाने के लिए मार्गनिर्देश" परिचालित किये हैं। इसके अतिरिक्त, "सूखा संबंधी व्यवस्था के लिए एक आदर्श नियम-पुस्तिका" और "बाढ़ की विपत्ति का सामना करने की एक आदर्श कार्य योजना" भी राज्यों को भेजी गई है ताकि वे आवश्यक तैयारी और बचाव संबंधी उपाय कर सकें। हर वर्ष मानसून आने से पहले भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में राहत आयुक्तों/राजस्व सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिये आकस्मिकता संबंधी नियोजन की समीक्षा की जा सके। प्राकृतिक आपदाएं आने पर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय भी राज्य सरकार से निकट संपर्क बनाए रखता है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) भागों के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, राज्यों की राजधानियों में, प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए एक केन्द्रीय व्यवस्था होती है। इस संबंध में मौजूदा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सरल व कारगर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

## बर्दवान नगरपालिका को रेलवे द्वारा देय बकाया राशियां

4261. डा० सुधीर राय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के प्राधिकारियों ने बर्दवान नगरपालिका द्वारा सफाई कार्यों एवं अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उक्त नगरपालिका को किए जाते वाले भुगतान की दर में वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या किसी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) क्या मुद्रास्फीति में वृद्धि को देखते हुए उनका बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) बर्दवान नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत किये गये कुल 12,43,829.12 रुपये की रकम के बिलों में से, 9,77,182.62 रुपये का पहले ही भुगतान कर दिया गया है। उनको 2,66,646.50 रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि बिलों में कुछ खामियां थीं और इस मामले पर बर्दवान नगरपालिका के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(ग) सफाई, रोशनी तथा जल वितरण आदि की व्यवस्था रेलों द्वारा स्वयं की जा रही है अतः वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके समेकित दरों पर सेवा प्रभारों का भुगतान करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

## 1985-86 के दौरान स्वास्थ्य रक्षा के लिए राज्यों को अतिरिक्त धन

4262. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को, समुचित स्वास्थ्य रक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1985-86 मे अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा उड़ीसा को स्वास्थ्य रक्षा के लिए कितनी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए निम्नलिखित परिव्यय मंजूर किया गया है :—

| | | (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|
| सातवीं पंचवर्षीय योजना | — | 5450.00 रुपये |
| वार्षिक योजना 1985-86 | — | 1010.00 रुपये |

**पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम में आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र का विकास करने सम्बन्धी प्रस्ताव**

4263. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र पूजापुरा त्रिवेन्द्रम का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्तावित परियोजना सरकार के पास विचाराधीन पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) पूजापुरा-त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्तीय कठिनाइयों के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

**पोत निर्माण के क्षेत्र में नार्वे द्वारा सहयोग की पेशकश**

4264. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत को सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अन्य देशों ने भी अपना सहयोग देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(i) भारतीय नौवहन निगम के लिए 42,750 डी० डब्ल्यू० टी० वाले बल्क कैरियर्स के

निर्माण के लिए डिजाइन सहयोग हेतु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेसर्स शिपिंग रिसर्च सर्विसेज, नार्वे के साथ एक करार किया गया।

(ii) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के आफशोर प्लेटफार्म स्टेंडबाइ—कम सपोर्ट जहाजों के निर्माण के लिए चार शिपयार्डों अर्थात हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमि०, गोवा शिपयार्ड लिमि०, गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स और हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स, के संघ की ओर से मेसर्स गार्डनरीच शिप्ल बिल्डर्स एवं इन्जीनियर्स, कलकत्ता ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए मेसर्स अल्सटीन ट्रेडिंग लिमिटेड नार्वे के साथ एक करार किया।

(iii) डीप सी फिशिंग ट्रालर्स (रगन 70 तथा रगन 80) के निर्माण के लिए नार्वे के मेसर्स वागान वर्फ्ट के साथ विदेशी सहयोग के लिए मैसर्स सेसा, गोवा, पंजिम के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

(iv) ग्रेब होपर ड्रेजर के निर्माण के लिए मेसर्स सिंगापुर ए/एस, नार्वे के साथ विदेशी सहयोग हेतु मेसर्स चौगले एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमि० का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(v) मझगांव डाक लिमिटेड ने मेसर्स अल्सटीन, नार्वे के साथ तकनीकी सहयोग से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए आफशोर सप्लाई जहाजों का निर्माण किया है और अंकेरलोकेन शिपयार्ड नार्वे के साथ सहयोग से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए बहु उद्देश्यीय सपोर्ट जहाजों का निर्माण किया है।

(ग) और (घ) जी हां। ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

## विवरण

### जिन देशों ने जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया उनके ब्यौरे और भारतीय पार्टियों के नाम दर्शाने वाला विवरण

| क्रम संख्या | भारतीय पार्टी का नाम | विदेशी सहयोग कर्ता का नाम | सहयोग का क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हिन्दुस्तान शिपयार्डमे लिमि० विशाखापतनम | सर्स एच ओगील्सकी पोजनान, पोलड<br>मेसर्स वोस पश्चिमी जर्मनी<br>मेसर्स ए० जी० वेसर पश्चिम जर्मनी,<br>मेसर्स वेंडर गीसन हालैंड<br>मेसर्स आई० एम० ई० एस० सिंगापुर | 42,750 डी० डब्ल्यू० टी० वाले बल्क कैरियर्स के निर्माण के लिए डिजाइन सहयोग |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | मेसर्स हाल्टर मेरीन, यू० एस० ए० मेसस चुंगना हांग कांग | आफ शोर प्लेटफार्म स्टैंडबाई-कम-सपोर्ट जहाजों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिका का स्थानान्तरण। |
| 2. | हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स, कलकत्ता | मेसर्स डी० ई० हूप० हालैंड | फिशिंग ट्रालर्स के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग। |
| 3. | गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा | डेनमार्क, हालैंड, यू० के० सिंगापुर और जापान | विशिष्ट जहाजों/गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, तटीय अनुसंधान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जहाजों के निर्माण और पत्तन न्यासों के लिए यार्ड क्राफ्ट के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग और सामग्री पैकेज। |
| 4. | मेसर्स ऐस० इंडियन जर्मन मेरीन एण्ड इक्विपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमि० नई दिल्ली | मेसर्स रीडरल जर्मन क्राफ्ट फशुचन गस्चिफ, जी एम बी एच, पश्चिम जर्मनी | समुद्री अपतटीय यूनिटों में/प्रचालन प्रबन्ध निर्माण मरम्मत अनुसंधान सुविधायें |
| 5. | मेसर्स तमिलनाडु मेरीन प्लास्ट प्राइवेट लिमि० मद्रास | मेसर्स पी एफ मेरीन प्लास्ट फारो द्वीप समूंह | ग्लास बीच लैंडिंग क्राफ्ट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इन्जीनियर्स, कलकत्ता | मेसर्स प्रीमियर वल्कन पश्चिम जर्मनी | फ्लीट पूरक टैंकर |
| 7. | मेसर्स साऊथ इण्डिया कारपोरेशन (एजेंसीज) लिमि० मद्रास | मेसर्स टाइड वाटर मेरी सर्विसेज, यू० एस० ए० | अप तटीय जहाज |
| 8. | मेसर्स वेल्जन हाइड्रेयर लिमि० हैदराबाद | मेसर्स ब्राउन ब्रदर्स एण्ड कम्प० लिमि० यू० के० | जहाज स्टेबलाइजर और स्टियरिंग गियर्स। |
| 9. | मेसर्स एस० के० गुप्ता बम्बई | मेसर्स पी० एल० जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी | पंजीकृत पाल पोत |
| 10. | मेसर्स ग्लैडस्टोन लयाल एण्ड कम्प० लिमि० हैदराबाद | मेसर्स वाटर क्राफ्ट लिमि० इंग्लैंड | ग्लास फाइबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टीक जहाज |
| 11. | मेसर्स टेम्पला इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइ० लिमि० मद्रास | मेसर्स हाइड्रोमीर बी० वी, नीदरलैंड | एम्फीबियस ड्रेजर |
| 12. | मेसर्स लाइव्स स्टील इन्डस्ट्रीज, बम्बई | मेसर्स वोस्पर थ्रोनिक्राफ्ट, यू० के० | स्टियरिंग गियर्स |
| 13. | मेसर्स के० शिपयार्ड कन्सट्रक्शन कम्प० (भारत) लिमि० मद्रास | मेसर्स के० शिपयार्ड वेस्टर्न आस्ट्रेलिया | बहुउद्देशीय डीप सी फिशिंग ट्रालर्स |

## आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

4265. श्री बैजाड़ा बाजपपी रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमशिला परियोजना, वंशधारा परियोजना और नागार्जुन परियोजना को कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल करने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## शिक्षा का व्यावसायीकरण संबंधी कुलान्दाई आयोग की रिपोर्ट

4266. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी प्रोफेसर कुलानदाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) कार्य दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इनसे सम्बन्धित हैं (क) कक्षा I से X तक कार्य अनुभव को अधिक सार्थक बनाना (ख) कुल छात्र समुदाय का 10 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत जैसा भी मामला हो, उच्चतर माध्यमिक + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित को सुनिश्चित बनाना (ग) अधिक संख्या में छात्रों को शामिल करने के लिए विद्यमान 5098 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की सुविधाओं में विस्तार करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाना (घ) गैर-औपचारिक तरीकों को अपने अनुकूल बनाना जैसा कि समुदाय पालिटेकनिकों द्वारा विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से काफी संख्या में लोगों को अल्प-कालिक व्यावसायिक/दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है (ङ) व्यावसायिक विषयों से उत्तीर्ण होकर आने वाले छात्रों के लिए डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर पर उच्च-व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना (च) राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रबन्ध प्रणाली को सुदृढ़ तथा कारगर बनाना और (छ) शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, पाठ्य-पुस्तकों, संसाधन सामग्री, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित नीतियों को कार्यान्वित करने के संदर्भ में उपयुक्त तैयारी करना। सिफारिशों पर इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

## त्रिवेन्द्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय की स्थापना

4267. श्री टी० बशीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम में एक "विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय" स्थापित

करने का निर्णय किया है तथा केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

### एक्सेलरेटर मशीन द्वारा कैंसर के रोगियों की स्क्रीनिंग

4268. श्री साइमन तिग्गा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान में आधुनिक एक्सेलरेटर मशीन द्वारा प्रतिदिन कैंसर के औसतन कितने मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है तथा इस मशीन की दैनिक क्षमता कितनी है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इंस्टीच्यूट-रोटरी कैंसर अस्पताल में लाइनर एक्सेलरेटर मशीन पर हर रोज सवेरे 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक, जिसमें अपराह्न भोजन का समय (लंच टाइम) नहीं होता, लगभग औसतन 70 कैंसर रोगियों की स्क्रीनिंग की जाती है। एक दिन में लाइनर एक्सेलरेटर पर अधिक से अधिक इतने ही रोगियों का उपचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

### तमलुक स्टेशन पर ब्लड बैंक से युक्त अस्पताल

42'9. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमलुक (पंसकुरा हल्दिया सैक्शन दक्षिण पूर्वी रेलवे) स्टेशन पर रक्त बैंक से युक्त रेलवे अस्पताल की स्थापना के बारे में वर्तमान स्थित क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मौजूदा स्वास्थ्य यूनिट का विस्तार करके 10 बिस्तरों सहित पोली क्लीनिक की व्यवस्था से संबंधित निर्माण कार्य इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है और उसके बाद रक्तकोष काम करना प्रारम्भ कर देगा।

### सातवीं योजना के दौरान नए मेडिकल कालेज

4 70. श्री अमर सिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए मेडिकल कालेज खोलने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने नए मेडिकल कालेज खोले जाने का विचार है तथा वे कहां पर खोले जाएंगे ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मौजूदा मेडिकल कालेजों से प्रति वर्ष निकलने वाले चिकित्सा स्नातक इस समय देश की चिकित्सा कार्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। इसलिए, भारत सरकार की वर्तमान नीति देश में किसी नए मेडिकल कालेज खोलने को बढ़ावा देने की नहीं है। चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण की मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के बजाए उनके समेकन और उनमें सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है।

## आंध्र प्रदेश के गुन्टूर और प्रकाशम जिलों में राष्ट्रीय राज-मार्गों का रख-रखाव

4271. श्री सी० शम्भु : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुन्टूर और प्रकाशम जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है और कम से कम उनके रख-रखाव की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में राजमार्गों के उचित रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) प्रकाशम और गुंटूर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए क्रमश: 185.00 लाख रु० और 310.73 लाख रु० की राशि के प्राक्कलन पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं और विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। इसके अलावा टूट-फूट को ठीक करने के लिए 15.72 लाख रु० की राशि के प्राक्कलनों को भी संस्वीकृत कर दिया गया है।

## जल संसाधन मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग का कार्यचालन

4272. श्री एन० डेनिस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के निर्णय के अनुसार हाल ही में प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा कार्य का तेजी से निपटान करने के संबंध में उनके मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग के कार्य चालन की समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री जी के निर्णय के अनुसरण में क्रिया विधियों के सरलीकरण तथा शीघ्र निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए मध्य स्तरीय अधिकारियों और फील्ड यूनिटों को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु इस मंत्रालय के कार्यकरण की संवीक्षा की गई थी। ऐसी विभिन्न मदों के संबंध में, जिन पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है, मंत्रालय के लिए एक वार्षिक कार्य योजना भी तैयार की गई है तथा उनको पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथियां तय की गई हैं। केन्द्रीय जल आयोग में भी ऐसे ही कदम उठाए गए हैं।

### शीर्ष सड़क परिवहन वित्त निगम

4273. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क और परिवहन विकास संघ ने राज्य सड़क परिवहन निगमों की विस्तार योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकार से शीर्ष सड़क परिवहन वित्त निगम की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) विभिन्न हितों ने विभिन्न मंचों पर, एक केन्द्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम स्थापित करने का सुझाव दिया है। परिवहन विकास परिषद ने भी अपनी पिछली कुछ बैठकों में एक ऐसे निगम की आवश्यकता पर बल दिया है जो राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को नई बसें और संबद्ध आधारभूत उपकरण खरीदने में ऋण की सहायता देने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य कर सके। संबद्ध/मंत्रालय विभाग और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधियों वाली एक छोटी समिति इस समय अक्टूबर, 1985 में हुई इसकी पिछली बैठक के निदेशों के अनुसार प्रस्ताव के वितरण पर कार्य कर रही है।

### सातवीं योजना में उड़ीसा समुद्रतटवर्ती नहर को शामिल करना

4274. श्री चिन्ता मणि जेना : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा समुद्र तटवर्ती नहर का जल परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार से इसकी खुदाई और रख रखाव का काम अपने हाथ में लेने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र में उड़ीसा कास्ट कैनाल से सम्बन्धित एक स्कीम शामिल करने की सिफारिश की गई थी, इस सिफारिश में यह कहा गया था कि इस कैनाल का निकर्षण कर इसे मूलरूप में चालू रखा जाय तथा इस कैनाल में विभिन्न लाकों की मरम्मत की जाय जिससे कि इस कैनाल में विभिन्न आकार के मालवाही जलयान चल सकें। यह स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में सुझाव तैयार करने के लिए गठित कार्यदल की सिफारिश पर आधारित थी यह स्कीम वित्तीय कठिनाइयों के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं की जा सकी है।

### बर्दवान रेलवे जंक्शन (पश्चिम बंगाल) के समीप काल्सा रोड फाटक पर फ्लाईओवर

4275. डा० सुधीर राय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का विचार बर्दवान रेलवे जंक्शन (पश्चिम बंगाल) के निकट काल्सा रोड फाटक पर एक फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी देने का है;

(ख) क्या यह सच है कि चूंकि काल्सा रोड का फाटक अधिकतर बन्द रहता है इसलिए लोगों को भारी असुविधा होती है; और

(ग) क्या यह सच है कि फ्लाईओवर के निर्माण से बर्दवान शहर का पूर्व की ओर तेजी से विकास होगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह ऐसा मामला है जिसका मूल्यांकन राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।

[हिन्दी]

### "कैंसर टिशूज" की वृद्धि को रोकने के लिए एक पौधे का विकास

4276. श्री आर० एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्रियों ने दुर्लभ किस्म के एक ऐसे पौधे का विकास किया है जिसकी जड़ें "कैंसर टिशूज" की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि पोडोफाइलम नामक पौधा, जिसे स्थानीय रूप में बंकाई के नाम से जाना जाता है, कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी खेती के बारे में क्षेत्र-परीक्षण उस विद्यालय में किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

## कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

4277. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर लदान में पर्याप्त वृद्धि होने से आमदनी में भी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान भाड़े से होने वाली आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या आमदनी में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए कुछ और सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। यात्री यातायात के वर्तमान स्तर के लिए स्टेशन पर पहले ही पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था है। तथापि, मालरोड सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

### मेडिकल कालेजों में प्रवेश में आरक्षण नीति की पुनरीक्षा

4278. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा संघ ने सरकार से देश में मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उक्त संघ ने स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में समानता लाने के लिए दोनों को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा संघ ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह आरक्षण नीति की पुनरीक्षा करे और अगले 10 से 12 वर्षों के अन्दर-अन्दर मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण के पूर्वोपाय निकाले ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए मेरिट ही एकमात्र मानदण्ड है। संघ ने यह भी अनुरोध किया है कि सारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकरूपता लाने के लिए "स्वास्थ्य और शिक्षा" को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाया जाए।

सामाजिक न्याय और समान अवसर की संकल्पना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समाजार्थिक और शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय बरतने के अवसर प्रदान करना है ताकि उन्हें शेष समुदाय के बराबर के स्तर तक लाया जा सके। मुख्यत: इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। अत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, एक संवैधानिक अपेक्षा है। पिछड़े तथा दूसरे वर्गों के लोगों के लिये आरक्षण स्थानीय तथा क्षेत्रीय आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य संवैधानिक अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

"स्वास्थ्य परिचर्या" मूलत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, अत: भारत सरकार "स्वास्थ्य और शिक्षा" को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं समझती है।

### परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की पेशकश

4279. श्री मोहन भाई पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन ने अपनी

सेवाएं अर्पित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) इन एजेंसियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अनेक स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) छोटे परिवार के सिद्धांत की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए जो कारगर उपाय किये जा रहे हैं वे हैं :—तरीका विशेष के अभियानों तथा बेहतर संचार साधनों द्वारा गर्भ-रोधन की मांग बढ़ाना, दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, विभिन्न स्तरों पर सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को शामिल करना, जनसंख्या शिक्षा को तेज करना, बच्चों के जीवित रहने की दर में वृद्धि करना तथा स्वैच्छिक संगठनो को शामिल करके अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

## कपास/कच्चे पटसन के ढुलाई और तुलाई-शुल्क

4280. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कपास का ढुलाई शुल्क उतनी ही मात्रा में कच्चे पटसन के ढुलाई शुल्क से अधिक रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार की असमानताओं के परिणामस्वरूप कपास उत्पादक राज्यों से दूर पड़ने वाले राज्यों में कपास की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी; और

(ग) वर्ष 1982-85 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा कितनी मात्रा में कपास (कच्ची और तैयार) की ढुलाई की गई।

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) कच्चे पटसन की तुलना में कच्ची कपास को उच्च माल डिब्बा वार वर्गीकरण में रखा गया है क्योंकि इसका मूल्य अधिक होता है तथा लदान योग्यता कम।

(ख) चूंकि भाड़ा प्रभार दूरी के अनुसार लगाये जाते हैं इसलिए कच्चे माल वाले स्थान से दूर स्थित उत्पादन यूनिटों के लिए कच्चे माल के ढुलाई प्रभार अधिक होंगे ही। तथापि रेल भाड़ा

संरचना दूरबीनी किस्म की है जिसके अनुसार दूरी में वृद्धि होने पर प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल भाड़ा दर कम होती जाती है।

(ग) 1982-83 से 1984-85 के वर्षों के दौरान रेल द्वारा ढोयी गई कपास की (कच्ची और निर्मित) मात्रा नीचे दी गई है :—

(हजार टन में)

| वर्ष | कच्ची कपास | निर्मित कपास |
|---|---|---|
| 1982-83 | 268 | 43 |
| 1983-84 | 201 | 43 |
| 1984-85 | 175 | 34 |

[हिन्दी]

## माल कम प्राप्त होने सम्बन्धी दावों की जोन वार संख्या

4281. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन में माल कम प्राप्त होने के बारे में कितने और कितनी धनराशि के दावे प्राप्त हुए;

(ख) उक्त प्रत्येक रेलवे जोन में कितने और कितनी धनराशि के दावे लम्बित हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दावों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है;

(घ) क्या यह सच भी है कि माल के कम हो जाने के लिए जिम्मेदार लोगों को उचित दण्ड नहीं दिया जाता है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेल कर्मचारियों को दण्ड दिया गया और उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) बुक किये गये परेषणों की हानि और क्षति के लिए पेश किये गये दावों की संख्या, ऐसे मामलों में दावा की गई राशि और वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े दावों की संख्या से संबंधित विवरण-एक संलग्न है। लम्बित पड़े दावों में अन्तर्निहित राशि के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) सभी क्षेत्रीय रेलों को निर्देश हैं कि दावों का निपटारा शीघ्र किया जाये।

(घ) जहां कहीं जिम्मेदारी ठहराई जाती है, वहां दोषी व्यक्तियों को उपयुक्त दण्ड दिया जाता है।

(ङ) विवरण-दो संलग्न है।

विवरण-एक

| रेलवे | पेश किये गये दावों की कुल संख्या | | | दावा* की गई राशि (लाख रुपयों में) | | | वित्त वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े दावों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
| मध्य | 63,898 | 49,521 | 52,421 | 47,11 | 35,99 | 49,00 | 4,810 | 3,999 | 3,113 |
| पूर्व | 93,049 | 82,374 | 90,202 | 59,64 | 57,46 | 65,62 | 63,089 | 49,979 | 43,418 |
| उत्तर | 102,836 | 90,385 | 103,769 | 78,90 | 73,31 | 111,67 | 12,900 | 12,334 | 12,289 |
| पूर्वोत्तर | 32,119 | 24,931 | 27,783 | 10,91 | 6,99 | 11,19 | 1,974 | 1,220 | 1,352 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 41,808 | 39,450 | 38,086 | 73,43 | 89,76 | 105,15 | 10,249 | 10,192 | 9,859 |
| दक्षिण | 45,300 | 42,668 | 36,790 | 36,44 | 38,13 | 43,97 | 4,386 | 3,860 | 2,945 |
| दक्षिण मध्य | 15,986 | 13,637 | 12,211 | 3,61 | 3,09 | 3,54 | 351 | 380 | 323 |
| दक्षिण पूर्व | 74,905 | 54,122 | 50,715 | 24,20 | 22,05 | 21,39 | 11,718 | 7,935 | 6,155 |
| पश्चिम | 53,878 | 48,829 | 43,485 | 47,91 | 59,89 | 46,07 | 3,570 | 4,419 | 3,465 |
| जोड़ : | 523,779 | 445,917 | 455,461 | 382,15 | 386,67 | 457,60 | 113,047 | 94,318 | 84,919 |

*इसमें वे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें दावा पत्रों में राशि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

विवरण-दो

| वर्ष | दण्डित किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या और दण्ड का स्वरूप | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भर्त्सना | पास/पी० टी० ओ० बन्द करना | वेतन वृद्धि रोकना | राशि की वसूली | सेवा से हटाना | निम्न स्तर/पद पर पदावनति | बर्खास्तगी | जोड़ |
| 1983 | 186 | 108 | 244 | 138 | — | 1 | — | 677 |
| 1984 | 190 | 126 | 331 | 194 | 4 | — | 1 | 806 |
| 1985 | 155 | 103 | 262 | 185 | — | 1 | — | 706 |

[अनुवाद]

## पनीर निर्माताओं द्वारा पशु "रैनेट" का उपयोग

4282. डा० जी० विजय रामाराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में दोष के कारण "जिलेटिन" अथवा पनीर जैसे पशु खाद्य श्रेणी के उत्पादों पर पशु मूल का (जिलेटिन के लिए) अथवा पनीर के मामले में पशु मूल के "रैनेट" वाला जैसे (लेबल) लगाने की आवश्यकता नहीं है और यदि हां, तो उसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पशु "रैनेट" पर प्रतिबन्ध के बावजूद अमूल "एन० डी० के० आई०" आदि जैसे सरकारी अथवा सरकार के सहायता प्राप्त सभी प्रमुख पनीर निर्माता निरन्तर पशु "रैनेट" का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में आकस्मिक जांच करेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिलेटिन पर "फूडग्रेड" का लेबल लगाना अपेक्षित है क्योंकि इसे एक ऐडिटिव की श्रेणी में रखा गया है।

विशेषज्ञों की राय है कि पशु "रैनेट" केवल एक प्रोसेसिंग एड है न कि ऐडिटिव, इसलिए पनीर के लेबलों पर घोषणा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी हालत में पशु "रैनेट" भारत में तैयार नहीं किया जाता और इसके आयात पर फरवरी, 1984 से प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। कृषि मंत्रालय ने पनीर के लाइसेंस शुदा निर्माताओं को सलाह दी है कि वे पशु "रैनेट" का सारा स्टाक नष्ट कर दें।

## विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी पर बने पुल पर रेल पटरियों की मरम्मत और उनका बदलाव

4283. श्री के० एस० राव
श्री टी० बालगौड़ा } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी पर बने पुल पर दुर्घटना के बाद रेल पटरियों की मरम्मत और उनके बदलने के कार्य में कितना समय लगा तथा सामान्य रेल सेवा कब से, पुनः शुरू हुई; और

(ख) देश के उत्तरी भाग से उक्त मार्ग से होकर दक्षिण जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने पर रेलवे को कितना नुकसान हुआ ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) कृष्णा नदी पर बने पुल की मरम्मत करने और रेल लाइन बिछाने में लगभग $5\frac{1}{2}$ दिन लगे। 19-1-86 को 14.30 बजे पुल पर यातायात दुबारा चालू हो गया था।

(ख) उत्तरी भारत से इस रास्ते दक्षिण की ओर आने वाली विभिन्न यात्री गाड़ियों के रद्द किये जाने के कारण रेलवे को लगभग 1,03,0?0 रुपये की हानि हुई।

## प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा में सुधार करने के लिए परियोजनाएं

4281. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से कुछ नवीन परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से किस सीमा तक सहायता प्राप्त हुई है और उसका उड़ीसा में किस प्रकार उपयोग किया गया है/उपयोग करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत सरकार यूनिसेफ के सहयोग से प्रारम्भिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर लक्षित नवीन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। क्रियान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(I) पोषण-आहार, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय सफाई :

प्राइमरी स्कूल के बच्चों, शिक्षकों के लिए तथा स्कूल न जाने वाली लड़कियों तथा महिलाओं के लिए पोषण-आहार/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरणीय सफाई सम्बन्धी अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने सम्बन्धी परियोजना 1975 में शुरू की गई थी तथा इसमें अब आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु तथा पंजाब राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया है।

(II) प्राइमरी शिक्षा पाठ्यचर्या का नवीकरण :

वंचित सामाजिक क्षेत्रों के बच्चों के विभिन्न दलों की आवश्यकताओं तथा उन्हें उपलब्ध

होने वाले संभावित अवसरों से सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री तथा प्राइमरी शिक्षा पाठ्यचर्या का नवीकरण। इस समय परियोजना को आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा दमन और दीव, पांडिचेरी, मिजोरम तथा लक्षद्वीप में लागू किया जा रहा है।

(III) सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप और सह-भागिता :

परियोजना का उद्देश्य है उन समूहों की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये प्रकार के शैक्षिक कार्यकलापों को विकसित करना तथा उनकी जांच करना है जो इस समय आंशिक रूप में अथवा पूर्णतः किसी भी प्रकार की शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित हैं तथा यह भी देखना कि क्या स्कूल को सामुदायिक तथा तेज सामाजिक परिवर्तन के नजदीक लाया जा सकता है। यह 0-3 और माताओं, 3-6 वर्ष, 6-14 वर्ष तथा 15-35 वर्ष के 4 विभिन्न आयु वर्गों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। परियोजना अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है।

(IV) बच्चों की माध्यम प्रयोगशाला और शिशु शिक्षा :

इन परियोजनाओं का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तरों के बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजन महत्व की सस्ती सामग्री विकसित करना है ताकि राज्य स्तर पर परम्परागत खिलौनों और शैक्षिक खेलों के उपयोग में विशेषतया विकसित की जा सके तथा विचारों, सामग्री, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रणालियों के प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा सके।

शिशु शिक्षा परियोजना से शिशु शिक्षा यूनिट स्थापित करने तथा उनको सुदृढ़ बनाने, शिक्षक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, परिवेक्षकों और प्रशासकों को उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पूर्व स्कूली बच्चों के लिए बुनियादी अध्ययन तथा खेल सामग्री विकसित करने में राज्यों को सहायता प्राप्त हुई।

इस समय सी०एम०एल० तथा ई०सी०ई० परियोजनाएं बिहार, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और नागालैंड में कार्यान्वित की जा रही है।

(V) प्राथमिक शिक्षा व्यापक रूप से सुलभ कराना :

परियोजना में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए नई अध्ययन सामग्री शुरू करके स्थानीय रूप से प्रासंगिक अध्ययन सामग्री विकसित करके, स्कूल के बाहर के बच्चों के मूल्यांकन के लिए अनौपचारिक अध्ययन केन्द्र तथा मानदण्ड स्थापित करके स्कूल बाह्य बच्चों और अन्य शिक्षार्थियों पर बल दिया गया है। यह आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,

मिजोरम और लक्षद्वीप राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

(VI) **केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान :**

प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों और उनके शिक्षकों के लिए शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करना। कार्यक्रमों को इन्सैट-1बी के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल करके सीमित क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है।

(ग) विवरण-एक संलग्न है

(घ) विवरण-दो संलग्न है

**विवरण-एक**

वर्ष 1985 तथा 1986 के लिए यूनिसेफ से वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे

| क्र०सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 1985 के लिए वित्तीय सहायता (रु०) | 1986 के लिए वित्तीय सहायता (रु०) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 9,72,285 | 6,12,325 |
| 2. | अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 9,150 | 5,85,754 |
| 3. | असम | 4,88,419 | 7,77,879 |
| 4. | बिहार | 18,47,953 | 16,14,975 |
| 5. | दिल्ली | 2,85,182 | 2,99,049 |
| 6. | गोवा | 50,700 | 3,72,266 |
| 7. | हरियाणा | 4 94,195 | 3,94,473 |
| 8. | जम्मू (ज० तथा क०) | 7,52,078 | 7,18,936 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2,66,420 | 2,56,034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | (श्रीनगर (जे० तथा के०) | 7,25,550 | 9,59,462 |
| 11. | कर्नाटक | 25,42,711 | 20,55,439 |
| 12. | केरल | 6,15,978 | 5,76,490 |
| 13. | लक्षद्वीप | 8,01,631 | 5,84,120 |
| 14. | महाराष्ट्र | 18,88,563 | 13,83,267 |
| 15. | मेघालय | 8,54,945 | 7,99,152 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 14,69,[illegible]98 | 14,02,297 |
| 17. | मणिपुर | 1,17,130 | 1,47,980 |
| 18. | मिजोरम | 9,46,352 | 6,26,605 |
| 19. | नागालैंड | — | 2,08,244 |
| 20. | उड़ीसा | [illegible]4,82,008 | 20,70,374 |
| 21. | पांडिचेरी | 5,36,155 | 3,75,821 |
| 22. | राजस्थान | 21,56,875 | 17,40,803 |
| 23. | सिक्किम | 10,68,338 | 10,33,692 |
| 24. | त्रिपुरा | 3,07,585 | 2,14,825 |
| 25. | तमिलनाडु | 25,17,395 | 24,10,955 |
| 26. | पंजाब | 2,56,080 | 3,13,559 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 9,82,868 | 20,63,134 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 10,44,456 | 2,84,261 |
| 29. | गुजरात | 72,100 | |
| | मुख्यालय | 46,13,380 | 51,31,099 |
| | कुल योग | 3,11,66,880 | 3,00,13,269 |

## विवरण-दो

उड़ीसा में 1980-85 से प्राप्त की गई और उपयोग की गई यूनिसेफ सहायता की मात्रा

(लाख रुपए)

| | परियोजना-1 एन०एच०ई०ई०एस० | | परियोजना-2 पी०ई०सी०आर० | | परियोजना-3 डी०ए०सी०ई० | | परियोजना-4 पी०ई०सी०ई०/सी०एम०एस० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 1980-85 | प्रदान की गई सहायता | उपयोग की गई सहायता | प्रदान की गई सहायता | उपयोग की गई सहायता | प्रदान की गई सहायता | उपयोग की गई सहायता | प्रदान की गई सहायता | उपयोग की गई सहायता |
| | 4.031 | 2.318 | 43.060 | 35.423 | 11.317 | 6.932 | 7.180 | 4.183 |

| परियोजना-5 सी०ए०सी०ई० प्रदान की गई सहायता | उपयोग की गई सहायता |
|---|---|
| 28.505 | 23.643 |

कुल प्रदान की गई सहायता 94.093 लाख

कुल उपयोग की गई सहायता 72.499 लाख

## कुड्डपाह जिले (आन्ध्र प्रदेश) में रेल लाइनों का विकास

4285. श्री एस० पलाकोंड्रायुडु : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के कुड्डपाह जिले में, रेल लाइनों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) येरगुंटला और नंदयाल के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) सर्वेक्षण किया जा चुका है। परियोजना के वित्तीय रूप से अलाभप्रद होने का अनुमान लगाया गया है। संसाधनों की बेहद तंगी और भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण इस कार्य को फिलहाल शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

[हिन्दी]

## बीसलपुर परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

4286. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने बीसलपुर परियोजना (राजस्थान में) के लिये तारीखवार कितनी वित्तीय सहायता दी है और क्या यह परियोजना संसाधनों के अभाव में लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने पर राजस्थान को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) क्या अन्य पड़ोसी राज्य भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राजस्थान में चम्बल बेसिन में बानस नदी पर 142.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की बीसलपुर बांध परियोजना, योजना आयोग द्वारा अभी अनुमोदित नहीं की गई है। परियोजना का वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस परियोजना में टोंक, सवाई माधोपुर और बुंदी जिलों में 60,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने तथा अजमेर और अन्य जिलों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना से किसी पड़ोसी राज्य को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**शिक्षा को सार्वभौम बनाने के उपाय**

4287. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990 तक 6—14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम बनाने के लिए सातवीं योजना अवधि में कोई व्यापक कदम उठाने का है और यदि हां, तो इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई नीति की रूप रेखा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्य में आम जनता को शामिल करने और निश्चित अवधि के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी उद्योगों को जिनमें 50 से अधिक लोग नियुक्त हैं, अपने स्कूल खोलने अथवा अपने कर्मचारियों तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शैक्षिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपने स्कूल चलाने वाले उद्योगों को कतिपय करों में कुछ छूट देने का है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना की नीति प्रारूप के अनुसार और सरकार के नए 20-सूत्री कार्यक्रम द्वारा पुनं लागू किए गए कार्यक्रम कें अनुसार प्राथमिक शिक्षण के सर्वसुलभीकरण करने की वर्तमान लक्षित तिथि 1990 है। संचलनात्मक उद्देश्यों के लिए इसमें प्रारम्भिक स्तर पर 95% दाखिले और मिडिल स्तर पर 50% दाखिले लक्ष्य 1984-85 के अन्त तक और 1990 तक दोनों के लिए 100% का लक्ष्य रखा गया है। सातवीं योजना के अनुसार 6—14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण प्राप्त करने में अत्यधिक प्राथमिकता दी जाएगी; यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग बना रहेगा। बल केवल दाखिले से बदल कर स्कूलों में छात्रों के बने रहने पर और उनके द्वारा शिक्षा की मूल तत्वों को प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा। यह लक्ष्य औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से लड़कियों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों की जरूरतों पर विशेष बल देते हुए प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### सिकन्दराबाद से गुत्ती के बीच की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4288. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद से गुत्ती के बीच की वर्तमान रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :** (क) से (ग) सिकन्दराबाद और गुन्तकल के बीच एक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षणों को मंजूरी दे दी गई है। सर्वेक्षण पूरे हो जाने पर आगे की कारंवाई पर विचार किया जायेगा जो परियोजनाओं की वित्तीय लाभप्रदता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

### कानपुर और इसके इर्द-गिर्द के कस्बों/शहरों के बीच रेल यातायात का सर्वेक्षण

4289. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने कानपुर और उसके इर्द-गिर्द के छोटे तथा बड़े कस्बों/शहरों के बीच रेल यातायात का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) कानपुर से प्रतिदिन किन-किन कस्बों/शहरों को शटल रेलगाड़ियां चलती हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कानपुर से ब्रह्मावर्त, उन्नाव, बालामऊ, ऊंचाहार, बांदा, इटावा, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और फर्रुखाबाद की ओर के स्टेशनों के लिए दैनिक यात्रियों के लिए प्रतिदिन शटल पैसेंजर गाड़ियां उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

### होनहार खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति

4290. **श्री गुरुदास कामत :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में होनहार खिलाड़ियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गई और कितनी राशि की छात्रवृत्तियां दी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में खिलाड़ियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गई ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :** (क) 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ऐसी दी गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 5627 थी और ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए 44,97,856.4 रुपये की राशि शामिल थी।

(ख) 515

**गाद/तलकर्षण समस्या को हल करने के लिए स्वदेशी**
**[तलकर्षण तरीके और प्रौद्योगिकी]**

4291. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अन्तर्देशीय जल मार्गों और समुद्री पत्तनों में गाद जमा होना एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण समय-समय पर तलकर्षण करना पड़ता है;

(ख) देश में तलकर्षण पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है; और

(ग) क्या तलकर्षण की समस्या को हल करने के लिए कोई स्वदेशी तरीके और प्रौद्योगिकी विकसित की गई है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) :** (क) अन्तर्देशीय जल-मार्गों पर गाद जमा हो जाना एक प्रमुख समस्या है, इसलिए इसका बार-बार निकर्षण आवश्यक होता है। तथापि, पत्तनों तक कृत्रिम रूप से निकर्षित अधिकांश चैनलों में गाद जमा हो जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे समय-समय पर निकर्षण द्वारा हटाया जाना आवश्यक होगा। चूंकि यह प्रक्रिया जानी पहचानी है, अतः यदि निकर्षण साधन पर्याप्त न हों तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस क्षेत्र में कोई देशी साधनों को विकसित नहीं किया गया है क्योंकि निकर्षण समस्या से निबटने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पूरी तरह से उपयुक्त और पर्याप्त है।

आंतरिक जल-मार्गों के मामले में मुख्य नौचालन चैनल में पानी की यथा सम्भव अधिकतम गहराई को बनाए रखने के लिए परम्परागत रूप से बंडाल डालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

### कुष्ठ रोग संक्रामक न होने के सम्बन्ध में प्रचार

4292. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग की स्थानिक-मारी वाले भागों में रहने वाले 4 करोड़ लोगों को 40 लाख कुष्ठ रोगियों से इस रोग के संक्रमण का खतरा है;

(ख) क्या किसी सही सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या सरकारी एजेंसियां कुष्ठ रोग के संक्रामक न होने के संबंध में दूरदर्शन/आकाशवाणी/समाचारपत्रों के माध्यम से प्रचार कर रही हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गये आंकड़ों के अनुसार 76 जिलों में व्यापकता दर प्रति हजार जनसंख्या 10 और इससे अधिक है, 125 जिलों में 5 से लेकर 9 के बीच है तथा शेष 211 जिलों में 5 से कम है।

(ग) 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों, उनके परिवारों और लोगों को इस रोग के उपचार, रोग के संक्रमण को कम करना और निःशुल्क इलाज उपलब्ध करने के बारे में जानकारी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी प्रयास तेज कर दिये गये हैं। इस कार्य के लिये संचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्र भी शामिल हैं।

### रेलवे कम्पलेक्स खड़गपुर में पानी की सप्लाई की कमी

4293. श्री नारायण चौबे : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में रेलवे कम्पलैक्स और रेलवे बस्ती में पानी की कमी को दूर करने के लिए 1985-86 के रेल बजट में 52.86 लाख रुपये की अनुमानित राशि का प्रावधान किया गया था;

(ख) क्या प्रस्तावित कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके पूरा न होने के क्या कारण हैं और गर्मियों से पूर्व निर्माण पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) पिछले मई, जून और जुलाई के दौरान खड़गपुर की रेलवे बस्ती को पेयजल की कितनी सप्लाई की गई थी और इस वर्ष इन महीनों के दौरान सरकार द्वारा कितनी मात्रा सप्लाई किये जाने का विचार है; और

(ङ) गर्मियों के आरम्भ होने से पूर्व खड़गपुर के लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिये सरकार कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ कर रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) खड़गपुर में रेलवे कम्पलेक्स के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने से सम्बन्धित कार्य 52.50 लाख रुपये की लागत पर दक्षिण पूर्व रेलवे के 1985-86 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस कार्य के लिए 85-86 के बजट में केवल 5 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी। प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गये हैं और निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) मई, जून और जुलाई, 1985 के दौरान खड़गपुर की रेलवे बस्ती के लिये पीने के पानी की सप्लाई की कुल मात्रा प्रतिदिन क्रमश: 40 लाख गैलन, 38 लाख गैलन और 42 लाख गैलन थी। अन्य चालू निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने पर इस वर्ष इन महीनों के दौरान पानी की सप्लाई में प्रतिदिन लगभग 6 लाख गैलन की वृद्धि होने की आशा है।

(ङ) आगामी गर्मी के मौसम से पहले पूरी की जाने वाली अन्य योजनाओं के अन्तर्गत दो नलकूपों और दो खुले कुओं से प्रतिदिन 6 लाख गैलन अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा और इससे पानी की सप्लाई में सुधार हो जायेगा।

## हज यात्री

4294. श्री सैयद शाबुद्दीन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया ने वर्ष 1983, 1984, 1985 और 1986 के दौरान हज का कितना विमान किराया लिया है;

(ख) क्या वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान हज यात्रियों को लाने ले जाने के लिये सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स ने भाग लिया था और क्या उसने इस वर्ष भी ऐसा करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) विमान किराये में कितनी रायल्टी शामिल करने की मांग की गई थी और क्या एयर इंडिया द्वारा सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स को उसका भुगतान किया गया था;

(घ) उक्त वर्षों में हज यात्रा अवधि के दौरान "इकानामी क्लास" का बम्बई-जेद्दाह-बम्बई का वापसी विमान किराया कितना था;

(ङ) क्या सरकार ने एयर इंडिया द्वारा ले जाये जाने वाले हज यात्रियों को राज सहायता देने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1986 के लिये कितनी राज सहायता देने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1983 से 1985 के वर्षों के दौरान एयर इंडिया ने हज यात्रियों से निम्नानुसार विमान किराया लिया है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1983 | 6587.00 रु० | बम्बई/जद्दाह/बम्बई |
| | 6900.00 रु० | दिल्ली/जद्दाह/दिल्ली |
| 1984 | 3294.00 रु० | जद्दाह/बम्बई |
| | 3450.00 रु० | जद्दाह/दिल्ली |
| 1985 | 3745.00 रु० | जद्दाह/बम्बई |
| | 3852.00 रु० | जद्दाह/दिल्ली |

1986 के सम्बन्ध में विमान किरायों का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) 1984-85 के दौरान हज यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स ने भाग लिया था। 1986 में भाग लेने के बारे में उनकी इच्छा की जानकारी नहीं है।

(ग) 1983 में, यात्रियों से लिए गए किराये में 527 रुपए प्रति यात्री की दर से रायल्टी शामिल कर दी गई थी। यह रायल्टी एयर इंडिया द्वारा सऊदी अरेबियन एयर लाइन्स को दी गई थी। 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स को कोई रायल्टी देय नहीं थी क्योंकि उन्होंने हज प्रचालनों में भाग लिया था।

(घ) 1983 से बम्बई-जद्दाह-बम्बई और दिल्ली-जद्दाह-दिल्ली का सामान्य आई० ए० टी० ए० का किराया एक सामान्य दर पर 8552.00 रुपये लगाया गया था और तब से यह स्थिर रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

### कीट नाशक औषधियों के अलग विभाग की स्थापना

4295. डा० चिन्ता मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशक दवाओं द्वारा उत्पन्न प्रदूषण संकट को ध्यान में रखते हुए इस पर निगरानी रखने और उपचारात्मक कार्यवाही करने हेतु कीटनाशक औषधियों का

एक पृथक विभाग स्थापित करने का है; और

(ख) क्या मानव के रक्त तथा चर्बी में कीटनाशक स्तर के बारे में सही जानकारी देते हुए कोई अध्ययन किया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय अनुमत सीमा के भीतर है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने/नीति अपनाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, हां। अब तक किये गये अध्ययनों से सामान्यत: यह पता चला है कि मनुष्य के के शरीर में कीटनाशकों का अवशिष्ट स्तर आमतौर पर जितना होना चाहिए, उससे अधिक था। यह मामला कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है।

## निजी स्वामित्व वाले महलों, किलों आदि को करों से छूट देना

4296. श्री दिग्विजय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी स्वामित्व वाले महलों, किलों और ऐतिहासिक भवनों को नष्ट होने से बचाने के लिये उन्हें करों से छूट देने का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित बनाये रखने के लिये इस तरह के उपाय महत्वपूर्ण समझे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय कला परिषद् ने, जो संरक्षण के इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर विचार करती है, इस संबंध में क्या प्रगति की है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए किए गए उपायो के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक निकायों को दिये गये दानों पर कर में छूट देने के प्रावधान का प्रश्न राष्ट्रीय कला परिषद के विचाराधीन है। अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

## डोम्बिवली रेलवे टर्मिनल

4297. श्री एस०जी० घोलप : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डोम्बिवली के यात्री डोम्बिवली में रेलवे टर्मिनल बनाने के लिए

बहुत लम्बे समय से मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) यह परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इससे रेकों के उपयोग और लाइन पर प्रभाव पड़ेगा।

### मधुपुर में डीजल इंजन शेड

4298. श्री सलाउद्दीन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुपुर में एक डीजल इंजन शेड का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मधुपुर में डीजल शेड का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

### कोचीन शिपयार्ड में जहाजों के पोत निर्माण और जहाजों की मरम्मत का निर्धारित किया गया लक्ष्य

4299. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण और जहाजों की मरम्मत के लिए चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए पृथक-पृथक, कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : कोचीन शिपयार्ड में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिये जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं :—

| | 1985-86 | 1986-87 |
|---|---|---|
| जहाज निर्माण | 50,000, डी० डब्ल्यू० टी० | 45,000 डी० डब्ल्यू० टी०* |
| जहाज मरम्मत | 7 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये |

*प्राप्त अतिरिक्त आर्डरों के आधार पर लक्ष्य को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाएगा।

[अनुवाद]

## विशाखापत्तनम पत्तन के विकास के लिए वृहद योजना

4300. श्री बी० तुलसी राम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पत्तन के विकास की वृहद योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने इस मंत्रालय को अगस्त, 1982 में अपने पत्तन के लिए वृहद योजना और भूमि उपयोग योजना भेजी थी जो उनके परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई पत्तन की सकल वृहद योजना पर आधारित थी। विजाग पोर्ट ने बताया है कि चूंकि उन्होंने जो वृहद योजना तैयार की है, वह पत्तन के विकास के लिए लगभग 15 वर्षों तक पर्याप्त हैं, इसलिए वे इस पर आगे कार्य नहीं कर रहे हैं।

वृहद योजना में बाहरी बन्दरगाह में अतिरिक्त बर्थिग सुविधाओं के सृजन और भीतरी बंदरगाह में मौजूदा जेटियों को नियमित बर्थों में बदलने का प्रावधान है।

वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने में जितना समय लगेगा, वह नई बर्थिग सुविधाएं विकसित करने की जरूरत और उपलब्ध वित्तीय संसाधन पर ही निर्भर करेगा।

## कृत्रिम गर्भ नियंत्रण टीके का प्रयोग

4301. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृत्रिम गर्भ नियंत्रण टीके की खोज किए जाने और प्रथम बार आस्ट्रेलिया में एडेलेड में उसका प्रयोग किए जाने की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस टीके का भारत में प्रयोग शुरू करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आस्ट्रेलिया में कृत्रिम गर्भ नियंत्रण वैक्सीन पर फेज—1 ह्यूमन क्लिनिकी ट्राइल्स किए हैं। भारत में इसे आरम्भ करने का प्रश्न इस वैक्सीन की रोग प्रतिरक्षण क्षमता और प्रभावकारिता का निर्धारण करने के बाद ही पैदा हो सकता है।

## गलगंड रोग से प्रभावित लोग

4302. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कितने लोग गलगंड रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या यह बीमारी नये क्षेत्रों में भी फैल रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस रोग को फैलने से किस प्रकार रोकने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) स्थानिकमारी क्षेत्रों में अनुमानतः लगभग 4 करोड़ लोग घेघा से पीड़ित हैं। भारत में घेघा का स्थानिकमारी वाला इलाज पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर पूर्ण उप-हिमालय क्षेत्र है जिसमें जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के कुछ जिलों में भी घेघा स्थानिकमारी रूप में पाया जाता है।

घेघा का उन्मूलन करने और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए नमक का आयोडीकरण कार्यक्रम सबसे बढ़िया और सस्ता है।

सरकार ने सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में खाये जाने वाले सारे नमक को क्रमिक रूप से आयोडिकृत करने सम्बन्धी एक कार्यक्रम को चलाने का निर्णय किया है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि देश में हर जगह आयोडीकृत नमक उपलब्ध हो जाये।

## इंडियन एयर लाइंस द्वारा वायुदूत को लीज पर विमान देना

4303. श्री कमल नाथ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइंस ने अपने ऐव्रो और फोकर फ्रेण्डशिप विमान वायुदूत को सौंप दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुदूत द्वारा इन विमानों को किन-किन नए मार्गों पर चलाया जाएगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास राज्य में खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने के लम्बित प्रस्ताव

4304. डा० गोरी शंकर राजहंस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने के कितने प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को, खुले विश्वविद्यालयों सहित नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए वि० अ० आ० का औपचारिक अनुमोदन अथवा उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें अपने खुले विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी अपने प्रस्तावों पर वि० अ० आ० से सलाह ले सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य में एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, एक प्रस्ताव सितम्बर, 1985 में वि० अ० आ० को भेजा था और वि० अ० आ० ने प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप में अपनी मंजूरी नवम्बर, 1985 में दे दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक का मसौदा आयोग के विचार जानने के लिए 29 जनवरी, 1986 को भेजा था। आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्तावों के मसौदे पर अपने विचार अभी नहीं भेजे हैं।

(ग) इस बारे में निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा।

## गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाने वाले उपकरण

4305. श्री चरणजीत सिंह वालिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाने वाली आधुनिक सुविधाएं या उपकरण उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और ये किस प्रयोजन के लिए हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें इस उपकरण का प्रयोग बालिका-भ्रूण को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है और यदि हां, तो इन अधर्मी कार्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार को ऐसे गैर-सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, सैक्स क्लिनिकों आदि की जानकारी है, ऐसे मामलों को गर्भपात के मामले दिखाकर वास्तव में भारी फीस लेकर बालिका भ्रूणों को नष्ट कर रहे हैं और यदि हां, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्यों को हिदायतें कर दी गई हैं कि वे उन व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करें जो गर्भपात के लिए प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जांच कार्य करते हैं।

## प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञों की अनुपलब्धता और अस्पतालों में रसोई घरों में सुधार

4306. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के लगभग 50 प्रतिशत अस्पतालों में प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या लगभग 11 प्रतिशत अस्पतालों के रसोई घर पुराने ढंग के हैं, और इनमें पानी, गैस और बिजली तक नहीं है, और रोगियों को दिए जाने वाले आहार में "कैलोरी" विटामिन तथा "रिबोफ्लेरिन" की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है और क्या राज्य सरकारों को उनके नियंत्रणाधीन अस्पतालों तथा गैर सरकारी अस्पतालों के लिए इस सम्बन्ध में कोई दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जा रहा है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) राज्य के अस्पताल राज्य सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करते हैं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके अस्पतालों में प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हों तथा रसोई घर में आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हों। वैसे दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं तथा इन अस्पतालों में पानी की सप्लाई, खाना पकाने की गैस और बिजली की सुविधाएं नियमित हैं।

(ग) संतुलित और एक समान आहार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से "अस्पतालों के लिये"

"मानकीकृत" आहार (1973) तैयार किये गये थे तथा इनकी सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को गई थीं। केन्द्रीय सरकार के अस्पताल आहार के एक समान पैटर्न का पालन करते हैं।

### जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय तथा अन्य सुविधाएं

4307. **श्री अजय मुशरान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय तथा अन्य सुविधायें आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में एक आरक्षण बुकिंग कार्यालय खोला गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बीच प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की सुविधा कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या अब सरकार का विचार आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का है, और यदि हां, तो कब ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। प्लेटफार्म नं० 2 के बाहर स्टेशन के मुख्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में 10 अप्रैल, 1985 को आरक्षण-एवं-बुकिंग कार्यालय खोला गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### रक्तदान सम्बन्धी नीति

4308. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्तदान के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दान दिये गए रक्त के भण्डारण के लिए पर्याप्त सुविधाओं और उपकरणों की व्यवस्था

सुनिश्चित करने हेतु रक्त बैंकों के सन्तोषजनक कार्यकरण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक रक्तदान की व्यावसायिक रक्तदान की बुराई समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क से (ङ) सरकार देश में ब्लड-बैंकिंग तथा रक्त-आधान की सुविधाएं बढाने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए सातवीं योजना के दौरान एक स्कीम चलाने का विचार रखती है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ औषध नियन्त्रण संगठनों द्वारा ब्लड-बैंकों का नियमित निरीक्षण करना शामिल है ताकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और प्रचार अभियानों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नवीन जानकारी के जरिये स्वच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर व्यावसायिक रक्तदान को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

### टीकमगढ-खजुराहो होते हुए ललितपुर (बांदा खेरडा) रेल लाइन का निर्माण

4309. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीमकगढ़-खजुराहो होते हुए ललितपुर-बांदा (खेरडा) रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन का निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कराने का है?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) टीकमगढ़ और खजुराहो के रास्ते ललितपुर से महोबा तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

(ख) जी नहीं।

[अनुवाद]

### तकनीकी शिक्षा के बारे में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों का सम्मेलन

4310. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी शिक्षा के बारे में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के हाल में हुए सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) प्राइमरी, सेकेण्डरी, और व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) और (ख) दिनांक 23-24 जनवरी, 1986 को हुए राज्य शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में (1) तकनीकी शिक्षा की बदलती हुई भूमिका (2) तकनीकी शिक्षा की आयोजना (3) अंत: तथा अन्तर सम्पर्क प्रणाली (4) कार्यक्रम/पाठ्यक्रम (5) संकाय (6) संगणकीकरण (7) उभरती हुई प्रौद्योगिकियां (8) तकनीकी शिक्षा के मानक (9) समेकीकरण आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित रूढ़ियों को हटाना (10) शिक्षा का वाणिज्यिकरण (11) वित्तपोषण (12) प्रणाली प्रबन्ध (13) समुदाय तथा ग्रामीण विकास के लिए तकनीकी शिक्षा (14) व्यावसायिक शिक्षा (15) पोलिटेक्निक शिक्षा (16) अवर स्नातक इन्जीनियरी शिक्षा (17) स्नातकोत्तर इन्जीनियरी शिक्षा (18) प्रबन्ध शिक्षा (19) प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सहित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (20) माध्यम तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा (21) समेकीकरण पर बल सम्बन्धी विषयों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में इन समस्याओं को निश्चित रूप से सरल बनाने के लिए प्रयास किया गया। सम्मेलन के निष्कर्षों पर किसी विशेष सिफारिश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, बनने से पूर्व उपयुक्त राष्ट्रीय निकायों के माध्यम से उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

## हैदराबाद से सऊदी अरब की उड़ान और हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

4311. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी**
**श्री बेजवाड़ा पपी रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब से हैदराबाद हवाई अड्डे और हैदराबाद से सऊदी अरब की उड़ानों का 9 दिसम्बर, 1985 को उद्घाटन किये जाने के बाद ये उड़ानें काफी लोकप्रिय हो गई हैं;

(ख) क्या उड़ानों की संख्या और बढ़ाने की मांग की गई है;

(ग) क्या हवाई अड्डे से यात्री यातायात के अतिरिक्त चमड़े के सामान, हथकरघा की वस्तुएं, इंजीनियरी सामान, कुक्कट, मांस, फल, सब्जियों का भी खाड़ी के देशों को भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(घ) क्या खाड़ी के देशों के साथ वाणिज्यिक, सामाजिक और राजनैतिक सम्बन्ध सुधारने

और बढ़ाने के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलना अनिवार्य समझा गया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जद्दाह् और हैदराबाद के बीच एयर इंडिया की उड़ानों पर औसत यात्री भार उड़ान 131 यात्री रहा है जोकि काफी उत्साहजनक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हैदराबाद से खाड़ी के देशों को हथकरघा की वस्तुएं, इंजीनियरी सामान, कुक्कर, मांस, फल और सब्जियों को निर्यात करने की संभाव्यता विद्यमान है।

(घ) जी, नहीं।

## कर्नाटक में जल प्रबन्ध प्रणाली

4312. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कार्यवाही कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है जिसका उद्देश्य राज्य में वर्तमान जल प्रबन्ध प्रणाली में विद्यमान अनेक कमियों को दूर करना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की जाने वाली कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वितरण प्रणाली के संचालन में उपयुक्त आशोधन करके मौजूदा अवसंरचनाओं में नियन्त्रण संरचनाओं की व्यवस्था, वर्तमान संरचनाओं की पुनर्स्थापना, वितरण प्रणाली की सुभेद्य पहुंचों को पक्का करना, बेहतर सम्प्रेषण और प्रचालकों को बेहतर जल प्रबन्ध में प्रशिक्षण देना इत्यादि जैसे कुछ सुधार करके सिंचाई परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन को उत्कृष्ट बनाना है।

## मेडिकल कालेजों में महिलाओं को प्रवेश

4313. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के मेडिकल कालेजों में कुल स्थानों की तुलना में दाखिल महिला छात्रों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या मूल चिकित्सा योग्यता में उत्तीर्ण होने वाली महिला उम्मीदवारों की प्रतिशतता

और मेडिकल कालेजों में दाखिल होने वाली महिला छात्रों की प्रतिशतता एक समान है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अध्ययन अथवा प्रशिक्षण अवधि के दौरान कुछ महिला छात्राएं अध्ययन बीच में ही छोड़ देती हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शैक्षिक वर्ष 1984-85 में भारत की चिकित्सा संस्थाओं में 10,818 दाखिलों में से 4,006 महिला उम्मीदवारों को दाखिल किया गया था। इस प्रकार महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग 37.03 बैठता है।

कुछेक अपवादों को छोड़कर, मेडिकल कालेजों में भर्ती किए गए सभी उम्मीदवार (पुरुष तथा महिला) सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा करने के बाद उत्तीर्ण हुए।

**मंगलौर त्रिवेन्द्रम और मद्रास के बीच दिवसकालीन यात्री रेलगाड़ी चलाना**

4314. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर/त्रिवेन्द्रम और मद्रास के बीच एक दिवसकालीन यात्री रेलगाड़ी चलाने की बढ़ती हुई मांग तथा राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी अनुरोध पर विचार करने का है, क्योंकि केरल में मद्रास के लिए इस समय सभी रेलगाड़ियां रात्रिकालीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बच्चों की देखभाल की व्यवस्था हेतु संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) के साथ समझौता**

4315. **श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) के बीच हाल ही में एक पंचवर्षीय मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका लक्ष्य बच्चों के लिए कल्याणकारी सेवाएं शुरू करना, उनका विस्तार और उनमें तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना के वित्तीय पहलुओं का ब्यौरा क्या है और इससे प्रति वर्ष कितने बच्चे लाभान्वित होंगे।

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "यूनीसेफ" भारतीय बाल उत्तरजीविता और विकास के कार्यक्रमों, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, जल सप्लाई, सफाई, निराश्रयता और विकलांगता की रोकथाम, सूचना और संचार सहायता, अनुसंधान, प्रबोधन और मूल्यांकन से संबंधित कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करता है। पंचवर्षीय अवधि 1985-89 के दौरान यूनीसेफ के सामान्य स्रोतों से 175.00 मिलियन यू०एस० डालर और नोटिड फंड से 523 मिलियन यू०एस० डालर की कुल सहायता प्राप्त होने की संभावना है। यूनिसेफ द्वारा लाभप्राप्त बच्चों की संख्या को अलग से बताना संभव नहीं है क्योंकि यूनिसेफ केवल सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रमों के कुछ कम्पोनेन्टों के लिये सहायता प्रदान करता है जिनके बारे में पारस्परिक सहमति हो जाती है।

### "कैट स्कैनर्स सफदरजंग हास्पिटल"

4316. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक भी "कैट स्कैनर" नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सफदरजंग [अस्पताल को "कैट स्कैनर" उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, हां।

(ख) साधनों की उपलब्धता के अनुरूप सफदरजंग अस्पताल के लिए एक कैट-स्कैनर प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

### पालिटेक्निकों को व्यावसायिक कालेजों में बदलना

4317. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पालिटेक्निकों को व्यावसायिक कालेजों में बदलने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो व्यावसायिक शिक्षा की नई योजना में इन संस्थानों की सुविधाओं का

उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) समुदाय पालिटेक्निकों के रूप में पदनामित कुछ जाने-माने पालिटेक्निकों के द्वारा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-औपचारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी निपुणता प्रदान करने के लिये विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस योजना का धीरे-धीरे दूसरे पालिटेक्निकों में प्रसार किया जायेगा।

## कालीकट और मंगलूर के बीच वायुदूत सेवा

4318. श्री सुरेश कुरूप : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का मंगलूर और कालीकट के बीच वायुदूत सेवा किस तारीख से आरम्भ करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : कालीकट हवाई अड्डे पर निर्माण-कार्य चल रहा है और इसके 31-12-1987 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। प्रचालकों की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, चालू योजनावधि के दौरान वायुदूत का मंगलूर और कालीकट को अपनी सेवाओं के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

## राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को मंजूर की गई धनराशि

4319. प्रो० एम० आर० हाल्दर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) इस अवधि में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर की गई धनराशि का उपयोग किया गया है अथवा नहीं ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमश: 289.30 लाख रुपये, 305.63 लाख रुपये और 384.77 लाख रुपये की केन्द्रीय हिस्से की सहायता राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को विश्वविद्यालयों को देने के लिये मुक्त की गई थी।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है

और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अहमदनगर-बीड़-परली-वैजनाथ को जोड़ने वाली नई रेल लाइन

4320. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर-बीड़-परली वैजनाथ को जोड़ने वाली नई रेल लाइन के निर्माण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य सातवीं योजना के दौरान आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) इस लाइन के निर्माण के लिये विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए, सातवीं योजना में इस लाइन का निर्माण शुरू करने पर फिलहाल विचार करना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कम्प्यूटरों का इस्तेमाल

4321. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने केन्द्रीय सरकारी कम्प्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराएगी।

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कम्प्यूटर के प्रयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था

4322. श्री शांताराम नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने की योजना तैयार नहीं कर सकती।

### रेलवे वर्कशाप जमालपुर में डीजल चालित क्रेनों का निर्माण

4323. श्री डी० पी० यादव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशाप जमालपुर में हैवी ड्यूटी ब्रेकडाउन डीजल-चालित क्रेनों की योजना शुरू होगई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या रेलवे वर्कशाप जमालपुर के लिए अन्य किस्म की मोबाइल क्रेनों के निर्माण के बारे में कुछ अतिरिक्त कार्यभार पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) 140 टन क्षमता वाली भारी ड्यूटी ब्रेक डाउन क्रेन का संयोजन और निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु मैसर्स गोटवाल्ड, पश्चिम जर्मनी में साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह करार 18 मार्च, 1986 को रिकार्ड किया गया है। जर्मनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जमालपुर में अवसंरचना की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण करार में यह व्यवस्था है कि सप्लायरों द्वारा अर्थात मैसर्स गोटवाल्ड, पश्चिम जर्मनी द्वारा नोक्ड डाउन (3 अदद) तथा किट (3 अदद) हालात में सप्लाई की जा रही 6 क्रेनों के संयोजन तथा निर्माण के लिए अवसंरचना की स्थापना की जानकारी का पूर्ण हस्तांतरण किया जाएगा बाद में इन क्रेनों का जमालपुर में प्रतिवर्ष 3 की दर से देशी निर्माण करने के लिए भी विचार किया जा रहा है।

(ग) रेल कारखाना, जमालपुर में अन्य चल क्रेनों से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य के बारे में इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

## मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए नए प्रस्ताव

4324. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को अन्तर्राज्यीय राज्य सड़कों के लिए केंद्रीय सहायता कार्यक्रम अथवा कुछ महत्वपूर्ण राजमार्गों के लिए आर्थिक महत्व योजना के अन्तर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई नया प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दिल्ली परिवहन निगम की स्क्रैप की बिक्री की जांच

4325. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के स्क्रैप सामग्री की 52 लाख रुपये की बिक्री के सौदे की जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सतर्कता अधिकारी को कुछ सूचना भेजी थी लेकिन कोई जांच नहीं की। 24 और 25 फरवरी, 1986 को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था और उन्होंने तीन लाटों को छोड़कर सभी लाटों को जारी करने की स्वीकृति दे दी थी। इन तीन लाटों के सम्बन्ध में उन्होंने सलाह दी थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक अधिकारी की उपस्थिति में तौल कराने के बाद उच्चतम बोलीदाता को डिलीवरी दी जाए।

[हिन्दी]

## पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

4326. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 ई० तक पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तथ्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) सन् 2000 ईसवी तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त शिक्षा सुविधायें प्रदान करने के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :—

(i) प्रत्येक गांव के लिए एक-एक स्वास्थ्य गाईड और प्रत्येक गांव के लिए कम से कम एक-एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था करना।

(ii) सामान्यत: प्रति पांच हजार आबादी के लिए तथा आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 3,000 आबादी के लिए एक-एक उपकेन्द्र और एक-एक पुरुष और एक-एक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की व्यवस्था करना।

(iii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना जिससे कि अन्ततोगत्वा सामान्यत: 30,000 ग्रामीण आबादी के लिए तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हो सके।

(iv) चरणबद्ध ढंग से खोले जाने वाले दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी विशेषताओं में इलाज की सुविधाओं की व्यवस्था करना जिससे कि अन्ततोगत्वा प्रति एक लाख ग्रामीण आबादी के लिए दर्जा बढ़ाया गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हो जाय। दाइयों, स्वास्थ्य गाईडों के प्रशिक्षण उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने की योजना के अधीन रखे गए लक्ष्यों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्णत: अर्थात 100 प्रतिशत प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। वैसे, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों,

दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य 1990 तक 50 प्रतिशत प्राप्त कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

### पलानी को बरास्ता धारापुरम समराज नगर के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

4327. श्री आर अण्णानम्बी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलानी को बरास्ता धारापुरम समराज नगर के साथ रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण कब शुरू करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा चालू कार्यों के लिए पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं के कारण।

[हिन्दी]

### देश में पेस मेकर का निर्माण

4328. श्री कुंवर राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगियों को पेस मेकर खरीदने के लिए लगभग 40 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं;

(ख) क्या इस जीवन रक्षक उपकरण को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उपकरण का निर्माण देश में करने और इसे आम आदमी की पहुंच के भीतर लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पेस-मेकर की कीमत 12,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक है जो इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस "मेक" का है।

(ख) से (घ) देश में कार्डियक पेस-मेकर बनाने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि इसकी मांग सीमित और अनिश्चित है। उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों को इन उपकरणों का निर्माण करने में रुचि हो सकती है बशर्ते कि इस उपकरण की पर्याप्त मांग हो और प्रतिष्ठित सहयोगी फर्मों से इसके लिए टेकनालोजी आयात करने की सम्भावना हो।

[अनुवाद]

## गुजरात में पाई गई सबसे पुरानी पांडुलिपि

4329. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में दसवीं शताब्दी की एक प्राचीन पांडुलिपि मिली है;

(ख) क्या यह देश में पाई गई सबसे प्राचीन पांडुलिपि है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग इस प्रकार की पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या नई पाई गई पांडुलिपि को भी यह सहायता प्रदान की जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, यदि आवश्यक हुआ।

## भोपाल गैस कांड के शिकार लोगों के रक्त में कैंसर का होना

4330. श्री पी० ए० एन्थनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी विभाग द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि भोपाल गैस कांड के शिकार लोगों के रक्त में कैंसर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और ऐसे लोगों के इलाज के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में "पेंटरी कार" की व्यवस्था

4331. कुमारी पुष्पा देवी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लम्बी दूरी वाली उन रेलगाड़ियों में "पेंटरी कार" की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिनमें यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरी जाने वाली उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में "पेंटरी कार" की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) गाड़ियों में पैंट्री कार चलाना उनकी उपलब्धता और गाड़ियों में स्थान होने पर निर्भर करता है। कुछ महीनों में नई पैंट्री कारों का अगला लाट उपलब्ध होने पर उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों में पैंट्री कारों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

### रेल पथ का विद्युतीकरण

4332. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल इंजन चलाने के बजाय रेल लाइन का विद्युतीकरण करने पर एक किलोमीटर पर कितनी आरम्भिक लागत की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युतीकरण अन्ततः उपयोगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के बारे में 2000 ई० तक की कोई दीर्घावधि योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विभिन्न कर्षण के इंजनों पर प्रति कि० मी० कुल आरम्भिक पूंजी-निवेश खंड पर यातायात के घनत्व पर निर्भर करता है। तथापि,

नवीनतम अनुमानों के अनुसार बड़े आमान की दोहरी लाइन खंड के विद्युतीकरण के लिए नियत प्रतिस्थापन की लागत लगभग 27 लाख रुपये प्रति कि० मी० बनती है।

(ख) ऊर्जा की सापेक्ष लागत के आधार पर कतिपय भारी घनत्व वाले मार्गों पर आगे चलकर विद्युतीकरण किफायती हो जाता है।

(ग) 2000 ई० तक की अवधि के दौरान लगभग 10,000 मार्ग कि० मी० का और विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।

(घ) अभी तक केवल 1990 तक के लिए ही विद्युतीकरण की विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। ये योजनाएं मुख्यतः दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास और हावड़ा-बम्बई ट्रंक मार्गों पर विद्युतीकरण का काम पूरा करने के लिए हैं।

## वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ घाटा

4333. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन उन राज्य सड़क परिवहन निगमों के नाम क्या हैं जो घाटे में चल रहे हैं तथा 1984-85 के दौरान उन्हें कुल कितना वार्षिक घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार ने उनके घाटे के कारणों का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय करने के सुझाव दिये जा रहे हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) घाटे में चल रहे राज्य सड़क परिवहन निगमों के नाम और 1984-85 में उन्हें हुए घाटे की राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्य सड़क परिवहन निगमों के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा से यह पता चला है कि घाटे के प्रमुख कारण हैं—निवेश की बढ़ती लागत, किराया वृद्धि का परिचालन की बढ़ती लागत के अनुरूप न होना। घाटे के अन्य कारण हैं - भारी कर, छात्रों आदि के लिए दी जाने वाली रियायती सेवाएं और सामाजिक दायित्वों के कारण अलाभकर रूटों पर सेवाएं चलाना।

राज्य सरकारों को, जिनके अधीन राज्य सड़क परिवहन निगम कार्य कर रहे हैं, यह सलाह दी गई है कि वे उनके भौतिक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने जैसे पुरानी बसों को बदलने, उचित रख-रखाव और बेड़े का उपयोग करने, युक्ति संगत वस्तु सूची प्रबन्ध करने, रूटों को युक्ति-संगत बना कर और कम ईंधन खपत वाले साधनों का उपयोग करके ईंधन की खपत में किफायत करने, लागत वृद्धि के अनुरूप किराया ढांचे में संशोधन करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

## विवरण

घाटे में चल रहे राज्य सड़क परिवहन निगमों के नाम और 1984-85 के दौरान उन्हें हुए घाटे की राशि दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

| क्रमांक | राज्य सड़क परिवहन निगम का नाम | 1984-85 के दौरान निवल मुनाफा/घाटा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | असम | — 4.31 |
| 2. | बिहार | — 10.71 |
| 3. | गुजरात | — 40.55 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | — 5.58 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | — 6.84 |
| 6. | कर्नाटक | — 20.49 |
| 7. | केरल | — 13.09 |
| 8. | मध्य प्रदेश | — 12.62 |
| 9. | महाराष्ट्र | — 4.23 |
| 10. | मणिपुर | — 1.32 |
| 11. | मेघालय | — 1.64 |
| 12. | उड़ीसा | — 10.27 |
| 13. | पेप्सू आर० टी० सी० | — 13.17 |
| 14. | त्रिपुरा | — 1.77 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | — 15.66 |
| 16. | कलकत्ता एस० टी० सी० | — 25.77 |
| 17. | उत्तरी बंगाल एस० टी० सी० | — 8.45 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 18. | दुर्गापुर एस० टी० सी० | — | 3.06 |
| 19. | दिल्ली परिवहन निगम | — | 140.79 |

टिप्पणी :—सड़क परिवहन निगम, अधिनियम, 1950 के तहत स्थापित कुल 21 राज्य सड़क परिवहन निगम हैं। केवल आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1984-85 के दौरान मुनाफा कमाया और बाकी सभी को घाटा हुआ था।

**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों में गलतियां**

4334. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के इस वर्ष के गणित और अन्य विषयों के प्रश्न-पत्रों में गलतियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों में;

(ग) क्या पिछले वर्ष भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थीं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश करने का है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) और (ख) इस वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में निम्नलिखित गलतियों का पता चला है :—

| परीक्षा का नाम | प्रश्न पत्र | गलतियां |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा | गणित (हिन्दी रूपांतर) | प्रश्न सं० (क) आयत के स्थान पर सम-चतुर्भुज<br>सं० 6 (क)—"3i" के स्थान पर "2i" |
| दिल्ली सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा) | गणित पाठ्यक्रम "क" (हिन्दी रूपांतर) | प्रश्न सं० 4 (क) विकल्प का हिन्दी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर से मेल नहीं खाता। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा | अंग्रेजी (कोर) | अधिकतम अंक 100 लिखे थे जबकि सभी प्रश्नों के अंकों का योग 95 था। |
| | प्रारम्भिक संगणक विज्ञान | प्रश्न संख्या 6 (ख)— "I=I H" के स्थान पर "I=I+1" |
| अखिल भारतीय सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा | सामाजिक विज्ञान (हिन्दी रूपांतर) | प्रश्न संख्या 9— असहायता आन्दोलन की बजाय सविनय अवज्ञा आन्दोलन। |

(ग) जी, हां। पिछले वर्ष भी कुछ मामूली गलतियां थीं।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली इस संबंध में आवश्यक उपचारात्मक उपाय कर रहा है कि इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

**मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि**

4335. **डा० डी० वी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि देश में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनकी देश के किस भाग में वृद्धि हुई है; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) :** (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त हुई अनन्तिम सूचना के अनुसार 1985 के दौरान मलेरिया से 1744493 व्यक्ति बीमार हुए जबकि 1984 की इसी अवधि के दौरान मलेरिया से 218446 व्यक्ति बीमार हुए थे। वैसे वर्ष 1985 के दौरान बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर पंजाब और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और मिजोरम में मलेरिया रोगियों की संख्या में मामूली वृद्धि होने की सूचना मिली है।

(ग) मलेरिया के प्रकोप पर और अधिक नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं:—

(एक) मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए उन इलाकों में लोगों के घरों के अन्दर कीट-

नाशी दवावों का छिड़काव किया जा रहा है, जिनमें वार्षिक परजीवी प्रकोप दो या इससे अधिक है। (प्रतिवर्ष एक हजार आबादी पर दो रोगी या इससे अधिक)।

(दो) देश के मलेरिया प्रभावित सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से हर पन्द्रह-पन्द्रह दिन बाद निगरानी करने पर बल दिया जा रहा है।

(तीन) ब्लड-स्मीयरों की तत्काल जांच करने तथा बिना कोई समय खोये तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

(चार) बुखार वाले रोगियों को मलेरिया की दवाइयां उपलब्ध करने के लिए देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में औषध वितरण केन्द्र तथा बुखार उपचार डिपो कार्य कर रहे हैं।

(पांच) पी० फाल्सीपरम प्रकोप को रोकने के लिए पी० फाल्सीपरम की समस्या वाले क्षेत्रों में पी० फाल्सीपरम नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(छः) जिन शहरी क्षेत्रों में मलेरिया एक समस्या बना हुआ है, उनमें मलेरिया पर काबू पाने के लिए देश के 133 नगरों के लिए शहरी मलेरिया योजना मंजूर कर दी गई है। इन क्षेत्रों में मलेरिया के फैलने को रोकने के लिए लार्वारोधी तथा परजीवी-रोधी उपाय किये जा रहे हैं।

## गुजरात में शिशु मृत्यु दर कम करने के उपाय

4336. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर की तुलना में गुजरात में शिशु मृत्यु दर क्या थी;

(ख) क्या गुजरात में एक दशक पूर्व शिशु मृत्यु दर की तुलना में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कम हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में शिशु दर और कम करने हेतु किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत में महा-पंजीयक के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वर्ष 1984 में गुजरात में शिशु मृत्यु दर 106 थी जबकि अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर 104 थी।

(ख) गुजरात में वर्ष 1975 में शिशु मृत्यु दर 154 थी जिससे यह पता चलता है कि पिछले दशक के दौरान शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।

(ग) शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए जो उपाय किये गये हैं, उनमें ये शामिल हैं; मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का विस्तार, कार्मिकों को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-शिक्षा, रिस्क अप्रोच अंगीकार करना, बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण, अतिसार रोगों पर नियन्त्रण, कुपोषण से होने वाली अरक्तता से बचाव और एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण की व्यवस्था।

### केरल में वायुदूत सेवा

4337. श्री टी० बशीर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केरल के किसी शहर को वायुदूत सेवा से जोड़ने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों को इस सेवा से जोड़ने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) चालू योजनावधि में वायुदूत की केरल राज्य में कालीकट को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है।

### केरल को प्रौढ़ शिक्षा के लिए दी गई वित्तीय सहायता

4338. श्री टी० बशीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को प्रौढ़ शिक्षा के लिए कितनी राशि दी गई;

(ख) केरल में इस अवधि के दौरान कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य की क्या उपलब्धियां रहीं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) श्रमिक विद्यापीठ, ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं, उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोन्नत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 1982-83 से 1984-85 तक के दौरान, 104.25 लाख रुपये की राशि केरल को दी गई थी।

(ख) इस अवधि के दौरान केरल में किया गया व्यय, 74.04 लाख रुपये था।

(ग) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1982-83 से 1984-85 तक के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में 2.52 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को दाखिल किया गया था।

## उड़ीसा में सिंचाई क्षमता

4339. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौराम अतिरिक्त क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान कुल सिंचाई क्षमता का किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है और उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाने लगेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना तथा उनका वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। सातवीं योजना के लिए 0.7 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) आशा है कि छठी योजना के अन्त तक 2.61 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी और 2.49 मिलियन हैक्टेयर का उपयोग किया जायेगा। छठी योजना की अनुपयुक्त क्षमता और सातवीं योजना के दौरान सृजित क्षमता के भाग का सातवीं योजना के अन्त तक उपयोग किए जाने की संभावना है।

## कपूरथला यात्री डिब्बा फैक्टरी के लिए प्रौद्योगिकी

4340. श्री ए० के० पटेल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला यात्री डिब्बा निर्माण फैक्टरी के लिए प्रौद्योगिक पुरानी यात्री डिब्बा निर्माण फैक्टरी जैसी होगी या नई प्रौद्योगिकी होगी; और

(ख) यदि नई प्रौद्योगिकी होगी, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) कपूरथला में स्थापित किए जा रहे सवारी डिब्बा कारखाना में प्रारम्भ में मौजूदा अभिकल्प के सवारी डिब्बे निर्मित किए जाएंगे और बाद में बनाए जाने वाले सवारी डिब्बों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनायी जायेगी।

(ख) आशा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी में नवीनतम विशिष्टियां होंगी जैसे ये डिब्बे वजन में हल्के, प्रलम्बन, ब्रेक युक्त, वातानुकूल, जंग निवारक और यात्रियों के लिए आरामदेह होंगे।

## दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जैसी अन्य एजेंसियों से भी संपर्क रखेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विश्वविद्यालय में क्या-क्या पाठ्य विषय आरंभ किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्व विद्यालय की स्थापना इं० गा० रा० खु० वि० अधिनियम, 1985 के अधीन, 20 सितम्बर, 1985 से की गई है। विश्वविद्यालय, अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसरण में, इस समय अपने शैक्षिक कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को तैयार कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

## भारतीय भाषाओं के गौरवग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद संवर्धन

4342. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भाषाओं के गौरव-ग्रन्थों का अनुवाद एशियाई भाषाओं सहित विदेशी भाषाओं में तथा एक भारतीय भाषा के गौरव ग्रंथों का दूसरी भारतीय भाषा में अन्त क्षेत्रीय अनुवाद संवर्धन सुनिश्चित करेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किसी स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न एजेंसियों जैसे केन्द्रीय तथा राज्य अकादमियों भाषा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** (क) और (ख) साहित्य अकादमी, संस्कृति विभाग की निधियों से पोषित एक स्वायत्त निकाय है। यह प्राचीन साहित्यों का एक भाषा से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का एक कार्यक्रम चलाती है। अकादमी यूनेस्को को उनकी पूर्वी प्राचीन साहित्य की पाश्चात्म भाषाओं में अनुवाद करने की प्रमुख परियोजना में भी सहयोग करती है।

(ग) और (घ) राज्य अकादमियों का, केन्द्रीय साहित्य अकादमी को विभिन्न भाषाओं के सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व होता है और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि साहित्य अकादमी के केन्द्रीय परिषद में होते हैं। जहां अपेक्षित होता है, भाषा संस्थानों से सम्पर्क किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### समेकित मानव व्यक्तित्व के विकास की योजना

4343. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा संस्थाओं में योगाभ्यास प्रशिक्षण के माध्यम से समेकित मानव व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कोई अखिल भारतीय योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की सक्षमता को स्वीकार करते हुए इसे 1981 के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगात्मक आधार पर एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया है। योग प्रशिक्षण का देश की अन्य शिक्षा संस्थाओं में विस्तार, किसी हद तक इस प्रयोग के परिणामों पर निर्भर करेगा।

### कटक-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करने की योजना

4344. **श्री के० प्रधानी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर भाग को चौड़ा करने की योजना में विश्व बैंक सहायता योजना में शामिल करने का सुझाव दिया है जिससे कि इसका निर्माण पांच वर्ष के अंदर पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :** (क) और (ख) जी

हां। यह विश्व बैंक के वित्त पोषण से पूरित होने वाले अनेक निर्माण कार्यों में एक है।

## उड़ीसा में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की योजना के अन्तर्गत सड़कों और पुलों के लिए धनराशि देना

4345. श्री के० प्रधानी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से वालेश्वर जीलेश्वर सड़क का सुधार करने, ढेंकानल-कामाख्यानगर सड़क पर ब्राह्मणी नदी पर तथा गुणुपुर के समीप वंशधारा नदी पर ऊंची सतह वाले पुलों के निर्माण, अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व को राज्य सड़क योजना के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 106 लाख रुपये की धनराशि देने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित धनराशि जारी कर दी गई है अथवा वर्ष 1986-87 के दौरान जारी किये जाने की आशा है यद्यपि उनके मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए 100 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि जारी करते समय राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि को बढ़ाकर 130 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने बालासोर-जलेश्वर मार्ग के सुधार, धेन केनाल कामाख्यानगर मार्ग पर ब्राह्मणी ऊपरी और गुनुपुर के पास वसुन्धरा नदी पर ऊंचे पुल के निर्माण के लिए अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के राज मार्ग के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान क्रमश: 130 लाख रु० और 106 लाख रु० की मांग की थी। उड़ीसा राज्य को, उनके अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के निर्माण कार्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1985-86 में 130 लाख रु० की राशि दे दी गई है। वर्ष 1986-87 के आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

## उद्यानों में औषधीय और सुगंधित पौधे

4346. श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उद्यानों में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने हेतु 27 लाख रुपये की अनुमानित लागत की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बागवानी उद्यानों में बड़े पैमाने पर चिकित्सीय और सुगंध वाले पादपों की खेती करने के लिए सहायता दी जा सकती हो।

### दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का ठीक समय से चलना

4347. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :** प्रशासन के सभी स्तरों पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन निष्पादन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन गाड़ियों को समय अनुसूची के अनुसार चलाने के हर-संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

### यात्री डिब्बों का उत्पादन

4348. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री डिब्बों के वर्तमान कारखाने में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और कारखाने-वार कितने यात्री डिब्बों का उत्पादन किया गया; और

(ख) श्रेणी-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) :** (क) परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) के नियंत्रणाधीन केवल एक ही सवारी डिब्बा कारखाना अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना (आई० सी० एफ०) है।

गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

| वर्ष | सवारी डिब्बों की संख्या |
|---|---|
| 1982-83 | 775 |
| 1983-84 | 817 |
| 1984-85 | 825 |

(ख) एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

### 1982-83 से 1984-85 तक सवारी डिब्बा कारखाना में सवारी डिब्बों का वास्तविक उत्पादन

| सवारी डिब्बों की किस्म | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|
| बड़ी लाइन | | | |
| वातानुकूल पहला दर्जा | 20 | 19 | — |
| वातानुकूल शयनयान | 17 | 38 | 60 |
| वातानुकूल कुर्सीयान | 25 | 3 | — |
| जी० एस० सी० एम० | 100 | 220 | 60 |
| साधारण दूसरा दर्जा | 242 | 515 | 607 |
| दिन में चलने वाले दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे | 137 | — | 30 |
| पैंट्री कार | 20 | — | — |
| दो मंजिलें | — | — | 12 |
| पावर कार | 2 | — | — |
| मेट्रो सवारी डिब्बे | 8 | 4 | 8 |
| ई० एम० यू० डिब्बे | 103 | 18 | 24 |
| निर्यात के लिए | — | — | 24 |
| मीटर लाइन के सवारी डिब्बे | 101 | — | — |
| जोड़ : | 775 | 817 | 825 |

## दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

4349. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में अब तक कुल कितने किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है;

(ख) 1986-87 के अन्त तक दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जायेगा; और

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1919 किलोमीटर।

(ख) 70 किलोमीटर।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में पड़ने वाले 627 किलोमीटर रेलपथ का विद्युतीकरण करने का कार्य अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

## पूर्वोत्तर रेलवे में विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने वाले पैदल मार्गों/सड़कों का पूर्ण निर्माण और उनकी मरम्मत

4350. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में बरौली, दिघवा-दुबोली, गोपाल गंज, सासामूसा, थावे, जलालपुर, तमकुही रोड स्टेशनों के पैदल मार्गों की दशा बहुत ही शोचनीय है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान इन सड़कों की खराब स्थिति के कारण उपर्युक्त स्टेशनों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में इन स्टेशनों को जोड़ने वाले पैदल मार्गों/सड़कों का पुनर्निर्माण और उनकी मरम्मत का कार्य करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरम्भ करने का विचार है और इस कार्य पर पृथक-पृथक कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) दिघवा दुबोली, थावे और तमकुही रोड स्टेशनों पर रेल परिसर में सड़कें ठीक हालत में हैं। गोपालगंज में डामर की सड़क

है। इसमें पिछले मानसून के दौरान कुछ गड्ढे पड़ गये थे। मरम्मत करने का कार्यक्रम बनाया गया है और इसे 1986-87 के दौरान पूरा किया जाना है। सासामूसा और जलालपुर में रेलवे की बाहर दीवारी के बाहर निजी भूमि पर भवन निर्माण और अन्य विकास कार्यों के परिणामस्वरूप सड़क क्षेत्र में नालियां रुक गयीं थीं, सासामूसा और जलालपुर में दो और पुलियों की व्यवस्था की जा रही है। दोनों स्टेशनों पर सड़कों को भी ऊंचा करने का प्रस्ताव है। इन सभी मरम्मत कार्यों पर लगभग 3,10,000 रुपये की लागत आने का अनुमान है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर "बरौली" नामक कोई स्टेशन नहीं है।

[अनुवाद]

**केरल में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पर अनुमानित व्यय**

4351. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पर अनुमानतः कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ख) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी; और

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) से (ग) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की केरल में निम्नलिखित संस्थाएं हैं :—

(1) भारतीय पंचकर्म संस्थान, चेरुथुरुथी।

(2) क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (औषध अनुसंधान), त्रिवेन्द्रम।

(3) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्लीनिकल अनुसंधान यूनिट, त्रिवेन्द्रम।

(4) क्लीनिकल अनुसंधान यूनिट (आयु०) कोट्टाक्कल।

(5) भेषज विज्ञान अनुसंधान यूनिट, त्रिवेन्द्रम, और

(6) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत केमिको-फार्माकोलोजिकल यूनिट, त्रिवेन्द्रम।

केरल में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के संस्थानों/यूनिटों का कुल वार्षिक बजट अनुमान 31.20 लाख रुपये है। इस मन्त्रालय की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी है, अर्थात भारतीय

चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभाग का दर्जा बढ़ाना। इस योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान प्रयोजन हेतु दर्जा बढ़ाये गये विभागों के रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत केरल में अब तक चार विभागों, नामतः कार्यचिकित्सा, द्रव्यगुण, रसशास्त्र और भैषज्य-कल्पना एवं शल्य-शलाक्य का दर्जा बढ़ाया गया है। छठी योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50.58 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं पर 1.18 करोड़ रुपये की राशि (अनुमानित) खर्च की गई थी। केरल में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दर्जा बढ़ाये गये विभागों के लिए 1985-86 के संशोधित अनुमानों में 13.00 लाख रुपये का अनन्तिम प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

## प्रकाशकों को रियायती दरों पर ऋण

4352. श्री विष्णु मोदी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रकाशकों को रियायती दरों पर ऋण देकर प्रकाशन उद्योग में व्याप्त संकट को दूर करने हेतु ठोस कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद, प्रकाशकों को ब्याज के रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। परिषद ने अभी अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## डिफ्थीरिया, टिटनेस, क्षय रोग के लिए सुरक्षात्मक उपाय

4353. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष पैदा हुए एक हजार बच्चों में से प्रतिवर्ष औसतन 45 बच्चे डिफ्थीरिया, कुक्कर खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, मोती झारा आदि के कारण मर जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इन बीमारियों के फैलने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 44.5 है। इन मौतों के विभिन्न कारण हैं जैसे :—जन्म के समय बच्चे का कम वजन, श्वसन विकार, कुपोषण, अतिसार रोग और डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग आदि।

(ख) इन रोगों के फैलने के अनेक कारण हैं जिनमें अधिक भीड़-भाड़, सफाई और स्वच्छता की कमी, पौषणिक स्तर की कमी आदि। वैक्सीन द्वारा डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय, टाइफाइड और पोलियो से बचाव किया जा सकता है और इन रोगों के प्रतिरक्षण का कार्यक्रम दिल्ली में चलाया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक व्यापक कवरेज के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है लोगों को सफाई और वैयक्तिक स्वच्छता आदि के लाभों के बारे में सलाह देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

## दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों की हड़ताल

4354. श्री सरफराज अहमद
श्री विलास मुत्तमवार
श्री साइमन तिग्गा
: क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू शिक्षा सत्र के दौरान केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक और विद्यार्थी अलग-अलग कुल कितने दिन हड़ताल पर रहे तथा इन हड़तालों के क्या कारण थे;

(ख) हड़ताल के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(ग) अध्यापकों और विद्यार्थियों की हड़ताल के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने दिन बन्द रहा और इन हड़तालों के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में हड़ताल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) संसद अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों में से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने अभी अध्यापन कार्यक्रम शुरू नहीं किए हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा विश्व-भारती में शिक्षकों या छात्रों द्वारा हड़ताल की कोई घटना नहीं हुई है।

ग्रेडिंग प्रणाली में संशोधन और पाठ्यक्रमों में निर्धारित आवश्यक हाजरी को कम करने की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में

छात्रों का एक भाग मार्च, 1986 से विभिन्न तिथियों से कक्षाओं में नहीं जा रहा है। विश्वविद्यालय के अन्य सभी विभाग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कोई हड़ताल नहीं हुई। तथापि, विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के अध्यापक 10 दिसम्बर, 1985 से हड़ताल पर चले गये इनकी मांग थी योग्यता उन्नति योजना को समाप्त करने के वि०अ०आ० के निर्णय को वापस लेने गृह सुविधाओं में सुधार, कालेजों में प्रवरण ग्रेड के शिक्षकों के लिए वेतनजमाव निवारक वार्षिक वेतनवृद्धि संस्वीकृत करना, तथा कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड शुरू करना। हड़ताल 19 दिन की शीतकालीन छुट्टियों सहित 76 दिन तक जारी रही और 23 फरवरी, 1986 को वापस ली गई। हड़ताल के कारण नष्ट हुए शिक्षण समय को शैक्षणिक कलेन्डर के पुनः निर्धारण द्वारा पूरा किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कक्षाएं पहले निर्धारित 22 मार्च, 1986 के बजाय 1 मई, 1986 तक चलेगी।

शिक्षक और छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समय-समय पर हड़ताल करते हैं। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित तन्त्र स्थापित करने की सलाह दी है। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने इस तरह के शिकायत निवारण तन्त्र स्थापित किए हैं।

[अनुवाद]

## कन्नानोर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

4355. श्री के० वी० शंकर गौड़ा
श्री बी० वी० देसाई
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री विष्णु मोदी
श्री शांति धारीवाल
: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर तेल्लीचेरी और माहे स्टेशनों के बीच कन्नानोर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेल संरक्षा आयुक्त की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(ख) उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह पूर्णरूप से एक सांयोगिक घटना थी जो रेल तटबन्धों के नजदीक केवल 3 मीटर की दूरी पर बांस की बल्लियों पर कतारों में लगाई गई आतिशबाजी के कारण हुई। बहुत प्रबल और ऊंची आवाज वाले पटाखों की सभी कतारों में एक साथ विस्फोट होने के कारण दर्शकों की एक भारी भीड़ अचानक रेल पथ की ओर पीछे हट गई थी। इस संयोगिक घटना के लिये उन्होंने किसी रेल कर्मचारी या रेल प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि त्यौहारों के दौरान रेलपथ से 100 मीटर की दूरी तक आतिशबाजी की अनुमति न दी जाये।

**विमान प्रवतरण उपकरण व्यवस्था करना**

4356. **श्री के० वी० शंकर गौडा :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर विमान अवतरण उपकरण लगाने पर कुल कितना धन व्यय होगा; और

(ख) कब तक इस उपकरण के लगाये जाने की सम्भावना है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 12.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, मोहनबाड़ी, पटना और वाराणसी विमानक्षेत्रों पर उपकरण अवतरण प्रणाली लगाने की योजना है।

(ख) अहमदाबाद, गुवाहाटी और लखनऊ विमानक्षेत्रों पर उपकरण अवतरण प्रणाली लगाने का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 1987 तक पूरा हो जाने की संभावना है। शेष 10 विमानक्षेत्रों पर उपकरण लगाने का काम प्रावस्थाओं में शुरू किया जाएगा, जो अप्रैल, 1986 से आरम्भ होगा।

**तमिलनाडु और कर्नाटक में त्वरित यातायात व्यवस्था के लिए आबंटन**

4357. **श्री के० वी० शंकर गौडा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास शहर में चल रही त्वरित यातायात व्यवस्था योजना हेतु रेल बजट में अधिक राशि का आबंटन करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने भी अपने राज्य में परिवहन योजना के लिए और अधिक धनराशि के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) बेंगलुरु के लिए रेल द्रुत परिवहन प्रणाली तथा उपनगरीय सेवाओं की व्यवस्था करने की परियोजना आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार दबाव डालती रही है।

(ग) मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए संसाधनों की बेहद तंगी के कारण धन का आबंटन लागू सीमाबन्धन के अन्तर्गत किया गया है। बेंगलुरु के लिए द्रुत परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में महानगर परिवहन परियोजना (रेल) मद्रास ने कर्नाटक राज्य सरकार के अनुरोध तथा उसकी लागत पर बेंगलुरु सिटी में रेल द्रुत परिवहन प्रणाली और उपनगरीय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक व्यावहारिकता अध्ययन किया था। परियोजना की रिपोर्ट और उसका अनुमान राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार को कहा गया है कि वे परियोजना के निष्पादन के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करे तथा सामान्य रेलवे योजना से बाहर लाभांश दायिता से मुक्त की व्यवस्था करें।

## मानवीय असावधानी के कारण रेल दुर्घटनायें

4358. श्री के० वी० शंकर गौड़ा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान कितने प्रतिशत रेल दुर्घटनायें मानवीय असावधानी के कारण हुई ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 के दौरान, रेल कर्मचारियों की गलती के कारण लगभग 63% गाड़ी दुर्घटनायें तथा रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती के कारण लगभग 9 प्रतिशत गाड़ी दुर्घटनायें हुई थी।

## आक्सीफेन ब्यूटाजोन और फेनिलब्यूटाजोन युक्त औषधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध

4359 श्री शांति धारीवाल<br>
श्री विष्णु मोदी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन खबरों की जानकारी है कि आक्सीफेन्ब्यूटाजोन और फेनिलब्यूटाजोन युक्त औषधियों और इन औषधियों के साथ मिश्रित अन्य औषधियों के प्रयोग से विश्व में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन औषधियों पर आधारित आक्सलजिन, एस्बीपाइरीन फ्लेमर, रेपारील, पेराजोयान्डीन, ट्रोमानजेसिक, जोलन्डीन जैसी अनेक औषधियों का हमारे देश में विपणन हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन औषधियों को अभी तक बन्द न करने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) आक्सीफेनबुटाजोन और फेनिलबुटाजोन युक्त औषधियों अथवा उनके योगों के इस्तेमाल से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है। लेकिन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूचना के अनुसार आक्सीफेनबुटाजोन और फेनिल बुटाजोन युक्त औषधों के प्रतिकूल प्रभावों से हुई बताई गई कुछ मौतों के कारण कुछ देशों में इन औषधों का इस्तेमाल बन्द कर दिया गया है। कुछ अन्य देशों ने इनके इस्तेमाल को एंकीलोसिंग स्पाडिलाइटिस और गाटी आर्थराइंटिस के इलाज तक ही सीमित रखा है।

(ख) जी, हां।

(ग) उनकी उपयोगिता पर विचार करते हुए विशेषज्ञों ने भारत में इन औषधियों का इस्तेमाल केवल एंकीलोसिंग स्पाडिलाइटिस और गांटी आर्थराइटिस के इलाज तक ही सीमित रखा है।

## शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग

4360. श्री रेणुपद दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी नौ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए अब कितने स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया गया है;

(ख) कितने छात्रों के नाम दर्ज किए गए, कितने प्रतिशत छात्र छोड़ कर चले गए और छठी पंचवर्षीय अवधि के दौरान इन केन्द्रों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन संगठनों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या इन पर नियमित या आवधिक निरीक्षण के रूप में कोई प्रभावी निरीक्षण रखा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के संगठनों के पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकारों का सहयोग लिए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सातवीं योजना में स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए 137 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की गई है।

(घ) और (ङ) (1) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों की राज्य सरकारें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रुचि रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सिफारिश करने वाले प्राधिकारी हैं।

(2) स्वैच्छिक संगठन को संस्वीकृति देने के बाद राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे परियोजना के कार्यान्वयन की सामान्यतः देखरेख करें।

(3) नौ शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अनुदान दिए जाते हैं। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान किस्तों में दिए जाते हैं। स्वैच्छिक संगठन को दिए गए प्रत्येक अनुदान के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा प्रगति रिपोर्ट लेखा परीक्षा विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। इन दस्तावेजों से मन्त्रालय को दिए गए अनुदानों की उपयोगिता की जांच करने में सहायता मिलती है।

(4) जब भी मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अधिकारी विभिन्न राज्यों के दौरे पर जाते हैं, वे स्वैच्छिक संगठनों के तत्वावधान में संचालित योजना की प्रगति का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं।

विवरण

| क्र० सं० | शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों के नाम | छठी योजनावधि के दौरान सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या | इन एजेंसियों के माध्यम से छठी योजनावधि के दौरान संस्वीकृत गैर औपचारिक केन्द्रों की संख्या | छठी योनावधि के दौरान इन केन्द्रों में दाखिल छात्रों की संख्या | छठी योजनावधि के दौरान स्कूल छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता | छठी योजनावधि के दौरान इन केन्द्रों में खर्च की गई धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3 | 338 | 8,450 | उपलब्ध नहीं | 5,63,390 रु० |
| 2. | मध्य प्रदेश | 13 | 287 | 7,175 | उपलब्ध नहीं | 5,71,405 रु० |
| 3. | राजस्थान | 25 | 880 | 22,000 | उपलब्ध नहीं | 19,84,245 रु० |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 9 | 260 | 6,500 | उपलब्ध नहीं | 7,80,525 रु० |
| 5. | पश्चिम बंगाल | 1 | 30 | 750 | उपलब्ध नहीं | 58,000 रु० |
| | कुल | 51 | 1,795 | 44,875 | उपलब्ध नहीं | 39,57,565 रु० |

टिप्पणी : छठी योजनावधि के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान की योजना के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य अर्थात असम, बिहार, उड़ीसा, और जम्मू तथा कश्मीर शामिल नहीं थे।

## भिवानी में ऊपरी पुल

4361. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिवानी में ऊपरी पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेलपथ पर मुख्य पुल का निर्माण रेलवे कर रही है और पहुंच मार्गों का निर्माण हरियाणा के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। रेलवे के हिस्से का कार्य चालू कैलेण्डर वर्ष में पूरा हो जाने का लक्ष्य है। ऊपरी पुल का खोला जाना हरियाणा राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुंच सड़कों का कार्य पूरा किए जाने पर निर्भर करेगा।

## कलकत्ता मैट्रो रेल परियोजना

4362. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या परिवहन मंत्री कलकत्ता मैट्रो रेल परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तारीख के बारे में 28 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता मैट्रो रेल परियोजना के पूरा होने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : एस्पलेनेड से भवानीपुर (3.5 कि० मी०) और दम-दम से बेलगछिया (2.2 कि० मी०) तक इकहरी लाइन पर मैट्रो रेलवे के दो अलग-अलग खंड अक्तूबर/नवम्बर, 1984 से वाणिज्यिक परिचालन के लिए चालू कर दिये गये हैं। भवानीपुर से टालीगंज (4.3 कि० मी०) तक इन सेवाओं का शीघ्र विस्तार करने का प्रस्ताव है।

फरवरी, 1986 के अन्त तक समग्र प्रगति 57 प्रतिशत है।

## महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को अनुदान

4363. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को अनुदान के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सही ढंग से अनुदानों का उपयोग किया गया है और इनके दुर्विनियोग की कोई शिकायत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों का सही उपयोग न किये जाने के मामले की जांच कराई जाएगी ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) विश्व-विद्यालयों की 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्रमश: 46.85 लाख, 53.29 लाख तथा 32.15 लाख के कुल अनुदान मंजूर किये गये।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार अनुदानों की आखिरी किस्तें केवल तभी जारी की जाती हैं जब पिछले अनुदान से किये गये खर्च का विवरण प्राप्त हो जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किये गये अनुदानों के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है। इसलिए, कोई जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की गतिविधियां

4364. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की मुख्य गतिविधियां क्या हैं ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : भारत सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान फाउंडेशन की किसी गतिविधि की जानकारी नहीं है।

## एयर इंडिया को वर्ष 1985-86 के दौरान हुआ लाभ

4365. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया को वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितना लाभ होने का अनुमान है; और

(ख) इस अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के देशों के बीच की गई उड़ानों से एयर इंडिया को कुल कितना लाभ होने का अनुमान है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) वर्ष 1985-86 में एयर इंडिया का अनुमानित कुल लाभ 65 करोड़ रुपये है। लाभ की यह राशि अनन्तिम है और इसमें परिवर्तन होने की सम्भावना है।

(ख) आमतौर पर लाभप्रदता का हिसाब सम्पूर्ण भारत-खाड़ी सैक्टर पर लगाया जाता है और मात्र त्रिवेन्द्रम-खाड़ी मार्ग पर नहीं। तथापि, त्रिवेन्द्रम-खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया ने अप्रैल-दिसम्बर, 1985 की अवधि में 27.29 करोड़ रुपये का अनन्तिम परिचालन लाभ अर्जित किया है।

## कांडीवली और बोरीवली (बम्बई) के बीच सड़क का ऊपरी पुल

4366. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडीवली और बोरीवली (बम्बई) के बीच रेल फाटक संख्या 32 पर सड़क का एक ऊपरी पुल बनाने की योजना और तत्संबंधी अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान इस परियोजना के लिए धन का आबंटन किया गया है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) रेलवे को मुख्य पुल का निर्माण करना है और पहुंच सड़कों का निर्माण बम्बई नगर निगम द्वारा किया जाना है। सामान्य प्रबन्ध से संबंधित नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। बम्बई नगर निगम पहुंच सड़कों के नक्शों को अंतिम रूप दे रहा है। रेलवे के हिस्से के कार्य का अनुमान तैयार किया जा रहा है।

(ख) बम्बई नगर निगम द्वारा नक्शों को अन्तिम रूप दे देने, अनुमान को स्वीकार कर लेने और अपने हिस्से की लागत के लिए धन की व्यवस्था करने का आश्वासन दे देने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) एक लाख रुपये।

## लकड़ी की ढुलाई के लिए नागपुर/इतवारी स्टेशनों पर वैगनों का उपलब्ध न होना

4367. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, नागपुर ने यह कहा है कि 11 फरवरी, 1986 से रेलवे वैगन उपलब्ध न होने के कारण शहर के आरा मिलों में भारी मात्रा में माल इकट्ठा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों के पास जमा हुए माल की निकासी के लिए नागपुर और इतवारी स्टेशनों पर वैगन उपलब्ध कराने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) नागपुर टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिये माल डिब्बों का आबंटन करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए रेलों ने इतवारी स्टेशन पर फरवरी और मार्च,

1986 (23 तारीख तक) के दौरान 45 माल डिब्बों का लदान किया जबकि फरवरी और मार्च, 1985 के दौरान 20 माल डिब्बों का लदान किया गया था। 24-3-1986 को, केवल 15 मांगें लम्बित थीं।

नागपुर में कोई यातायात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

### लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डों पर हवाई पट्टी का विस्तार

4368. श्री हरीश रावत : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस योजना अवधि के दौरार उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के हवाई अड्डों की पट्टियों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब शुरू करने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में लखनऊ और वाराणसी की हवाई पट्टियों के विस्तार का कार्य शामिल किया गया था लेकिन योजना आयोग द्वारा परिव्यय 2764.07 करोड़ रुपये (प्रस्तावित) से घटाकर 730.21 करोड़ रुपये कर दिये जाने के फलस्वरूप योजना के प्रस्तावों पर पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि इन कार्यों को कब शुरू किया जाएगा।

### उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और सुधार कार्य पर व्यय

4369. श्री हरीश रावत : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और सुधार कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली-मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत खराब हालत में हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस राजमार्ग को चौड़ा करने और सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) 1985-86 के व्यय के आंकड़ों की जानकारी 31 मार्च, 1986 के बाद मिल सकेगी। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के

विकास तथा अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश को 1985-86 के दौरान निम्नलिखित राशि दी गई :—

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास | — | 2127.80 लाख रु० |
| राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण | — | 966.19 लाख रु० |

राज्यों को धनराशि एक मुश्त दी जाती है, न कि राष्ट्रीय राजमार्गों के आधार पर।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 (दिल्ली-मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ) यातायात योग्य स्थिति में है। पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ दिया गया है और इसमें सुधार लाया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 28 कि० मी० को छोड़कर पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 को चौड़ा कर दिया गया है। इसमें से, 20 कि० मी० लम्बी सड़क को चौड़ा करने के कार्य को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। शेष 8 कि० मी० लम्बी सड़क को चौड़ा करने कार्य धन उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

## गुजरात को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

4370. श्री अहमद एम० पटेल
श्री सी० डी० पटेल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए गुजरात सरकार को देय केन्द्रीय सहायता गत कुछ वर्षों से बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता की कुल धनराशि कितनी है, और यह कितने समय से बकाया है; और

(ग) उक्त धनराशि के दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और कब तक इस धनराशि के दिए जाने की आशा है?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 धन के आधार पर केन्द्र प्रायोजित श्रेणी-दो स्वास्थ्य योजना के रूप में चलाया जा रहा है।

लेकिन, छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन के दौरान तथा राज्यों से अभ्यावेदन मिलने पर यह निर्णय किया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों अर्थात् 1983-84

और 1984-85 में मलेथियान की अपेक्षित मात्रा खरीदने के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया केन्द्रीय व्यय नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | केन्द्र द्वारा सप्लाई किये गये एम० एंड ई० की कीमत | नकद सहायता |
|---|---|---|
| 1980-81 | 13.95 | — |
| 1981-82 | 56.87 | 516.83 |
| 1982-83 | 139.28 | 345.00 |
| 1983-84 | 276.54 | 500.00 |
| 1984-85 | 327.23 | 809.09 |

राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का अन्तिम समाधान केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के संबंध में राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि के लेखा-परीक्षित आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद किया जाता है।

## अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड (भावनगर) को रेल लाइन से जोड़ना

4371. श्री अहमद एम० पटेल
श्री सी० डी० पटेल } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने भावनगर महुवा छोटी लाइन खंड के त्रापज स्टेशन से अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का विस्तार करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार को बताया गया था कि उनके द्वारा किया गया प्रस्ताव न तो व्यवहारिक है और न ही अर्थक्षम और यदि वे मीटर आमान की साइ-

डिंग चाहते हैं तो उनकी लागत पर निक्षेप कार्य के रूप में उसकी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

### नकली औषधियों के उपयोग द्वारा अस्पतालों में मौतें

4372. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि राजधानी में विभिन्न केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नकली और घटिया औषधियों के प्रयोग द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में इस बीच कोई जांच कराई है; और

(ग) सरकार ने नकली और घटिया औषधियां बनाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

### मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत सहायता

4373. श्री सुभाष यादव
श्री आर० एम० भोये } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तगत मध्य प्रदेश में कितनी नई परियोजनाओं के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिये दी गई वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) 1986-87 के लिए मध्य प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) की 34 नई परियोजनाएं आबंटित की गई हैं।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों को 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित सहायक अनुदान दिए गए हैं :—

| वर्ष | मध्य प्रदेश रुपए | महाराष्ट्र रुपए |
|---|---|---|
| 1983-84 | 131,58,450.00 | 1,94,11,960.00 |
| 1984-85 | 148,84,500.00 | 3,98,72,340.00 |
| 1985-86 | 391,28,498.00 | 5,67,44,000.00 |
| जोड़ : | 671,71,448.00 | 11,60,28,300.00 |

### डी-प्रॉपोक्सीफेन का अन्य औषधियों के मिश्रण के साथ प्रयोग

4374. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री विष्णु मोदी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में डी-प्रॉपोक्सीफेन का पैरासिटामोल के साथ बड़े सीमित प्रयोग के लिये बेचा जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश में इस औषधि, को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है जिसका बड़ा घातक प्रभाव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में यह औषधि अन्य औषधियों के साथ मिलाकर बिना किसी प्रतिबन्ध के बेची जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो हमारे देश में इस औषधि का पैरासिटामोल के अतिरिक्त अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अनेक देशों में डी डेक्स्टोप्रॉपोक्सीफन को, पैरासिटामोल को छोड़कर अन्य औषधियों के साथ मिलाकर भी बेचा जा रहा है।

(ख) डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफीन को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर भारत में भी बेचा जाता है। भारत में डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफीन के योगों के प्रयोग से होने वाले खतरनाक प्रभावों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) यह सही नहीं है कि देश में बिना किसी रोक के डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफीन को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है। डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफीन योग अनुसूची "ज" की औषधियां हैं और इन्हें केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेचना जरूरी है।

(घ) विशेषज्ञों की सलाह पर इसकी अनुमति दी गई है।

## 20,000 माल डिब्बों का जोन-वार वितरण

4375. श्री वी० तुलसी राम
श्री मुरलीधर माने } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में खरीदे जाने वाले 20,000 माल डिब्बों में से, जिनके लिए क्रयादेश दिये गये हैं प्रत्येक जोन को कितने माल डिब्बे दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इन माल डिब्बों से सभी जोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष जोनों में माल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ये 20,000 माल डिब्बे सभी भारतीय रेलों के लिए हैं। जब ये माल डिब्बे लाइन पर चलाने के लिये तैयार हो जाएंगे तब परि-चालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनका क्षेत्र-वार आबंटन किया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4376. श्री अमर सिंह राठवा
श्री हरिहर सोरन
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह किस देश से और किस परियोजना के लिए प्राप्त की गई; और

(ग) स्वीकृत सहायता राशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई तथा उक्त सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न वित्त पोषक एजेंसियों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। कुछ परियोजनाओं ने सहायता का पूर्ण उपयोग कर लिया है और कुछ कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों पर हैं।

| वित्त पोषक एजेन्सी | सहायता की राशि | उपयोग |
|---|---|---|
| 1. विश्व बैंक | 3601.14 मिलियन अमरीकी डालर | 1725.963 मिलियन अमरीकी डालर (31-1-86 की स्थिति के अनुसार) |
| 2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु संयुक्त राज्य एजेन्सी (यू०एस०ए०आई०डी०) | 314.25 मिलियन अमरीकी डालर | 68.27 मिलियन अमरीकी डालर (28-02-86 की स्थिति के अनुसार) |
| 3. कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निधियां (आई०एफ०ए०डी०) | 60.56 मिलियन अमरीकी डालर | 17.206 मिलियन अमरीकी डालर (31-01-186 की स्थिति के अनुसार) |
| 4. यूरोपियन इकनोमिक कम्युनिटी (ई०ई०सी०) | ई०सी०यू० 82 मिलयिन | 0.979 मिलियन अमरीकी डालर (28-02-86 की स्थिति के अनुसार) |

### साफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन का इस्तेमाल

4377. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन का इस्तेमाल करने से इसकी लत पड़ जाती है और यह छोटे बच्चों में ललक उत्पन्न करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा; और

(ग) क्या साफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों/डिब्बों पर, अन्य प्रयुक्त पदार्थों के साथ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा कि इसमें कैफीन का इस्तेमाल भी किया गया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मंत्रालय को ऐसे किसी अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि साफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन मिली होने के कारण छोटे बच्चों में इसकी आदत पड़ जाती है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम कारबोनेटिड पेयों में 200 पी०पी०एम० से अधिक मात्रा में कैफीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हैं।

(ग) कारबोनेटिड पेयों जैसे पदार्थों के लेबलों पर, जिनके लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन मानक निर्धारित किये गये हैं, उत्पाद में प्रयुक्त सभी घटकों का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

### जबलपुर सिटी में (गोरखपुर) रेल फाटक के निकट ऊपरी पुल का निर्माण

4378. श्री अजय मुशरान : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जबलपुर सिटी में (गोरखपुर) छोटी लाइन पर रेल फाटक पर पुल बनाने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

### व्यावसायिक रूप से रक्त दान करने वाले व्यक्तियों में विषाणुज-बी यकृत शोथ (हीपाटाइटिस बी० वायरस)

4379. श्री मुकुल वासनिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भारत में लगभग 250 लाख लोग विषाणुज-बी यकृतशोथ (हीपाटाइटिस बी० वायरस) के रोगी हैं, और एक अध्ययन के अनुसार इस रोग के कारण यकृत का कैंसर होता है;

(ख) क्या व्यावसायिक रूप से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों में यह विषाणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 2.5 करोड़ व्यक्ति हीपाटाइटिस बी० वायरस से पीड़ित हैं। वैसे, इन रोगग्रस्त लोगों में कितने समय में जिगर के पुराने रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसका पूर्वानुमान लगा पाना काफी कठिन है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, जो देश में रक्ता-आधान सेवाओं को विनियमित करता है के अन्तर्गत हीपाटाइटिस बी० का पता लगाना एक अनिवार्य-परीक्षण बना दिया है।

### उड़ीसा में केन्द्रीय स्कूल

4380. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय स्कूलों की संख्या कितनी है; और

(ख) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार और स्थान-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गए ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सोलह।

| | | |
|---|---|---|
| (ख) 1980-81 | — | कटक |
| 1981-82 | — | चिल्का |
| 1982-83 | — | (i) भुवनेश्वर |
| | | (ii) राऊरकेला |
| 1983-84 | — | (i) सम्बलपुर |
| | | (ii) तलचेर |
| 1984-85 | — | चरबतिया |

**भारत की बंदरगाहों की गोदियों में जहाजों को लंगर डालने की जगह देने के लिए विभिन्न देशों की ओर बकाया राशि**

4381. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत की प्रमुख बन्दरगाहों की गोदियों में विभिन्न देशों के जहाजों को लंगर डालने की जगह देने के लिए उन देशों की ओर बन्दरगाह-वार, कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने उन देशों से उक्त धनराशि की वसूली करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) :** (क) से (ग) विदेशी राष्ट्रों के स्वामित्व वाले जहाजों की सेवाएं स्थानीय स्टीमर/नौवहन एजेन्टों द्वारा दिए गए आवेदनपत्रों की संख्या पर उपलब्ध कराई जाती हैं और इन एजेंटों को पत्तन शुल्क चुकाना पड़ता है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि 11 विदेशी ध्वज के जहाजों पर लगभग 44.30 लाख रुपए की धन-राशि बकाया है। पुनः स्थानीय एजेंटों से 6.50 लाख रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए 4 मामलों में मुकदमा दायर किए गए हैं। बम्बई पोर्ट ने सूचित किया है कि अन्य देशों के नौसैनिक जहाजों पर 68,981.19 रुपए की राशि बकाया है जिन्हें भारतीय नौसेना की सलाह पर सेवाएं प्रदान की गई थीं। भारतीय नौसेना विदेशी सरकारों से धन प्राप्त होने पर यह राशि चुकता करती है। अन्य पत्तनों ने विदेशी जहाजों पर किसी प्रकार की बकाया राशि के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

**कृष्णा नदी का समुद्र में जाकर नष्ट हो रहा जल**

4382. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नदी का अनुमानित कितना जल समुद्र में बहकर नष्ट हो जाता है; और

(ख) कृष्णा नदी के जल का उपयोग करने और उसे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए क्या तुरन्त कदम उठाए गए हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) कृष्णा बेसिन में 75% निर्भरता पर मूल्यांकित प्रवाह (75% वर्षों में उपलब्ध) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (बचावत पंचाट) द्वारा बेसिन राज्यों—महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को 1976 में उनके द्वारा विभिन्न लाभदायी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने हेतु पहले ही निम्नवत आबंटित कर दिया गया था :—

| | | |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | — | 560 टी० एम० सी० |
| कर्नाटक | — | 700 टी० एम० सी० |
| आंध्र प्रदेश | — | 800 टी० एम० सी० |

अपने-अपने हिस्से के सम्पूर्ण उपयोग के लिए राज्यों के पास योजनाएं हैं। संसाधनों की कमी के कारण अभी तक पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हो पाया है और कुछ पानी समुद्र में बह जाता है जो उत्तरोत्तर कम हो जाएगा।

## यात्रियों द्वारा महत्वपूर्ण गाड़ियों के डिब्बों में ले जाये जाने वाले सामान का मानक आकार

4383. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने महत्वपूर्ण गाड़ियों के डिब्बों में लम्बी दूरी के यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान का मानक आकार निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के मानक निर्धारित करने का विचार है;

(घ) क्या दूसरी श्रेणी के स्लीपर डिब्बों में यात्रियों के सामान के कारण भारी असुविधा और स्थान की समस्या होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सामान की इन नगों के कारण उत्पन्न भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया)** : (क) जी हां। सभी गाड़ियों के लिए एक ही नियम हैं।

(ख) रेलों ने सभी यात्री गाड़ियों के डिब्बों के अन्दर सामान ले जाने के लिए कतिपय शर्तें निर्धारित की हुई हैं। यात्री को ट्रंक, सूटकेस तथा सन्दूक जैसा निजी सामान जिसका बाहरी माप निम्नलिखित आयामों से अधिक हो, डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है और वह केवल ब्रेकयान में ही ले जाया जा सकता है :—

| | |
|---|---|
| लम्बाई | 100 से० मी० |
| चौड़ाई | 60 से० मी० |
| ऊंचाई | 25 से० मी० |

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां, लेकिन यह समस्या कतिपय लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ही है।

(ङ) बिना बुक किए गए सामान के मामलों को पकड़ने के लिए नियमित जांच की जाती है जिसके दो उद्देश्य हैं, एक तो सवारी डिब्बों में भीड़-भाड़ को कम करना और दूसरा रेलवे राजस्व की हानि को रोकना।

इन जांचों के परिणामस्वरूप, 1981-82 से 1985-86 तक (दिसम्बर, 1985 तक) के गत पांच वर्षों के दौरान बिना बुक किये गये सामान के 103.56 लाख मामले पकड़े गये थे और 14 करोड़ रुपये से भी अधिक रेलवे को देय राशि वसूल की गई थी।

### विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कृत्रिम गर्भ नियंत्रण टीके का मानवीय प्रयोग

4384. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृत्रिम गर्भ नियंत्रण टीके का मानवीय प्रयोग शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में गर्भरोधी टीके के निर्माण के लिए बायोटैक्नालाजी बोर्ड द्वारा प्रायोजित प्रयोग में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आस्ट्रेलिया में कृत्रिम गर्भ नियंत्रण वैक्सीन का मनुष्यों पर क्लीनिकल परीक्षण

करने संबंधी कार्य का प्रथम चरण शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से ताल-मेल कर राष्ट्रीय रोग क्षमीकरण संस्थान, नई दिल्ली तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में गर्भ को रोकने की एक वैक्सीन तैयार की जा रही है। जानवरों पर किये गये परीक्षणों के अच्छे परिणाम निकले हैं तथा यह वैक्सीन ह्यूमन क्लीनिकल परीक्षण चरण-I के लिए तैयार है।

## रेंगाली सिंचाई परियोजना

4385. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेंगाली सिंचाई परियोजना के पूरा होने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के सातवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) रेंगाली सिंचाई परियोजना को चालू करने के लिए सातवीं योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) रेंगाली बांध पूरा हो गया है। परियोजना के सिंचाई घटक में जिसमें बराज तथा नहर प्रणाली शामिल है, बराज पर निर्माण कार्य का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा नहरों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और नहर निर्माण कार्यों को हाथ में लेने के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाइयां प्रगति पर हैं। 707.39 करोड़ रु० की अद्यतन अनुमानित लागत के मुकाबले बराज तथा नहरों के निर्माण कार्यों पर 42.27 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं। सातवीं योजना में 50 करोड़ रु० का परिव्यय आबंटित किया गया है तथा परियोजना कार्यों के सातवीं योजना अवधि में पूरा होने की आशा नहीं है।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

4386. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) इस धनराशि का कितने प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से दिल्ली में स्थित

विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं को दिया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता का अधिक प्रतिशत भाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की बजाय अन्य विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करने की नीति बनाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान, 21 मार्च तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को योजनेतर के अन्तर्गत 8504.65 लाख रुपये तथा योजनागत के अन्तर्गत 6285.11 लाख रुपये का कुल अनुदान संवितरित किया। इनमें से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने योजनेतर तथा योजनागत अनुदानों का क्रमश: 78.84 प्रतिशत तथा 29.93 प्रतिशत प्राप्त किया वर्ष के दौरान, दिए गए कुल अनुदानों में से दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों का हिस्सा क्रमश: योजनेतर तथा योजनागत अनुदानों का 22.04 प्रतिशत तथा 13.03 प्रतिशत है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत, संसद के अधिनियमों के अधीन स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी है। राज्य विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अनुदान संस्वीकृत करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जिम्मे नहीं पड़ती है। अत: योजनेतर अनुदानों का बड़ा अनुपात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से दिया जाता है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, विकास अनुदानों के विषय में राज्य सरकारों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत किए गए अनुदानों के लिए बराबर का हिस्सा देना होता है। जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में, विकास सम्बन्धी सभी अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए जाने होते हैं। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत किए गए अनुदानों की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है जो उनके द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रमों के प्रकार तथा स्वरूप पर निर्भर करती है। संवितरित किए गए कुछ अनुदानों के समानुपातिक विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

### कच्छ गांव में ऐतिहासिक सिन्धु घाटी सभ्यता स्थलों को नुकसान पहुंचने की संभावना

4387. डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी }
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्ववेत्ता सीमा सुरक्षा बल की उस योजना से अति चिंतित हैं जिससे कच्छ गांव में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सिन्धु घाटी सभ्यता स्थल को नुकसान पहुंचने की संभावना है, और

यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और बड़ौदा विश्वविद्यालय इस गांव के लिए एक परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल चौकी के लिए नया स्थान निर्धारित करने का निर्णय किया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन संबंधी एक परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। इस समय इसमें बड़ौदा विश्वविद्यालय शामिल नहीं है।

(ग) उत्खनन कार्य की योजना तैयार की जा रही है और इसे 1986 में शुरू करने का कार्यक्रम है।

## केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

डा० के० जी० आदियोडी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

| (ख) चालू स्कीम | सातवीं योजना का प्रावधान (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| नींदकारा-चेरियाझीकल जलमार्ग का विकास | 0.21 |
| नई स्कीमें | |
| 1. उद्योगमंडल कैनाल का विकास | 0.95 |
| 2. ड्रेजर और वाटर-हाइसिन्थ हार्वेस्टर की खरीद | 1.45 |
| 3. चम्पाकारा कैनाल फेज-II का विकास | 1.00 |
| | 3.61 |

[हिन्दी]

## ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्रहीन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

4389. श्री आर० एम० मोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्रहीन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्धापन रोकने के लिए विश्व नेत्रहीन संघ से कोई सहायता प्राप्त हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद द्वारा 1971-73 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या 90 लाख होने का अनुमान है। चूंकि कुल आबादी में से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस समस्या की व्यापकता को आंकने के लिए एक ताजा सर्वेक्षण करने की बात सोची जा रही है। ईसवी सन् 2000 तक दृष्टिहीनों की संख्या का अनुमान लगाना इस सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद ही संभव हो सकेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## फालौदी और कोलायत/दिल्ली से जैसलमेर के बीच नयी रेल लाइन

4390. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करने और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण जैसलमेर को सीधे दिल्ली से जोड़ने के लिए फालौदी और कोलायत के बीच 100 कि० मी० लम्बी नयी रेल लाइन बिछाने के कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : जी नहीं।

[अनुवाद]

**बंगला देश की तीस्ता बांध परियोजना**

4391. **डा० सुधीर राय :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भी अपनी तीस्ता बांध परियोजना आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पश्चिम बंगाल की तीस्ता बांध परियोजना किसी भी रूप में प्रभावित होगी; और

(ग) क्या बंगला देश सरकार द्वारा अपनी परियोजना पूरी करने के लिए बनाई गई समयसूची के बारे में भारत सरकार को जानकारी है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) बंगलादेश से सम्पूर्ण ब्यौरे की अनुपस्थिति में यह कह पाना कठिन है कि पश्चिम बंगाल की तीस्ता परियोजना किसी प्रकार से प्रभावित होगी या नहीं और बंगला देश की यह परियोजना कब पूरी होगी।

**तीस्ता बराज परियोजना के लिए वित्तीय सहायता**

4392. **डा० सुधीर राय :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता बराज परियोजना के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी धनराशि की सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) से (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र एकमुश्त ऋण/अनुदान प्रदान करता है और वह विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं होता। वर्ष 1985-86 के दौरान तीस्ता बराज परियोजना को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

**दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं**

4393. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने कुछ राज्य सड़क परिवहन सेवाओं में जैसे तमिलनाडु

में ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम में भी इस प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि निगम की आय बढ़ाने में ड्राइवरों और कंडक्टरों की भी रुचि हो।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने निगम के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने सहयोगी महानगरीय उपक्रमों द्वारा तैयार की गई योजनाओं सहित विभिन्न स्कीमों का अध्ययन किया और निम्नलिखित प्रोत्साहन स्कीमों की सिफारिश की :—

(i) दुर्घटना रहित बस परिचालन के लिए ड्राइवरों को प्रोत्साहन।

(ii) उच्चतर कि० मी० निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन।

(iii) यातायात आय को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहन।

(iv) अधिक से अधिक ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहन।

चूंकि दिल्ली परिवहन निगम में दुर्घटनामुक्त रिकार्ड के लिए प्रोत्साहन स्कीम पहले ही लागू की जा चुकी है और इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें और संशोधन किया जा रहा है, इसलिए ईंधन संरक्षण कि० मी० निपुणता और यातायात आय में शेयर से संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

## दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों और अन्य वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं

4394. श्री के० एस० राव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं दिल्ली परिवहन निगम की बसों से होती हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली में अन्य सभी वाहनों में हुई दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम और अन्य वाहनों से हुई

दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

| वर्ष | दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत दुर्घटनाओं की संख्या | दिल्ली परिवहन निगम की बसों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या | अन्य वाहनों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1983 | 5508 | 983 | 4525 |
| 1984 | 5804 | 954 | 4850 |
| 1985 | 6263 | 1003 | 5260 |

## अनुसूचित जातियों के बच्चों के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बन्द करना

4395. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान अनुसूचित जातियों के कितने प्रतिशत बच्चों को प्राथमिकता स्तर पर पढ़ाई बन्द करने का अनुमान है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर साक्षरता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों की स्कूल छोड़ जाने की दरें, उपलब्ध सूचना के अनुसार 60.15 प्रतिशत थी।

(ख) स्कूल छोड़ जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं : —

(i) सामाजार्थिक तत्व ।

(ii) स्कूलों में अपर्याप्त व्यवस्था तथा स्कूलों में भिन्न-भिन्न शिक्षण ।

(iii) सीखने वालों का ज्ञान कि पाठ्यचर्या स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं है ।

(iv) बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को पढ़ाने के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति ।

(v) प्रथम पीढ़ी के सीखने वालों के बारे में अभिभावकों का मतभेद जिससे उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का उपयोग भी नहीं किया जाना ।

(ग) स्कूल छोड़ जाने वालों के कारण बहुत हैं तथा पूरे कार्यक्रम का स्थिति पर एक प्रभाव छोड़ने की आवश्यकता है। स्कूल शिक्षा चूंकि अधिकतर राज्य सरकारों द्वार देखी जाती है अतः मूलतः स्कूल सुधार कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित किये जायेंगे। भारत सरकार की भूमिका राज्य सरकारों की विभिन्न तरीकों से सहायता करना तथा नीति और शैक्षिक विचारों पर आधारित मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी करने तक ही सीमित है। स्कूल छोड़ जाने वालों की दरों को कम करने के लिए बताये गये/कार्यान्वित किये गये कुछ मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) बिना ग्रेड स्कूल प्रणाली तथा न रोकने की नीति को शुरू करना तथा साथ में सतत मूल्यांकन प्रणाली को शुरू करना जब तक छात्र कक्षा VIII पूरी न कर ले;

(ii) अभिभावकों में जागृति को बढ़ाने, स्कूल पर्यावरण तथा स्कूल की हाजिरी में सुधार करने के लिए स्थानीय समुदाय को अधिक सार्थक ढंग से शामिल करना;

(iii) बहुत से राज्य निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, लड़कियों को वर्दियां, मध्याह्न भोजन आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं;

(iv) स्कूलों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार तथा एन० आर० एफ० पी०/आर० एल० ई० जी० पी० संसाधनों का उपयोग;

(v) आठवीं वित्त समिति ने 11 राज्यों को स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 156.18 करोड़ रु० तथा आठ राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 64.75 करोड़ रु० की राशि हस्तांतरण करने की सिफारिश की है; ताकि आंशिक रूप से इन क्षेत्रों में कमियों को दूर किया जा सके;

(vi) शिक्षकों के पूर्व सेवा प्रशिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है तथा शिक्षकों में प्रेरणा तथा सक्षमता में सुधार करने के शिक्षकों के व्यापक सेवारत प्रशिक्षण के लिए नियमित कार्यक्रमों का समर्थन किया गया है;

(vii) स्कूल पाठ्यचर्या में सतत स्तरोन्नत तथा सुधार विशेषकर यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से ताकि उन्हें अधिक रुचिकर तथा स्थानीय पर्यावरण से संबंधित बनाया जा सके;

(viii) बड़े पैमाने पर गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया गया है तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को, जिनमें देश के 75% गैर-दाखिल बच्चे हैं, भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है;

(ix) प्रौढ़ शिक्षा तथा सामान्य जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों में जन-

संचार माध्यम जागृति के प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का प्रयोग किया जा सके।

**गोवा, दमन और दीव को बाढ़ के लिए केन्द्रीय सहायता**

4396. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में सहायता दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान संचालित "महत्वपूर्ण तथा अभिज्ञात बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता की व्यवस्था" स्कीम के प्रति वर्ष 1982-83 के दौरान बिचोलिम नदी के बाढ़ से बिचोलिम नगर की सुरक्षा के लिए गोवा, दमन व दीव सरकार ने 15 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। तथापि, कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। गोवा दमन व दीव प्रशासन की तकनीकी सलाहकार समिति से इसका अनुमोदन नहीं करवाया गया, इस प्रकार केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए अनुदान के मानदण्ड को पूरा नहीं किया गया था। सातवीं योजना में ऐसी केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए ना तो कोई प्रावधान है और ना ही गोवा, दमन व दीव सरकार से ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

**राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव**

4397. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र में यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के लिए विशेष धनराशि की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त सरकार को अब तक कोई सहायता दी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को यह निदेश देने का है कि जहां भी यात्री सड़क परिवहन गैर-सरकारी हाथों में है, वहां उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी, नहीं। गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी, कदम्ब परिवहन निगम, 1980 से यात्री परिवहन सेवाएं

सुलभ करा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जहां यात्री सड़क परिवहन निजी हाथों में है, उसका राष्ट्रीय-करण करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

### राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

4398. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष पैदा होने वाले 230 लाख बच्चों जिनमें से 15 लाख जन्म के 28 दिन के भीतर मर जाते हैं, के स्वास्थ्य में सुधार और सुरक्षा के लिए विशिष्ट केन्द्र के रूप में एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रयोजन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता नहीं मांगी गई।

### जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर निर्माण कार्य

4399. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 जिसका निर्माण कार्य जो कि छठी योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाना था अभी तक कुछ स्थानों पर पूरा नहीं हुआ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का ब्योरा क्या है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और निर्माण कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न समय पर मंजूरी दी जाती है जो उस निर्माण कार्य की प्राथमिकता और धन की उपलब्धता पर निर्भर है। छठी योजना अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर ऐसे जिन सुधार कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था उनमें से तीन को छोड़कर सभी निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं। जो तीन कार्य पूरे नहीं हुए हैं वे

हैं :—मध्य प्रदेश में किलोमीटर 335 से 340 और किलोमीटर 341 से 345 में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का कार्य और राजस्थान में किलोमीटर 179/5 से 185 तक सतह को पुष्ट करने का कार्य। इन निर्माण कार्यों के चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में स्वीकृत 23 निर्माण कार्यों और राजस्थान में 25 निर्माण कार्यों को पूरा करने का काम चल रहा है, जिनके मार्च, 1988 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

**इंजीनियरी कालेजों के प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु मध्य प्रदेश को अनुदान**

4400. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा पाठ्यक्रमों के अद्यतन हेतु नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं। एक अलग विवरण-2 संलग्न है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव तथा मध्य प्रदेश के अन्य प्रस्ताव, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, दिये गये हैं।

**विवरण-1**

निम्नलिखित के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के ब्यौरे

(क) 1985-86 के दौरान तीन नई योजनागत योजनाएं

| क्र० सं० | संस्थान का नाम | प्रस्ताव का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिशा | (i) स्वतः चालित इंजीनियरी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (ii) विद्युतीय मशीनरी तथा यांत्रिकी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (iii) इलेक्ट्रानिक्स प्रयोगशाला का विकास |
| | | (iv) औद्योगिक अनुसंधान विकास तथा परामर्शदात्री |
| 2. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, जबलपुर | (i) सामग्री जांच प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (ii) इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (iii) विद्युतीय इंजीनियरी विभाग की प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| 3. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, रीवा | (i) भूमि मैकेनिक्स प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (ii) सर्वेक्षण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (iii) यांत्रिकीकरण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| 4. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, उज्जैन | (i) संचार इंजीनियरी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (ii) पल्सडिजिटल तथा स्विचिंग प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| 5. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, रायपुर | (i) यांत्रिकीकरण, अनुरूपण तथा प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशाला का विकास |
| | | (ii) खान सर्वेक्षण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| 6. | माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, ग्वालियर | (i) संचार प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| | | (ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
| (ख) संस्थागत नेटवर्क योजना | | |
| 1. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, रीवा | (i) कल जल अंवेषण तथा प्रबंध प्रयोगशाला की स्थापना |
| | | (ii) राक मैकेनिक्स प्रयोगशाला |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, जबलपुर | (i) भूमि मैकेनिक्स प्रयोगशाला<br>(ii) पर्यावरण इंजीनियरी प्रयोगशाला<br>(iii) भू-तकनीकी प्रयोगशाला |
| 3. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, रायपुर | (i) आंतरिक दहन इंजिन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण<br>(ii) कल जल अन्वेषण तथा प्रबंध प्रयोगशाला की स्थापना |

(ग) गुणा सुधार कार्यक्रम के लिए सीधी केन्द्रीय सहायता

(I) इंजीनियरी कालेज

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, उज्जैन | (i) पुस्तकालय<br>(ii) सौर तथा पवन ऊर्जा में अन्त: विषयक अध्ययन |
| 2. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, रीवा | (i) पुस्तकालय<br>(ii) औद्योगिक अनुसंधान विकास तथा परामर्श-दात्री केन्द्र |
| 3. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, बिलासपुर | (i) पुस्तकालय<br>(ii) यांत्रिकीकरण प्रयोगशाला |
| 4. | माधव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, ग्वालियर | (i) पुस्तकालय<br>(ii) परिकलित संख्या विषयक नियंत्रित मशीन केन्द्र/प्रयोगशाला का विकास |

II. पालिटेक्निक

| क्र० सं० | संस्थान का नाम | परियोजना का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | राजकीय पालिटेक्निक, उज्जैन | (i) यांत्रिकीकरण<br>(ii) संगणक सुविधा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | राजकीय पालिटेक्निक, हारदा | संगणक सुविधा |
| 3. | राजकीय पालिटेक्निक, रामगढ़ | ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र |
| 4. | राजकीय पालिटेक्निक, खुरई | ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध में अग्रिम तकनीशियन पाठ्यक्रम |
| 5. | पालिटेक्निक, भोपाल | 3/4 यू-मेटिक स्टूडियो तथा रंगीन प्रयोगशाला का विकास |

## विवरण-2

### मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा मध्य प्रदेश से अन्य प्रस्तावों (योजनावार) के संबंध में वर्ष 1985-86 के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव

क. 1985-86 के दौरान तीन नई योनागत योजनाएं

| क्र० सं० | संस्था का नाम | प्रस्ताव का नाम | संस्वीकृत राशि (लाख रु० में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिशा | (i) स्वतंत्रचालित इंजीनियरी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण | 15.00 |
| | | (ii) यांत्रिकीकरण प्रयोगशाला का विकास | 10.00 |
| | | (iii) इलेक्ट्रानिक्स विकास | 15.00 |
| 2. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, जबलपुर | इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण | 15.00 |
| 3. | राजकीय इंजीनियरी कालेज, रीवा | सर्वेक्षण तथा भूमि मैकेनिकल प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण | 12.00 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | श्री जी० एस० प्रौद्योगिक तथा विज्ञान संस्थान, इन्दौर | | केन्द्रीय कार्यशाला का आधुनिकीकरण | 15.00 |
| 5. | मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल | (i) | पर्यावरण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण | 15.00 |
| | | (ii) | कार्यशाला का विकास | 15.00 |
| | | (iii) | यांत्रिकीकरण प्रयोगशाला का विकास | 10.00 |
| | | (iv) | अनुरक्षण इंजीनियरी प्रयोगशाला का विकास | 15.00 |
| 6. | राजकीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, रायपुर | (i) | "0" स्तर संगणक | 1.00 |
| | | (ii) | यांत्रिकीकरण प्रयोगशाला का विकास | 10.00 |
| ख. | संस्थागत नेटवर्क योजना | | (केन्द्रीय भाग राज्य तथा प्राइवेट कालेजों के लिए अनुमोदित लागत के 50% तक सीमित होगा) | |
| 1. | राजकीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, रायपुर | (i) | कल जल अन्वेषण तथा प्रबंध प्रयोगशाला | 5.00 |
| 2. | श्री जी० एस० प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, इंदौर | (i) | ऊष्मा हस्तांतरण | 5.00 |
| | | (ii) | पर्यावरण इंजीनियरी | 5.00 |
| 3. | मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल | (i) | पर्यावरण इंजीनियरी | 5.00 |
| | | (ii) | टरबो मशीन | 5.00 |
| ग. | गुण सुधार कार्यक्रम के लिए सीधी केन्द्रीय सहायता | | | |
| | I. इंजीनियरी कालेज | | | |
| 1. | सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिशा | | औद्योगिक अनुसंधान विकास परामर्शदात्री | 4.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | II. पालिटेक्निक | | |
| 1. | राजकीय पालिटेक्निक, हरदा | संगणक सुविधाएं | 5.00 |
| 2. | राजकीय पालिटेक्निक, उज्जैन | संगणक सुविधाएं | 5.00 |

**सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिशा में कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव**

4401. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान विदिशा ने कम्प्यूटर विज्ञान तथा कम्प्यूटर की सहायता डिजाइनिंग और निर्माण के बारे में नए डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** (क) सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिशा, से मात्र कम्प्यूटर सहायता डिजाइन और निर्माण में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है।

**नदियों के जल उपयोग के लिए राज्यों की मास्टर प्लान**

4402. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से नदियों के जल के उपयोग के लिए मास्टर प्लान प्रस्तुत करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) और (ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में नदी जल का उपयोग करने के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करें तथा इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

### सरेसेलम देवस्थानम की चार दीवारी की मरम्मत

4403. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सरेसेलम देवस्थानम की चार दीवारी (पराहृवरी) की मरम्मत के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसके बारे में अनुमान है कि इसका निर्माण 1600 ई० में हुआ था।

(ख) क्या इस विशालकाय चार दीवारी में अनेक ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां हैं और इसकी दीवारों पर लिपियां खुदी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) मंदिर तथा चार दीवारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है। सरेसेलम देवस्थानम ने, राज्य पुरातत्व विभाग से, इसके संरक्षण संबंधी व्यय को वहन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राज्य पुरातत्व विभाग से मंदिर की सुरक्षा करने तथा चार दीवारी का संरक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

### दिल्ली के स्कूलों द्वारा त्रिभाषी फार्मूले का कार्यान्वयन

4404. डा० ए० के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा अधिनियम तथा नियम 1973 में दिल्ली के सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक त्रिभाषा फार्मूले के कार्यान्वयन का उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के स्कूलों में इस फार्मूले को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) त्रिभाषी फार्मूले को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) और (ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 में माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा सूत्र लागू करने की व्यवस्था है। तीन भाषाएं कक्षा—VI से VIII तक पढ़ाई जाती है। कक्षा IX और कक्षा X में दो भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कक्षा उत्तीर्ण के सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय भाषाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। जो छात्र कक्षा VIII में तृतीय भाषा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन्हें कक्षा-IX में इसमें उत्तीर्ण होने तथा उसमें फेल हो जाने पर कक्षा X में, बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने से पहले उत्तीर्ण होने का अवसर दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस मामले पर विचार कर रही है।

### पुस्तकों और कापियों के लिए बिहार को रियायती दर पर कागज की सप्लाई

4405. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कालेज के छात्रों को रियायती दरों पर देने के लिए किताबों, कापियों, पाठ्यपुस्तकों आदि की अत्याधिक कमी है और प्रकाशकों का तर्क यह है कि उन्हें रियायती दर पर अखबारी कागज का कोटा आवंटित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में अविलम्ब रियायती दरों पर किताबें आदि उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) बिहार राज्य में कालेज छात्रों के लिए पुस्तकों, कापियों, पाठ्यपुस्तकों आदि की कमी के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस मन्त्रालय को कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश तथा कागज नियन्त्रण आदेश में अखबारी कागज के उत्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है। रियायती सफेद मुद्रण कागज उक्त आदेश के अन्तर्गत आने वाली मिलों द्वारा तैयार किया जाता है और शैक्षिक क्षेत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों, कापियों तथा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

### अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

4406. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक से अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना चरण-एक का प्रथम सोपान कार्यान्वित किया जा रहा है और विश्व बैंक ऋण मार्च, 1986 में समाप्त हो जाएगा।

अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना चरण-एक का दूसरा सोपान बैंक सहायता के लिए प्रस्तावों में शामिल है। तथापि, मूल्यांकन, बातचीत, बैंक के कानूनी करार आदि जैसी विभिन्न कार्यवाहियां पूरी करने के बाद ही निश्चित स्थिति का पता लगेगा।

### केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आर०के० पुरम, नई दिल्ली स्थित प्रसूति अस्पताल में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां

4407. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आर०के०पुरम स्थित प्रसूति अस्पताल में स्वास्थ्यकर परिस्थितियां और स्वच्छता असन्तोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में विद्यमान स्थितियों में सुधार करने और आकार में छोटा होने तथा केवल महिलाओं के लिए प्रयोग में लाए जाने के कारण इसे एक आदर्श अस्पताल (माडल हास्पिटल) बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, प्रसूति अस्पताल रामकृष्णपुरम में स्वच्छता और सफाई की दशा सन्तोषजनक है। वैसे, कुछ सीवर लाइनों में रिसन होने के कारण अस्थाई तौर पर सीलन आ गई थी जिसे दूर कर दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटन और प्राप्त लक्ष्य

4408. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री सोमनाथ रथ } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र द्वारा वर्ष 1985-86 में विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य ने राशि का पूरा उपयोग किया और यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने धन का पूरा उपयोग नहीं किया और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक राज्य ने क्या प्रगति की है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षाएं I—VIII) के लिए राज्यवार परिव्यय तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित किया गया संभावित व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय 238 करोड़ रु० के मुकाबले 279 करोड़ रु० सूचित किया गया है अतः कुछ राज्यों में व्यय में कमी मुख्यतः संसाधनों की तंगी के कारण है।

(ग) जैसा कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है, छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

### विवरण-एक

1985-86 में प्राइमरी शिक्षा में राज्यवार परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपये में)

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | परिव्यय | संभावित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1200 | 2238 |
| 2. | असम | 1700 | 1619 |
| 3. | बिहार | 2100 | 2977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 700 | 599 |
| 5. | हरियाणा | 700 | 702 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 210 | 77 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 310 | 329 |
| 8. | कर्नाटक | 600 | 1060 |
| 9. | केरल | 409 | 187 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 1600 | 1224 |
| 11. | महाराष्ट्र | 1000 | 884 |
| 12. | मणिपुर | 155 | 155 |
| 13. | मेघालय | 160 | 161 |
| 14. | नागालैंड | 135 | 140 |
| 15 | उड़ीसा | 1900 | 1233 |
| 16. | पंजाब | 392 | 395 |
| 17. | राजस्थान | 1350 | 1607 |
| 18. | सिक्किम | 260 | 261 |
| 19. | तमिलनाडु | 1200 | 3427 |
| 20. | त्रिपुरा | 436 | 654 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 2000 | 2982 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 2000 | 2285 |
| 23. | अंदमान निकोबार द्वीप समूह | 250 | 267 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 100 | 407 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 120 | 116 |
| 26. | दादर और नागर हवेली | 40 | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | दिल्ली | 2438 | 1495 |
| 28 | गोवा, दमन तथा दीव | 100 | 131 |
| 29. | लक्षद्वीप | 16 | 15 |
| 30. | मिजोरम | 130 | 130 |
| 31. | पांडिचेरी | 120 | 96 |
| | कुल | 23831 | 27905 |

स्त्रोत :—शिक्षा प्रभाग, योजना आयोग द्वारा भेजी गई सूचना।

विवरण-दो

छठी योजना (1980-85) के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की प्रतिशतता

| क्रम० सं० | राज्य/सं० शा० क्षेत्र | प्राइमरी कक्षा I—V लक्ष्य | (आयु-वर्ग 6—11 उपलब्धियां |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 98.0 | 89.15 |
| 2. | असम | 91.2 | 78.15 |
| 3. | बिहार | 92.5 | 76.65 |
| 4. | गुजरात | 109.9 | 105.3 |
| 5. | हरियाणा | 84.3 | 79.8 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 115.3 | 99 7 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 102.6 | 82.4 |
| 8. | कर्नाटक | 81.2 | 79.3 |
| 9. | केरल | 101.2 | 103.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | मध्य प्रदेश | 78.1 | 85.7 |
| 11. | महाराष्ट्र | 128.2 | 112.9 |
| 12. | मणिपुर | 103.3 | 102.8 |
| 13. | मेघालय | 140.5 | 105.9 |
| 14. | नागालैंड | 125.3 | 110.6 |
| 15. | उड़ीसा | 99.2 | 89.8 |
| 16. | पंजाब | 105.1 | 101.3 |
| 17. | राजस्थान | 69.4 | 82.7 |
| 18. | सिक्किम | 155.2 | 121.7 |
| 19. | तमिलनाडु | 128.4 | 123.1 |
| 20. | त्रिपुरा | 88.0 | 132.2 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 78.3 | 72.3 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 99.6 | 107.2 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 144.2 | 134.5 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 92.4 | 101.3 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 103.3 | 102·0 |
| 26. | दादर एवं नागर हवेली | 118.2 | 93.0 |
| 27. | दिल्ली | 107.7 | 97.3 |
| 28. | गोवा, दमन एवं दीव | 119.2 | 111.0 |
| 29. | लक्षद्वीप | 175.0 | 168.00 |
| 30. | मिजोरम | 105.0 | 102.8 |
| 31. | पांडिचेरी | 118.8 | 119.5 |
| | कुल : | 95.2 | 91.8 |

## जाजपुर क्योन्झार रेलवे जंक्शन का विस्तार

4409. श्री अनादि चरण चरण दास : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाजपुर क्योन्झार रेलवे जंक्शन, दक्षिण पूर्व रेल का सुधार करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है/करने का विचार है;

(ख) जाजपुर क्योन्झार रेलवे जंक्शन पर पक्के प्लेटफार्म, उपरी पुल, आगामी गर्मी के मौसम में पेय जल और विश्राम गृह जैसी समुचित यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है।

(ग) जंक्शन पर यात्रियों के सोने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़े विश्राम गृह/मुसाफिर खाने का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या उक्त स्टेशन पर एक उपरी पुल की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया गया है आर यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जाजपुर क्योन्झार रोड स्टेशन पर प्रतीक्षालय, नल के पानी की सप्लाई, एक जल शीतक, 3 ऊंचे स्तर के और 2 निचले स्तर के प्लेटफार्म सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुल जलपान कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, प्लेटफार्म पर छत तथा परिचलन क्षेत्र की समुचित व्यवस्था की गई है। हाल में दूसरे दर्जे के प्रतीक्षा-लय का विस्तार किया गया है जिसमें महिलाओं तथा पुरूषों के लिए अलग-अलग पेशाबघरों की व्यव-स्था की गई है।

(ग) प्रतीक्षा कक्ष के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस स्टेशन पर एक प्रतीक्षा कक्ष तथा एक डारमिटरी जिसमें चार बिस्तर तथा स्वच्छ स्नानघर हैं, की व्यवस्था है।

(घ) समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने की लागत के अपने हिस्से को बहन करने के लिए राज्य सरकार हाल में राजी हुई है और प्रस्ताव के ब्यौरे की रेलों तथा उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त जांच की जा रही है।

## त्रिवेन्द्रम रेल मण्डल में सिविल निर्माण कार्य हेतु आबंटित धनराशि

4410. श्री ए० चार्ल्स : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम रेल मण्डल में वर्ष 1985-86 के लिए सिविल निर्माण कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और निर्माण कार्य की प्रत्येक मद के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मद के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) प्रत्येक मद के अन्तर्गत कार्य की प्रगति कितनी हुई है ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### रेल की किलोमीटर में राष्ट्रीय औसत

4411. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एक लाख की जनसंख्या के लिए रेल की किलोमीटर में राष्ट्रीय औसत कितनी है;

(ख) केरल में उतनी ही जनसंख्या के लिए किलोमीटर में औसत क्या है; और

(ग) केरल को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) 9.03 कि०मी० (लगभग)।

(ख) 3.60 कि० मी० (लगभग)।

(ग) नई लाइनों का निर्माण कार्य इनकी व्यावहारिकता, वित्तीय लाभप्रदता और यातायात के औचित्य आदि की जांच करने के बाद शुरू किया जाता है। केरल राज्य में एर्णाकुलम और अलेप्पी के बीच नई बड़ी लाइन का निर्माण कार्य और इसका कायनकुलम तक विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है।

### दिल्ली-कोचीन बरास्ता गोवा के बीच उड़ानें

4412. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन से दिल्ली बरास्ता गोवा की उड़ानों की संख्या को सप्ताह में 7 दिन से कम

करके सप्ताह में 6 दिन करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ानों की संख्या को बढ़ा कर सप्ताह में 7 दिन करने का है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मार्ग की सभी उड़ानें ठीक चल रही हैं और इनमें कोई खतरा नहीं है कोई जांच/निरीक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कितने अन्तराल के पश्चात् की जाती है और सबसे अन्तिम रिपोर्ट क्या है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं क्योंकि उड़ानों में विशेष रूप से शुक्रवार को कम यात्री होते थे।

(ग) जी हां।

(घ) जब भी विमान किसी मार्गस्थ स्टेशन पर उतरता है तब उड़ान से पूर्व महानिदेशक नागर विमानन द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार विमान का निरीक्षण किया जाता है।

## हैदराबाद हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचार

4413. **श्री एस० पलकोंड्रायुडू** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में किया जा रहा प्रचार बहुत ही अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और अधिक प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख) जी, नहीं। हैदराबाद से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के सम्बन्ध में जो प्रचार किया गया वह नई उड़ानों के लिए एयर इंडिया की प्रचार योजना के अनुसार था। इसका विज्ञापन विभिन्न दैनिक अंग्रेजी, तमिल तथा उर्दू समाचार-पत्रों में किया गया था। इसे हैदराबाद के दूरदर्शन स्थलों पर उर्दू में और होर्डिंस में, इश्तहारों में तथा प्रैस विज्ञापनों में भी दिखाया गया था।

## आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालयों के लिए राशि आवंटन

4414. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने राशि आवंटन और अन्य सुविधाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार से विरोध किया है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर व्यय करने के लिए आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार आंध्र प्रदेश को शिक्षा के लिए और अधिक राशि कब तक देगी ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) जुलाई, 1985 में हुई दक्षिणी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक ने यह दृष्टिकोण प्रकट किया था कि दक्षिण के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत किए गए अनुदान उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। सम्मेलन ने, अनुदान के समय पर तथा पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सातवीं योजना के दौरान, अपने सामान्य विकास के लिए 650 लाख रु० के प्रारंभिक आबंटन का प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशिष्ट कोटि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अलग से अनुदान मिलेंगे।

(ग) आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सातवीं योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए उपलब्ध परिव्यय में से निधियां दी जाएंगी।

## सिकन्दराबाद से मनोहराबाद तक उपनगरीय रेल गाड़ियों का विस्तार

4415. **श्री एस० पलाकोन्ड्रायुडू** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे में सिकन्दराबाद से मनोहराबाद तक उपनगरीय रेल गाड़ियों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को मनोहराबाद के निवासियों, दुग्ध विक्रेताओं और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और उपनगरीय रेलगाड़ियों का विस्तार किस तारीख तक करने का प्रस्ताव है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)**: (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) मनोहराबाद तक उपनगरीय गाड़ियों का चालनक्षेत्र बढ़ाने की जांच की गई है लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

## उपमार्गों (बाई पासिज) का निर्माण

4416. श्री जगदीश अवस्थी क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है जिसके अन्तर्गत दो अथवा अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाने पर धन-राशि व्यय की जाती है और उनके रख-रखाव का खर्चा केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा वहन किया जाएगा;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी भी ओर स्थित भीड़-भाड़ वाले शहरों, कस्बों और गांवों में उपमार्गों (बाई-पासिज) का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग जिन भीड़भाड़ वाले शहरों से होकर गुजरता है, उसके बाहर से बाईपासों का निर्माण करना एक अनवरत प्रक्रिया है। इनका पंचवर्षीय योजनाओं के तहत निर्माण किया जाता है जो अखिल भारतीय आधार पर उनकी प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सातवीं योजना में कुछ बाईपासों के निर्माण के प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

## टी० एस० एस० नानकौरी में अग्नि दुर्घटना की जांच

4417. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के पोर्ट ब्लेयर जाने वाले टी० एस० एस० नानकौरी में 26 दिसम्बर, 1985 को हुई अग्नि दुर्घटना की जांच कराई गई है और क्या यह भी पाया गया है कि यात्रियों को घटिया किस्म का खाना दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई व्यक्ति इसके लिए दोषी पाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या कारं-वाई की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) टी० एस० एस० नानकोरी पर आग लगने की घटना की भारतीय नौवहन निगम द्वारा विभागीय जांच की गई थी और नौवहन महानिदेशक ने भी इसकी जांच की थी। इन जांचों से यह पता चला कि दो वाच कीपिंग फोर्थ इंजीनियरों की असावधानी के कारण यह आग लगी। भारतीय नौवहन निगम नियमों और नियत प्रक्रियाओं के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई कर रहा है।

तथापि दिए गए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के बारे में कोई समस्या नहीं थी और इस बारे में यात्रियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### रेलवे स्टेशनों पर अनधिकृत गैर-लाइसेंसी विक्रेता

4418. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक पत्रिका "गुलाब भारत" में "दो कानून चल रहे हैं रेलवे स्टेशन पर" और पाक्षिक पत्रिका "अमीका" में "रेलवे स्टेशन पर गैर-लाइसेंसी वेण्डर अधिक" शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) यह समाचार रेल विभाग के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 120-ए के अन्तर्गत गाड़ियों और रेल परिसरों में अनधिकृत रूप से फेरी लगाना और सामान बेचना अपराध है। अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से, रेल प्रशासन राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल की सहायता से स्टेशनों पर और गाड़ियों में आवधिक अभियान चलाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

### सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

4419. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेषज्ञों की समिति द्वारा क्या

मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार राज्य सरकार ने 44 संस्थाओं की सिफारिश की है जिनमें से अल्पसंख्यक वर्ग की केवल एक ही संस्था का नाम सूची में है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञ समिति की बैठक 17 सितम्बर, 1985 को हुई थी;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय सहायता देने के लिए बिहार की कितनी संस्थाओं की सिफारिश की गई थी;

(ङ) क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान की योजना के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नगर-पालिकाओं, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित संस्थाओं को छोड़कर एक मात्र नृत्य, ड्रामा, संगीत, ललित कला, भारत विद्या, साहित्य के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से कार्यरत स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि वे पंजीकृत सोसायटी हों और उनके आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित हों। अनुदान के लिए संस्थाओं/संगठनों का चयन करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जाता है।

(i) सहायक-अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए; अथवा

(ii) वह परियोजना जिसके लिए सहायता की आवश्यकता है वह प्रायोगिक स्तर की होनी अनिवार्य है जिसका अखिल भारतीय महत्व हो; अथवा

(iii) इसका कार्य पर्याप्त रूप से उन कार्यक्रमों से सम्बद्ध है जो भारतीय संस्कृति के अनुरक्षण, प्रचार तथा प्रोन्नति से संबंधित है।

(iv) यदि संस्थाएं नृत्य, ड्रामा तथा संगीत के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो शिक्षण से सम्बन्धित संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) बिहार सरकार से 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। सांस्कृतिक संगठनों को बिना किसी भेदभाव के कि वे किस समुदाय से संबंधित हैं अनुदान दिया जाता है। यह कहना संभव नहीं है कि कौन-सी संस्था अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है।

(ग) जी, हां।

(घ) विशेषज्ञ समिति ने इस योजना के अन्तर्गत "दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक संघ पटना को अनुदान देने की सिफारिश की जो बिहार की संस्था है।

(ङ) और (च) इस योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक संगठनों को समुदाय का भेदभाव किए बिना अनुदान दिया जाता है।

## मानव द्विगुणित कोशिका टीके (ह्यूमन डिप्लाइड सेल वेक्सीन) का उपलब्ध न होना

4420. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत में अलर्क (रेबीज) से बचाव के लिए मानव द्विगुणित कोशिका टीका उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने हमारे देश में इसके निर्माण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस समय मानव द्विगुणित कोशिका वैक्सीन का सीमित मात्रा में आयात किया जाता है।

(ख) भारतीय पास्चुर संस्थान, कुनूर ने सातवीं योजना के दौरान इस वक्सीन का उत्पादन करने के लिए एक योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

## पटना से उत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

4421. श्री राम भगत पासवान : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना से उत्तर बिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और जय नगर जाने वाली रेल गाड़ियां इस बीच रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रेल सेवाओं को पुन: चालू करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) गाड़ी सं० 153/154 नई दिल्ली-मुजफ्फरपुर जयन्ती जनता एक्सप्रेस का गोरखपुर के रास्ते मार्ग-परिवर्तन किया गया है 45/46 दानापुर —समस्तीपुर एक्सप्रेस का बरौनी के रास्ते मार्ग-परिवर्तन किया गया

है और इसका चालन क्षेत्र बढ़ाकर कटिहार तक कर दिया गया है। ऐसा जनता की मांग पर किया गया है।

(ग) सप्ताह में एक बार चलने वाली 913/914 मुजफ्फरपुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस, जो पटना को मुजफ्फरपुर से जोड़ती है, को 1-4-1986 से सप्ताह में दो बार चलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

### इण्डियन एयर लाइंस की कम्प्यूटर प्रणाली का विस्तार

4422. श्री बी० वी० देसाई : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस की कम्प्यूटर प्रणाली की क्षमता बढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस में कम्प्यूटर प्रणाली के प्रयोग से विमानों के युक्तिसंगत हो जाने के कारण अधिकतम उपयोग किये जाने से काफी लाभ हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप प्रति उड़ान राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस में कम्प्यूटर प्रणाली का कहां तक विस्तार किया जा रहा है; और

(घ) इसमें कुल कितना खर्च आएगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इंडियन एयरलाइंस की कम्प्यूटर प्रणाली में इस समय दो केन्द्रीय संचालन यूनिटें कार्य कर रही हैं। इस प्रणाली में विस्तार करने के लिए इसमें तीसरी संचालन यूनिट जोड़ने का विचार है।

(घ) इस सम्बन्ध में कुल खर्च लगभग 3.08 करोड़ रुपये का है।

### सीमेंट की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी

4423. श्री मानिक सन्याल : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योगों को सीमेंट की ढुलाई के लिए पर्याप्त वैगन प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से दक्षिणोत्तर रेलवे पर स्थित सीमेंट कारखानों से सीमेंट उत्पादन में कितनी राष्ट्रीय हानि होती है; और

(ग) सीमेंट उत्पादन में हुई वृद्धि से वैगनों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति रेलवे विभाग द्वारा किस प्रकार करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलों को 17.5 मिलियन टन सीमेंट की ढुलाई करने का कार्य सौंपा गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल द्वारा सीमेंट का लदान लक्ष्य से आगे है।

(ख) घाटे का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि रेलें सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक सीमेंट यातायात की ढुलाई कर रही हैं।

(ग) सीमेंट उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि की पूर्ति के लिए 1986-87 के दौरान सीमेंट की ढुलाई का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव है।

## त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे में कुल यात्री यातायात

4424. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितना यात्री यातायात था; और

(ख) यात्री यातायात की व्यवस्था करने में भारत में अन्य हवाई अड्डों की तुलना में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का स्थान क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर संचालित कुल यात्री यातायात निम्नानुसार है :—

1983 — 4,23,585

19 4 — 4,38,646

(आंकड़ों का संकलन वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं किया गया है)

(ख) जहां तक यात्री यातायात का सम्बन्ध है, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद के पश्चात त्रिवेन्द्रम सातवें स्थान पर आता है।

कलिंग एक्सप्रेस का सोरो रेलवे स्टेशन पर रुकना

4425. श्री चिंतामणी जेना : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग एक्सप्रेस रेलगाड़ी सोरो रेलवे स्टेशन पर रुकती थी;

(ख) यदि हां, तो सोरो रेलवे स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ी का रुकना बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कलिंग एक्सप्रेस को उक्त स्टेशन पर पुनः कब तक बहाल करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) 17/78 उत्कल एक्सप्रेस (न कि 143/144 कलिंग एक्सप्रेस) सोरो स्टेशन पर रुकती थी। कम यातायात होने के कारण 1-1-86 से सोरो से उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव समाप्त कर दिया गया है। अपर्याप्त यातायात के कारण ठहराव को बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है।

जगन्नाथ एक्सप्रेस अथवा पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए बन्ना पर स्टाप बनाना

4426. श्री हन्नन मोल्लाह : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बन्ना में श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस अथवा पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का स्टाप बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) बन्ना नाम का ऐसा कोई स्टेशन नहीं है।

महिलाफरोशी रोकने के लिए कानून बनाना

4427. डा० जी० विजय रामा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिला सामाजिक संगठनों द्वारा विशेषकर बम्बई में, हाल ही में किये गये अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कानूनी खामियों और कार्यान्वयन सम्बन्धी कमियों के कारण महिलाफरोशी जारी है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा कानून की इन कमियों को दूर करने के लिए विधि आयोग अथवा

भारतीय विधि संस्थान द्वारा बनाये जाने वाले आदर्श कानून जैसे क्या उपचारात्मक उपाय विचाराधीन है; और

(ग) क्या इस मामले में सक्रिय रूप से कार्यरत स्वैच्छिक सामाजिक वर्गों से विचार-विमर्श कर इस सम्बन्ध में निवारक निषेधक और सुधारात्मक कानून बनाया जायेगा ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :** (क) सरकार को महिला संगठनों द्वारा विशेषकर बम्बई में हाल ही में किये गये अध्ययनों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें यह बताया गया हो कि कानूनी खामियों और कार्यान्वियन सम्बन्धी कमियों के कारण वेश्यावृत्ति के लिए महिलाफरोशी का धन्धा जारी है। फिर भी, महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 जिसमें पेशेवर वेश्यावृत्ति निषेध है और महिलाओं और लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए शोषित करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने की व्यवस्था है, का 1978 में संशोधन किया गया ताकि इसे और कारगर बनाया जा सके। यह अधिनियम अपहरण, बिक्री, फुसलाकर या भगाकर ले जाना और अवैध रूप से बन्दी बनाकर रखने आदि के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों का पूरक है। यह अधिनियम सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस सम्बन्ध में कानूनी उपबन्धों के कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की है।

(ख) और (ग) महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 का विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करने के बाद और भारतीय विधि आयोग की इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर, 1978 में संशोधन किया गया। इस क्षेत्र के स्वयंसेवी सामाजिक दलों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचारों पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है।

### राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा गठित कार्य बल की सिफारिशें

4428. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों पर सरकार द्वारा नियंत्रित एजेंसियों का एकाधिकार है जिन्हें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा गठित कार्य दल के अनुसार उदार बनाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) उपरोक्त कार्य दल द्वारा की गई अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :** (क) से (ग)

कार्यदल की स्थापना राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद ने की है। कार्यदल ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति के लिए एक मसौदा तैयार किया है जिस पर, नई दिल्ली में 15—17 फरवरी को आयोजित कार्यशाला में चर्चा की गयी। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद, जिसने इस कार्यशाला का आयोजन किया था, ने अपनी सिफारिशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

**बड़े शहरों में ई०एम०यू० द्रुत परिवहन प्रणाली आरम्भ करना**

4429. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल और सड़क परिवहन की संचालन लागत और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के सम्बन्ध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के उन बड़े शहरों में ई०एम०यू० द्रुत परिवहन प्रणाली आरम्भ करने का है जहां रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया)** : (क) जी, हां।

(ख) कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**वाडिनार में पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट**

4430. **श्री अमर सिंह राठवा**
**श्री मोहनभाई पटेल** } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वाडिनार में पत्तन सुविधाओं के विकास के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) वाडिनार में पत्तन सुविधाओं के विकास की व्यवहारिकता रिपोर्ट मैसर्स होवे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक परामर्शदाता से तैयार करवा ली गई है। परामर्शदाताओं ने खल्ली, बीज, सीमेंट और क्लिंकर को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से मशीनों से युक्त जेट्टी का निर्माण करने की सिफारिश की है।

(ग) पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड ने व्यवहारिकता रिपोर्ट क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार नहीं की है। सरकार ने रिपोर्ट पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## पुस्तकों के अधिक मूल्य

4431. डा० चिन्ता मोहन
डा० जी० विजय रामा राव } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुस्तकों के मूल्य इतने अधिक हो गए हैं कि ये पाठकों, जिनमें से अधिकांश मध्यम आय वर्ग के हैं, की पहुंच से बाहर हो गई है;

(ख) पुस्तकों के मूल्य कम कराने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कागज का कोटा केवल प्रमाणिक और ईमानदार प्रकाशकों को ही मंजूर किया जायेगा; और

(घ) क्या पुस्तकों के अधिक मूल्य से उनकी बिक्री और निर्यात पर भी प्रभाव पड़ा है; और यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी पुस्तकें उचित मूल्य पर प्राप्त हों, सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

स्कूल स्तर की पुस्तकें :

1. स्कूल स्तर पर, राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर

दिया है और पुस्तकों की कोटि में सुधार करने, विषय वस्तु और दृष्टिकोण में समानता लाने, उन्हें कम खर्चीला बनाने और छात्रों के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए पाठ्य-पुस्तक बोर्डों का गठन किया है।

2. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें भी तैयार कर रहा है। इन पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि रा० शै० अनु० व प्र० परि० का मूल्य निर्धारण सूत्र केवल सामग्रियों, मुद्रण व्यवस्था तथा अन्य शीर्षों पर हुए वास्तविक खर्च को वसूल करने के आधार पर तैयार किया जाता है।

3. 14—17 आयु वर्गों के युवाओं को गैर-नियोजित पठन-सामग्रियां प्रदान करने के लिए रा० शै० अनु० व प्र० परि० और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरक रीडरों की एक शृंखला प्रकाशित करता है। इन पूरक रीडरों की कीमत भी बिना लाभ-हानि के आधार पर तय की जाती है।

4. **विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें** : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों को आर्थिक सहायता देने के लिए 1970 से एक योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशी कर्तव्य को प्रोत्साहित करना और छात्रों को स्वीकार्य स्तर की पुस्तकें उचित मूल्यों पर उपलब्ध करना है।

5. राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने को सुकर बनाने के लिये हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों के अनुरूप उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें तैयार करने के लिए 1968 में एक कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित पाठ्य-पुस्तक बोर्डों की सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1400 अनुवादों सहित 6000 पुस्तकों को तैयार किया गया है।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों को पुस्तक बैंकों की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता भी प्रदान करता है, जिसमें जनसंकाय और योग्य छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें उधार में दी जा सकें।

(ग) भारत सरकार द्वारा पाठ्य-पुस्तकों, कापियों और परीक्षाओं के लिए कागज राज्य सरकारों को रियायती मूल्यों पर आवंटित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। पुस्तकों और प्रकाशनों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

## बिहार को बाढ़ नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय सहायता

4432. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आगामी बाढ़ से पहले किये जाने वाले बाढ़ सुरक्षा उपायों और भू-कटाव निरोधक उपायों अथवा लगभग 187 संवेदनशील स्थानों पर मरम्मत कार्य करवाने के लिए कम से कम लगभग 108 करोड़ रुपये धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त है और यदि हां, तो क्या इसे बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बिहार राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने जनवरी, 1986 में हुई अपनी बैठक में 108 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्कीमों से संबंधित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार किया था तथा इन स्कीमों की पुनरीक्षा करने तथा प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें अपनी राज्य योजना निधियों में से बाढ़ निर्माण कार्य कार्यान्वित करती हैं और केन्द्र सरकार कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती।

[अनुवाद]

## इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा के अन्तर्गत और अधिक देशों को लाने का प्रस्ताव

4433. श्री कमल नाथ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार और अधिक देशों को अपनी विमान सेवा के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या इससे एयर इंडिया की सेवा पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) दोनों विमान सेवाओं के पारस्परिक हितों के टकराव को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स का कुछ पड़ोसी देशों में विमान सेवा प्रचालन करने का प्रस्ताव है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चित योजनाएं नहीं हैं।

(ग) और (घ) ध्यानपूर्वक विचार कर लेने और आपसी विचार-विमर्श के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा।

### भारत और गुजरात जनसंख्या वृद्धि दर

4434. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और विशेष रूप से गुजरात में इस समय जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है; और

(ख) भारत में और गुजरात में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत के महा-पंजीयक की नमूना पंजीय पद्धति के अनुमानों के द्वारा वार्षिक जन्म और मृत्यु दरों में अन्तर से जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि दर निकाली जाती है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 1984 में भारत और गुजराज की स्वाभाविक वृद्धि दर प्रति हजार आबादी पर क्रमश: 21.3 और 22.6 है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय स्तर पर 42 प्रतिशत दम्पति सुरक्षा दर प्राप्त करने का लक्ष्य है और गुजरात राज्य के लिए 1991-92 तक 60 प्रतिशत दम्पति सुरक्षा दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।

### सुवर्ण रेखा अन्तर्राष्ट्रीय बहु-उद्देश्यीय परियोजना

4435. श्री चिन्तामणि जेना
श्री हरिहर सोरन } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्ण रेखा अन्तर्राज्यीय बहुउद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत धीमी है और इसे लक्षित वर्ष 1990 के दौरान पूरा नहीं किया जा सकता, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, इस समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इस परियोजना के उड़ीसा में आने वाले भाग को अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है बिहार में उड़ीसा की सीमा तक बनाए जाने वाली 54 मील लम्बी नहर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। यदि हां, तो यदि परियोजना के उड़ीसा में आने वाले भाग में काम नहीं किया गया, तो इस नहर से उड़ीसा में लाए जाने वाले जल का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(घ) सातवीं योजना अवधि में इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ) सुवर्ण रेखा अन्तर्राज्यीय बहु-उद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वियन की प्रगति धनराशि के अपर्याप्त आबंटन, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास उपायों में विलम्बों के कारण धीमी रही है। परियोजना को वर्ष 1990 तक पूरा नहीं किया जा सकता है। परियोजना के निर्माण कार्यों की राज्य सरकारी स्तर पर तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानीटरी की जा रही है।

केन्द्रीय जल आयोग के प्रश्नों के उत्तर में उड़ीसा सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है।

गलुदीह बाया तट नहर की खुदाई का कार्य प्रगति पर है और उड़ीसा सरकार नहर से पानी प्राप्त करने की तैयारियां कर रही है।

सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

## बिहार के जमुई क्षेत्र के पुरातत्वीय अवशेषों का परिरक्षण

4436. **श्री कुंवर राम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जमुई क्षेत्र, नौलखागढ़ और इन्डिपी में बड़ी संख्या में पुरातत्वीय अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके परिरक्षण, उन्हें सूचीबद्ध करने और संग्रह के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) वहां पर मिले पुरावशेषों का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : (क) जमुई क्षेत्र

के नौलखागढ़ स्थित एक मध्यकालीन किले के अवशेष और इंडिपी स्थित एक ऐतिहासिक किले तथा टीलों और बौद्ध अवशेषों का सर्व प्रथम उन्नीसवीं शताब्दी में पता लगा था।

(ख) क्योंकि ये केन्द्र के संरक्षण में नहीं हैं अतः बिहार राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग से इनकी सूची तैयार करने, सुरक्षा और परिरक्षण करने का अवरोध किया गया है।

(ग) बेगलार ने वर्ष 1872-73 में नौलखागढ़ स्थित मध्ययुगीन किले को देखा था। यह किला अनेक ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में है और चार दीवारी के हर तरफ एक-एक द्वार है तथा कोनों में बुर्ज हैं।

सबसे पहले बुचानन ने इंडिपी किले के पुरातत्वीय अवशेष तथा टीले और बौद्ध अवशेष देखे थे। किले के परकोटे के चारों ओर खाई है। किले के बाहर प्राचीन संरचनात्मक अवशेष देखे गए हैं। किले के अन्दर बलोच ने एक स्तूप की खुदाई की जिसमें कमल के सिंहासन पर आसीन पदमपाणि की मृणमूर्ति का चित्रफलक निकला जिसके सिर के पीछे प्रभामण्डल है। इन खंडहरों से कुछ बौद्ध मूर्तियों अथवा नक्काशी की सूचना मिली है।

[अनुवाद]

## भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका यात्रा

4437. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका यात्रा की स्वीकृति नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) मार्च-अप्रैल, 1986 में एशिया कप टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा श्रीलंका के दौरे को मंजूर नहीं किया गया है क्योंकि इस समय ऐसा दौरा उपयुक्त नहीं समझा गया है।

## राष्ट्रीय औसत साक्षरता से नीचे राज्य

4438. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत के नीचे है; और

(ख) ऐसे राज्यों में साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जिन राज्यों में साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत (36.23%) से कम है वे असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश हैं।

(ख) ऐसे राज्यों में साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) राष्ट्रीय औसत से नीचे साक्षरता दरों वाले जिलों की प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना;

(II) समाज के कमजोर वर्गों का दाखिला राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दाखिल किए गए अध्येताओं में 50% महिलाएं, 30% अनुसूचित जनजाति के हों।

(III) ग्रामीण, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को खोलने में प्राथमिकता तथा ऐसे केन्द्रों का स्थान जहां तक संभव हो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में हों।

IV यह सुनिश्चित करने के लिये कि नव-साक्षर को रोका जा सके तथा साक्षरता दक्षता का प्रयोग किया जा सके और ये फिर से निरक्षर न बन जाए उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती साक्षरता पर बल देना।

V ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का प्रावधान, स्वैच्छिक संगठनों, पूर्व-साक्षरता तथा सतत शिक्षा और श्रमिक विद्यापीठों को सहायता।

VI केन्द्रीय सरकार शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों को 9—14 आयु वर्ग में गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 50%50 के आधार पर तथा केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए 90% 10 के आधार पर सहायता प्रदान करती है।

VII निरक्षरता को दूर करने के लिए छात्रों को शामिल किए जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सातवीं योजना में कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ प्रारम्भ किया जाएगा कि

1990 तक सभी निरक्षरों को शामिल कर लिया जाए। प्रमुख विषय क्षेत्रों में सतत प्रौढ़ शिक्षा का विकास, उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम, सम्बन्धित कार्यक्रमों के साथ प्रभावी सम्पर्क विशेषकर गरीबी दूर करना तथा ग्रामीण विकास तथा परिवार कल्याण, स्वैच्छिक एजेंसियों को व्यापक रूप शामिल करना, नेहरू युवक केन्द्र राष्ट्रीय सेवा योजना तथा कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन-कार्यक्रम शुरू करना। अगले ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 3 लाख कालेज के छात्रों तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वकर्मियों को कार्यात्मक साक्षरता में शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

## हृदय वाल्व का आयात

4440. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका की बीजोर्क शीले कम्पनी द्वारा निर्मित हृदय वाल्व के प्रयोग से सैकड़ों रोगियों की मृत्यु हो गई है और निर्माता कम्पनी ने इन वाल्वों को वापस ले लिया है;

(ख) क्या सरकार को इन वाल्वों के भारत में आयात किए जाने और इनका प्रयोग करने वाले रोगियों की दशा के बारे में जानकारी है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने नये माडल के वाल्व तैयार किए हैं जो समान रूप से ही घातक हैं; और

(घ) क्या सरकार देश में ऐसे नए उत्पादों के प्रयोग की मंजूरी देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त केन्द्र स्थापित करेगी ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) :** (क) से (ग) विश्व भर के कार्डियक केन्द्रों में 15 वर्षों से बीजोर्क शीले वाल्वों का प्रयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। 1978 में प्रयोग में लाए गए वाल्व के एक संशोधित माडल को वापस ले लिया गया था क्योंकि इसमें मकैनिकल खराबी की दर 1.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। बीजोर्क ने इस समस्या का अपने 1982 के मोनोस्ट्रस्ट वाल्व में सफलतापूर्वक समाधान करने का दावा किया है। भारत में प्रयोग किए गए अधिकांश बीजोर्क शीले वाल्व मूल मॉडल से संबंधित हैं जो अधिक सस्ता है और इसमें मकेनिकल खराबी नगण्य है। वाल्व के खराब होने से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा।

### रेलवे में रिक्त पदों का रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरा जाना

4441. कुमारी पुष्पा देवी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सभी रिक्त पदों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरने की कोई आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे विभाग को इस संबंध में नये दिशा निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अनुदेशों को किस वर्ष से कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) रेलों पर वर्ग "ग" के पदों के लिए खुली भर्ती इस समय अधिकांशत: रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाती है। कुछ मामलों में रेल प्रशासन स्वयं भर्ती करते हैं जो संबंधित रोजगार कार्यालयों को मांगपत्र भेजने के अलावा रिक्तियों का समुचित प्रचार करते हैं।

वर्ग "घ" के पदों की रिक्तियां कुछ अपवादों को छोड़कर इस समय रेलों के नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की स्क्रीनिंग करके और पैनल बनाकर भरी जाती है। जिन मामलों में इस समय खुले बाजार से सीधी भर्ती की अनुमति है और पात्रता की शर्त साक्षरता है, वहां मौजूदा अनुदेशों के अनुसार रोजगार कार्यालयों से नामित किए गए उम्मीदवारों तथा पद के लिए आवेदन करने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों के बारे में विचार किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव रेल विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### सिक्किम में युवा होस्टल

4442. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा कोई युवा होस्टल चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सिक्किम में युवा होस्टलों की स्थापना करने का है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा नामची (सिक्किम) में एक युवा छात्रावास मंजूर किया गया है और निर्माणाधीन है।

## सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए कर्नाटक की "यूनिसेफ" सहायता

4443. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए कर्नाटक को कोई "यूनिसेफ" सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि दी गई है;

(ग) ये शौचालय किन-किन स्थानों पर बनाए जाएंगे; और

(घ) कितने सुलभ शौचालयों का निर्माण करने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) (i) मार्च 1982 — 0.90 लाख रुपए

(ii) 1983-84 — [illegible].80 लाख रुपए

(ग) (i) टुमकुर नगर पालिका

(ii) बिदर जिला

(घ) (i) टुमकुर नगर पालिका में प्रदर्शन परिवार/स्कूल शौचालय

(ii) बिदर जिला में 258

## अंग्रेजी धारावाहिक "यू एण्ड योअर पेट्स" का प्रसारण

4444. श्री राम समुझावन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रविवार को टेलीविजन पर फीचर फिल्म के मध्यांतर में अंग्रेजी धारावाहिक "यू एण्ड योअर पेट्स" पहली बार किस तारीख को दिखाया गया;

(ख) यह धारावाहिक अब तक कितने रविवारों को दिखाया जा चुका है;

(ग) क्या दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा के 15 मिनट में दिखाए जाने वाले इस कार्यक्रम से सम्भवतः ऐसे कितने दर्शकों को लाभ पहुंचा है जो अंग्रेजी समझ लेते हैं और जिनके घरों में पालतू जानवर हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में वर्गीकृत सूचना की जानकारी देने, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों, सरकारी और स्वयं सेवी संगठनों के बाल और महिला कल्याण कार्यक्रमों, विशिष्ट रोगों आदि के लिए विशेष चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों की जानकारी देने आदि जैसे युवा और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए धारावाहिक कार्यक्रम शुरू करके उक्त अवधि का बेहतर उपयोग करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) "यू एंड योअर पैट्स" नामक अंग्रेजी धारावाहिक को 11-8-1985 से प्रत्येक रविवार को टेलीकास्ट किया जा रहा है।

(ख) 25-3-1986 तक इसकी कुल 28 कड़ियां टेलीकास्ट की गई हैं।

(ग) "यू एंड योअर पैट्स" कार्यक्रम का आकलन करने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम के बारे में दर्शकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय संजाल पर रिले नहीं किया जाता है, किन्तु इसको इनसेट-1 बी के माध्यम से दिल्ली से जुड़े रिले ट्रांसमीटरों से रिले किया जाता है।

(घ) श्रोताओं की विशेष अभिरुचि वाले कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर पहले ही टेलीकास्ट किया जा रहा है।

## सूखा प्रवण क्षेत्र

4415. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जो निरन्तर रूप से सूखा प्रवण हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलावार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की नई नीति के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार पेयजल की सुविधाएं, कृषि के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए छोटे एककों की स्थापना करने हेतु प्रत्येक राज्य में कम से कम ऐसे दो जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाएंगी; और

(घ) क्या महाराष्ट्र में अहमदनगर को इस वर्ष शामिल किया जाएगा।

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) इस समय सूखा-सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल राज्यों और जिलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये देश के प्रमुख पुराने सूखा-सम्भावित क्षेत्र हैं।

(ख) सूखा-सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं—पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखना और उस क्षेत्र के भूमि, जल पशुधन एवं मानव संसाधनों का अधिकतम विकास करना ताकि सूखा के प्रभाव को कम किया जा सके। इससे रोजगार के अच्छे अवसर भी बढ़ेंगे तथा उस क्षेत्र की जनता की आय में सुधार होगा। सूखा-सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम सातवीं योजना में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखा गया है और कुल आवंटन में केन्द्र एवं राज्यों द्वारा बराबर का अंश दिया गया है तथा सातवीं योजना के लिए 237 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश का प्रावधान है। सातवीं योजना में मरुभूमि विकास कार्यक्रम को शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के लिए निधियों का आवंटन 15 लाख रुपया प्रति खंड के हिसाब से होगा तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह 17.5 लाख रुपया प्रति हजार वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होगा, जो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अधिकतम 4.25 करोड़ रुपया प्रति जिला होगा तथा ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए प्रति जिला एक-मुश्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु सातवीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जारी रखे गए हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों के लिए निधियों के आवंटनों को संशोधित किया गया है तथा 1986-87 से यह खेतिहर मजदूरों, सीमांत मजदूरों एवं सीमांत कृषकों की संख्या को 50 प्रतिशत महत्व तथा ग्रामीण निर्धनता के प्रभाव को 50 प्रतिशत महत्व देते हुए किया जाएगा। विभिन्न जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधन इन मानदण्डों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं तथा खण्डों को समान आधार पर दिए जाने हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के मामले में, केन्द्रीय सहायता का बंटन केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा। यद्यपि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सूखा-सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास वाले क्षेत्रों को कोई विशेष वरीयता नहीं दी जाती है, तथापि राज्यों को ये हिदायतें जारी की गई हैं कि प्राय: सूखा से प्रभावित क्षेत्रों की समस्या का समन्वित ढंग से समाधान खोजा जाए जिसका दीर्घकालिक उद्देश्य सूखा से बचाना हो तथा इस कार्य के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन हेतु निधियों और अभाव राहत का उपयोग समन्वित

ढंग से किया जाना चाहिए ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, इन क्षेत्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

### विवरण

### सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र

| राज्य | जिला | कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए खण्डों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम : | | |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1. अनन्तपुर | 16 |
| | 2. चित्तूर | 8 |
| | 3. कुड्डापाह | 6 |
| | 4. महबूबनगर | 12 |
| | 5. कुरनूल | 13 |
| | 6. प्रकाशम | 9 |
| | 7. रंगारेड्डी | 3 |
| | 8. नालगोण्डा | 2 |
| | लघु योग : | 69 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. बिहार | 1. पलामू | 24 |
| | 2. संथाल परगना | 7 |
| | 3. मुंगेर | 7 |
| | 4. रोहतास | 7 |
| | 5. नवादा | 9 |
| | लघु योग : | 54 |
| 3. गुजरात | 1. अहमदाबाद | 2 |
| | 2. अमरेली | 8 |
| | 3. भावनगर | 3 |
| | 4. जामनगर | 2 |
| | 5. कच्छ | 7 |
| | 6. पंच महल | 7 |
| | 7. राजकोट | 5 |
| | 8. सुरेन्द्रनगर | 9 |
| | लघु योग : | 43 |
| 4. हरियाणा | 1. महेन्द्रगढ़ | 9 |
| | लघु योग : | 9 |
| 5. जम्मू व कश्मीर | 1. डोडा | 8 |
| | 2. उधमपुर | 5 |
| | लघु योग : | 13 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. कर्नाटक | 1. बीजापुर | 11 |
| | 2. बेल्लारी | 5 |
| | 3. बेलगाम | 4 |
| | 4. चित्रदुर्ग | 6 |
| | 5. धारवाड़ | 14 |
| | 6. कोलार | 9 |
| | 7. तुमकुर | 6 |
| | 8. गुलबर्गा | 8 |
| | 9. बिदार | 3 |
| | 10. रायचुर | 4 |
| | 11. चिकमगलूर | 1 |
| | लघु योग : | 71 |
| 7. मध्य प्रदेश | 1. खरगोन | 7 |
| | 2. झबुआ | 12 |
| | 3. शहडोल | 6 |
| | 4. धार | 8 |
| | 5. सिधी | 8 |
| | 6. बेतुल | 8 |
| | लघु योग : | 49 |
| 8. महाराष्ट्र | 1. अहमदनगर | 10 |
| | 2. शोलापुर | 10 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 3. नासिक | 10 |
| | 4. सांगली | 6 |
| | 5. सतारा | 4 |
| | 6. धुले | 4 |
| | 7. औरंगाबाद | 6 |
| | 8. जालना | 1 |
| | 9. जलगांव | 5 |
| | 10. बीड | 6 |
| | 11. उस्मानाबाद | 3 |
| | 12. पुणे | 9 |
| | लघु योग : | 74 |
| 9. उड़ीसा | 1. फूलबनी | 14 |
| | 2. कालाहांडी | 11 |
| | 3. बोलनगीर | 8 |
| | 4. सम्बलपुर | 6 |
| | लघु योग : | 39 |
| 10. राजस्थान | 1. अजमेर | 2 |
| | 2. बांसबाड़ा | 8 |
| | 3. डुंगरपुर | 5 |
| | 4. उदयपुर | 3 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 5. सवाई माधोपुर | 2 |
| | 6. टोंक | 3 |
| | 7. कोटा | 4 |
| | 8. झालावाड़ | 3 |
| | लघु योग : | 30 |
| 11. तमिलनाडु | 1. धर्मपुरी | 12 |
| | 2. रामानाथपुरम | 7 |
| | 3. पुडुकोट्टाई | 4 |
| | 4. पसुमपोन मुथुरामलिंगम | 6 |
| | 5. कामराजार | 5 |
| | 6. तिरुनेलवेल्ली | 9 |
| | लघु योग : | 43 |
| 12. उत्तर प्रदेश | 1. मिर्जापुर | 10 |
| | 2. बान्दा | 10 |
| | 3. जालौन | 3 |
| | 4. हमीरपुर | 5 |
| | 5. झांसी | 3 |
| | 6. ललितपुर | 2 |
| | 7. बहराइच | 14 |
| | 8. गोंडा | 4 |
| | 9. खीरी | 2 |
| | 10. सीतापुर | 3 |
| | 11. इलाहाबाद | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 12. चमोली | 4 |
| | 13. पौढ़ी गढ़वाल | 10 |
| | 14. टिहरी गढ़वाल | 3 |
| | 15. अल्मोड़ा | 8 |
| | 16. पिथौरागढ़ | 5 |
| | लघु योग : | 87 |
| 13. पश्चिम बंगाल | 1. पुरूलिया | 20 |
| | 2. मिदनापुर | 7 |
| | 3. बांकुरा | 7 |
| | लघु योग : | 34 |
| | कुल योग : | 615 |

2. मरुभूमि विकास कार्यक्रम :

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. गुजरात | 1. बनासकाण्ठा | 7 |
| | 2. मेहसाणा | 2 |
| | लघु योग : | 9 |
| 2. हरियाणा | 1. हिसार | 10 |
| | 2. भिवानी | 7 |
| | 3. रोहतक | 5 |
| | 4. सिरसा | 4 |
| | लघु योग : | 26 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. राजस्थान | 1. गंगानगर | 9 |
| | 2. बीकानेर | 4 |
| | 3. चुरू | 7 |
| | 4. झुन्झुनु | 8 |
| | 5. सीकर | 8 |
| | 6. नागौर | 11 |
| | 7. जोधपुर | 9 |
| | 8. जैसलमेर | 3 |
| | 9. बाड़मेर | 8 |
| | 10 जालौर | 7 |
| | 11. पाली | 10 |
| | लघु योग : | 84 |
| शीत शुष्क क्षेत्र | | |
| 4. हिमाचल प्रदेश | 1. लाहोल व स्पीती | 1 |
| | 2. किन्नौर | 1 |
| | लघु योग : | 2 |
| 5. जम्मू व कश्मीर | 1. लेह | 5 |
| | 2. कारगिल | 5 |
| | लघु योग : | 10 |
| | कुल योग : | 131 |

भुवनेश्वर स्टूडियो का दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के साथ
सूक्ष्म तरंग सम्पर्क

4446. श्री के० प्रधानी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इनसैट-दो के माध्यम से उपग्रह सम्पर्क जोड़ने का कार्य लंबित होने पर भुवनेश्वर-कलकत्ता सूक्ष्म तरंग संपर्क को स्वीकृति देकर भुवनेश्वर स्टूडियो काम्पलेक्स को दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना 1986-87 में अथवा सातवीं योजना के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन का एक मुख्य उद्देश्य राज्य की भाषा में "प्राथमिक सेवा" का प्रसार करने के लिए प्रत्येक बड़े राज्य के रिले ट्रांसमीटरों को राज्य की राजधानी के स्टूडियो केन्द्र से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से, भुवनेश्वर में उपग्रह अर्पलिक के साथ एक पूर्णरूपेण रंगीन टी० वी० स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई है। इस अर्पलिक से दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर को उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से जोड़ा जा सकेगा। दूसरी ओर, समर्पित भुवनेश्वर-कलकत्ता माइक्रोवेव लिंक की स्थापना करने के लिए पर्याप्त पूंजी-निवेश तथा समय लगेगा और यह उपग्रह लिंक के उपलब्ध हो जाने के बाद अधिकतर अप्रयुक्त रहेगा।

कृषि सेवा केन्द्र

4447. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कृषि सेवा केन्द्र शुरू किए गए;

(ख) केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) शून्य। जहां

तक कृषि सेवा केन्द्रों को स्थापित करने का संबंध है, छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल के राज्य को शामिल नहीं किया गया।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राजकोट दूरदर्शन रिले केन्द्र का क्षतिग्रस्त एन्टीना

4448. श्री अमर सिंह राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजकोट दूरदर्शन रिले केन्द्र का एंटीना क्षतिग्रस्त है और यह ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस कंपनी ने इसकी सप्लाई की है;

(ग) इसके बदलने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) इसको कब तक बदल दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसमीटर और एंटीना पद्धति की सप्लाई मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० द्वारा की गई थी।

(ग) सप्लाईकर्ताओं ने एंटीना पद्धति की खराब यूनिटों की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया है।

(घ) उम्मीद है कि मरम्मत का काम लगभग जून, 1986 तक पूरा हो जायेगा।

## जिप्सम का उत्पादन

4449. श्री जुझार सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान जिप्सम का वर्ष-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है और उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के नये कारखाने लगाने और सिंदरी उर्वरक

कारखाने द्वारा फिर से प्राकृतिक जिप्सम का उपयोग करने से जिप्सम की खपत में वृद्धि होने की संभावना है यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिप्सम की संभावित मांग कितनी होगी; और

(ग) सरकार का विचार इस मांग को किस प्रकार पूरा करने का है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 में क्रमश: 10,20,000 टन, 12,48,000 टन और 12,60,000 टन जिप्सम का उत्पादन हुआ। जिप्सम का प्रयोग मुख्यत: सीमेंट उद्योग में; तथा मृदा अनुकूलन के रूप में कृषि कार्यों में होता है।

(ख) जी हां सातवीं योजना के अंत में जिप्सम की भावी मांग 24 लाख टन होने की संभावना है।

(ग) यह मांग जिप्सम खनिज और उपोत्पाद जिप्सम के उत्पादन से पूरी की जाएगी।

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केरल को राशि आबंटन**

4450. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए कितनी धनराशि आबंटित किये जाने की संभावना है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को आबंटित की गई कुल धनराशि 134[illegible].32 लाख रुपये है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक कुल 550.00 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को कुल 1477.97 लाख रुपये की धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है।

**महाराष्ट्र में आम की खेती**

4451. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में आम की खेती में उल्लेखनीय प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आमों की उपज बढ़ाने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए आम उत्पादकों को किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता और सुविधाएं प्रदान की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि के किले अल्फासों किस्म के आम, जिनकी विदेशी मंडियों में अत्यधिक मांग है, की खेती के लिए उपयुक्त समझे गए हैं। राज्य सरकार (1) फलों की खेती करने के लिए पूंजीगत राजसहायता; (2) छोटे किसानों को दीर्घ-कालीन ऋण और (3) अल्फासों आम की खेती करने के लिए छोटे किसानों को 50% पूंजीगत राजसहायता और आम की अन्य किस्मों की खेती करने के लिये एक-तिहाई राजसहायता के माध्यम से आम की खेती के लिए सहायता कर रही है।

## तमिलनाडु में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

4452. **श्री एन० डेनिस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्य अपनी मांगों को पूरा करने में विभिन्न किस्म के उर्वरकों का उत्पादन करने की क्षमता में पूर्णतः सक्षम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार का दक्षिणी क्षेत्र में विशेषकर तमिलनाडु राज्य में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और अधिक उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

**उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) :** (क) इस समय तमिलनाडु और केरल राज्यों में नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन इन उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक है जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादन उनकी आवश्यकता से कम है। तथापि समग्र रूप से दक्षिणी राज्यों में उर्वरकों का उत्पादन उनकी कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने दक्षिणी राज्यों में निम्नलिखित नई परियोजनाएं और विस्तार योजनाएं अनुमोदित की हैं जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाएंगी :—

| परियोजना का नाम | राज्य | वार्षिक क्षमता |
|---|---|---|
| 1. नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, काकीनाड़ा | आन्ध्र प्रदेश | 228 हजार टन नाइट्रोजन |
| 2. गोदावरी फर्टिलाइजर्स, काकीनाड़ा | आन्ध्र प्रदेश | 54 हजार टन नाइट्रोजन और 138 हजार टन पी०-2 ओ०-5 |
| विस्तार योजनाएं | | |
| 1. मैंगलूर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, मंगलोर | कर्नाटक | 25 हजार टन नाइट्रोजन और 63 हजार टन पी०-2 ओ०-5 |
| 2. सदर्न पेट्रो-कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, टूटीकोरिन | तामिलनाडु | 19 हजार टन नाइट्रोजन और 48 हजार टन पी०-2 ओ०-5 |

सरकार का इस समय तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र में और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### कार्यक्रमों से संबंधित कार्मिक

4453. श्री राम मूर्ति भट्टम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में ऐसे कितने कार्यक्रम कार्मिक हैं जिन्हें अपनी नियुक्ति के क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है यद्यपि उन्हें प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है और वे कार्यक्रमों की भी देखभाल कर रहे हैं; और

(ख) स्थानीय भाषा के ज्ञान के बिना ऐसे कार्मिकों की वहां नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर कार्यक्रम कार्मिकों की तैनाती संबंधित केन्द्रों की कार्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। कार्यक्रम अधिकारियों को, कार्यक्रमों के निर्माण के अतिरिक्त, अनेक अन्य कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को निभाना होता है। इसके अलावा, प्रायः सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर क्षेत्र की भाषाओं से भिन्न भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। जिनके लिए इन भाषाओं को जानने वाले कार्यक्रम कार्मिकों की जरूरत होती है। अतः सभी केन्द्रों पर भाषाओं को जानने वाले कार्यक्रम अधिकारियों को तैनात करना सदा आवश्यक नहीं है।

## रांची दूरदर्शन केन्द्र

4454. श्री साइमन तिग्गा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रांची दूरदर्शन केन्द्र इतना शक्तिशाली नहीं है कि इसके कार्यक्रमों को छोटा नागपुर और संथाल परगना के पूरे आदिवासी क्षेत्र और पड़ोसी राज्य, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में देखे जा सकेंगे;

(ख) क्या निकट भविष्य में गुमला और सिमडेगा में रांची केन्द्र के रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) देश के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केवल चरणबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

## कृषि के लिए कार्बनिक खाद का उपयोग

4455. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में प्रति वर्ष उपयोग किये जाने वाली 50,000 मीट्रिक टन उर्वरकों में से लगभग 50 प्रतिशत उर्वरक का उपयोग कपास के लिए किया जाता है;

(ख) क्या अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने से अन्य फसलों के उत्पादन की तरह कपास के उत्पादन में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या देश में कार्बनिक खाद का कृषि के लिए पूरा उपयोग किया जा रहा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 में लगभग 82 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषक इस्तेमाल किये गये, 50,000 मीटरी टन नहीं। कपास,

जो एक खरीफ फसल है, के साथ बहुत-सी अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं और 1984 के खरीफ में कपास सहित विभिन्न फसलों के लिए उर्वरकों की खपत 37.837 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषक रही। केवल कपास के लिए इस्तेमाल हुए उर्वरक की मात्रा के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कपास के उत्पादन में अनुकूल वृद्धि होती रही है और इसका उत्पादन जो 1970-71 में 47.63 लाख गांठ था बढ़कर 1983-84 में 65.82 लाख गाठें हो गया। कपास की उन्नत/संकर किस्मों की खेती से ही ऐसा संभव हुआ है जिनके लिए उर्वरकों की अधिक मात्रा सहित बेहतर व्यवस्था की जरूरत होती है।

(ग) लगभग 2350 लाख टन ग्रामीण कम्पोस्ट और 67 लाख टन शहरी कम्पोस्ट हर वर्ष खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है।

## क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट के खिलाड़ी के साथ विज्ञापन देने वाली फिल्म का प्रसारण

4456. श्री आनन्द पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रिकेट मैच के दौरान यदि कोई खिलाड़ी मैच में भाग ले रहा हो तो दूरदर्शन पर उस खिलाड़ी के साथ विज्ञापन देने वाली फिल्म का प्रसारण करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबंध के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापनों संबंधी दूरदर्शन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं। यह न केवल क्रिकेट पर लागू होता है, अपितु अन्य खेलों पर भी लागू होता है।

## भारत में गेहूं का राष्ट्रीय औसत उत्पादन

4457. श्री मोहन भाई पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गेहूं का प्रति हैक्टेयर राष्ट्रीय औसत उत्पादन कितना है;

(ख) प्रत्येक गेहूं उत्पादक राज्य में गेहूं का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है;

(ग) अन्य गेहूं उत्पादक देशों में गेहूं का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है;

(घ) क्या भारत का प्रति हैक्टेयर गेहूं उत्पादन औसत अन्य गेहूं उत्पादक देशों से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों और साथ ही साथ अखिल भारत के लिए गेहूं के प्रति हैक्टेयर उपज के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

| राज्य | प्रति हैक्टेयर उपज (कि० ग्रा०) |
|---|---|
| 1. पंजाब | 3289 |
| 2. हरियाणा | 2593 |
| 3. उत्तर प्रदेश | 1867 |
| 4. बिहार | 1617 |
| 5. राजस्थान | 1626 |
| 6. मध्य प्रदेश | 1055 |
| 7. गुजरात | 2087 |
| 8. महाराष्ट्र | 866 |
| 9. पश्चिम बंगाल | 2418 |
| अखिल भारत : | 1873 |

(ग) और (घ) खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन इयर बुक 1983 के अनुसार 1983 में गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में प्रति हैक्टेयर उपज के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

| देश | प्रति हैक्टेयर उपज कि० ग्रा० |
|---|---|
| 1 | 2 |
| कनाडा | 1965 |
| अमेरिका | 2653 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| अर्जेनटाइना | 1713 |
| चीन | 2826 |
| पाकिस्तान | 1678 |
| फ्रांस | 5133 |
| यू० के० | 6419 |
| आस्ट्रेलिया | 1716 |
| रूस | 1612 |
| भारत | 1816* |

* 1982-83 के लिए सरकारी अनुमानों के अनुसार।

यह देखा जा सकता है कि भारत में औसत उपज आस्ट्रेलिया, रूस, अर्जेनटाइना तथा पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक है। यद्यपि यह अमेरिका, चीन, फ्रांस, यू० के० तथा कनाडा की तुलना में कम है।

(ङ) सातवीं योजना के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत क्षेत्र में वृद्धि;

(2) सिंचित तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पृथक् से गेहूं प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रसारण;

(3) उचित दरों पर उत्तम किस्म के बीज की व्यवस्था;

(4) उर्वरकों की अधिकतम मात्राओं का प्रयोग;

(5) सूक्ष्म-पोषक की कमी का सुधार;

(6) फसल विकास की संकटकालीन स्थितियों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए कुशल जल प्रबंध;

(7) ठीक समय पर खरपतवार नियंत्रण;

(8) ऋण की आसानी से प्राप्ति;

(9) रोग मुक्त किस्मों के उन्नत अनाज की क्वालिटी का विकास करने के लिए अनुसंधान संबंधी सहायता; और

(10) लाभकारी मूल्यों तथा अधिप्राप्ति समर्थन की व्यवस्था।

[हिन्दी]

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलभ शौचालय

4458. श्री आर० एम० मोये : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए एक समन्वित कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराने, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाये जाने वाले एक मिलियन आवासों में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करने और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर की संस्थाओं जैसे स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, पाठशालाओं, पंचायत घरों, आंगनवाड़ी इत्यादि में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

इस्पात के निर्माण के लिए—कम्पनी की स्थापना हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

4459. श्री सरफराज अहमद : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का निर्माण करने के लिए कम्पनी की स्थापना हेतु किन-किन मदों और वस्तुओं के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है और इन मदों के लिए आशय पत्र जारी करने से सरकार के कितने विभाग सम्बन्धित हैं; और

(ख) ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) इस्पात विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाली मदों की स्थिति के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :—

(i) अर्ध तैयार माल के गर्म बेलन, छड़ें, गोल छड़ें तथा इस्पात के संरचनात्मक सेक्शनों के लिए, निहित पूंजी-निवेश पर विचार किए बिना, लाइसेंस आवश्यक है।

(ii) स्क्रैप तथा विशेष इस्पात पर आधारित विद्युत भट्ठियों से इस्पात की सभी किस्मों के उत्पादन, छड़ों तथा साधारण इस्पात, विशेष तथा मिश्र इस्पात, कोटिड तथा अन-कोटिड, ठंडी तथा गर्म बेलित पत्तियों बाक्स स्ट्रेपिंग सहित इस्पात की सभी किस्मों की चादरों तथा प्लेटों, कच्चे लोहे तथा मिश्र धातुओं के लिए कुछ शर्तें पूरी होने पर लाइसेंस तभी आवश्यक हैं, यदि कारखाने में पूंजी-निवेश नियत परिसम्पत्तियों के रूप में लगा हुआ है और 35 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनरी लगी हुई है।

(iii) निहित पूंजी-निवेश के बारे में विचार किये बिना कुछ शर्तें पूरी करने पर, स्पंज लोहे तथा पैलेटों के उत्पादन के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य पंजीकृत करने होंगे।

समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक उपक्रम (पंजीकरण तथा लाइसेंस) नियम, 1952 के अन्तर्गत गठित विभिन्न मूल्यांकन समितियों द्वारा लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाता है। इन समितियों में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि हैं।

(ख) उपयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक उपक्रम (पंजीकरण तथा लाइसेंस) नियम, 1952 में निर्धारित की गई है।

### तेलुगु पत्रिका "वाणी" का प्रकाशन

4460. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने तेलुगु पत्रिका "वाणी" का प्रकाशन बन्द कर दिया है;

(ख) यह पत्रिका कितनी भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है; और

(ग) तेलुगु पत्रिका "वाणी" का प्रकाशन बन्द करने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी, हां।

(ख) "वाणी" नामक आकाशवाणी पत्रिका केवल तेलुगु भाषा में ही प्रकाशित की जाती है।

(ग) प्रत्येक विभाग के व्यय की पुनरीक्षा करने और मितव्ययिता प्राप्त करने की कार्रवाई के अंग के रूप में, पुनरीक्षा करने के बाद "वाणी" सहित आकाशवाणी की चार पाक्षिक पत्रिकाओं को बन्द करने का निर्णय लिया गया था। ये पत्रिकाएं वर्षों से घाटे में चल रही थीं और इनके आत्म-निर्भर होने की सम्भावना नहीं थी।

**पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जैंटे में डोलोमाइट तैयार करने के संयंत्र की स्थापना**

4461. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जैंटे में डोलोमाइट तैयार करने के संयंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना के परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर पैदा होने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**कीटनाशक दवाओं के कारखानों में कामगरों द्वारा सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल न किया जाना**

4462. **श्री कमलाप्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक दवाओं के कारखानों और फार्मूलेशन एककों में कार्यरत सभी कामगरों को ओवर कोट, हैलमेटों दस्तानों रबड़ के बड़े जूतों मुखटों जैसे सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल करना होता है, परन्तु वास्तव में 50 प्रतिशत कामगर सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप कामगर हृदय और आत्रंशोथ तथा आंखों की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार निर्माताओं के शोषण से कामगरों की हितों की किस प्रकार रक्षा करने का है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) कीटनाशक

अधिनियम, 1968 के अधीन बनाए गए कीटनाशक नियम, 1971 के प्रावधानों के तहत, कीटनाशक दवाओं की सम्भाल करने वाले व्यक्तियों को उनके बनाने, तैयार करने, परिवहन करने, वितरण करने तथा उपयोग करने के दौरान, उचित सुरक्षात्मक पोशाक पहन कर तथा श्वास सम्बन्धी साधनों से सुरक्षित रहना होता है। इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि 50 प्रतिशत तक कामगर उचित सुरक्षात्मक पोशाकों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके फलस्वरूप वे हृदय और आंत्रशोथ तथा आंखों की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं।

(ख) कीटनाशक अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशक नियम, 1971 के तहत उनके प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित है। तथापि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर, विभिन्न कारखानों के परिसरों का समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और इस मामले में विनिर्माताओं को उपयुक्त सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के कृमिनाशक का विनिर्माण करने वाले एककों में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी आयोजित किए जाते हैं, जहां विशेषज्ञ प्रदर्शनों, व्याख्यानों तथा प्रदर्शनियों द्वारा सुरक्षा प्रावधानों के सम्बन्ध में विनिर्माताओं कामगारों तथा राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं को आवश्यक सलाह देते हैं।

[हिन्दी]

## गेहूं और रागी के बीजों का निर्यात

4463. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान किन-किन देशों को गेहूं और रागी के बीजों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात की गई मात्रा और निर्यात मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेहूं और रागी के बीजों का उत्पादन हमारे देश में किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अच्छी किस्म के बीजों का निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) विभिन्न देशों को निर्यात किए गए गेहूं तथा रागी के बीजों का ब्यौरा जिसमें मात्रा तथा कीमत भी शामिल है, इस प्रकार है :—

| वर्ष | देश | निर्यात किए गए बीजों की मात्रा (मीटरी टन) | बिक्री मूल्य (रुपए/अमरीकी डालर में) |
|---|---|---|---|
| 1984-85 | | | |
| गेहूं | यमन अरब गणराज्य | 305 | 7,500 (रुपए) (एफ०ओ०बी०, बम्बई) |
| | यमन अरब गणराज्य | 100 | 6,000 (रुपए) (एक्स आगरा) |
| | बंगला देश | 6576.40 | 6,000 (रुपए) (सी० एण्ड एफ० चौंदगा) |
| | नेपाल | 357.96 | 5,750 (रुपए) (सी० एण्ड एफ० नेपाल) |
| रागी | | | |
| | जापान | 20.0 | 1272.50 (अमरीकी डालर) |
| 1985-86 | | | |
| गेहूं | यमन अरब गणराज्य | 200 | 6,000 (रुपए) (एक्स आगरा) |
| | इथियोपिया | 1400 | 3,300 (रुपए) (एक्स बम्बई) |
| | नेपाल | 41.92 | 5,750 (रुपए) (सी० एण्ड एफ० नेपाल) |
| | जिम्बाबवे | 0.40 | 39,965 (सी०आई०एफ० हरारे) |
| | सुडान | 1500 | 369.00 (अमरीकी डालर) आई०एफ० |
| रागी | | | |
| | जापान | 25 | 1250 (अमरीकी डालर) |

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

### तिलहनों के विकास के लिए भारत को अमरीकी सहायता

4464. श्री मानिक रेड्डी
श्रीमती डी० के० भंडारी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने तिलहनों के लिए एक क्रांतिकारी करार की पेशकश की है, जिसके द्वारा दस लाख हैक्टेयर परती भूमि उत्कृष्ट तिलहन उत्पादक क्षेत्र में परिणत हो जाएगी और यदि हां, तो इस करार को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों को आयातित की जाने वाली तिलहन प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु अमरीका भेजा जाएगा;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का आरम्भ किया जाना सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रौद्योगिकी लक्ष्यों में से एक है; और

(घ) क्या इसके कारण खाद्य तेलों के आयात से बचकर भारत को लगभग प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की बचत होगी और यदि हां, तो इस धनराशि में से कितनी राशि प्रौद्योगिकी के आयात और कितनी राष्ट्रीय प्रदर्शन कृषि फार्मों की स्थापना पर खर्च की जाएगी ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

### उड़ीसा में संकर नस्ल कार्यक्रम के लिए नाइट्रोजन भंडारण टैंकों का आयात

4465. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में आपरेशन फ्लड-दो क्षेत्रों के बाहर डेरी पशुओं की विदेशी नस्लों के साथ पशुओं के वर्ण संकरण और जमे वीर्य तकनीक का प्रयोग करके भैंसों की नस्ल सुधारने की केन्द्रीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए द्रव्य नाइट्रोजन के भंडारण टैंकों का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) आपरेशन फ्लड-2 क्षेत्रों के बाहर विदेशी डेरी नस्लों के साथ गोपशुओं के संकर प्रजनन और जमाए हुए वीर्य तकनीक के इस्तेमाल द्वारा भैंसों की नस्ल सुधारने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत

तरल नाइट्रोजन भंडारण टैंक आयात करने का कोई प्रस्ताव उड़ीसा राज्य सरकार के पास इस समय लम्बित नहीं है।

## बसन्त कुंज में स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण

4466. प्रो० मिजिनलंग कामसन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बसन्त कुंज में पांचवीं स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत श्रेणी-तीन के कितने फ्लैट बनाये जा रहे हैं;

(ख) उनके आबंटितियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सेक्टर सी के पाकेट पांच में निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सेक्टर सी पाकेट पांच के आबंटितियों को बसन्त कुंज में अन्य सेक्टरों में वैकल्पिक फ्लैटों का आबंटन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य सेक्टरों में फ्लैटों का वैकल्पिक आबंटन करने की प्रक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय श्रेणी-III के 3946 फ्लैट निर्माणाधीन हैं।

(ख) 4387

(ग) जी, हां, यह भूमि न्यायालय के "स्थगन" आदेश के अधीन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बसन्त कुंज रिहायशी योजना में विद्यमान आबंटितियों को समायोजित करने के लिए, ऐसे आबंटितियों को जिनके फ्लैट निर्माणाधीन नहीं हैं, पुनः समायोजन/पुनः नियतन करना होगा। निम्नलिखित विस्तृत सिद्धान्तों पर उन्हें वैकल्पिक वास की पेशकश की जाएगी :—

(i) वैकल्पिक फ्लैट उसी तल पर होना चाहिए।

(ii) यह उसी डिजाइन का होना चाहिए।

(iii) इसका एक समान कुर्सी क्षेत्र होना चाहिए।

जहां कहीं भी उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार फ्लैटों का आबंटन सम्भव नहीं होता है, वहां

दिल्ली विकास प्राधिकरण आबंटितियों को फ्लैटों की उपलब्धता के बारे में बताता है तथा उनके विकल्प प्राप्त करता है और उन्हें लाटरी द्वारा फ्लैट आबंटित करता है ।

### खनिज संपदा का पता लगाने के लिए खनिज खनन प्रौद्योगिकी

4467. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए अपनाई जा रही खनिज खनन प्रौद्योगिकी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) क्या भूवैज्ञानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार खनिज खनन प्रौद्योगिकी का विविधीकरण करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विदेशी सहयोग भी प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) खनिजों की खनन प्रौद्योगिकी का विविधीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस बारे में किए गए उपाय आमतौर पर खनन परियोजनाओं का अभिन्न अंग होते हैं। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों की भूगर्भीय दशाओं के अनुरूप अपनी खानों में खनन प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की निजी योजनाएं होती हैं। इन योजनाओं में उन्नत परिचालन पद्धतियों, खनिजों की अधिक निकासी, तथा बेहतर निष्पादन, अधिक उत्पादकता और पर्यावरण अभिरक्षा, अयस्क प्रसाधन सुविधाओं में वृद्धि आदि के लिए नई प्रविधियों के विकास और इस्तेमाल का प्रावधान रहता है।

जहां सम्भव होता है, वहां आधुनिक उपकरण और तकनीकें अपनाई जाती हैं।

जब कभी आवश्यक होता है, तो देश में खनन तकनीकों के आधुनिकीकरण तथा खानों के डिजाइन हेतु विदेशी परामर्श और विशेषज्ञता हासिल की जाती है।

### खनन उपकरणों का आयात

4468. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान खनन उपकरणों के आयात

पर कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा उन उपकरणों के नाम क्या हैं और मद-वार वे किस देश में निर्मित है अथवा उन्हें किस देश से आयात किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कतिपय उपकरण अन्य उपकरणों की तरजीह में गलती से आयात किए गए हैं और ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के खनन कार्य में सुधार करने हेतु और कौन-कौन से ऐसे धातु खनन उपकरणों का आयात किये जाने का विचार है; और

(घ) गलती से आयात किए गए उपकरणों के स्थान पर अन्य उपकरण लाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### वर्ष 1986-87 में कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

4469. श्री मुरलीधर माने : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का वर्ष 1986-87 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए सारे देश में कितने मकान बनाये जाने का विचार है; और

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कितने मकान बनाये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1986-87 के दौरान सम्पूर्ण देश के विभिन्न शहरों में "सामान्य पूल" के अन्तर्गत 3000 मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र में 190 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

### मयूर विहार आवास योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का मूल्य

4470. श्री चन्द्र शेखर वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार आवास योजना में उन लोगों को वैकल्पिक फ्लैट आबंटित करने की कोई योजना थी जिनके पास आम मुख्तारनामा था और जिन्होंने यमुना पार क्षेत्र में अपने प्लाटों पर मकान बनाये थे जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपात काल के दौरान गिरा दिया था;

(ख) क्या ऐसे फ्लैटों का मूल्य उक्त योजना के स्वीकृत होते समय विद्यमान मूल्य तथा उस समय निर्मित फ्लैटों के मूल्यों के अनुसार निर्धारित किया जाना था न कि अप्रैल-मई, 1982 में विद्यमान मूल्य के अनुसार किया जाना था जो वसूल किया गया है;

(ग) क्या 25 वर्ग गज के प्लाट को वापस करने के प्रश्न पर विचार किए बिना फ्लैटों के ऐसे आबंटितियों से लिए गए ब्याज का मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन था;

(घ) क्या प्रारम्भिक मूल्य राशि जमा कराने वाले लोगों को जमा राशि पर कब्जा लेने की तारीख तक कोई ब्याज नहीं दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, नहीं। तथापि, नीति के अनुसार 1979 में यह निर्णय लिया गया था कि जो व्यक्ति आपात काल के दौरान उन्मूलन अभियान से प्रभावित हुए, उन्हें पूर्वनिर्धारित दरों पर 42 वर्गमीटर के प्लाट आबंटित किये जायें। उसके बाद वैकल्पिक आबंटन की यह योजना समाप्त कर दी गई और इस प्रकार से प्रभावित व्यक्तियों को 1976 की आवास पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया। 1979 की नवीन पद्धति योजना के पंजीकृतों के ऊपर इन पंजीकृतों को सामूहिक रूप से वरिष्ठता दी जानी थी और तथापि फ्लैटों का आबंटन केवल यमुना-पार क्षेत्र में किया जाना था।

(ख) जी, नहीं। अनुमोदित मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, छोड़े गए फ्लैटों की लागत फ्लैट के आबंटन की तारीख को संशोधित की जाती है। मौजूदा मामले में आबंटन पत्र मई, 82 में जारी किए गए थे।

(ग) मांग पत्रों को जारी करने के बाद भुगतान न करने की अवधि के लिए ब्याज की दण्डनीय दरों के बजाय पूंजी पर ब्याज $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की न्यूनतम दर से लिया गया है।

(घ) जी, नहीं। आबंटियों द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज का हिसाब करते समय दिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट भवन निर्माताओं को कथित फायदा पहुंचाया जाना

4471. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री चित्त महाता
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री सनत कुमार मंडल
श्री वाई० एम० महाजन
श्री मोहम्मद महफूज अली खान
श्री महेन्द्र सिंह
श्री काली प्रसाद पांडेय
श्री जगन्नाथ प्रसाद
श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री सरफराज अहमद
श्री विलास मुत्तेमवार

: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 फरवरी, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "डी० डी० ए० से 5 करोड़ फेवर टू प्राइवेट बिल्डर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस अभियोग की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण पर कतिपय आरोप लगाए गए हैं। समाचार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी काजी कामा प्लेस में पट्टा विलेख निष्पादित किए बिना अनधिकृत रूप से बहुमंजिले वाणिज्यिक भवनों का निर्माण करने की अनुमति दी और स्वीकृत नक्शों के बिना इन भवनों का निर्माण करने के लिए जुर्माने को कम किया। इन अनियमितताओं से दिल्ली विकास प्राधिकरण को लगभग 5.00 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसमें पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की लगभग 2.00 करोड़ रुपये की तथा अनधिकृत निर्माण के लिए जुर्माने के लिए 3.00 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्र, लेह में रिक्त पद

4472. श्री पी० नामग्याल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के लेह केन्द्र में केन्द्र निदेशक सहित विभिन्न श्रेणियों के अनेक पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने तथा तकनीकी सलाहकारों की अनुपस्थिति में उक्त केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के स्तर और गुणवत्ता में दिन-प्रति-दिन गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय आकाशवाणी, लेह में केन्द्र निदेशक के पद सहित 25 पद कुछ समय से खाली पड़े हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आकाशवाणी, लेह एक कठिन केन्द्र है, अतः सभी खाली पदों को एक साथ नहीं भरा जा सकता। कई अवसरों पर, स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों की निजी समस्याओं तथा कतिपय प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण आदेशों को रद्द करना पड़ जाता है। तथापि, उन खाली पदों, जिन पर प्रतिबन्ध है, को छोड़कर शेष पदों को भरती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र निदेशक के पद को, पैनल के प्राप्त होते ही भर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दृश्य माध्यम के द्वारा भारतीय साहित्य का प्रदर्शन

4473. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक तथा अन्य दृश्य माध्यमों के द्वारा जनता के समक्ष भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों को उनकी ऐतिहासिक संदर्भता और कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से उनके संदेश को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है और कल्पित व पौराणिक पात्रों को प्रायः बड़े हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तथा हाल ही में इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर की गई किसी प्रस्तुति का कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है। सरकार द्वारा हमेशा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जन-माध्यमों के जरिए उत्कृष्ट कृतियों को तोड़-मरोड़ कर पेश न किया जाए। तथापि "नटखट नारद" नामक दूरदर्शन शृंखला के बारे में कुछ शिकायतें थीं, जिसे अब बन्द कर दिया गया।

[अनुवाद]

**चावल, गेहूं तथा गन्ने की उत्पादन लागत**

4474. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1985 के लिए चावल, गेहूं और गन्ने की उत्पादन लागत क्रमशः 168.12, 223.16 और 26.23 रुपये प्रति टन निकाली है;

(ख) उक्त अवधि के लिए नव गठित कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग द्वारा इन फसलों की उत्पादन लागत का किस प्रकार हिसाब लगाया गया है;

(ग) इन रिपोर्टों के वर्तमान वसूली मूल्यों को देखते हुए सरकार का विचार कृषि को किस प्रकार से लाभकारी बनाने सुनिश्चित करना है; और

(घ) इन उत्पादकों का वर्तमान खरीद मूल्य क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) कृषि मन्त्री को, 1985 के लिए चावल, गेहूं और गन्ने के उत्पादन की लागत के बारे में चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। कृषि मंत्रालय 16 कृषि/सामान्य विश्वविद्यालयों के जरिए 1970-71 से देश के विभिन्न राज्यों में सतत् आधार पर कार्यान्वित की जा रही व्यापक योजना के अन्तर्गत कृषि जिंसों, जिनमें चावल, गेहूं और गन्ना शामिल हैं, की खेती/उत्पादन की लागत के अनुमान तैयार करता है। लागत के अनुमान कृषि लागत और मूल्य आयोग को भेजे जाते हैं ताकि वे सरकार को कृषि जिंसों के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश कर सके।

सरकार का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम समर्थन/खरीद मूल्य निर्धारित करते समय किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करना है। इन मूल्यों में उत्पादन की लागत और उत्पादन बढ़ाने तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की पर्याप्त गुंजाइश होती

है। 1985 86 के लिए धान और गेहूं के लिए नियत किये गये खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 142/- रुपये तथा 162/- रुपये हैं। 1985-86 में गन्ने के लिए निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य 16.50 प्रति क्विटल है।

### अंग्रेजी और भाषाई समाचार वाचकों की सेवा शर्तें

4475. डा० वी० वेंकटेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषाई समाचार वाचकों और अंग्रेजी समाचार वाचकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में बहुत अन्तर है;

(ख) पारिश्रमिक, अन्य सेवा शर्तों भत्तों, और अनुवाद कार्य के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भाषाई समाचार वाचकों को पहले दिया जाने वाला पृथक भत्ता 1983 से समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी नहीं। समाचार वाचक (अंग्रेजी) तथा समाचार वाचक-व-अनुवादक (भारतीय भाषा), जो दोनों आकाशवाणी के संविदा कर्मचारी हैं, को देय शुल्कों में भत्तों में कोई असमानता नहीं है। दोनों श्रेणियों का शुल्कमान 650–1200 रुपये है। दोनों श्रेणियों के लिए भत्ते भी वही हैं। समाचार वाचकों (अंग्रेजी) तथा समाचार वाचक-व-अनुवादकों को भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार भर्ती किया जाता है तथा वे नियमों के अन्तर्गत निर्धारित तथा संबंधित संविदाओं में शामिल सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होते हैं। समाचार वाचकों तथा समाचार वाचक-व-अनुवादकों को भाषा का विचार किए बिना कमेंट्री पढ़ने के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। तथापि, अंग्रेजी समाचारों तथा हिन्दी समाचारों का अनुवाद करना इनके कर्तव्यों तथा कार्य आवश्यकताओं का अंग है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### 1985-86 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

4476. श्री सी० जंगा रेड्डी }
डा० ए० के० पटेल } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय की घोषणा किस तारीख को की गई थी कि

वह प्रति वर्ष लगभग 1 लाख मकानों का निर्माण करेगा;

(ख) 1985 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितने मकानों का निर्माण किया और ने 1986 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या की गई घोषणा और वास्तविक उपलब्धि के बीच कोई अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली के उप-राज्यपाल ,जनवरी, 1985 में एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बताया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवास योजनाओं में चले आ रहे बकायों को कम करने के प्रयास के रूप में वर्ष 1985-86 में लगभग एक लाख मकानों के निर्माण का उसका कार्यक्रम है।

(ख) 1984-85 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित वे मकान जो 1-3-86 की स्थिति के अनुसार आबंटन के लिए उपलब्ध हैं और वे मकान जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | 1984-85 में तैयार किए गए मकानों की संख्या | 8,327 |
| (ii) | 1-3-86 तक आबंटन के लिए उपलब्ध मकानों की संख्या | 32,460 |
| (iii) | निर्माण के विभिन्न स्तरों पर मकानों की संख्या | 86,651 |

1986-87 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक लाख मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है, बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## "क्लूसा" परियोजना का मूल्यांकन

4477. डा० बी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्लूसा" परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि का दावा करने के बावजूद मूंगफली का उत्पादन घटा है;

(ख) क्या "क्लूसा" परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से गुजरात में मूंगफली की उत्पादकता में सुधार लाना था, किन्तु यह अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग तथा प्रमुख (नो.डल) मंत्रालय ने "क्लूसा" परियोजना का मूल्यां-

कन पूरा किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में जहां पर खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन और विपणन की व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए यू० एस० ए० की सहकारी लीग (क्लूसा) तथा कनाडा के सहकारी संघ (सी०यू० सी०) की सहायता से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। सामान्य वर्षों के दौरान मूंगफली के उत्पादन/उत्पादकता में कमी नहीं आई है। यह परियोजना विभिन्न राज्यों में चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना द्वारा, तिलहनों के उत्पादन, खरीद, परिसंस्करण और विपणन के एकीकरण तथा इन कार्यों को तिलहन उगाने वालों के अपने सहकारी संगठनों को सौंपे जाने के कारण किसानों को अपने तिलहनों के उत्पादन का अधिक मूल्य मिलने में सहायता मिली है। इस प्रकार इससे किसानों को खेती में निवेश करने और अधिक आय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। यह कृषकों के लिए आदानों, अर्थात बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियों, आदि की समय पर सप्लाई करने की व्यवस्था भी करती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना, इन राज्यों में मूंगफली का उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने की अकेली परियोजना/योजना नहीं है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों की अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्यो में मूंगफली के उत्पादन पर सिंचाई, डीजल एवं बिजली की सप्लाई, मौसमी स्थितियों आदि जैसे कई घटकों का भी असर पड़ता है।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को तिलहन और वनस्पति तेल परियोजना का मूल्यांकन 1983 में एक संयुक्त दल द्वारा किया गया है, जिसमें यू० एस० ए० की सहकारी लीग (क्लूसा)/अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी/भारत सरकार/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शामिल थे। उस दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. परिसंस्करण के लिए लाइसेंस देने की पद्धति को सरल व कारगर बनाया जाए।

2. मंडी संबंधी विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने के कार्यों को केन्द्रीय व्यवस्था का विकास किया जाए।

3. इस परियोजना की कार्य नीति वार्षिक पैदावार को बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश करने की बजाय वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पैदावार को एक संतुलित स्तर पर वर्ष प्रति वर्ष स्थिर बनाने की हो।

4. सोसायटी सचिवों को अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।

5. जहां किसी कृषि संबंधी पद पर गैर-कृषि उम्मीदवार को तैनात करना जरूरी हो, वहां

उनके लिए कृषि विषयों में गहन और औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

6. राज्य सरकारें और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड संघों के उच्च स्तरीय प्रबंधक पदों पर सुअर्हत लोगों को तैनात करने तथा उन्हें इन पदों पर कम से कम तीन से चार वर्ष तक बनाए रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हों।

7. राज्य संघों को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और परिसंस्करण प्लांट प्रबंधकों का अपने क्षेत्र में अर्द्ध स्वशासी कार्य क्षेत्र दिया जाना चाहिए।

8. क्षेत्रों के बाहर कच्चा माल या तैयार माल लाने और ले जाने संबंधी फैसले संघ के मुख्यालय में लिए जाने चाहिएं।

9. सिंचित क्षेत्रों में बड़े प्लांट ही उचित होंगे, क्योंकि वहां पर उत्पादन, खरीद और क्षमता का अनुकूलतम उपयोग होना अधिक निश्चित होता है।

10. राज्य संघों को धीरे-धीरे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की खरीद संबंधी सहायता लेना कम करना चाहिए और खरीद के लिए वाणिज्यिक वाहनों का यथा सम्भव इस्तेमाल शुरू करना चाहिए।

11. खरीद कार्य वर्ष भर किया जाए।

हाल ही में एक कनाडियन समीक्षा दल ने भी परियोजना के क्षेत्रों का दौरा किया। उस दल की अन्तिम सिफारिशें इस विभाग को अभी तक नहीं मिली है।

### अखबारी कागज की उपलब्धता

4478. श्री पी० एस० सईद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र संघ से अखबारी कागज की उपलब्धता पर से नियंत्रण हटाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा नियंत्रणों को देश के अखबारी कागज उद्योग तथा लघु और मझोले समाचार-पत्रों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

## सस्ते उर्वरकों का उत्पादन

4479. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक संघ के भूतपूर्व चेयरमैन ने सस्ते उर्वरकों का उत्पादन करने और परिवहन की समस्याएं दूर करने के लिए किसी नई नीति का सुझाव दिया है; और

(ख) क्या इस नई नीति पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

**उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी हां। दिसम्बर, 5—7-1985 को आयोजित फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार के दौरान प्रस्तुत किए गये एक पेपर में, फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया के भूतपूर्व अध्यक्ष ने वितरण की लागत को कम करने तथा तल परिवहन पद्धति पर भार को कम करने के लिए मांग के क्षेत्र के समीप छोटे उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(ख) उर्वरक संयंत्रों के लिए नए प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय इन पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाना जारी रहेगा।

[हिन्दी]

## 1985 में खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों आदि का उत्पादन और भंडारण सुविधा

4480. **श्री राजकुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान कृषि उत्पादन विशेषकर मोटे अनाजों, दालों, और तिलहनों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं की कमी इसका मुख्य कारण था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम न रहे, और पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध हों, सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) फसल वर्ष (जुलाई से जून) 1984-85 के लिए चावल, गेहूं, खाद्यान्न और तिलहनों आदि के संबंध

में लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(दस लाख मीटरी टन)

| फसल | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| चावल | 61.5 | 58.6 |
| गेहूं | 45.6 | 44.2 |
| मोटे अनाज | 33.5 | 31.2 |
| दालें | 13.0 | 12.2 |
| खाद्यान्न | 153.6 | 146.2 |
| तिलहन | 13.0 | 13.1 |

यद्यपि मोटे धान्यों और दालों सहित खाद्यान्नों के मामले में उपलब्धियां सामान्यत: लक्ष्य से कम रहीं किन्तु तिलहनों के सम्बन्ध में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक हो गई। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी का कारण मुख्यत: बहुत से राज्यों में वर्ष 1984-85 के दौरान खराब मौसम का होना है। भण्डारण की अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव इस कमी का मुख्य कारण नहीं समझा जाता।

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्यान्नों और अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण आदानों जिसमें सिंचाई, अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक, कीटानाशी दवाइयां, ऋण तथा प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए विस्तार सेवाएं आदि भी शामिल हैं, की व्यवस्था करने के समुचित कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं।

सरकार खाद्यान्नों आदि का समुचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिये भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करने के उपाय भी कर रही है। ढके हुए भंडारण की क्षमता की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) 1985-86 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडागार निगमों द्वारा कुल मिलाकर 19.74 लाख टन ढके हुए भंडारण क्षमता के विनिर्मित किए जाने की सम्भावना है, जिसमें से 16.95 लाख टन खाद्यान्नों के भांडारण के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(2) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम, राज्य भांडागार निगमों और अन्य स्रोतों से ढकी हुई अतिरिक्त भंडारण क्षमता भाड़े पर लेकर भंडारण के अस्थाई इंतजाम भी कर रहा है।

(3) भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से, ऐसी पार्टियों को व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर, भंडारण क्षमता विनिर्मित किए जाने की सम्भाव्यता के बारे में छान-बीन कर रहा है; और

(4) उपलब्ध भंडारण क्षमता के स्टेक हाइट तक बढ़ाकर उपयोगिता को बढ़ाने के कदम भी उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का विभाजन

4481. श्री गुरुदास कामत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, जो सरकारी क्षेत्र का एक विशाल उपक्रम है के विभाजन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के कार्यकरण को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक कम्पनियों के, पुनर्गठन से सम्बन्धित एक प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है। इस सम्बन्ध में प्रगति पर एक संसदीय समिति द्वारा पहले ही निगरानी रखी जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि के क्षेत्र में भारतीय और इटली की फर्मों के बीच सहयोग करार

4482. श्री सैयद मसूदल हुसैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय और इटली की फर्मों के बीच सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कृषि क्षेत्र से कितने सहयोग/करारों पर हस्ताक्षर किए गए, उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 में इटली की सहायता से ऐसी कुछ और परियोजनाओं में सहयोग करने का है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अप्रैल, 1984 से दिसम्बर 1985 तक भारतीय और इटली की फर्मों के बीच सरकारी अथवा गैर सरकारी कृषि क्षेत्र में किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय तथा इटली की सरकारी अथवा गैर-सरकारी फर्मों के बीच सहयोग का विकास बाणिज्यिक संबंधों और पहलुओं में से एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

### बिहार में पृथक श्रम पीठ की स्थापना

4483. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि औद्योगिक विवादों, विशेषकर वेतन छंटनी और सेवा समाप्त करने के संबंध में, को शीघ्र निपटाने के लिए बिहार में एक पृथक श्रम पीठ की स्थापना की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रम संबंधी विवादों के निबटान और बढ़ते हुए श्रम विवादों को बातचीत के द्वारा हल करने के लिए सिविल कर्मचारियों के लिए हाल ही में स्थापित किए गए न्यायाधिकरणों के समान आधार पर एक पृथक पीठ स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

### त्वरित ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के लिए कम राशि का आबंटन

4484. श्री जनक राज गुप्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए त्वरित ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि वर्ष 1984-85 की तुलना में 5 करोड़ रुपये कम है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशि उसे प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का, इस राशि को कब तक दे देने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर को 1984-85 के दौरान 1901.56 लाख रुपये प्रदान किए गए थे। 1985-86 के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निधियां 1984-85 के दौरान दी गई सहायता के बराबर आबंटित की जाएं, बशर्ते कि केन्द्रीय सहायता 1985-86 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्य के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रावधानों से अधिक न हो। 1985-86 के दौरान, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1422 लाख रुपए की निधियां मुक्त की गई थीं जो राज्य के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रावधान के बराबर हैं। राज्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रावधान को जनवरी, 1986 तक 1901.56 लाख रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था ताकि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त हो सके। तथापि, राज्य सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के आबंटनों को 1920 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने की सूचना अपने दिनांक 4 मार्च, 1986 के तार द्वारा भेज दी है। राज्य को 59 लाख रुपए का एक और बंटन किया गया है। 420.56 लाख रुपये की शेष धनराशि को मुक्त करने के बारे में राज्य द्वारा वास्तविक बजट बंटनों की पुष्टि किए जाने के बाद ही विचार किया जाएगा।

## केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित करना

4485. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों के अन्तर्गत कुछ यूनिटों को दूसरे राज्यों में स्थानान्तरित करके राजधानी में प्रवासी श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने या इधर उधर भेजने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का स्थानान्तरण किस आधार पर किया जाएगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दक्षिणी राज्यों/पश्चिम बंगाल में स्थानान्तरित करने का विचार है जहां से हाल के वर्षों में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी राजधानी में आए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित एवं समन्वित विकासार्थ तथा दिल्ली में आवजक जनसंख्या के दबाव को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में स्वत: पूर्ण वृद्धि केन्द्रों का विकास करके दिल्ली की जनसंख्या को नियन्त्रणीय सीमाओं के भीतर रखने के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने के प्रयोजन से हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड की स्थापना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनायी जाने वाली नीतियां बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना तैयार करते समय तैयार की जानी हैं।

(ग) दिल्ली के बाहर उपयुक्त स्थानों में विभिन्न मंत्रालयों के किन-किन सम्बद्ध एवं अधी-

नस्थ कार्यालयों को स्थानान्तरित किया जा सकता है, के बारे में विचार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक सहकारी समिति द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है। तथापि, दक्षिणी राज्यों/पश्चिमी बंगाल में किसी कार्यालय के स्थानान्तरण का फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## मदर डेरी, भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में नैमित्तिक मजदूर

4486. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी
श्री मानिक रेड्डी
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में मदर डेरी, भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड जैसे सरकारी क्षेत्र के एकक लगातार 8-9 वर्षों से नैमित्तिक मजदूर भर्ती करते आ रहे हैं और गैर सरकारी ठेकेदारों के माध्यम से भी भाड़े पर मजदूर ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह प्रणाली सरकार/सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं और यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(घ) दिल्ली में मदर डेरी, भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा गैर सरकारी ठेकेदारों के माध्यम से कितने पद भरे गये और ये पद कब से भरे जा रहे हैं; और

(ङ) नैमित्तिक पद कितने हैं, और कब से हैं;

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## सऊदी अरब के लिए रोजगार हेतु भर्ती में अनियमितताएं

4487. श्रीमती प्रभावती गुप्त
डा० गौरी शंकर राजहंस
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इरेगुलेरिटीज इन सऊदी जाब रिक्रूटमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रोजगार हेतु भर्ती एजेंटों द्वारा भारतीय मूल के अनेक डाक्टरों, नर्सों, श्रमिकों तथा अन्य पारा चिकित्सा कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार को ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(घ) उक्त कार्यों में लिप्त एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा भारतीय मूल के नागरिकों को ऐसे जाली रोजगार एजेंटों के पंजों से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। अर्ध-चिकित्सीय और चिकित्सीय कर्मचारियों को ठगने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों के दौरान, अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों सहित कर्मकारों से प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1984 | = | 76 |
| 1985 | = | 135 |

बीस भर्ती एजेंसियों के सम्बन्ध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित किए गए और दो के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए गए।

## आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना

4489. श्री एच० ए० डोरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक यह अधिष्ठापित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई है, तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन योजना अवधि के दौरान संसाधनों के वर्ष-वार वास्तविक आवंटन पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उड़ीसा में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

4490. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में उड़ीसा में दूरदर्शन स्टूडियो की व्यवस्था की जाएगी;

(ख) इस समय किन-किन राज्यों में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना की गई है;

(ग) उड़ीसा राज्य को इतने समय तक दूरदर्शन स्टूडियो से वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उड़ीसा में दूरदर्शन रिले केन्द्र अभी तक पश्चिम बंगाल के दूरदर्शन केन्द्र के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय उड़ीसा में कटक में एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कार्य कर रहा है। इसके अलावा, भुवनेश्वर में उपग्रह अपलिंक सुविधाओं के प्रावधान के साथ एक पूर्णरूपेण रंगीन दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है।

(ख) स्थायी/अंतरिम ढांचे के रूप में दूरदर्शन स्टूडियो सुविधाएं इस समय निम्नलिखित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में उपलब्ध हैं :—

1. असम
2. आंध्र प्रदेश
3. गुजरात
4. जम्मू व काश्मीर
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. उड़ीसा
9. पंजाब

10. तमिलनाडु

11. उत्तर प्रदेश

12. पश्चिम बंगाल

13. दिल्ली

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

### "प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो" की सेवा में चुस्ती लाना

4491. श्री सुभाष यादव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन फेडरेशन आफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूज़पेपर्स" के तत्वाधान में दिनांक 3 अक्तूबर, 1985 को बंगलौर में हुई बैठक में छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों के सम्पादकों द्वारा पारित एक संकल्प की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो की सेवा में न केवल बड़े समाचारपत्रों वरन् छोटे और मध्यम समाचारपत्रों की सेवा के लिए भी चुस्ती लाई जा रही है; और

(ग) क्या "प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो" के प्रचार विभाग को अधिक सूचना उन्मुखी बनाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पत्र सूचना कार्यालय लघु तथा मझौले समाचारपत्रों को पहले ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है ताकि वे अपने समाचार कवरेज में सुधार कर सकें। यह कहना सही नहीं है कि पत्र सूचना कार्यालय प्रचार कार्य आयोजित करते समय केवल बड़े समाचारपत्रों का ही ध्यान रखता है। पत्र सूचना कार्यालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गति-विधियों के लिए प्रचार करवाना है तथा प्रेस दलों में शामिल करने के लिए समाचारपत्रों का चयन इस कार्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रेस दलों का आयोजन करते समय, पत्र सूचना कार्यालय सामान्यतया दल के आभार को देखते हुए यथासंभव हद तक लघु तथा मझौले समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करता है।

2. प्रधान मन्त्री की विदेश यात्राओं के समय उनके साथ जाने वाले प्रेस दलों के मामले में, सामान्यतया स्थान की कमी के कारण छोटा दल ले जाया जाता है। इस दल में समाचार एजेंसियों तथा विभिन्न समाचार पत्रों, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों, को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रकार

के प्रेस दलों में सामान्यतया लघु तथा मझोले समाचारपत्रों के एक या अधिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।

## राष्ट्रीय शुष्क भूमि खेती आयोग की सिफारिशें

4492. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्ततः शुष्क भूमि में खेती के क्षेत्र में जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, सुधार करने की आवश्यकता महसूस की है; और

(ख) क्या यह सच है कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र की बागडोर संभालते हुए गैर-पेशेवर कर्मचारियों के अज्ञान के कारण राष्ट्रीय आयोग की अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा उन पर विचार नहीं किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार बारानी खेती की ओर लगातार ध्यान देती रही है और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम चलते रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों की जांच की जा चुकी है और कुल मिलाकर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में बागेश्वर में दूरदर्शन टावर स्थापित करना

4494. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में बागेश्वर में टेलीविजन टावर स्थापित करने के बारे में लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन टावर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र को दूरदर्शन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) देश के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा का विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केवल चरणबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

### देश में भारतीय राज्य फार्म निगम

4495. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा कितने फार्मों का संचालन किया गया है और वे कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक फार्म कितने क्षेत्र में है;

(ख) कर्नाटक के रायचूर जिले में सिंधनूर "ज्वालगेरी" फार्म के लिए भारतीय राज्य फार्म निगमों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि काफी बड़े क्षेत्र का विकास नहीं किया गया है और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(घ) इन फार्मों में अब तक कौन-कौन से प्रमुख बीज उगाए गए हैं; और राष्ट्रीय बीज निगम को वितरित किए गए हैं; और

(ङ) ये बीज किस वर्ष उगाए गए थे और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में बीजों का वितरण किया गया ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) इस समय भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चौदह फार्मों का प्रबन्ध किया जा रहा है। इनके स्थान और क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्म, सिंधनूर, ज्वालगेरी, जिला रायचूर पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये में)

| 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|
| 12.15 | 99.05 | 22.41 |

(ग) रायचूर फार्म के कुल 2960 हैक्टेयर क्षेत्र में से 2430 हैक्टेयर कृषि योग्य है। तथापि,

कृषि के अन्तर्गत लाया गया वास्तविक क्षेत्र, तुंगभद्रा परियोजना से सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करने से कम-ज्यादा होता रहता है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादित बीजों की मात्रा और राष्ट्रीय बीज निगम को सप्लाई की गई मात्रा संलग्न विवरण-दो में दर्शाई गई है। शेष मात्रा कर्नाटक और अन्य राज्यों को सप्लाई की जाती है।

**विवरण-एक**

भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा प्रबन्धित फार्मों का स्थान तथा क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण

| क्रम सं० | फार्म का नाम तथा स्थान | क्षेत्र (हैक्टेयर) |
|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान) | 5,127 |
| 2. | केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राजस्थान) | 5,880 |
| 3. | केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर (राजस्थान) | 5,393 |
| 4. | केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढोवाल (पंजाब) | 1,663 |
| 5. | केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) | 2,715 |
| 6. | केन्द्रीय राज्य फार्म, देहरादून (उत्तर प्रदेश) | 3,828 |
| 7. | केन्द्रीय राज्य फार्म, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) | 191 |
| 8. | केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी (असम) | 1,986 |
| 9. | केन्द्रीय राज्य फार्म, बारपेट (असम) | 100 |
| 10. | केन्द्रीय राज्य फार्म, (मिजोरम) | 523 |
| 11. | केन्द्रीय राज्य फार्म, बबाई (मध्य प्रदेश) | 1,345 |
| 12. | केन्द्रीय राज्य फार्म, ज्वालगेरा, रायचूर (कर्नाटक) | 2,960 |
| 13. | केन्द्रीय राज्य फार्म, चेन्गम (तमिलनाडु) | 3,904 |
| 14. | केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम, कन्नानोर (केरल) | 3,060 |

विवरण-दो

केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर

(मात्रा क्विंटलों में)

| क्रम सं० | फसल | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कपास | 153 | 356 | 172 |
| 2. | मूंग | 10 | — | 31 |
| 3. | अरहर | 120 | 284 | 19 |
| 4. | लोबिया | 336 | — | 33 |
| 5. | गेहूं | — | — | 559 |
| 6. | सूरजमुखी | 573 | 667 | 472 |
| 7. | कुसुम | 163 | 149 | 100 |
| 8. | मक्का | 207 | — | — |
| 9. | धान | 66 | — | — |
| 10. | मूंगफली | 28 | 96 | 2 |
| 11. | बाजरा | 118 | — | 228 |
| 12. | ज्वार | 55 | — | 289 |
| 13. | चना | 50 | — | 25 |
| 14. | अन्य विविध फसलें | 6 | — | — |
| | | 1885 | 1552 | 1980 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को सप्लाई किए गए बीज

| | |
|---|---|
| मक्का विजय मिश्रित अधिप्रमाणित | 84.00 क्विंटल |
| कुसुम मन्गेरा अधिप्रमाणित | 31.50 क्विंटल |
| मूंगफली डी०एच० 3-30 आधारी | 28.04 क्विंटल |
| मूंगफली एस-206 आधारी | 7.78 क्विंटल |

## मरुस्थल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4496. श्री डी० बी० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्यों में बड़े-बड़े रेगिस्तान हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम) कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में प्रत्येक राज्य वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या लक्ष्यों को पूरा किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मरुभूमि विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों के मरुभूमि क्षेत्रों के रूप में चुने गए इलाकों में 1977-78 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र में 1982-83 से कार्य-दल तथा 1985-86 से अन्तर-विभागीय दल की सिफारिशों के आधार पर थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए राज्य-वार क्षेत्र संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान अनुमोदित आबंटन की तुलना में कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति विवरण-2 में दी गई है। उपलब्धियों में कमी विभिन्न कारणों से रही; जैसे राज्य सरकार द्वारा बराबर के अपने योगदान का समय पर मुक्त न किया जाना, वार्षिक कार्य-योजनाओं का देरी से तैयार किया जाना, कर्मचारियों की कमी, साज-सामान, सामग्री व उपस्करों के प्राप्त करने में विलम्ब होना, भूमिअधिग्रहण में धीमी प्रगति, आदि।

### विवरण-1

| अवधि | राज्य | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गुजरात | हरियाणा | हिमाचल प्रदेश | जम्मू व कश्मीर | राजस्थान | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1977-78 से 1981-82 | | | | | | |
| जिलों की संख्या | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| खंडों की संख्या | 11 | 26 | 1 | 10 | 84 | 132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 982-83 से 984-85 | | | | | | |
| लों की संख्या | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 21 |
| ों की संख्या | 8 | 26 | 2 | 6 | 84 | 126 |
| 85-86 से | | | | | | |
| लों की संख्या | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 21 |
| ों की संख्या | 9 | 26 | 2 | 10 | 84 | 131 |

विवरण-2

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

| राज्य | 1983-84 | | | 1984-85 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | व्यय | आबंटन का प्रतिशत व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन का प्रतिशत व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| गुजरात | 82.40 | 103.11 | 125.13 | 82.40 | 91.04 | 110.49 |
| हरियाणा | 230.00 | 250.91 | 109.00 | 230.00 | 281.87 | 122.55 |
| हिमाचल प्रदेश | 100.00 | 80.92 | 80.92 | 100.00 | 95.61 | 95.61 |
| जम्मू व कश्मीर | 100.00 | 109.89 | 109.89 | 100.00 | 132.56 | 132.55 |
| राजस्थान | 1571.00 | 954.68 | 60.77 | 1571.00 | 1017.15 | 64.75 |
| कुल | 2083.40 | 1499.51 | 71.97 | 2083.40 | 1618.23 | 77.67 |

| राज्य | 1985-86 | | | 1983-84 से 1985-86 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | व्यय (जन० 86) (अनंतिम) | आबंटन का प्रतिशत | आबंटन | व्यय (अनंतिम) | आबंटन का प्रतिशत व्यय |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. गुजरात | 98.00 | 73.31 | 74.81 | 262.80 | 267.46 | 101.77 |
| 2. हरियाणा | 206.00 | 118.86 | 57.70 | 666.00 | 651.64 | 97.84 |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 100.00 | 99.51 | 99.51 | 300.00 | 276.04 | 92.01 |
| 4. जम्मू व कश्मीर | 100.00 | 84.79 | 84.79 | 300.00 | 327.24 | 109.08 |
| 5. राजस्थान | 1096.00 | 779.66 | 71.14 | 4238.00 | 2751.49 | 64.29 |
| कुल : | 1600 00 | 1 56.14 | 72.26 | 5766.80 | 4273.87 | 74.11 |

## अच्छे किस्म/प्रमाणित बीजों का उत्पादन

4497. डा० चिन्ता मोहन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी किस्म/प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में विभिन्न फसलों के बीजों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता कितनी है और वर्तमान उत्पादन एजेंसियां इस लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त कर सकेंगी ;

(ग) इन बीजों की उत्पादकता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार गैर सरकारी व्यापारियों तथा किसानों द्वारा भी बीजों के उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित करने का है ;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित/अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण में निम्न प्रकार से वृद्धि हुई हैं :—

(मात्रा लाख क्विटल में)

| वर्ष | उत्पादन | वितरण |
|---|---|---|
| 1982-83 | 36.61 | 42.06 |
| 1984-84 | 41.26 | 44.97 |
| 1984-85 | 49.97 | 48.46 |

(ख) बीजों के बदलने को अनुशंसित दर के आधार पर, प्रमाणित/अच्छी किस्म के बीजों को वार्षिक अनुमानित जरूरत 1985-86 के लिए 54.61 लाख क्विटल और 1986-87 के लिए 60 लाख क्विटल आंकी गई हैं। दलहनों और तिलहनों को छोड़ कर, कुल मिलाकर, सभी फसलों के बीजों की जरूरत बीज उत्पादन करने वाली विद्यमान एजेंसियों द्वारा पूरी कर दी जाती हैं। अगले 2-3 वर्षों के दौरान जरूरत पूरी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) प्रमाणित/अच्छी किस्म के बीज एक मुख्य घटक हैं, जो उत्पादकता निर्धारित करते हैं। तथापि, इन बीजों की उत्पादकता में वृद्धि की प्रतिशतता दर्शाने वाले कोई पृथक आंकड़े नहीं निकाले जा सकते।

(घ) जी हां।

## केले की फसल में कमी

4498. श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में केले की फसल में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केला उत्पादकों को प्रोत्साहन और सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केले का उत्पादन 1981-82 में 4579.8 हजार मीटरी टन से बढ़कर 1983-84 में 4647.7 हजार मीटरी टन हो

बहरहाल, 1984-85 में 8626.2 हजार मीटरी टन होने से उत्पादन में मामूली कमी आई

ख और ग) राज्य सरकारें अधिक उत्पादन के लिए रोपण सामग्री की आपूर्ति वित्तीय तथा विस्तार सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करके केले के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही हैं। सरकार गोवा में केला सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम की योजना भी कार्यान्वित कर रही है। भारतीय संधान परिषद ने अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना "अनुसंधान योजना शुरू में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त कृषि-प्रौद्योगिकी को तैयार करने के लिए अन्य केला भी शामिल है। यह भी निश्चय किया गया है कि सातवीं योजनावधि के दौरान भार- अनुसंधान परिषद द्वारा केला सम्बन्धी राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जाय।

### धुलियान (पश्चिम बंगाल) में क्षयरोग अस्पताल

499. श्री जायनल अबेदिन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि धुलियान जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में 8 फरवरी, 1986 के अस्पताल का शिलान्यास होना था;

ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए बहुत समय पूर्व धुलियान में चुने गए इस धारित तिथि को शिलान्यास नहीं किया गया है;

) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं; और

) शिलान्यास कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) प्रारम्भ में, बीड़ी लिए धुलियान में 50 पलंगों के एक सामान्य अस्पताल का निर्माण करने का निर्णय लिया इसकी आधारशिला 8-2-1986 को रखी जानी थी। तथापि, यह निर्णय लिया गया के नजदीक सेजर गोदे नामक स्थान पर उक्त अस्पताल के लिए अधिक बेहतर जगह गए सेजर गोदे में आधार शिला रखी गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

### बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण

00. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा टेलीविजन पर सप्ताह में कितने घंटे उर्दू कार्यक्रम जाते हैं।

(ख) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा उर्दू कार्यक्रमों के प्रसारण का समय बढ़ाये आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर दूरदर्शन पर उर्दू कार्यक्रमों के समय में वृद्धि करने के लि आवश्यक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) उर्दू का 20 मिनट की अवधि के लिए महिने में एक बार टेलीकास्ट किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कव्व गजल तथा उर्दू के भक्ति गीत शामिल हैं?

(ख) और (ग) सीमित प्रेषण घंटों के कारण फिलहाल उर्दू कार्यक्रमों की अवधि या नए उर्दू कार्यक्रम चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र अभी सीमित निर्माण सुविधा साथ अन्तरिम ढांचा ही है।

**(बड़े औद्योगिक गृहों के औद्योगिक कर्मचारी**

4501. **श्री राम भगत पासवान** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात की विशेष जांच करने का है कि पहले दस औद्योगिक गृहों में कर्मचारियों की किन परिस्थितियों में नियुक्ति की जाती है और उनसे इस्ती दिलवाया जाता है क्योंकि ये गृह अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक नियमों की अवहेलना करने हेतु उस स्थिति बचना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक गृहों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवा करने का विचार है?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) और (ख) : कर्मकारों नियोजन से सम्बन्धित कानूनों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की शिकायतों पर कारवाई करने लिए राज्य सरकारें, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित सरकारें हैं। जब कभ ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर कारंवाई करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन राज्य सरकारें, किस औद्योगिक विवाद से संगत या सम्बन्धित किसी मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए जांच-न्यायाल भी गठित कर सकती है। ऐसी शक्तियां केन्द्रीय सरकार को उन उद्योगों के सम्बन्ध में प्राप्त हैं जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित सरकार है।

[हिन्दी]

## जबलपुर में दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियों की स्थापना

4502. श्री अजय मुशरान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जबलपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त राशि का आवंटन किया जा रहा है; और

(ग) क्या उक्त ट्रांसमीटर को सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चरण में स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन की सातवीं योजना में जबलपुर के अल्प शक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि० वा०) वाला ट्रांसमीटर लगाने की स्कीम शामिल है। तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन संसाधनों के वास्तविक वर्ष-वार आवंटन पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

## गन्ने की उत्पादकता में गिरावट

4503. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
श्री डी० एन० रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसंधान तथा विकास प्रयासों की असफलता के कारण गन्ने की उत्पादकता में गिरावट आती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चुकन्दर के उत्पादन के गंभीरता से परीक्षण किये जाएंगे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले कुछ

वर्षों के दौरान उत्पादन में बहुत कम घट-बढ़ हुई है। तथापि, पिछले दो वर्षों में उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अन्तर्गत चुकन्दर की पूरक चीनी फसल के रूप में जांच की जा रही है।

### इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी की रुग्णता

4504. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी रुग्णता की ओर अग्रसर है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी के संकट का गहरायी से अध्ययन किया है; और

(ग) इस कंपनी को रुग्णता से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क)** इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी रुग्ण होने नहीं जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

### मुंह और खुर की महामारी के विरुद्ध पशुओं का प्रतिरक्षण

4505. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मुंह-खुर की महामारी रोकने के लिए पशुओं के प्रतिरक्षण पर राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि का केवल 25 प्रतिशत भाग ही देती है; और

(ख) क्या इस गंभीर बिमारी को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता देने का विचार है जैसाकि पशु प्लेग की रोकथाम के लिए किया जा रहा है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)** "खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण" को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, रोग रोधक टीके लगाने की

बहुयुक्त वैक्सीन की लागत केन्द्र, राज्य और किसान द्वारा 25 : 25 : 50 के अनुपात में वहन की जाती है। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, यह लागत केन्द्र तथा किसान द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है। महामारी पर काबू पाने के लिए एक संयोजी मोनोवेलेंट वैक्सीन का सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और राज्यों में इसकी लागत केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर और संघ शासित क्षेत्रों में पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

### हुडको द्वारा पश्चिम बंगाल को निधियों का आवंटन

4506. डा० फूलरेणु गुहा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में हुडको द्वारा पश्चिम बंगाल में मकानों का निर्माण करने हेतु निधियों का आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिए हुडको ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 22.96 करोड़ रुपये की राशि नियतित की है। इस अवधि के दौरान 8.43 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक कुल 84.94 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

### कर्नाटक में लौह अयस्क खानों का विकास

4507. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लौह अयस्क खानों के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० तथा

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० कर्नाटक में लौह अयस्क की खानें हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० की बेलारी जिले में दोणिमलै में एक पूरी तरह से यंत्रीकृत खान है, जिसका उत्पादन मुख्यत: निर्यात के लिए है। मद्रास की बाह्य बन्दरगाह में कर्नाटक से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए 85,000 टन भार के जहाजों की वर्तमान स्वीकार्य क्षमता की तुलना में 110,000 टन भार क्षमता के जहाजों को खड़ा करने की एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। दोणिमलै तथा बेलारी-हास्पेट क्षेत्र से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए दिसम्बर, 1983 में जापान की इस्पात मिलों के साथ एक दीर्घकालीन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अत: इस प्रकार सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की खानों के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

चूंकि लौह अयस्क सांद्रण की निर्यात मांग के अभाव के कारण कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० को पूरी क्षमता पर नहीं चलाया जा सका है अत: सरकारा ने कम्पनी द्वारा कुद्रेमुख में उत्पादित सांद्रण के इस्तेमाल के लिए कम्पनी द्वारा मंगलौर में 30 लाख टन वार्षिक क्षमता के पैलेट बनाने के संयंत्र की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। इस संयंत्र में अप्रैल में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

## पान विकास बोर्ड का गठन

4508. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक पान विकास बोर्ड स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पान की खेती बहुत सीमित पैमाने पर होती है और इस समय इसके लिए किसी अलग बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

## प्रौद्योगिकी के अन्तरण के माध्यम से धान और मक्का की उपज में वृद्धि

4509. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के प्रभावी अंतरण के द्वारा धान और मक्का की उपज तीन गुणा बढ़ाई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में परीक्षण के तौर पर अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय प्रदर्शनों, परिचालन अनुसंधान परियोजनाओं और प्रयोगशाला से खेत तक जैसे प्रौद्योगिकी स्थानांतरण कार्यक्रमों के द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया है कि कृषि के मामले में पिछड़े क्षेत्रों में, जहां कि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से भी कम है, उन क्षेत्रों में वहां उन्नत किस्मों और एकमुश्त कृषि क्रियाओं को अपना कर धान और मक्के की पैदावार को तीन गुणा तक बढ़ाया जा सकता है, जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है : —

पैदावार क्विंटल/हैक्टेयर

| फसल | पिछड़े क्षेत्रों के कृषकों द्वारा | राष्ट्रीय औसत | राष्ट्रीय प्रदर्शन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | औसत | अधिकतम | न्यूनतम |
| धान (उड़ीसा) | 6—8 | 14.15 | 42 | 60 | 30 |
| मक्का (कर्नाटक) | 8—10 | 13-1 : | 51 | 68 | 38 |

सातवीं योजना के दौरान सरकार विभिन्न प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और तेजी लायेगी।

## गेहूं और धान का समर्थन मूल्य

4510. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ख) थोक मूल्य सूचकांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) गेहूं और धान की 1985-86 की फसल की अधिप्राप्ति की कीमतें कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई थीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन की लागत के अनुमान और अन्य सम्बद्ध घटकों और राज्य सरकारों एवं सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को भी ध्यान में रखा था।

(ख) गेहूं और चावल के थोक मूल्यों की अखिल भारत सूचकांक संख्या के संकलन के लिए सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति मूल्यों का उपयोग नहीं किया जाता।

**दूरदर्शन द्वारा "हम लोग" के स्वामित्व अधिकार का बेचा जाना**

4511. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने विदेशों में प्रदर्शन के लिए "हम लोग" के स्वामित्व अधिकार बेच दिए हैं; और

(ख) दूरदर्शन ने "हम लोग" धारावाहिक के लिए विज्ञापनों आदि के द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी, नहीं। "हम लोग" के स्वामित्व अधिकार इस धारावाहिक के निर्माता में निहित हैं, ये दूरदर्शन में निहित-विहित नहीं होते।

(ख) दूरदर्शन द्वारा "हम लोग" कार्यक्रमों के प्रायोजन शुल्क और स्पाट विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित कुल राजस्व की राशि 3,63.56 लाख रुपए हैं।

**केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**

4512. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित अथवा सहायता से चलने वाली कितनी योजनाएं हैं;

(ख) वर्ष 1984-85 में इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या ये योजनाएं सफल रही थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) केरल में सातवीं योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित मत्स्य पालन विकास योजनाएं निम्नलिखित हैं : -

(1) डिम्पोना उत्पादन के लिए अवस्थापनात्मक विकास।

(2) जल कृषि विकास—मछुआ विकास एजेंसियां।

(3) खारे पानी में जलकृषि।

(4) छोटे मछुवारों के लिए समुद्र-तट पर उतरने वाले उन्नत जलयानों को शुरू करना।

(5) बड़े पत्तनों में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का विकास।

(6) छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का विकास।

(ख) इन परियोजनाओं के लिए पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। वर्ष की परियोजनाओं के लिए समग्र बजट आवंटन से राज्यों को धनराशियां निर्मुक्त की जाती हैं। केरल में 1984-85 के दौरान चालू की गई योजनाओं के लिए खर्च की गई वास्तविक रकम निम्नलिखित है :—

| | (लाख रुपये) |
|---|---|
| (1) मछुवारों का तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण | 1.200 |
| (2) जलकृषि विकास-मछुआ विकास एजेंसियां | 2.705 |
| (3) खारे पानी में जलकृषि | 7 000 |
| (4) छोटे मछुवारों के लिए समुद्र-तट पर उतरने वाले उन्नत जलयानों को शुरू करना। | 10.000 |
| (5) बड़े पत्तनों में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का विकास। | 62.500 |
| (6) जापानी अनुदान-सहायता के अधीन जाल बनाने की छह मशीनों का आयात। | 52.400 |

(ग) इन योजनाओं में से कुछ योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। जो योजनाएं पूरी हो गई हैं, उनका निश्चित प्रभाव पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### मंदाकिनी एनक्लेव में फ्लैटों में खराबियां

4513. श्री राम पूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंदाकिनी एनक्लेव के फ्लैटों के आबंटियों ने स्ववित्तपोषित योजना

के अन्तर्गत इन्हें आबंटित फ्लैटों में खराबियों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण से शिकायत की है, यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं;

(ख) सरकार का उन खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या उन खराबियों को दूर करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां। ब्यौरे मुख्य रूप से कार्यात्मक हैं जैसे खिड़कियों और दरवाजों के शटरों को सुगम बनाना, छज्जों पर रखी गयी पानी की टंकियों से पानी बहना तथा रिसाव, स्वच्छता स्थापनाओं से पानी टपकना, पाइपों का अवरुद्ध हो जाना, कुछ शौचालयों तथा बालकनियों में अपर्याप्त ढलान की शिकायत समय-समय पर कुछ आबंटियों ने की है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने त्रुटियों को ठीक करने के आवश्यक कदम उठाये हैं। कुछ फ्लैटों में अपर्याप्त ढलान के अंशों को 15.4.86 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

(ग) क्योंकि ये त्रुटियां कार्यात्मक प्रकृति की हैं, इसलिए इन्हें जब कभी भी ध्यान में लाया जाता है, ठीक कर दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मत्स्यन नौकाओं के लिए ऋण**

4514. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान नौवहन विकास निधि समिति ने कितनी मत्स्यन नौकाओं के लिए ऋण दिया और तत्संबंधी कम्पनी वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये ऋण उक्त प्रत्येक कम्पनी के लिए निर्मित स्वदेशी और आयातित मत्स्यन नौकाओं के लिए दिए गए थे, यदि हां, तो दोनों के लिए पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की मत्स्यन नौकाओं के लिए ऋण दिए जाने से वर्तमान मत्स्यन नौकाओं की सामान्य स्थिति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1986 में नौवहन विकास निधि समिति से ऋण के लिए कितनी नौकाओं के लिए सिफारिश करने का है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख)

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। नौकाओं की संख्या जिसके लिए सिफारिश की जाएगी वह प्राप्त हुए आवेदनों, उनकी मंजूरी तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

## बेरोजगारों की संख्या के आंकड़े

4515. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
**श्री सुभाष यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1986 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बेरोजगारी के आंकड़ों में भारी असमानता है और सातवीं योजना के दस्तावेज में बेरोजगारों की संख्या 92 लाख आंकी गई है और वहां रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर के अनुसार यह संख्या 240 लाख है;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालयों में दर्ज सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं होते।

## एशियाड फ्लैटों की बिक्री

4516. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड फ्लैट अनबिके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितने एशियाड फ्लैट बिके हैं; और

(घ) क्या फ्लैटों को सरकारी अधिकारियों को आबंटित किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एशियाड परिसर में 853 रिहायशी एककों में से, 577 रिहायशी एककों को अभी बेचा जाना शेष है।

(ख) मूलत: प्रवासी भारतीयों से बहुत ही कम उत्तर मिलने के कारण जिनके लिए 599 फ्लैट अलग से रखे गये थे।

(ग) एशियाड परिसर में अभी तक 276 रिहायशी एककों को बेचा जा चुका है।

(घ) 150 रिहायशी एककों को सम्पदा निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे सामान्य पूल वास के अन्तर्गत विशेष आबंटन के लिए शहरी विकास मन्त्रालय को बेचे जाने का प्रस्ताव है। ये फ्लैट वैज्ञानिकों, कलाकारों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं विशेष रूप से प्रतिष्ठित संगठनों से संबंधित महिलाओं, जाने माने विद्वानों, प्रबन्धकों, प्रौद्योगिकियों तथा प्रशासकों जिनकी अल्पकालिक तदर्थ कार्यों के लिए सरकार को आवश्यकता पड़ सकती है, को आबंटित किये जायेंगे।

## दक्षिणी दिल्ली में हरित पट्टी पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

4517. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दक्षिणी दिल्ली में उन स्थलों पर बड़ी संख्या में आवासीय फ्लैटों का निर्माण कर रही है जो मास्टर प्लान/जोनल प्लान में हरित पट्टी के रूप में दिखाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और मास्टर प्लान/जोनल प्लान में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मास्टर प्लान/जोनल प्लान में परिवर्तन दिल्ली नगर कला आयोग की स्वीकृति से किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दक्षिण दिल्ली में रिहायशी फ्लैटों के निर्माणार्थ वृहत योजना में "हरित पट्टी" के रूप में दर्शाये गए क्षेत्रों में केवल तीन योजनाओं का ढांचा तैयार किया गया है।

(ख) ये तीन योजनायें इस प्रकार हैं :—

(i) प्रहलादपुर 608 जनता, 128 निम्न आय वर्ग फ्लैट

(ii) सैयदुला जाब स्ववित्त पोषित योजना में श्रेणी II तथा III के साकेत के निकट 288 फ्लैट

(iii) एयर फोर्स स्टेशन स्ववित्त पोषित योजना में श्रेणी II तथा III के समीप तुगलगाबाद के 252 फ्लैट

चूंकि जिन क्षेत्रों में जिन पर उपर्युक्त योजनाओं का ढांचा तैयार किया गया है, उनके अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण/कब्जे की अधिकांशतः सम्भावना थी, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी आवास योजनाओं जिसके लिए भूमि की नितान्त कमी है, के लिए इसे उपयोग में लाने का निर्णय लिया है। वृहत योजना में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, वृहत योजना/क्षेत्रीय योजना में संशोधन को शहरी विकास मंत्रालय से अनुमोदित कराना होता है न कि दिल्ली नगर कला आयोग से।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण

4518. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985 तक कुल कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उस अधिगृहीत भूमि में से कितनी भूमि का विकास किया गया है और अब तक उसका उपयोग किया गया है और कितने एकड़ भूमि को नीलामी/आबंटन द्वारा बिक्री के लिए भूखण्डों में बदल दिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने एकड़ भूमि प्रत्येक सामूहिक आवास समितियों और फ्लैटों के निर्माण के लिए दी गई है;

(ख) अविकसित शेष भूमि यदि कोई रह रही है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले से अधिगृहीत अविकसित भूमि को विकसित करने और उसका उपयोग किये जाने तक और भूमि का अधिग्रहण करना बन्द कर दिया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 1985 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को 48,378 एकड़ भूमि सौंपी गई है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाने के लिए प्रस्तावित भूमि के ब्यौरे जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध शेष क्षेत्र भी शामिल है, इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | रिहायशी योजनायें | 14,193.81 एकड़ |
| (2) | औद्योगिक योजनायें | 2,581.00 एकड़ |
| (3) | बागवानी | 7,209.62 एकड़ |
| (4) | मलिन बस्ती उन्मूलन तथा झुग्गी-झोंपड़ी योजनायें | 5,982.20 एकड़ |
| (5) | वाणिज्यिक, सांस्थनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी अभिकरण | 9,362.78 एकड़ |
| (6) | सामूहिक आवास समितियां | 4,564.00 एकड़ |
| (7) | दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास शेष क्षेत्र | 4,485.00 एकड़ |
| | योग : | 48,378.71 एकड़ |

(ख) और (ग) भूमि का विकास एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अलावा, अन्य निकाय जैसे दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की जाती है, भी भूमि के विकास में शामिल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास शेष भूमि को न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों, अतिक्रमणों आदि जैसे विभिन्न कारणों से अभी तक विकसित नहीं किया जा सका। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से आगे और अर्जन को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**केरल में सब्जियों की फसल पर जीवाणु रोग**

4519. **श्री पी० ए० एन्टनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल में हरी मिर्च, बैंगन और अन्य सब्जियों के पौधों पर जीवाणु रोग का प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस रोग के बारे में कोई अध्ययन किया है और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकेरा में उपचारी उपाय ढूंढ निकालने से संबंधित अनुसंधान कार्य में प्रगति जारी है।

**उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत भर्ती एजेंसियों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन**

4520. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत, पंजीकृत भर्ती एजेंसियों, जो लोगों को विदेशों में रोजगार दिलाने के कार्य में लगी हुई है, से संबंधित नियमों और उप-नियमों में कुछ संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेंटवार्ताओं का रिकार्ड किया जाना**

4521. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री स्वतंत्रता सेना-**

नियों के साथ भेंटवार्ताओं के रिकार्ड किये जाने के बारे में 6 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5314 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1985 के दौरान जिन स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों के साथ भेंटवार्तायें रिकार्ड की गई हैं, उनके नाम अलग-अलग क्या हैं तथा उनको किन भाषाओं में रिकार्ड किया गया है;

(ख) क्या उक्त भेंटवार्ताओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अथवा साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं/बोलियों में रिकार्ड करने की कोई व्यवस्था है; और

(ग) इस प्रकार की बोलियों/भाषाओं विशेषकर आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों की, के नाम क्या हैं जिनमें इन भेंटवार्ताओं को रिकार्ड किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जिन स्वतंत्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के साथ वर्ष 1985 में आकाशवाणी द्वारा भेंटवार्ताएं रिकार्ड की गई, उनके नाम, भाषाओं के ब्यौरे के साथ, जिनके बारे में केन्द्रों से सूचना प्राप्त हुई है, संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं। दूरदर्शन के बारे में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जाएगी और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) आकाशवाणी के कार्यक्रम, जिनमें भेंटवार्ताएं भी शामिल हैं। विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

**विवरण-1**

| स्वतंत्रता सेनानियों के नाम | भाषा | आकाशवाणी केन्द्र, जहां रिकार्ड किया गया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| नाथ गुप्ता<br>गौड़ दत्ता चतुर्वेदी<br>ठाकुर राम सिंह<br>देवकी नन्दन विभवफूल<br>सिंह बेताब<br>बाबा पृथ्वी सिंह आजाद<br>दुर्गा बाधी<br>शिव वामा<br>विश्व नाथ माथुर<br>गया प्रसाद | हिन्दी | मथुरा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| गोपाल राव वालंजकर<br>अप्पाजी पुन्जे<br>श्रीधर ठाटे<br>श्रीमती मालती ठाटो | मराठी | नागपुर |
| नागप्पा शेट्टी (साक्षात्कार)<br>टी० विश्व नाथ राव<br>बासावनी राम शर्मा<br>(बातचीत)<br>जी० सदाशिव राव | कन्नड़ | भद्रावती |
| के० ईश्वर<br>के० एल० कारंथ | कन्नड़ | मंगलौर |
| शिव लाल कोटंडिया<br>माणिक लाल विद्यार्थी<br>गंगानाथ कासरा | हिन्दी | उदयपुर |
| पुष्पाबेन मेहता<br>अभाबेन गांधी<br>राम नारायण पाठक,<br>जुगत राम दवे<br>जयंत आचार्य<br>पृथ्वी सिंह आजाद<br>छगन लाल जोशी<br>जयाबेन शाह<br>नरेन्द्र अंजारिया<br>बाल कृष्ण शुक्ला<br>चांद मेहता<br>हीराबेन सेठ<br>जयंत पालन | गुजराती | राजकोट |
| भुवन सिंह रावत<br>कंवर सिंह नेगी<br>कमंठ<br>उमराव सिंह रावत<br>भगवंत चरण निर्मोही<br>भैरों दत्त भुलिया<br>भगत दर्शन परिपुरनंद<br>अपेनुली चन्द्र सिंह रावत | गढ़वाली | नजीबाबाद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ठाकुर राम कृष्ण सिंह<br>हर्षुल मिश्रा<br>मधु मंगल सोनी<br>कमल नारायण शर्मा<br>भोपाल राव तंवर<br>जगन नाथ भोगल<br>डा० बी० सी० जैन<br>महन्त लक्ष्मी नारायण<br>लख नाथ टिकरिहा<br>भुजबल सिंह कश्यप<br>लाल मोनी तिवारी<br>दुर्गा प्रसाद सिरमौर<br>भगवान दास मेहता | हिन्दी | रायपुर |
| हर मोहन तिवारी | हिन्दी | भोपाल |
| रविन्द्र नाथ सिकदर | बंगाली | सिलीगुड़ी |
| ए० सुब्रमणियन<br>जी० एस० लक्ष्मण अय्यर<br>वाई० एस० अविनाशलिंगम<br>रामसामी उदयार<br>पी० के० कुप्पुसामी<br>शानमुगन देवार<br>पी० एस० चिन्नादुरई<br>वी० वेणुगोपाल<br>दुरईसामी गाउन्डर | तमिल | कोयम्बतूर |
| डा० रत्नामयी देवी दीक्षित<br>वी० कुट्टीमालू अमा<br>रोसम्मा पुन्नूस<br>सोमाशिखारा पिल्लै<br>चेंगरापल्ली नारायणन् पोट्टी<br>डी० दामोदरन् पोट्टी<br>वेल्लापन पिल्लै<br>ए० पी० उदयभानु | मलयालम | त्रिवेन्द्रम |
| जगमोहन लाल निगम<br>सरस्वती प्रसाद पटेल<br>गजेन्द्र सिंह<br>हनुमान प्रसाद स्वर्णकार | हिन्दी | रीवा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| दन बहादुर सिंह<br>रामसुन्दर गोरम | बघेली | रीवा |
| डी० एस० पोटनिस | मराठी | जलगांव |
| फैरन दत्त पाण्डे<br>मोहन चन्द्र कर्णपाल<br>जीत सिंह<br>बिशन सिंह<br>हैदर सिंह<br>बौराजीवा लाल वर्मा | कुमाऊंनी | नजीबाबाद |
| बरेन्द्र पाण्डे<br>ललिता प्रसाद नैथानी<br>सुन्दर लाल बहुगुणा<br>जगत राम मिश्रा<br>ललिता वैष्णन् सच्चिदानन्द<br>पैइउली परिपूर्णानन्द | हिन्दी | नजीबाबाद |
| गामा तिसरिंग<br>श्रीचन्द गुप्ता<br>गम्भीर सिंह<br>कोलूकेई गाले<br>जी० डी० लाड<br>शेखकाका एलियस बंदु इनामदार<br>रामचन्द्र सखाराम पवार<br>आसाराम ध्याना देव पवार<br>शामराव यशवंत लाड<br>श्रीमती लीला दंडवते | नेपाली | कुर्सियांग |
| बापू साल्वी<br>श्रीमती जोशी | अंग्रेजी | पुणे |
| बसंत बपत | हिन्दी | पुणे |
| पोपट लाल शाह<br>रघुनाथ राव चंवन<br>डी० एम० सतारकर<br>एन० जी० गोरे<br>बलदेव प्रसाद गुप्ता<br>श्रिभव लिमेय | मराठी | पुणे |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| काशी नाथ रघुनाथ सालवी<br>विलास वैद्या<br>महादेव तुकाराम<br>श्रीमती आशा पाठरे<br>काशी नाथ विनायक शेवडे<br>भानुदास देसाई<br>बाबू राव संसारे | मराठी | रत्नागिरी |
| ज्ञान चन्द टूटू<br>भास्कर नन्द वैद<br>सूरत सिंह<br>हीरा सिंह पाल | हिन्दीं | शिमला |
| रत्न चन्द लोहल ज्ञान चन्द | कंजरी | शिमला |
| ए० वी० कुट्टी मोलू अम्मा<br>ए० के० श्रीकांत पोडुवल<br>के० के० कुट्टी कृष्णा पाडुवल<br>के० जी० मरार<br>मोयडू मौलवी<br>एन० पी० अबू<br>थारमंग कृष्णा<br>श्याम सुन्दर दास<br>के० ए० कारीलियन | मलयालम | कालीकट |

भाग दो

| भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के नाम | भाषा | आकाशवाणी केन्द्र, जहां रिकार्ड किया गया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| प्रेम दत्त पालीवाल | हिन्दी | मथुरा |
| कर्नल बदी सिंह रावत<br>बृज मोहन रतूरी<br>प्रेम सिंह रावत | गढ़वाली | नजीबाबाद |
| उमराव सिंह<br>चिंतामणि भट्ट | कुमाऊंनी | नजीबाबाद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| राजेश सिंह रावत<br>कैप्टन राम सिंह<br>बदरी प्रसाद डोगरियाल<br>मोहन सिंह चौहान<br>सरदार भूमन सिंह<br>कुन्दन सिंह आजाद | हिन्दी | नजीबाद |
| के० एम० कन्नोमपिल्ली | मलयालम | त्रिवेन्द्र |
| कर्नल जी० एस० ढिल्लों | हिन्दी | भोपाल |

**विवरण-2**

**आदिवासी बोलियों सहित भाषाओं/बोलियों की सूची, जिनमें आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा स्पोकन वर्ड कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं**

1. आदि
2. अंग्रेका
3. अपत्नी
4. आओ
5. अंगमी
6. अवधी
7. अनल
8. ऐमोल
9. असुर
10. बागड़ी
11. बुंदेलखंडी
12. भदावली
13. भोजपुरी
14. बिलासपुरी
15. बृज
16. बोडो
17. भुनी
18. बौंडा
19. बालटी
20. भटरा
21. भूमिया
22. भिल्ली
23. बुईलल्ली
24. चंबियाली
25. छुग
26. छतुईसक्ली
27. क्लिवू
28. छोलब
29. डिमासा
30. दिगावुमसुमी
31. डोगरी
32. देयोरी

33. डाफला
34. गढ़वाली
35. गारो
36. गोंड़ी
37. गुजरी
38. गलोंग
39. गडवा
40. हलबी
41. हरियाणवी
42. हो
43. ह्मार
44. ईदू
45. ईदूमिश्मी
46. जैन्तिया
47. जोंग
48. काबुई
49. कांगड़ी
50. कश्मीरी
51. खम्पती
52. खासी
53. किन्नारी
54. कोंकड़ी
55. कोणायक
56. कुक्रू
57. कुलवी
58. कुची
59. कुमाऊंनी
60. कारबी
61. खेमानुगम
62. खम्पा
63. कोयो
64. किसान
65. कोला
66. केन्धा
67. कोल्हा
68. कर्मा
69. कार्कू
70. कुडूक
71. कोऊ
72. कच्छा
73. कोली
74. खड़िया
75. कुरगाली
76. कहोली
77. लद्दाखी
78. लेप्चा
79. लोथा
80. लोअर मसऊ
81. ललुंग
82. लियांगनेई

83. लाहौली
84. महल
85. महारावुवी
86. माघी
87. मालती
88. मैथिली
89. मालवाम
90. मालवी
91. मंडियाल
92. माओ
93. मेवाड़ी
94. मिकिर
95. मिजो
96. मुवुदरी
97. मिछिग
98. मोनपा
99. मिछ
100. मटिया
101. मुन्डा
102. मुड़िया
103. मरिंग
104. मान्यू
105 मोनसंग
106. नागामीसे
107. नागपुरी
108. निछी
109. निमड़ी
110. नोक्टे
111. निकोबारी
112. ओरान
113. पहाड़ी
114. पंगवाली
115. फोग
116. पोमाको
117. पोछुरी
118. पारसा
119. पैंटे
120. पंचपरगुईया
121. राजस्थानी
122. रिनोमकखेसाग
123. संगतम
124. संथाली
125. सेमा
126. सुरमौरी
127. स्पिटियन
128. सौरा
129. साबर
130. सिक्किमीसे
131. सिमते
132. तांगिन

133. थाडो
134. थमभूल
135. तांगशा
136. तुलू
137. त्रिपुरी
138. अपर महासू
139. वैपाह
140. वारहडी
141. वांछू
142. यिमछुंगूर
143. जेलंग
144. जोऊ
145. सरगुजिया
146. भुटनिसी

क्षेत्रीय भाषाएं

1. हिन्दी
2. असमी
3. बंगाली
4. गुजराती
5. कन्नड़
6. कश्मीरी
7. मलयालम
8. मराठी
9. नेपाली
10. उड़िया
11. पंजाबी
12. सिंधी
13. तमिल
14. तेलुगु
15. उर्दू

## पूर्णकालिक रेडियो/दूरदर्शन संवाददाता

4522. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री पूर्णकालिक रेडियो/दूरदर्शन संवाददाताओं के बारे में 6 मई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों के शेष जिलों के मुख्यालयों में कोई नये नियमित आकाशवाणी/दूरदर्शन संवाददाता नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन जिलों के नाम क्या हैं जहां नियुक्तियां की जानी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आकाशवाणी/दूरदर्शन पर ऐसे जिलों में क्षेत्रों की स्थिति का पर्याप्त और व्यापक प्रसारण की व्यवस्था करने के लिए क्या नीति अपनाई गई है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी, नहीं। प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमित संवाददाताओं को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी की सातवीं योजना के प्रस्ताव में एक न्यूज ब्यूरो स्थापित करने की स्कीम शामिल है जिसके अन्तर्गत पर्याप्त कवरेज उपलब्ध करने के लिए पूरे देश को छः जोनों में बांटा जायेगा। इस स्कीम में यह परिकल्पना है कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र/राज्य की राजधानी में समाचारों के होने, आदि को देखते हुए जिला समूहों के लिए नियत संवाददाताओं के साथ एक वरिष्ठ संवाददाता होगा।

### आपरेशन फ्लड के कार्य निष्पादन सम्बन्धी "झा" समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

4523. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि मन्त्री आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के बारे में झा समिति की रिपोर्ट के बारे में 29 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति की रिपोर्ट में भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकरण का स्वतन्त्र मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन और सिफारिशों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) दोनों संस्थाओं की रिपोर्टों पर सरकार द्वारा अलग-अलग क्या निर्णय लिया गया है/कार्यवाही की गई है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में भारतीय डेयरी निगम/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एल० के० झा समिति का गठन किया गया था और समिति के तदनुसार अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें माननीय संसद सदस्य द्वारा उल्लिखित 29-7-85 को पूछे गए प्रश्न सं० 920 के उत्तर में पहले ही दी जा चुकी हैं।

(ग) समिति ने दोनों संस्थानों के लिए अलग-अलग रिपोर्ट नहीं दी हैं। वैसे समिति की रिपोर्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों को उनके विचार जानने/टिप्पणियों के लिए भेजी जा चुकी हैं। उनके विचारों/टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

## उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में आकाशवाणी सेवा उपलब्ध कराना

4524. श्री के० प्रधानी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के अधिकतर जनजाति क्षेत्र अभी भी आकाशवाणी सेवा से वंचित हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ऐसे क्षेत्रों में, जो अन्यथा दुर्गम हैं उनके विकास की गति में तेजी लाने के लिए वहां पर ट्रांसमीटरों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देती रही है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के किन जनजाति क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) मौजूदा आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा उड़ीसा राज्य के 9 आदिवासी जिलों में से, मौजूदा आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा दो जिलों को पूर्णतया कवर किया जाता है और 7 जिलों को आंशिक रूप से कवर किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। अपनी सातवीं योजना में आकाशवाणी का उड़ीसा राज्य के भवानी, पटना, बहरामपुर, बारीपाड़ा, राउरकेला और बोलनगीर में 5 नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। जैपोर के 20 किलोवाट वाले मौजूदा ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाकर 100 किलोवाट कर देने का भी प्रस्ताव है। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर भी आदिवासी जिलों को पर्याप्त रेडियो कवरेज प्राप्त होगा।

## केरल में डेरी का विकास

4525. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित डेरियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन डेरियों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या केरल में दूध का उत्पादन इतनी अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा केरल में डेरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र

की एक योजना आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत एर्नाकुलम स्थित डेरी का विस्तार किया जा चुका है और त्रिवेन्द्रम स्थित डेरी का विस्तार का प्रस्ताव है। इसके अलावा, क्विलोन, एलैप्पी, एर्नाकुलम और त्रिचूर में चार नई डेरियों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम डेरियों का पिछले तीन वर्षों का यथासूचित संयुक्त औसत दैनिक उत्पादन इस प्रकार है :—

| | | लीटर प्रतिदिन |
|---|---|---|
| 1. | 1982-83 | 16,000 |
| 2. | 1983-84 | 47,000 |
| 3. | 1984-85 | 82,000 |

(ग) दूध की पर्याप्तता आय और मांग से जुड़ी हुई है। केरल राज्य में वर्ष 1982-83 के दौरान अनुमानित स्वदेशी उत्पादन के आधार पर दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 112 ग्राम प्रतिदिन है जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पोषण सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत मात्रा 220 ग्राम है।

(घ) आपरेशन फ्लड के अलावा, केरल सरकार ने कम दूध देने वाले अनजानी नस्ल के पशुओं के संकर प्रजनन तथा भैंसों के सुधार के जरिए इस राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम लगभग 1402 क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के एक तन्त्र के जरिए किया जा रहा है। गोपशु विकास कार्य में, पशु और चारा उत्पादन के इण्डो-स्विस सहयोग, संकर नस्ल के सांड तैयार करने के कार्यक्रम और विदेशी डेरी पशुओं के साथ गोपशुओं के संकर प्रजनन तथा हिमित वीर्य तकनीक के प्रयोग से भैंसों के सुधार की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से भी सहायता प्रदान की गई है।

### शहरी विकास के लिए केरल को धन का आबंटन

4526. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु और मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या कालीकट, कन्नानोर, वायनाड, मालापुरम, कासरगोड और पालघाट को इसमें शामिल करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय

योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत केरल को तीन शहरों का आबंटन किया गया है। ये शहर छठी पंचवर्षीय योजना में चालू किये गये कार्य के साथ-साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 2.48 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित ये तीन शहर कम लागत स्वच्छता के लिए समान आधार पर ४.00 लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों का देना, केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकार के समान अंश को मिलाकर 70 प्रतिशत से अधिक के व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

(ख) वल्लापुरम शहर की स्वीकृति छठी योजना अवधि के दौरान दी गई थी। सातवीं योजना में पालघाट को शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष शहरों को लाभान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## केरल में टेलीविजन ट्रांसमीटर

4527. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीविजन ट्रांसमीटर किन-किन स्थानों पर हैं तथा प्रत्येक कितनी शक्ति के हैं;

(ख) क्या केरल के सम्पूर्ण क्षेत्रों/जनसंख्या तक दूरदर्शन कार्यक्रम पहुंचाने के लिए मौजूदा ट्रांसमीटर पर्याप्त हैं; और

(ग) केरल में माइक्रोवेव स्टेशनों की संख्या कितनी है और वे दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में किस प्रकार सहायता करते हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) केरल में फिलहाल उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दो दूरदर्शन ट्रांसमीटर, त्रिवेन्द्रम और कोचीन में एक-एक, और अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 3 दूरदर्शन ट्रांसमीटर, कालीकट, कन्नानोर और पालघाट में एक-एक, कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दूरदर्शन सिगनलों के प्रेषण के लिए केरल राज्य में इस समय कोई समर्पित माइक्रोवेव लिंक नहीं है। तथापि, सातवीं योजना की स्कीमों के अंग के रूप में कोचीन से होकर त्रिवेन्द्रम और कालीकट के बीच माइक्रोवेव लिंक (कोचीन में एण्ड लिंक के साथ) उपलब्ध करने के लिए दूरसंचार विभाग को पक्की मांग भेज दी गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा लिंक को कार्यान्वित कर दिए जाने के बाद कोचीन का दूरदर्शन ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में निर्मित कार्यक्रमों को रिले करने में

समर्थ हो जाएगा। कालीकट के ट्रांसमीटर को त्रिवेन्द्रम के कार्यक्रम रिले करने के लिए समर्थ बनाने के लिए कालीकट में एण्ड लिंक सुविधा का प्रावधान करना सातवीं योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

### केरल में छोटे और सीमांत किसानों को मिनिकिटों का वितरण

4528. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल में छोटे और सीमांत किसानों को बीजों और उर्वरकों के मिनिकिटों के वितरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रही, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) सातवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इस योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को तिलहनों और दलहनों के उत्पादन के लिए बीजों और उर्वरकों के मिनिकिटों के मुफ्त वितरण का एक कार्यक्रम 1983-84 में सभी राज्यों में, जिनमें केरल भी शामिल है, शुरू किया गया था।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान 1.18 लाख मिनिकिटों के लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक उपलब्धि केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.78 लाख रही।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सातवीं योजना के दौरान, तिलहनों, दलहनों और मोटे अनाजों के मिनिकिटों के वितरण की इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य 400 प्रति ब्लाक है।

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत तिलहनों, दलहनों और मोटे अनाजों के मिनिकिटों के वितरण के लिए 0.50 लाख रुपये प्रति ब्लाक का वार्षिक परिव्यय नियत किया गया है। इसका वहन राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

**केरल को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए खाद्यान्न की सप्लाई**

4529. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को वर्ष 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ख) वर्ष 1985 में केरल द्वारा वास्तव में कितनी मात्रा का उपयोग किया गया ?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख) केरल को वर्ष 1985-86 हेतु 29250 मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था। खाद्यान्नों के उपयोग की रिपोर्टें फरवरी, 1986 माह तक की उपलब्ध हैं। इनके अनुसार, राज्य द्वारा वर्ष 1985-86 में, फरवरी, 1986 तक, 8196.99 मीटरी टन खाद्यान्नों का उपयोग किया गया है।

**केरल में रोजगार की प्रतिशतता में कमी**

4530. **श्री सुरेश कुरूप**
**श्री के० मोहनदास** } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 से 1985 की अवधि के दौरान भारत की कुल रोजगार प्रतिशतता की तुलना में केरल की रोजगार प्रतिशतता में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कमी के मुख्य क्या कारण हैं ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा)** : (क) 1980 से 1985 की अवधि के दौरान कुल रोजगार के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1980 से 1985 की अवधि के दौरान भारत के रोजगार में केरल की प्रतिशतता में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बिहार में "अधिक चावल उगाओ" योजना सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजना**

4531. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को वर्ष 1985-86 के दौरान "अधिक चावल उगाओ योजना सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजना" के लिए आवंटित की गई राशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) अब तक वास्तव में खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति की गई है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के लिए 169.92 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है जिसका वहन भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| वर्ग | रुपये लाखों में |
|---|---|
| बीज | 4.72 |
| उर्वरक | 11.80 |
| पौध संरक्षण | 47.20 |
| खेती उपकरण | 41.30 |
| क्षेत्रीय प्रदर्शन | 11.80 |
| प्रशिक्षण/प्रोत्साहन | 53.10 |
| कुल : | 169.92 |

(ख) अब तक खर्च की गई वास्तविक धनराशि और हुई प्राप्ति का ब्यौरा राज्य सरकार ने अभी उपलब्ध नहीं कराया है।

**अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को डी० आर० आई० सेटों की सप्लाई**

4532. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण का लाभ पहुंचाने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन से डायरेक्ट रिसैप्शन सेटों की सप्लाई का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को ये सेट कब तक सप्लाई किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि संसाधनों की कमी के कारण संघ शासित क्षेत्र को सातवीं योजना अवधि के दौरान कोई सीधे संग्रहण सैट उपलब्ध करना सम्भव नहीं होगा।

## अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नारियल तथा नारियल की गिरी के मूल्यों में गिरावट

4533. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में और विशेषकर निकोबार द्वीपसमूह में जहां जनजातीय समुदाय का कृषि उत्पाद नारियल है, नारियल तथा नारियल की गिरी के मूल्यों में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन दूर दराज के द्वीपों में नारियल उत्पादक जनजातियों की सहायता हेतु क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या सरकार जनजातीय नारियल उत्पादकों को अपेक्षित सहायता देने के लिए निकोबार द्वीपसमूह में सर्वेक्षण कराएगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भाव गिरने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, खोपरे के लिए मण्डी में हस्तक्षेप करने के कार्यों की केन्द्रीय सरकार की योजना किसानों की मदद के लिए अंडमान और निकोबार में भी लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, अच्छे औसत स्तर का खोपरा 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। आरम्भिक तौर पर, इस योजना के अंतर्गत 5000 मीटरी टन खोपरे की मात्रा की खरीद का प्राधिकार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में द्वीपसमूह की इस काम के लिए नियत सहकारी एजेंसी के सहयोग से इस योजना को कार्यान्वित करेगा। इस कार्य में यदि कोई हानि हुई तो उसका वहन पूरी तरह केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

## अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में धान और चावल का समर्थन मूल्य

4534. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में धान और चावल के समर्थन मूल्य में उपयुक्त संशोधन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में कृषकों, विशेषकर

धान उत्पादकों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का क्यौरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) धान (सामान्य) का वसूली मूल्य 1984-85 में 137 रुपये प्रति क्विटल से बढ़कर 1985-86 के विपणन मौसम में 142 रुपए प्रति क्विटल हो गया है। सारे देश में धान का वसूली मूल्य एक समान है। धान के लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। प्रायः चावल की खरीद मिल-मालिकों तथा व्यापारियों से लेवी के तहत की जाती है।

**केरल में तिलहनों के उत्पादन में कमी**

4535. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन से तिलहनों की खेती की जाती है; और

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान केरल में तिलहनों के उत्पादन में कमी आने के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) केरल में मूंगफली तथा तिल दो मुख्य तिलहनों की खेती की जाती है। निम्नलिखित आंकड़ों को देखते हुए गत 3 वर्षों में केरल में तिलहन के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है :—

| वर्ष | कुल तिलहनों का उत्पादन (हजार मीटरी टन) |
|---|---|
| 1982-83 | 12.2 |
| 1983-84 | 12.9 |
| 1984-85 | 14.5 |

[हिन्दी]

**क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का कार्यकरण**

4536. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश में ग्रामीणोन्मुख प्रचार एजेन्सी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विषयों पर सरकारी कार्यक्रमों के बारे में उक्त निदेशालय में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और लोगों की इस प्रकार की विषयवार प्रतिक्रियाएं वर्ष 1984-85 के दौरान संबंधित विभागों, विशेषकर गृह, वित्त और ग्रामीण विकास विभाग को जांच के लिए किस-किस तारीख को भेजी गई थीं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों यथा फिल्मों, स्लाईडों, गीत और नाटक कार्यक्रमों, आयोजित दौरों, मुद्रित सामग्री तथा भाषणों के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार की मौलिक नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रतिबिम्बित करने के लिए जिम्मेदार है।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, 20 सूत्री कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंजाब का मामला, आम चुनाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, श्रीलंका के तमिलों का मुद्दा आदि विषयों पर जन प्रतिक्रिया रिपोर्ट एकत्र की गईं और आवश्यकतानुसार मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर तथा दिसम्बर, 1984 और जनवरी, और फरवरी, 1985 में संबंधित विभागों को भेजी गयी। कार्यक्रमों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी।

[अनुवाद]

## बोकारो इस्पात संयंत्र में स्लैग/स्क्रैप की बिक्री में धनराशि के दुर्विनियोजन का आरोप

4537. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद जिला जनता पार्टी ने स्लैग/स्क्रैप की बिक्री में धनराशि के दुर्विनियोजन के आरोप की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 अक्तूबर, 1985 को एक ज्ञापन भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ज्ञापन में लगाए गए विशिष्ट आरोपों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कारंवाई की गई है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस्पात कारखाने तथा "सेल" के परामर्श से ज्ञापन की जांच की गई थी और यह पाया गया कि लगाए गये आरोपों का कोई सार नहीं था।

## उड़ीसा में केन्द्रीय सहकारी ऋण बैंकों को वित्तीय सहायता

4538. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में केन्द्रीय सहकारी ऋण बैंकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में केन्द्रीय ऋण सहकारी बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण स्थिरीकरण निधि में से वर्ष 1985-86 में उड़ीसा को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निधि की समस्या का सामना मुख्यतया ऋणी किसानों को पहले दिये गये ऋणों की कम वसूली के कारण करना पड़ता है। बहरहाल, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसार, कोई भी केन्द्रीय सहकारी बैंक इतना कमजोर नहीं है कि उसके सुधार का काम हाथ में लिया जाए।

(ग) भारत सरकार ने कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार के लिए 10 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की है। सहकारी रूप से कम विकसित राज्यों और विशेष क्षेत्रों में सहकारी ऋण संस्थानों को सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए भारत सरकार द्वारा 20.00 लाख रुपये की राशि भी रिलीज की है। किसानों के स्तर पर 1396.33 लाख रुपये वे ऋणों के परिवर्तन में नाबार्ड ने अपने शेयर (60%) के 837.80 लाख रुपये की स्वीकृति की है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन पर होने वाले खर्च के सरकारी/न्यासी ऋण-पत्रों के बचन को पूरा करने के मुद्दे नाबार्ड ने अपने शेयर के 10% खर्च को वहन करने के लिए 139.63 लाख रुपये की राशि राज्य सहकारी बैंक को स्वीकृत की नाबार्ड ने वर्ष 1985-86 के दौरान 16 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक को अधिकतम 6675 लाख रुपये की अल्पावधि ऋण की स्वीकृति भी की है।

## राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा राज्यों को मंजूर किये गये ऋण

4539. श्री अजय विश्वास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 और 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न राज्यों को, राज्यवार कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गये;

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को विभिन्न राज्यों से, राज्य-वार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) क्या सिनेमा थियेटरों के निर्माण के लिए ऋण मंजूर करने में सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन किया गया था ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम किसी भी राज्य को ऋण मंजूर नहीं करता है। यह राज्यों आदि में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए विभिन्न पार्टियों को ऋण मंजूर करता है। सिनेमा घरों के निर्माण के लिये ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या, जिन मामलों में 1984-85 और 1985-86 (28-2-86 तक) के दौरान ऋण स्वीकृत किए गये, उनकी कुल संख्या तथा ऋणों की राशि के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार सिनेमा घरों के निर्माण के लिए ऋण मंजूर नहीं करती है। इस प्रकार के ऋण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निगम द्वारा मंजूर किये जाते हैं।

## विवरण

1984-85 तथा 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

| क्रम सं० | राज्य | 1984-85 | | | | 1985-86 (28-2-1986 तक) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | उन मामलों की संख्या जिनमें ऋण मंजूर किए गए | स्वीकृत ऋण की कुल राशि (रु० लाख में) | राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का हिस्सा (रु० लाख में) | प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | उन मामलों की संख्या जिनमें ऋण मंजूर किए गये | स्वीकृत ऋणों की कुल राशि (रु० लाख में) | राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम हिस्सा (रु० लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9 | 6 | 43.75 | 25.00 | 4 | 2 | 14.50 | 7.2 |
| 2. | असम | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 3. | बिहार | 2 | 2 | 13.70 | 10.60 | — | — | — | — |
| 4. | गुजरात | 1 | 1 | 7.50 | 7.50 | 2 | 1 | 7.50 | 7.5 |
| 5. | कर्नाटक | 6 | 4 | 19.70 | 13.10 | 7 | 1 | 7.50 | 3.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मध्य प्रदेश | 5 | 6 | 41.50 | 20.75 | 8 | 1 | 7.50 | 3.7 |
| 7. | महाराष्ट्र | 4 | 6 | 40.20 | 32.70 | 2 | — | — | — |
| 8. | मणिपुर | 1 | — | -- | — | 1 | — | — | — |
| 9. | मेघालय | 1 | 1 | 7.50 | 3.75 | — | — | — | — |
| 10. | उड़ीसा | — | — | — | — | 3 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| 11. | राजस्थान | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 12. | तमिलनाडु | 4 | 4 | 21.25 | 10.63 | 6 | 2 | 15.00 | 11.2 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | — | 1 | 22.50 | 22.50 | 6 | 1 | 7.00 | 3.5 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 2 | 1 | 7.50 | 3.75 | 1 | — | — | — |
| | | 33 | 32 | 225.10 | 150.28 | 44 | 9 | 61.50 | 39.5 |

**कच्चे लोहे के लिए धर्मनगर में एक नया स्टाकयार्ड खोलना**

4540. **श्री अजय विश्वास :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने दिसम्बर, 1985 में कच्चे लोहे के लिए धर्मनगर में एक नया "स्काटयार्ड" खोला है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने दिसम्बर, 1985 से धर्मनगर स्टाकयार्ड में कच्चे लोहे के भण्डार बनाने की कोई व्यवस्था की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :** (क) से (ग) धर्मनगर में "सेल" स्टाकयार्ड नवम्बर, 1985 में खोला गया है, परन्तु परिवहन तथा अन्य परिचालनात्मक कठिनाइयों के कारण अब तक वहां पर कच्चा लोहा नहीं पहुंचाया जा सका है। फिर भी "सेल" ने धर्मनगर के स्टाकयार्ड में कच्चे लोहे की कुछ मात्रा पहुंचाने के लिए अब उपाय किए हैं। इस समय त्रिपुरा में ग्राहकों की आवश्यकताएं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में स्थित 'सेल" के अन्य स्टाकयार्डों से पूरी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

**जिन्दा दफनाए गए मजदूरों को मुआवजा**

4541. **श्री मूल चंद डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रथम पृष्ठ पर "श्री परसंस बरीड एलाइव इन दिल्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इसके लिए कौन व्यक्ति जिंम्मेदार है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मृतकों के उत्तराधिकारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन आयुक्त को ठेकेदार के प्रति बीमा कम्पनी से 1,20,147/- रुपये का चैक प्राप्त हुआ है। मृतकों के वैध उत्तराधिकारियों को कहा गया है कि वे मुआवजा प्राप्त करने के लिए 10-4-1986 को न्यायालय में उपस्थित हों।

[अनुवाद]

## दैनिक समाचार बुलेटिन के लिए दूरदर्शन द्वारा समाचार एकत्र करने के स्त्रोत

4542. श्री शान्ता राम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन अपने दैनिक समाचार बुलेटिनों के लिए किन स्त्रोतों से समाचार एकत्रित करता है;

(ख) क्या दूरदर्शन को समाचार एकत्रित करने के अपने स्त्रोतों में सुधार करने की योजनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) समाचार कहानियां स्थानीय रिपोटिंग; प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया जैसी समाचार एजेंसियों; आकाशवाणी की पूल प्रति, पत्र सूचना कार्यालय सहित विभिन्न संगठनों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेस नोटों और हैंडआऊटों, आदि के माध्यम से प्राप्त होती है। दार्ष्टिक कवरेज दूरदर्शन के अपने कैमरा दलों तथा फुटकर संवाददाताओं और दूरदर्शन समाचार एजेंसियों द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के दार्ष्टिक कवरेज अलग उपग्रह पैकेजों के माध्यम से एशिया विजन न्यूज एक्सचेंज प्रोग्राम और मैसर्स विसन्यूज, लन्दन से प्रतिदिन प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तथा कुछ अन्य समाचार तैयार करने वाले केन्द्रों में समाचार एकत्र करने के लिए पर्याप्त संख्या में समर्पित चलती-फिरती यूनिटें उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है।

## पणजी में नये टी० वी० टावर का निर्माण

4543. श्री शांताराम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पणजी, गोवा में प्रस्तावित नये टावर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) नये टावर के चालू हो जाने के पश्चात पणजी टी० वी० ट्रांसमीटर से कितने क्षेत्र में कार्यक्रम देखे जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) पणजी के उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर, जो इस समय एक किलोवाट की घटी शक्ति पर काम कर रहा है, के 110 मीटर ऊंचे टावर, जो निर्माणाधीन है, के मुकम्मल हो जाने पर, लगभग 1986 के मध्य तक 10 किलोवाट की अपनी पूरी शक्ति पर चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) यह उम्मीद है कि पणजी के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर यह गोवा तथा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करेगा।

### आकाशवाणी के पणजी केन्द्र के लिए 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर

4544. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आकाशवाणी के पणजी केन्द्र के लिए 100 किलोवाट क्षमता का एक ट्रांसमीटर मंजूर किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ट्रांसमीटर काम करने लगा है; यदि नहीं तो इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) आकाशवाणी का अपनी सातवीं योजना में, पणजी के मौजूदा 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 100 किलोवाट की उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित ट्रांसमीटर को सातवीं योजना अवधि (1985-90) के अंत तक चालू करने के लिए तैयार करने का कार्यक्रम है।

### भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन

4545. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने उन भारतीय भाषाओं की वे पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं तथा पुस्तकों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नीति के रूप में प्रकाशन विभाग संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से भिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित नहीं करता। तथापि, यह अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित करता है।

## दक्षिण दिल्ली में फ्लैटों का आबंटन

4546. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
**श्री जी० एस० बसवराजू** } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में ईस्ट आफ कैलाश, गौतम नगर, अलकनन्दा तथा कालकाजी में अलाटियों द्वारा छोड़े गये और फालतू फ्लैटों के आबंटन के लिए सिद्धार्थ एक्सटेंशन और बसन्त बिहार जे० एन० यू० स्ववित्तपोषी पाकेटों के बड़ी संख्या में अलाटियों के बारे में विचार नहीं किया गया परन्तु ये फ्लैट उन लोगों को दे दिये गये, जिनको पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिल्ली में जुलाई, 1984 और दिसम्बर, 1985 के बीच की अवधि में फ्लैटों का आबंटन किया गया था;

(ख) ऐसे अलाटियों की संख्या क्या है और दक्षिण दिल्ली में इस प्रकार आबंटित किए गये फ्लैटों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## भुवनेश्वर/कटक में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

4547. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के स्थान पर सरकारी क्वार्टरों की व्यवस्था/निर्माण किये जाने के संबंध में सहायता संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भुवनेश्वर/कटक में कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है/निर्माण करने का विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक आवास योजनाओं को प्रतिपादित करने एवं कार्यान्वित करने के लिए पूरी शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना इन योजनाओं में से एक योजना है तथा राज्य सरकारें इन्हें प्रारम्भ करने में स्वतंत्र हैं।

(ख) भुवनेश्वर/कटक में निकट भविष्य में न तो सामान्य पूल के क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और न ही केन्द्रीय सरकार का इनके निर्माण का कोई प्रस्ताव है।

## उड़ीसा को फसलों में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों के उन्मूलन के लिए सहायता

4548. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम और उनके उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान पता लगाए गए तथा योजना में शामिल किए गए क्षेत्रों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा में इस योजना के अंतर्गत जिन कीड़ों और बीमारियों का उन्मूलन किया जाएगा, उनका ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) स्थानिक क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृमियों और रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1983-84 और 1984-85 के दौरान उड़ीसा के लिए निर्मुक्त की गई केन्द्रीय राज सहायता का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

| क्र० सं० | वर्ष | फसल | कृमि/रोग | निर्मुक्त की गई राज-सहायता का केन्द्रीय अंशदान (रुपये) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1983-84 | धान | 1. झुंड में उड़ने वाली सूंडी<br>2. ब्राउन प्लांट हॉपर | 10,50,000 |
| 2. | 1984-85 | धान | 1. ब्राउन प्लांट हॉपर<br>2. झुंड में उड़ने वाली सूंडी | 7,11,239 |

1985-86 के लिए धान पर झुंड में उड़ने वाली सूंडी और ब्राउन प्लांट हॉपर के हमले से बचाव के लिए प्रत्येक के लिए 50,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करने के लिए 12,03,750 रुपये की राशि को राज सहायता के केन्द्रीय अंशदान को प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी गई हैं।

**ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए नई योजना**

4549. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए सफाई की स्थिति में सुधार करने और विकास की गति तेज करने के लिए कोई नई योजना तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसाकि इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 5 मई, 1986 में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित नई योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध होगी ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ख) सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम अभी हाल ही में आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए जाने वाले एक मिलियन मकानों में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करने, ग्राम-स्तरीय संस्थाओं जैसे आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों, स्कूलों, पंचायत घरों इत्यादि में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों

की सुविधाओं का विकास करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य-शिक्षा के लाभ की जानकारी देने का प्रावधान है। आशा है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाएं बढ़ाने और लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

## छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल का उत्पादन

4550. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में प्रत्येक राज्य में हर वर्ष चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चावल के उत्पादन तथा चावल की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और उक्त अवधि के दौरान चावल का कुल कितना उत्पादन होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र राज्यों की आवश्यकता के आधार पर चावल का वितरण करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए चावल के उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण संलग्न है।

(ख) देश में चावल के उत्पादन और उत्पादकता में ठोस वृद्धि करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र का विस्तार।

(2) अच्छी किस्म के बीजों का अधिक उपयोग।

(3) उर्वरकों का अधिक और कुशल उपयोग।

(4) सिंचाई के पानी का कुशल उपयोग तथा और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना।

(5) और अधिक बड़े क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति रक्षण उपाय करना।

(6) वर्षा सिंचित ऊंची भूमि में चावल के उत्पादन को स्थिर बनाना।

(7) पुनर्संगठित विस्तार प्रणाली-प्रशिक्षण और दौरे के जरिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना।

(8) किसानों तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण।

(9) समुचित प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान कार्य को तेज करना।

(10) किसानों को लाभप्रद मूल्यों को आश्वासन देना और खरीद के लिए संगठनात्मक सहायता को सुदृढ़ बनाना।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, इस वर्ष से असम, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में एक केन्द्रीय प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहां पर चावल की खेती का क्षेत्र तो काफी बड़ा है किन्तु प्रति यूनिट क्षेत्र उत्पादन कम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विभिन्न राज्यों को चावल का आवंटन नियंत्रण-पूल की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी जरूरतों, बाजार में उपलब्धता और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। (ये आवंटन पूरक किस्म के होते हैं, राज्यों में खपत की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं।

**विवरण**

(हजार मीटरी टनों में)

| राज्य | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 7011 | 7868 | 7671 | 8791 | 6984 |
| असम | 2523 | 2236 | 2583 | 2515 | 2419 |
| बिहार | 5635 | 4257 | 3065 | 4967 | 5322 |
| गुजरात | 557 | 737 | 489 | 754 | 838 |
| हरियाणा | 1228 | 1250 | 1275 | 1325 | 1363 |
| हिमाचल प्रदेश | 125 | 96 | 73 | 112 | 117 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 546 | 551 | 575 | 593 | 569 |
| कर्नाटक | 2208 | 2364 | 2101 | 2292 | 2373 |
| केरल | 1272 | 1340 | 1306 | 1208 | 1232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 4053 | 3830 | 3451 | 4799 | 3674 |
| महाराष्ट्र | 2361 | 2435 | 1949 | 2461 | 1936 |
| मणिपुर | 273 | 253 | 220 | 255 | 333 |
| मेघालय | 133 | 125 | 123 | 131 | 124 |
| नागालैंड | 91 | 99 | 108 | 92 | 102 |
| उड़ीसा | 4301 | 3853 | 2992 | 5121 | 4526 |
| पंजाब | 3223 | 3755 | 4147 | 4636 | 5057 |
| राजस्थान | 150 | 139 | 88 | 218 | 213 |
| सिक्किम | उपलब्ध नहीं | 12 | 12 | 14 | 16 |
| तमिलनाडु | 4159 | 5607 | 3504 | 4466 | 5394 |
| त्रिपुरा | 390 | 350 | 420 | 379 | 350 |
| उत्तर प्रदेश | 5570 | 5898 | 5645 | 6776 | 7178 |
| पश्चिम बंगाल | 7466 | 5833 | 4949 | 7940 | 8093 |
| संघ शासित क्षेत्र | 356 | 360 | 370 | 352 | 423 |
| समस्त भारत | 53631 | 53248 | 60097 | 47116 | 58636 |

**ग्रामीण लोगों के लिए स्वच्छ शौचालय**

4551. श्री अमर राय प्रधान
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय एक प्रतिशत से भी कम ग्रामीण लोगों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) छठी योजना के अन्त तक, एक प्रतिशत

से भी कम ग्रामीण लोगों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध थे। सातवीं योजना के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1981-91) के उद्देश्यों के अनुसार 25 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए जाने वाले एक मिलियन मकानों में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करने, ग्राम स्तरीय संस्थाओं में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-शिक्षा का उपयोग करने और वहां इस सुविधा को बढ़ाने एवं विकसित करने का प्रावधान है।

## ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन राज्यों को धनराशि का नियतन

4552. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सबसे पहले कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी धनराशि नीयत की गई है?

**कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ग) सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983-84 में इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि (क) ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाया जाए और उनमें वृद्धि की जाए ताकि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक के रोजगार की गारंटी दी जा सके, तथा (ख) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके। इस कार्यक्रम का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है तथा यह देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

यह कार्यक्रम अगस्त, 1983 में शुरू किया गया था और यह आशा की गई थी कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए परियोजनाओं को बनाने, परियोजनाओं को मंजूर करने तथा अन्य प्रशासनिक उपाय करने में कुछ समय लग जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम की भूमिहीन परिवारों के आधार

पर मानिटरिंग करना सम्भव नहीं होगा। मानिटरिंग की जटिलताओं, दीर्घकालीन आधार पर प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने की बात को दृष्टि में रखते हुए अब राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि वे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की हर परियोजना के किसी अनुमोदित कार्य/कार्यों के लिए रोजगार गारंटी कार्ड जारी करें तथा प्रायोगिक आधार पर इस पहलू की जांच करें। प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध कराने के अनुभव का सफलता की मानिटरिंग करने के बाद अन्ततोगत्वा इस पद्धति का विस्तार किया जा सकता है।

(घ) सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1743.78 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए सलाहकार सेवा

4553. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तावित सलाहकार सेवा छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायक सिद्ध होगी; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की सहायता दिये जाने का विचार है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सलाहकार सेवाओं का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। इस योजना के अन्तर्गत देश के अन्दर तथा बाहर दोनों के संगठितों निकायों आदि को कृषि, सम्बन्धित तथा समवर्गी सेवाओं के शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सलाहकार सेवाओं के प्रावधान का विचार किया गया है। दूसरी ओर, कृषक समुदाय को भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सलाहकार सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इन सेवाओं का एक अंश सीधे कृषि विज्ञान केन्द्रों; राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजनाओं; परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं तथा प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। किसानों को सलाहकार सेवाएं केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रसार अभिकरणों के माध्यम से भी प्रदान की जा रही हैं।

## बागवानी फसलों के लिए अनुसंधान केन्द्र

4554. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न प्रकार की बागवानी-फसलों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सातवीं योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आठ राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है:—

(1) राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र;

(2) राष्ट्रीय नीम्बूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र;

(3) राष्ट्रीय मरुक्षेत्र बागानी अनुसंधान केन्द्र ;

(4) राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंध पौध अनुसंधान केन्द्र;

(5) राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र;

(6) राष्ट्रीय मसाले अनुसंधान केन्द्र;

(7) राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र;

(8) राष्ट्रीय आर्किडा अनुसंधान केन्द्र;

(ग) राष्ट्रीय निम्बूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र नागपुर में स्थापित किया गया है। काजू और मसालों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों का स्थान निर्धारण इस उद्देश्य हेतु गठित किये जाने वाले "टास्क फोर्स" की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।

### उर्वरकों का विर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

4555. श्री अमर सिंह राठवा
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उर्वरकों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या किसी अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने भारत में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) देश में भविष्य में नए उर्वरक संयत्रों की स्थापना करने के बारे में सरकार का कार्यक्रम क्या है?

**उरवंक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) आई ई एल लि० जिसके यू० के० के मै० इम्पिरियल कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज हैं, पंकी, कानपुर (उत्तर प्रदेश) में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का निर्माण कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विदेशी हित वाली निम्नलिखित दो कम्पनियों का भी उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(1) मै० इन्डों गल्फ फर्टिलाइजर कैमिकल कार्पोरेशन) जिसकी गल्फ कन्सोलिडेटिड कं० बहरीन की साम्य सहभागिता है) सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) में जगदीशपुर नामक स्थान पर एक संयंत्र की स्थापना कर रही है।

(2) लंदन का मै० कापेरो ग्रुप और मै० सोक्रेन कार्पोरेशन इन्टरनेशल एस० ए० ने भारत में एक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने हेतु आवेदन किया था, पहली कम्पनी को शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश) में एक संयंत्र की स्थापना करने हेतु एक आशय पत्र जारी किया गया है।

(घ) देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, ग्यारह नये प्रमुख उर्वरक संयंत्र हाथ में लिए गए हैं ताकि पहले से ही प्रचालनाधीन उर्वरक क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जा सके। इन उपायों से उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

### पुरी के भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा (कार फेस्टिवल) का सीधा प्रसारण

4556. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर पुरीधाम के भगवान श्री जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा (कार फैस्टिवल) का सीधा प्रसारण करने के लिए अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस दूरदर्शन पर पुरी की प्रसिद्ध रथ-यात्रा का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने का है?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (ग)

नीति के अनुसार, सजीव टेलीविजन कवरेज राष्ट्रव्यापी सामयिक घटनाओं यथा गणतंत्र दिवस परेड, स्वाधीनता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, महत्वपूर्ण खेल गतिविधियां, आदि तक सीमित है। इस समय पुरी के कार समारोह या विभिन्न राज्यों के इसी प्रकार के अन्य समारोहों का सजीव टेलीकास्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पहले की भांति, दूरदर्शन का समारोह की आस्थगित टी०वी० रिपोर्ट को बाद में टेलीकास्ट करने का प्रस्ताव है।

**राजकोट में दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र**

4557. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजकोट में दूरदर्शन रिले केन्द्र अपनी प्रसारण क्षेत्र के 100 कि०मी० में कार्यक्रम नहीं दिखा पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें सुधार करने अथवा जूनागढ़ क्षेत्र में अन्य दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ हो सके।

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) जी, हां। राजकोट के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि कुछ हद तक प्रभावित हुई है, क्योंकि इसकी एंटीना पद्धति में कुछ खराबियां हो गई हैं।

(ग) एंटीना पद्धति की आवश्यक मरम्मत करने का कार्य उपकरणों के सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, जूनागढ़, में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई है।

**मछली प्रजनन केन्द्रों के लिए जापानी प्रौद्योगिकी अपनाना**

4558. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों को मछली प्रजनन केन्द्रों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का भी भारत के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का विचार है;

(ग) क्या जापान सरकार अपने तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से भारत में इन प्रौद्योगिकी

को चालू करने की इच्छुक है; और

(घ) भारतीय समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में प्रजनन केन्द्रों के विकास कार्यक्रम के लिए क्या कार्य-प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) समुद्री मछली और झींगा मछली के लिए जापान ने एक हैचरी तकनोलोजी का विकास किया है।

(ख) भारत में झींगा मछली के बीज का उत्पादन हैचरी में करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जापानी तकनोलोजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है।

(ग) जापान सरकार से अनुरोध नहीं किया गया है।

(घ) जापान की प्राइवेट कम्पनियों द्वारा परामर्श के आधार पर इस तकनोलोजी को उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

## समाचार से पूर्व प्रसारित होने वाले संगीत में परिवर्तन

4559. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों समाचारों के प्रसारण से पूर्व ऐसा संगीत प्रसारित किया जाता है जो कि तीखा, कर्णकटु और विदेशी मूल का है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों की प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया जिन्होंने इस संगीत में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान तीखे संगीत को अधिक अच्छे और ताल संगीत में कब तक बदला जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (ग) फरवरी, 1986 में कुछ हफ्ते के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों की संकेत धुन के स्थान पर प्रायोगिक आधार पर एक नई संकेत धुन दी गई थी। अब इसके स्थान पर मूल संकेत धुन ही दी जा रही है।

## कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत को विश्व बैंक द्वारा ऋण

4560. **श्री सी० माधव रेड्डी**
**श्री के० रामचन्द्र रेड्डी**
**श्री के० बी० शंकर गौडा** } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत को विश्व बैंक 37.5 करोड़ डालर का ऋण दे रहा है;

(ख) क्या करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना):** (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। परियोजना (नाबार्ड I परियोजना) के लिए विश्व बैंक के साथ 3750 लाख अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) में दी गई स्थिति को देखते हुए, इस समय कोई विवरण नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में शीतल जल मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र**

4561. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शीतल जल मत्स्य-पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त केन्द्र किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है और उसे वहां स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) इस प्रायोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के रूप में सम्मिलित किये जाने

पर विचार किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

## आकाशवाणी केन्द्र, नजीबाबाद से प्रसारित होने वाले गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाओं के कार्यक्रमों को समय का आबंटन

4562. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, नजीबाबाद से गढ़वाली और कुमाऊंनी की स्थानीय बोलियों में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पिछले वर्ष अलग-अलग कितना-कितना समय आबंटित किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कुमाऊंनी भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अपेक्षाकृत कम समय आवंटित किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस वर्ष कुमाऊंनी भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण का समय बढ़ाने के लिए सरकार का विचार इस रेडियो स्टेशन को क्या निदेश देने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रसारण की मुख्य भाषा हिन्दी है। यह केन्द्र उर्दू, गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाओं में भाषित शब्द कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। नियत प्वाइंट चार्ट के अनुसार, केन्द्र से 1985 में प्रसारित कुल 460 कार्यक्रमों में से गढ़वाली और कुमाऊंनी में 64-64 कार्यक्रम प्रसारित करने की अपेक्षा थी। आकाशवाणी, नजीबाबाद से 1985 में गढ़वाली और कुमाऊंनी में प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा उनकी अवधि नीचे दी गई है :—

| | कार्यक्रमों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|
| गढ़वाली | 64 | 25 घंटे 30 मिनट |
| कुमाऊंनी | 63 | 25 घंटे 15 मिनट |

इसके अतिरिक्त संयुक्त गढ़वाली और कुमाऊंनी कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | कार्यक्रमों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|
| संयुक्त गढ़वाली और कुमाऊंनी कार्यक्रम | 51 | 12 घंटे 45 मिनट |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### केन्द्रीय भेड़ परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश को सहायता

4563. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भेड़ परिषद द्वारा सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को भेड़ पालन के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब प्रस्तुत की गई तथा योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय भेड़ विकास सलाहकार परिषद ही एक सलाहकार निकाय है और राज्यों को इसके द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

### दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आवास सुविधाओं में सुधार करना

4564. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2001 तक दिल्ली में आवास सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली नगर कला आयोग ने रिहायशी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यवाही सहित दिल्ली 2001 के लिए संदर्श विकास योजना के प्रारूप में संशोधन के लिए विभिन्न सुझाव दिये हैं।

(ख) संदर्श विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देते समय दिल्ली नगर कला आयोग के

सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण पूरा किया जाना**

4565. **डा० ए० के० पटेल** :-क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 1984 और दिसम्बर, 1985 के बीच कुल कितने फ्लैटों का निर्माण शुरू किया गया था और इस अवधि के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण कार्य किया गया;

(ख) इन फ्लैटों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने मकानों का निर्माण जुलाई, 1984 से पहले शुरू किया गया था और इस अवधि के दौरान कितने मकानों का निर्माण पूरा किया गया, तत्सम्बन्धी श्रेणीवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) तैयार किये गये मकानों के बारे में सूचना प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित की जाती है। 1985-86 के दौरान तैयार किए गये मकानों के आंकड़े 31 मार्च, 1986 के बाद संकलित किये जाएंगे। तथापि, 1985-86 (31-12-1985 तक) के दौरान निम्नलिखित वर्गों के 28,996 मकान आबंटन के लिए उपलब्ध हुए जिनमें वे कुछ मकान भी शामिल हैं जो मकान तैयार थे परन्तु पिछले वर्षों में आबंटित नहीं किये गये थे :—

| | |
|---|---|
| आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग | 7574 |
| निम्न आय वर्ग | 6827 |
| मध्यम आय वर्ग | 8934 |
| स्ववित्त पोषित योजना | 5661 |
| योग : | 28,996 |

(ग) 1-4-84 तक जो मकान प्रगति पर थे, 1984-85 के दौरान तैयार किये गये मकानों

और 31-3-85 की स्थिति के अनुसार वे मकान जो प्रगति पर हैं, के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| | स्ववित्त पोषित योजना | मध्यम आय वर्ग | निम्न आय वर्ग | जनता/ सी०एस०पी० आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग | मलिनबस्ती टेनामेंट | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-1984 की स्थिति के अनुसार जो मकान प्रगति पर हैं। | 10184 | 14317 | 8812 | 10963 | — | 44276 |
| 1984-85 के दौरान तैयार किए गए मकान | 2968 | 1452 | 2364 | 511 | 1032 | 8327 |
| 31-3-85 की स्थिति के अनुसार जो मकान प्रगति पर हैं। | 22385 | 16377 | 11522 | 9329 | — | 59613 |
| 31-12-85 की स्थिति के अनुसार 85-86 के दौरान आरम्भ किये गये मकान। | 4703 | 7756 | 7932 | 23088 | — | 43479 |

1-4-84 से 31-12-85 तक जिन मकानों को निर्माण के लिए लिया गया उनकी संख्या 66111 बनती है।

[हिन्दी]

### जबलपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करना

4566. श्री अजय मुशरान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिये चुने हुए स्थान के संबंध में उठे विवाद के कारण जबलपुर में एक पूर्ण रेडियो स्टेशन की स्थापना का कार्य रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को शीघ्र हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इस मद के लिए प्रस्तावित बजट को सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में ले जाया जाएगा; और

(घ) जबलपुर में एक पूर्ण रेडियो स्टेशन की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (घ) जबलपुर में स्थायी स्टूडियो की स्थापना करने की स्कीम के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई गैर सरकारी जमीन उपयुक्त पायी गयी थी। राज्य के प्राधिकारियों से जमीन का अधिग्रहण करने और उसका कब्जा सौंपने का अनुरोध किया गया था। तथापि, जमीन के मालिक ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। न्यायालय के मामले का अभी निपटान नहीं हुआ है। जैसे ही जमीन सौंप दी जाएगी, स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय आवंटन उपलब्ध हैं। स्कीम के सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित हो जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

**वनस्पति तेलों की उत्पादकता बढ़ाने में अनुसंधान और विकास विभाग के प्रयासों में असफलता**

4567. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
　　　श्री मानिक रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति तेल, उर्वरकों, और चीनी के आयात पर व्यय होने वाली राशि में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वनस्पति तेल के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, संयुक्त राज्य अमरीका की सहकारी लीग और कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और विकास कार्य में असफलता के कारण यह स्थिति है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

**कम मूल्य की मछली तैयार करने संबंधी ब्रिटेन का द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम**

4568. श्री के० प्रधानी
　　　डा० बी० एल० शैलेश } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम मूल्य की मछली के भण्डार तैयार करने के लिए देश के

पूर्वी तट पर प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए ब्रिटेन की ओवरसीज विकास एजेंसी की सहायता से द्विपक्षीय कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना को उड़ीसा के तट पर स्थापित करने का है जहां अधिक मछलियां पाई जाती हैं और वहां इसकी खोज किये जाने की आवश्यकता है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

— ताजी मछलियों का उन्नत संभाल,

—ताजी मछलियों का उन्नत विपणन,

—उन्नत परम्परागत परिसंस्करण शुरू करना,

-- मछलियों के पकड़े जाने के बाद हानियां कम करना,

—प्रग्रहण द्वारा झींगा मछली जैसी कम मूल्य की किस्मों का इस्तेमाल,

—निर्यातों के संबंध में गुण-नियंत्रण,

—मात्स्यकी विस्तार,

--- मछली पकड़ने के बाद मात्स्यकी विकास पर सलाह देना,

—संरचना का डिजायन,

-—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम,

—विकास समर्थन तथा जानकारी की व्यवस्था और

—उचित रूप में विकास परियोजना की तैयारी।

इस परियोजना का लक्ष्य क्षेत्रों में मछली के इस्तेमाल में कारगर रूप में सुधार करना होगा और ऐसी भारी हानियों को कम करना होगा, जो अनभिज्ञता, गलत तरीकों और सुविधाओं तथा उपस्करों की कमी के कारण हो जाती हैं।

(ग) परियोजना का मुख्यालय मद्रास में अवस्थित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, यह

परियोजना विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए प्रत्येक के रूप में कार्य करेगी और बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती सभी राज्यों को कवर करेगी।

## राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का कार्यचालन

4569. श्री के० प्रधानी
श्री के० राममूर्ति } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन० एफ० डी० सी०) को अपने संवर्धन और व्यापार संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कार्यचालन और वित्तीय तथा कार्मिक प्रबन्ध में इसकी कार्य निष्पत्ति की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री अशोक मित्र की अध्यक्षता में नियुक्त एक-एक सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्य संचालन की समीक्षा करने पर यह पाया गया था कि यह अपने प्रेरक और व्यापार कार्यकलापों में वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा है, क्योंकि यह देखा गया था कि यदि "गांधी" नामक फिल्म से हुए लाभों और कैनेलाइजेशन शुल्कों को गणना में न लिया जाए तो निगम को आमतौर पर अपने व्यापार कार्यकलापों में लाभ नहीं हुआ था और फिल्म वित्त पोषण, सिनेमाघर वित्त पोषण तथा फीचर फिल्मों के निर्यात जैसे प्रेरक क्षेत्रों में इसने वास्तव में जो कार्य किया वह उससे काफी अधिक कर सकता था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## कर्नाटक में खनिज भंडार

4570. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में खनिज भंडार क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में स्थित कौन-कौन सी विभिन्न खानें हैं;

(ग) अन्तिम बार सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(घ) कर्नाटक में सर्वेक्षण के द्वारा पता चले खनिजों का ब्यौरा क्या है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक में स्थित विभिन्न खानों में शामिल हैं—स्वर्ण, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, चाइनाक्ले, चूनापत्थर, चूना-शैल, सिलिका सैंड, एस्बेस्टस, मैगनेसाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, स्टैटाइट, फायरक्ले, क्वार्टज, फेल्सपार, डोलोमाइट तथा बाक्साइट। इन खानों के अलावा, कई गौण खनिजों की भी कुछ चालू खदानें हैं।

(ग) खनिजों का सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है और यह कर्नाटक में लम्बे समय से जारी है।

(घ) अब तक के सर्वेक्षणों के फलस्वरूप कई खनिजों यथा-एन्टीमनी, एस्बेस्टस, बाक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, फुलर्स अर्थ, रत्न, स्वर्ण, लौह अयस्क, कैओलिन, कायनाइट चूना पत्थर, मैगनेसाइट, मैंगनीज, पारा, सिलीमेनाइट, स्टैटाइट, सिलिकासैंड तथा जड़ाऊ और सजावटी पत्थर, इमारती सामग्री आदि का पता चला है।

## समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

4571. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अधिक धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) वर्ष 1986-87 में कर्नाटक के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय बजट में वर्ष 1986-87 के लिए 287.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्ष 1986-87 हेतु कर्नाटक के लिए केन्द्रीय आबंटन 10,869 करोड़ रुपये का है।

### दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

4572. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) : दिल्ली की वृहत्त योजना जो 1962 से प्रवृत्त है, को वर्ष 2001 तक के सन्दर्श सहित व्यापक रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है। संशोधनों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

### आन्ध्र प्रदेश में नया दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

4573. श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में कितने अतिरिक्त दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान हैदराबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि कार्यक्रमों का रंगीन प्रसारण किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, दूरदर्शन की सातवीं योजना के अंग के रूप में, आंध्र प्रदेश में तिरूपति और अनन्तपुर के अल्प शक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटरों से बदलने तथा चार और स्थानों पर अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। छठी योजना की चली आ रही स्कीम के अंग के रूप में हैदराबाद में सादे परिचालन के लिए सुसज्जित एक पूर्णरूपेण स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन है। इस केन्द्र पर रंगीन स्टूडियो उपकरणों के लिए प्रावधान दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है।

### तिलहन अनुसंधान केन्द्र निदेशालय, हैदराबाद को राशि का आवंटन

4574. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए राजिन्द्रनगर, हैदराबाद स्थित तिलहन अनुसंधान केन्द्र के निदेशालय को कितनी अनुदान राशि दी गई; और

(ख) उक्त अनुदानों का किन मदों पर व्यय किया जाएगा ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) वर्ष 1983-84 तथा 84-85 के दौरान निम्नलिखित खर्च किया गया : --

| | |
|---|---|
| 1983-84 | रु० 29.41 लाख |
| 1984-85 | रु० 48.33 लाख |

(ख) (i) वेतन तथा भत्ते

(ii) यात्रा भत्ता

(iii) आकस्मिक खर्च (आवर्ती)

(iv) आकस्मिक खर्च (अनावर्ती)

## सिंगुर परियोजना के लिए आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

4575. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सिंगुर परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) मनजीरा जलपूर्ति योजना चरण-III (सिंगुर परियोजना) का अभिप्राय हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के शहरी क्षेत्र के लिए लगभग 106.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की विश्व बैंक की सहायता से पेय जल की उपलब्धता को लगभग 2·0 एम० एन० डी० तक बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष रखने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को सी० पी०एच०ई०ई०ओ० ने तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया है। राज्य सरकार को परियोजना के लिए सम्पूर्ण बजट/योजना प्रावधान की पुष्टि करना तथा कतिपय अन्य मुद्दों को हल करना है। यदि वित्त व्यवस्था के लिए इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो मूल्य-निर्धारण के बाद परियोजना लागत के लगभग 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। योजना निधियों के अतिरिक्त के रूप में विश्व बैंक सहायता का 70 प्रतिशत आम तौर पर राज्य सरकार को दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, उड़ीसा

4576. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के उप-उत्पादों के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के संयंत्र की स्थापना कितने चरणों में होगी और उसमें कितना समय लगेगा ?

**उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) और (ख) पी० पी० एल० (पारादीप फास्फेट्स लि०) से चरण-I अर्थात आयातित अमोनिया और फास्फोरिक एसिड से डी० ए० पी० के उत्पादन से कोई उप-उत्पाद नही बनता है। परन्तु चरण-II के पूरा हो जाने अर्थात पारादीप फास्फेट्स लि० में सल्फ्यूरिक रंग फास्फोरिक एसिड का उत्पादन आरम्भ होने से उप-उत्पाद फोस्फो-जिप्सम तथा फलयूओरीन उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। फास्फो-जिप्सम का बहुत कम वाणिज्यिक उपयोग है। तथा इसका भंडारण किया जाएगा और इसके उपयोग की सम्भावना की जांच की जाएगी। फलयू ओरीन का उपयोग कम्पनी के विचाराधीन है।

(ग) पारादीप फास्फेट्स लि० को दो चरणों में आरम्भ किया जाएगा चरण-I 26-2-1986 को आरम्भ किया गया है और चरण-II का आरम्भ 1-5-1988 तक ही नियत किया गया है।

## उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल से मछली उत्पादन

4577. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल से मछली उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल से वास्तव में कितनी मात्रा में मछली का उत्पादन हुआ है; और

(ग) उड़ीसा में अन्तर्देशीय मत्स्य विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में मछली उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार हैं :—

(मीटरी टन में)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1984-85 | 54,000 | 51,840 |
| 1985-86 | 60,000 | 52,000 (पूर्वानुमानित) |

(ग) अन्तर्देशीय मात्स्यकी विकास के लिए उड़ीसा में उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :—

(1) ग्यारह जिलों में मछली पालक विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं।

(2) व्यावसायिक डिम्पोना उत्पादन के लिए पांच स्थानों पर व्यावसायिक डिम्पोना हैचरियां निर्माणाधीन हैं।

(3) खारे पानी में पैदा होने वाली मछली और झींगा संवर्धन के लिए खारे पानी के क्षेत्र विकास की योजना शुरू की गई है।

## कर्नाटक में खानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की स्थापना

4579. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में खानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या 1986-87 में सरकार का कर्नाटक में औद्योगिक और खान क्षेत्रों में कुछ और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 इस समय खानों पर लागू नहीं होता है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, अभी तक कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में बीमाशुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए 1020 पलंगों वाले छः कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 84 पलंगों वाले तीन उपचर्या गृह स्थापित किए हैं। दावनगिरी में 50 पलंगों का एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल निर्माण की चरम अवस्था पर

है। वेलगांव में 50 पलंगों का एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल निर्मित करने का भी एक प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

**दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम**

4580. **श्री सरफराज अहमद**
**श्री विलास मुत्तेमवार** } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के अनुसंधान एकांश द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम दर्शकों द्वारा पसन्द नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि दूसरे चैनल पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम पुराने और नीरस होते हैं; और

(ग) दूसरे चैनल पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए दूरदर्शन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) दूरदर्शन द्वारा किए गए दर्शक अनुसंधान सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार दूसरे चैनल पर टेलीकास्ट कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या चैनल-1 पर टेलीकास्ट कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या से कम है।

(ख) दूसरे चैनल पर दर्शकों की कम संख्या के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) लोकप्रिय धारावाहिक, फिल्म आधारित कार्यक्रम तथा हिन्दी फीचर फिल्में, जो बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, के चैनल-1 पर टेलीकास्ट की जाती है और इसलिए अधिक दर्शक चैनल-1 लगाते हैं।

(2) दिल्ली तथा बम्बई दोनों के दर्शक अब तक सुस्थापित चैनल-1 की तुलना में चैनल-2 के प्रचालन से पूरी तरह अभ्यस्त नहीं हैं। चैनल-2 की परिधि भी सीमित है, क्योंकि यह अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर प्रभावित होती है।

(3) दिल्ली के घरों में लगभग 9% तथा बम्बई में लगभग 10% टी० वी० सैट केवल एकल चैनल वाले सैट हैं और इस प्रकार इनसे द्वितीय चैनल के कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते।

4) चैनल-2 पर अच्छी तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक नये एंटीना की आवश्यकता है।

बहुत से दर्शकों ने इसे अभी नहीं अपनाया है और वे चैनल-1 के कार्यक्रमों को ही देखते हैं।

(ग) दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने का सतत प्रयास रखता है। सतत व्यावसायिक मूल्यांकन के अतिरिक्त दर्शकों से प्राप्त फीडबैक का भी कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और फार्मेटों में परिवर्तन दूरदर्शन की कार्यक्रम आयोजना की आवश्यक विशेषताएं हैं।

[अनुवाद]

## फसलों की उत्पादकता में गिरावट

4581. डा० डी० एन० रेड्डी
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक फसलों की उत्पादकता में पहले की तुलना में अधिक गिरावट आई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और इसका वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिक पैदावार वाली किस्मों के आयात और जैविक खाद का उपयोग न किये जाने जैसी आयातित प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करने के कारण अभी तक अनुसंधान और विकास संबंधी एक भी प्रयास में सफलता नहीं मिली है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 1967-68 से 1984-85 की अवधि के दौरान उत्पादकता के लम्बी अवधि के रूखों के अध्ययन से लगभग सभी मुख्य फसलों की पैदावार में निश्चित वृद्धि दरों का पता चलता है। 1984-85 के दौरान इन फसलों के मौजूदा उत्पादन इस प्रकार है :—

| फसल | इकाई | उत्पादन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| चावल | लाख टन | 586 |
| गेहूं | लाख टन | 442 |
| मोटे अनाज | लाख टन | 312 |
| दालें | लाख टन | 122 |
| कुल खाद्यान्न | लाख टन | 1462 |
| मूंगफली | लाख टन | 67.5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| तोरिया और सरसों | लाख टन | 30.3 |
| कुल तिलहन | लाख टन | 131.0 |
| कपास | 170-170 कि० ग्रा० की लाख गांठें | 84.6 |
| पटसन और मेस्ता | 180-180 कि० ग्रा० की लाख गांठें | 79.8 |
| गन्ना | लाख टन | 1736 |
| आलू | लाख टन | 126.4 |

(ख) जी नहीं। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1949-50 में केवल 549 लाख टन था, बढ़कर 1983-84 में 1524 लाख टन तथा 1984-85 में 1462 लाख टन हो गया। बहुपक्षीय अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अच्छे ढंग से किए गए कार्यान्वयन के जरिए अपने देश में विकसित की गई उन्नत अधिक पैदावार देने वाली किस्मों एवं उत्पादन प्रौद्योगिक संबंधी देश के विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान और विकासात्मक प्रयासों द्वारा प्रदान की गई सहायता का यह उत्तम प्रमाण है।

### कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों को शामिल न किया जाना

4582. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनेक कम्पनियों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7क और 14ख के अन्तर्गत निर्णित मामलों को पुनः खोला है और देय राशि कम की है; और कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1983 से ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा क्या है और क्षेत्रवार प्रत्येक मामले में कितनी कटौती की गई है तथा कितने मामले शामिल नहीं किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

### हल्दिया उर्वरक परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन

4583. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया उर्वरक परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस एकक में वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू करेगी ?

**उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) डिजाइन तथा उपस्कर के प्रतिबन्धों, संयंत्र और मशीनरी की खराबी तथा औद्योगिक सम्बन्धों के कारण आरम्भ में विलम्ब हुआ है। संयंत्र आरम्भ किया जा रहा है और परीक्षण उत्पादन नवम्बर, 1985 से आरम्भ हुआ है। पेश आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कोई तारीख नहीं दी जा सकती।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवनों के अहातों में अवैध निर्माण

4584. **श्री राजकुमार राय** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के अहातों में, विशेष रूप से जनकपुरी में अवैध निर्माण के बहुत से मामलों का पता है;

(ख) यदि हां, तो अवैध निर्माण किस प्रकार का है और यह किस सीमा तक किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि का आबंटन बन्द करना

4585. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाऊस बिल्डिंग सोसायटियों को दिल्ली में भूमि का आबंटन न करने तथा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय किया गया है; तो वह क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उड़ीसा को आवास और शहरी विकास निगम की सहायता

4586. श्री प्रनादि चरण दास क्या शहरी : विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम ने राज्य-आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरण इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को पिछले दो वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी सहायता उपलब्ध कराई और चालू वर्ष में कितनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) कटक विकास प्राधिकरण को चालू वर्ष के लिए दी गई सहायता/ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा आवास बोर्ड/कटक विकास प्राधिकरण ने वित्तीय सहायता की मंजूरी जाजपुर में एक सुधार न्यास स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) कटक जिले के जाजपुर उपमण्डल में कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के लिए, उपर्युक्त बोर्ड, प्राधिकरण की 'हुडको' योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-56 के दौरान उड़ीसा राज्य में विभिन्न अभिकरणों को स्वीकृत किये गये ऋण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं : –

| अभिकरण | वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिए | | 1985-86 के दौरान | |
|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि (लाख रुपयों | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि (लाख रुपयों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड | 26 | 957.49 | 16 | 1269.64 |
| भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण | 3 | 281.34 | 2 | 58.10 |
| बहरामपुर आर० आई० टी० | 2 | 66.85 | 1 | 25.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| पुरी कोणार्क आर० आई० टी० | — | — | 1 | 79.19 |
| उड़ीसा औद्योगिक अघसंरचना विकास निगम | — | — | 1 | 85.18 |
| विशेष योजना प्राधिकरण बारीपाड़ा | — | — | 1 | 48.65 |

(ख) शून्य

(ग) और (घ) सुधार न्यासों का गठन राज्य सरकार ने करना है और योजनायें विभिन्न राज्य अभिकरणों द्वारा बनाई जाती हैं। हुडको इसके मार्ग निर्देशनों के अनुसार किसी सुसंस्थापित सुधार न्यास से प्राप्त आवास योजनाओं के लिए वित्त देगा।

## सूखा प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना

4587. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ में देश में 74 जिलों के निरंतर रूप से सूखा-ग्रस्त होने का पता चला है;

(ख) क्या राज्य सरकारें मांग कर रही हैं कि ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिये जिलों के बजाय तहसीलों को यूनिट बनाया जाये क्योंकि और अधिक क्षेत्र सूखाग्रस्त होते जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** (क) से (ग) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे 1973 से "ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम" के स्थान पर चलाया गया था, 1981-82 तक 13 राज्यों के 74 जिलों के निरन्तर सूखा से प्रभावित 557 खंडों में चलाया गया था। तब तहसील को निरन्तर सूखा-संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इकाई माना गया था।

सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर 1982-83 से इस कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र को संशोधित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस कार्यक्रम को सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले शामिल किए गये 188 खंडों (जिनमें मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए हुए 77 खंड भी शामिल हैं) को निकालने तथा 142 नए खंडों को मिलाने के बाद 13 राज्यों के 70 जिलों के 511 खंडों में क्रियान्वित किया जाये। बाद में एक अन्तर

विभागीय दल द्वारा पुनरीक्षण किये जाने पर इस कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र को फिर से 1985-86 से संशोधित किया गया है और अब यह 13 राज्यों के 90 जिलों के 615 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले निरन्तर सूखा-संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खंड (ब्लाक) को इकाई माना गया है।

निरन्तर सूखा-संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तहसील को इकाई बनाये जाने हेतु किसी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

## निर्माण कम्पनियों की स्थापना के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया

4588. **श्री सरफराज अहमद :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात प्रोसेसिंग के लिये निर्माण कम्पनी की स्थापना करने हेतु उदार योजना के अन्तर्गत किन-किन मदों के लिये साधारण पंजीकरण करना अपेक्षित होता है; और

(ख) पंजीकरण जारी करने वाले कौन-कौन से सरकारी विभाग हैं और इस मद के लिए पंजीकरण कराने हेतु प्रक्रिया क्या है?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) और (ख) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किये गये दिनांक 16 मार्च, 1985 के प्रेस नोट नं० 10/7/85 एल० पी० (1985 शृंखला का प्रेस नोट नं० 7) में स्पंज लोहे तथा पैलेटों के उत्पादन को, निहित पूंजी-निवेश पर विचार किये बिना, लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है, बशर्ते नोट में उल्लिखित कुछ शर्तें पूरी होती हों। उपर्युक्त प्रेस नोट तथा समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक उपक्रम (पंजीकरण तथा लाइसेंस) नियम, 1952 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन मदों के लिये पंजीकरण आवश्यक है।

## जलपाईगुड़ी में दूरदर्शन केन्द्र

4589. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री जलपाईगुड़ी में दूरदर्शन केन्द्र के बारे में 10 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीपुर द्वार स्थित अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या यह सीमावर्ती देश चीन और बंगलादेश का मुकाबला कर सकेगा; और

(ग) क्या इस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से भूटान को भी कुछ लाभ होगा?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) यह उम्मीद

की जाती है कि जब अलीपुर द्वार में प्रस्तावित अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा, वह लगभग 25 किलोमीटर की परिधि के अन्दर दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करेगा।

(ख) और (ग) जाहिर है कि अलीपुर द्वार का अल्प शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर सीमित परिधि के अन्दर सेवा उपलब्ध करेगा। तथापि, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के उच्च शक्ति (10 कि० वा०) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा कर्सियांग, तुरा और अगरतला में कार्यान्वयनाधीन इसी प्रकार के ट्रांसमीटरों, जब ये चालू हो जायेंगे, द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त दूरदर्शन सेवा उपलब्ध किए जाने की उम्मीद है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा के तब और सुदृढ़ हो जाने की उम्मीद है जब कटिहार में 10 किलोवाट वाला ट्रांसमीटर, जिसके स्थापित करने की स्कीम सातवीं योजना में शामिल की गई है, चालू हो जायेगा।

**मैलियन और डी० डी० टी० के लिए हाई डैन्सिटी पोलिथिन कंटेनरों का प्रयोग किया जाना**

4590. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान ने मैल्थियन और डी० डी० टी० 50 प्रतिशत मिश्रण योग्य सार के लिए अन्दर से अच्छी तरह रोगन किया हुआ हल्का इस्पात और टिन प्लेट निर्धारित किया है परन्तु निर्माता हाई डैन्सिटी पोलिथिन कंटेनरों का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे सस्ते हैं;

(ख) क्या उक्त अधिनियम में विषैले मूल रसायन रखने के लिए प्रयुक्त किये गये कंटेनरों का पुन: प्रयोग करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि बार-बार साफ किये जाने के बाद भी उसका कुछ न कुछ अंश उसमें रह जाता है तथा उदाहरण के रूप में फासफोरस के एक ग्राम मात्रा से भी मितली, उलटी, दस्त और लकवा हो सकता है;

(ग) क्या किराना व्यापारी इन कंटेनरों का उपयोग खाद्य तेल रखने के लिए कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) भारतीय मानक संस्थान ने 50 प्रतिशत ई० सी० मैल्थियन और डी० डी० टी० 50% ई० सी० कीटनाशक इकाइयां तैयार करने के लिए अन्दर से अच्छी तरह रोगन किए हुए हल्के इस्पात और टिन प्लेट के आधान निर्धारित किए हैं। कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित की गई पंजीकरण समिति ने भी सम्बद्ध भारतीय मानकों को अपना लिया है।

मैल्थियन तथा डी० डी० टी० के मिश्रण योग्य सान्द्रों की पैकिंग के लिए मोटे (हाई डैंसिटी)

पोलिथिन के आधान मंजूर नहीं किये जाते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति हाई डैन्सिटी पोलिथिन का उपयोग करता है तो वह कानून का उल्लंघन करता है और कानून के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(ख) कीटनाशक नियमों के तहत, विनिर्माताओं, कीटनाशक औषधियों के फार्मूलेटरों और संचालकों को पैकेटों अथवा अधिशेष सामग्री और धोवनों को निर्धारित तरीके से निपटाना अपेक्षित है और उनका फिर से प्रयोग नहीं करना होता है।

(ग) और (घ) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत कृमिनाशक आधानों को पुनः प्रयोग करना वर्जित है और संचालकों को कीटनाशक नियम 1971 के तहत निर्धारित तरीके से उनको निपटाना अपेक्षित है।

कीटनाशक अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में निहित है। जब कभी इसका अतिक्रमण केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आता है तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जाता है। कीटनाशक औषधियों के विनिर्माताओं को कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण समिति द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि निदेशकों को भी पृष्ठांकित की जाती है ताकि वे पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करा सकें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैकिंग तथा लेबल लगाने की शर्तें भी शामिल हैं।

## फार्मूलेटरों द्वारा कानूनों का उल्लंघन

4591. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे फार्मूलेटर, जो एक विशिष्ट फार्मूलेटर पर आधारित किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए पंजीकरण कराते हैं तथा केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड को नये सिरे से आवेदन किये बिना विभिन्न साल्वेंटों का प्रयोग करके कोई दूसरी वस्तु बनाते और बेचते हैं, औषध बदलने का अपराध करने के दोषी हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे फार्मूलेटर, जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं, का पता लगाने के लिए और कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, किसी पंजीकृत नुस्खे से भिन्न किसी और नुस्खे से उत्पाद करने वाले किसी भी विनिर्माता को नया पंजीकरण करवाना पड़ता है।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के अन्तर्गत निरीक्षण,

सैम्पल लेने, उनका रासायनिक विश्लेषण आदि करने का प्रावधान है। राज्य सरकारों का यह उत्तर-दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और उल्लंघनों के मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। बहरहाल जब कभी ऐसा मामला केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आता है, तो सम्बन्धित राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है।

### कीटनाशकों के डिब्बों सम्बन्धी नियम

4592. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमानुसार सभी कीटनाशकों के डिब्बों पर उसके सक्रिय और दूसरे अवयवों की किस्म, नाम तथा उनकी प्रतिशतता लिखी होनी चाहिए परन्तु कीटनाशक बनाने वालों द्वारा वास्तविक व्यवहार में ऐसा नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) कीटनाशक नियम, 1971 के अनुसार आधान/पैकेट के लेबल पर उसके सक्रिय और दूसरे अवयवों की किस्म, नाम तथा प्रत्येक की प्रतिशतता लिखा होना आवश्यक है। इस शर्त के उल्लंघन के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों में दंड का प्रावधान है।

(ख) कीटनाशक अधिनियम, 1968 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में निहित है। जब कभी इसका अति-क्रमण केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आता है तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जाता है। कीटनाशक औषधियों के विनिर्माताओं को कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण समिति द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि निदेशकों को भी पृष्ठांकित की जाती है, ताकि वे पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करा सकें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पैकिंग करने तथा लेबल लगाने की शर्तें भी शामिल हैं।

### भैंसों के वीर्य का निर्यात

4593. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी नस्ल के भैंसों के वीर्य का वियतनाम को निर्यात किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितनी अच्छी नस्लों के भैंसे हैं तथा देश की वास्तविक आवश्यकता उसकी

प्रजनन शक्ति से दुग्ध उत्पादन के औसत स्तर में कितना सुधार होगा; और

(ग) क्या वियतनाम को पशु चारे का भी निर्यात किया जाएगा ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भैंसों के 35 ऐसे प्रमाणित वीर्य हैं जो अपने समकालीन भैंसों के वीर्य से 5 प्रतिशत से अधिक बेहतर हैं। बच्चा पैदा कर सकने वाली मादा भैंसों की संख्या को और ग्रामीण स्थितियों में उनके बछड़ा पैदा करने के अन्तराल को देखते हुए, यदि भैंसों को जमाए हुए वीर्य तकनीक कार्यक्रम के जरिए इस्तेमाल करना हो तो हर वर्ष 1200 ऐसे नर भैंसों को बदलना जरूरी है जो भैंसों के प्रजनन में काम आ सकते हों।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में श्रमिकों की प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदारी

4594. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में श्रमिकों की प्रबन्ध व्यवस्था से भागीदारी के बारे में योजना मंजूर की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा योजना को कार्यान्वित करने हेतु कार्मिक संघों की बहुलता की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) "सेल" के पास प्रबन्धन में कामगारों की भागीदारी की एक योजना है, जो पांच स्तरों पर है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर, निगम स्तर, संयंत्र स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा कर्मशाला स्तर पर है। सरकार ने प्रबन्धन में कर्मचारियों की भागीदारी की एक नई योजना 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की है। "सेल" ने इस योजना के क्षेत्र तथा दायरे के विस्तार के लिए इस योजना को विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पर उठाया है।

(ख) मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत कोई भी सात अथवा उससे अधिक कामगार मजदूर संघ के पंजीकरण के लिए पंजीयक को आवेदन भेज सकते हैं। इस अधिनियम के वर्तमान उपबंध को ध्यान में रखते हुए संघों की बहुलता को कम करना सम्भव नहीं है।

### महाराष्ट्र में जल आपूर्ति

4595. **श्री मुरली धर माने** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में महाराष्ट्र में जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को लाया गया है; और

(ख) वर्ष 1986-87 में कितने गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान, महाराष्ट्र में जल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत 2120 समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया गया था। 1985-86 के दौरान, राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फरवरी, 86 तक 77 समस्याग्रस्त गांवों और 5347 दूसरे गांवों को शामिल किया गया है।

(ख) 1986-87 के दौरान शामिल किए जाने वाले गांवों के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मयूर विहार में गिराये गये मकानों के लिए मुआवजा

4596. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्तियार नाम के धारक और अपने प्लाट पर मकान बनाने वाले ऐसे व्यक्तियों को जिनके मकान आपात काल के दौरान गिराये गये थे, मयूर विहार आवासीय योजना में वैकल्पिक फ्लैट आबंटित कराने की कोई योजना थी; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराये गये मकानों और अधिग्रहण की गई भूमि के लिए उन्हें कोई मुआवजा दिया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आपातकाल के दौरान जिन व्यक्तियों के मकान गिराए गए थे, उनको वैकल्पिक वास आबंटित करने की एक योजना है परन्तु मयूर विहार में ऐसे आबंटन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(ख) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा केवल मालिकों/उत्तराधिकारियों के हित में ही देय है/अदा किया गया है/भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद बनाए गए मकानों के निर्माणों पर अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार गिराए गए अनधिकृत निर्माणों के लिए भी कोई मुआवजा देय नहीं है।

## दुग्ध उत्पादन का पूर्वानुमान करना

4598. डा० जी० विजय रामा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फसलों और कृषि उत्पादों का सही और नियमित पूर्वानुमान किया जाता है;

(ख) क्या दूध एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन है और यह सांख्यिकीय पूर्वानुमान में शामिल है और यदि नहीं, तो क्या दूध के गलत आकलन के सम्बन्ध में एन०सी०ए० के 1976 के प्रतिवेदन, झा समिति के प्रतिवेदन और पशुपालन आयोग के प्रतिवेदन की स्पष्ट सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाएगा; और

(ग) क्या विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए दूध के जिले-वार आंकड़े उपलब्ध किये जाएंगे ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) खाद्य, तिलहन, गन्ना तथा रेशेदार फसलों के सम्बन्ध में नियमित पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। दूध, अंडे तथा ऊन के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े भी सालाना प्रक्षेपित किये जाते हैं।

(ग) दूध के उत्पादन के जिले-वार अनुमान तैयार करने से सम्बन्धित मामले पर विचार किया जा रहा है।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण में मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति

4599. **श्री मानिक राव होडल्या गावीत**
**श्री सुभाष यादव** } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके उपक्रम को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाना है ताकि मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सके और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## ऐस्बेस्टास खनन के बारे में सरकार को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

4600. **श्री थम्पन थामस :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को नोटिस दिया है जिसमें यह घोषित करने को कहा गया है कि 'ऐस्बेस्टास का खनन और फैक्टरी प्रोसेस एक खतरनाक और जोखिम पूर्ण व्यवसाय है";

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के नोटिस पर कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) से (ग) कंज्यूमर एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद एवं अन्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका—1986 की 206-दायर की गई है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ, भारत संघ भी एक प्रत्यर्थी है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने ऐस्बेस्टोस खनन और कारखाना प्रक्रियाओं को खतरनाक और जोखिमपूर्ण व्यवसायों के रूप में घोषित करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 87 के अधीन कारखानों के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति राज्य सरकारों के पास पहले ही विद्यमान है।

### केरल में धान की खेती करने वालों को राज सहायता

4601. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल में धान की खेती पर अधिक लागत आती है तथा धान की खेती करने वाले अपने धान के खेतों में कोई दूसरी लाभकारी फसलें उगा रहे हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य में धान की खेती करने वालों को राज सहायता देने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगी ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) श्रम की अधिक लागत के खेती की कुल लागत का काफी बड़ा अनुपात होने के कारण केरल राज्य में धान की खेती की लागत कुछ अधिक है। हाल के वर्षों में धान की खेती के तहत के क्षेत्र में मामूली कमी होने का कारण अन्य अधिक मूल्यवान फसलों को उगाने में तुलनात्मक रूप से लाभ का होना हो सकता है।

(ख) सरकार अपनी ओर से किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए कई उपाय अपना रही है और उत्पादन बढ़ाने तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जिसका एक भाग राज सहायता है। उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रसार सहित केन्द्रीय क्षेत्र को चावल मिनिकिट एवं सामुदायिक पौधशाला कार्यक्रम केरल राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्थान विशेष को अधिक उपज देने वाली किस्मों के 2 से 5 किलोग्राम के चावल बीज मिनिकिट निशुल्क बांटे जाते हैं, ताकि निर्मुक्त की गई अधिक उपज देने वाली नई किस्मों को लोकप्रिय बनाया जा सके और किसानों की परिस्थितियों के तहत नई किस्मों की जांच की जा सके। इसके

अतिरिक्त, चावल की सामुदायिक पौधशालाएं लगाने तथा इस प्रकार की पौधशालाओं में उगाई गई पौध का मामूली लागत पर अन्य किसानों के साथ शेयर करने के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता दी जाती है। कृषि उत्पादन अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कृषक कृषि सेवा केन्द्रों को स्थापित करने तथा उन्नत कृषि उपस्करों तथा हस्त चालित औजारों को उनकी रियायती बिक्री के माध्यम से लोकप्रिय बनाने के लिए दिसम्बर, 1983 में एक योजना मंजूर की है। उक्त योजना अर्थात उन्नत कृषि उपस्करों तथा हस्तचालित औजारों को रियायती बिक्री के माध्यम से लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी घटक 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान केरल राज्य में लागू किया गया है। राज्य सरकार को केन्द्रीय शेयर की राज सहायता के रूप में कुल 9.52 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

## आकाशवाणी में खाली पदों को भरना

4602. श्री प्रकाश वी० पाटिल
प्रो० रामकृष्ण मोरे
: क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियों के बहुत बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका श्रेणी-वार विवरण क्या है, ये किस तारीख से खाली पड़े हैं; और इन पदों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) से (ग) आकाशवाणी का नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ 88 केन्द्रों का विस्तृत संजाल है। इस प्रकार के विस्तृत संजाल में, सेवा निवृत्तियों/एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नतियों अथवा विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए पदों के सृजन के कारण स्वाभाविक रूप से रिक्तियां होती रहती हैं। इसके अलावा, अवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक आदि जैसे निचले ग्रेडों में, नए नियुक्त व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के शीघ्र बाद त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य जगह निजी/सरकारी क्षेत्रों में बेहतर कार्य मिल जाता है। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, किन्तु किसी भी समय रिक्तियों की कुल संख्या स्वीकृत कुल नफरी के लगभग 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

समूह "ग" तक की अधिकांश रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग रोजगार कार्यालय आदि के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं। मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए इस प्रकार की सीधी भर्ती करने की कार्रवाई क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रों में निहित की गई है।

समूह "क" और "ख" में रिक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या तो सीधी भर्ती पद्धति द्वारा या विभागीय पदोन्नति समिति पद्धति द्वारा भरा जाता है। उन मामलों, जिनमें कुछ उच्च न्यायालयों ने वरीयता सूची में कथित त्रुटियों के कारण पदोन्नतियों के बारे में स्थगन आदेश पारित किए हैं, को छोड़कर अन्य मामलों में सीधी भर्ती के लिए मांग अथवा विभागीय पदोन्नति समिति के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं। इन चयनों/विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों में कुछ समय लगेगा, यद्यपि, मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

**उड़ीसा में राहत कार्य के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग**

4603. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राहत कार्य के लिए वर्ष-वार कितनी धन-राशि दी गई;

(ख) क्या सम्पूर्ण धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या यह धनराशि राहत कार्य पर अथवा किसी अन्य प्रयोजन पर खर्च की गई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को मंजूर की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकार से प्राप्त हुए व्यय के ब्योरों के आधार पर निर्मुक्त की गई वास्तविक धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1982-83 में समुद्री तूफान से प्रभावित मिट्टी चूना मिलाने की सामग्री का परिवहन संबंधी राज सहायता के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर की गई धनराशि के एक भाग का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले पर राज्य सतर्कता संगठन द्वारा छान-बीन की जा रही है और छान-बीन पूरी हो जाने के बाद ही दुरुपयोग की गई सही रकम का पता लग सकता है।

## विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को राहत के लिए मंजूर की गई तथा निर्मुक्त की गई तथा निर्मुक्त की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता प्रदर्शित करने वाला विवरण;

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | बाढ़/तूफान | | सूखा | |
|---|---|---|---|---|
| | मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता | निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता | मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता | निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1982-83 | 170.52 | 129.20 | 15.98 | 14.48 |
| 1983-84 | 22.98* | 14.85 | 24.65 | 22.05 |
| 1984-85 | 23.43 | 11.11 | 2.95<br>6.00** | 5.00 |

*1983-84 के लिए आगे ले जाया गया
**1985-86 के लिए आगे ले जाया गया

## तूफान से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सहायता

4604. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को वर्ष 1981-82 से अब तक तूफान से प्रभावित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि भूमि में कागज मिल की कीचड़ डालकर इस धनराशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया; और

(घ) इस मामले में सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) भारत सरकार ने 1981-82 से अब तक बाढ़/तूफान से प्रभावित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए निम्नलिखित अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की है :—

| वर्ष | मंजूर की गई रकम (लाख रुपए) |
|---|---|
| 1981-82 | कोई नहीं |
| 1982-83 | 75.00 |
| 1983-84 | कोई नहीं |
| 1984-85 | 20.10 |
| 1985-86 | 20.00 |

(ख) से (घ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1982-83 में तूफान से प्रभावित मिट्टी के लिए चूना सामग्री के परिवहन सम्बन्धी राज सहायता के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर की गई धनराशि के एक भाग का गबन किया गया है। इस मामले पर राज्य सतर्कता संगठन द्वारा छानबीन की जा रही है और छानबीन पूरी हो जाने के बाद गबन की गई सही रकम का पता लग सकता है।

[हिन्दी]

### पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण

4605. श्री राज कुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पत्रकारों के पीटे जाने के बारे में समय-समय पर समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है और क्या यह सच है कि पहचान पत्र दिखाने और अन्य विवरण देने के बावजूद भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और पुलिस अत्याचार के कितने मामलों पर कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके उपलब्ध हो जाने पर उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

### बेरोजगारों को ठगने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही

4606. श्री टी० बशीर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पता लगाई गई उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जो खाड़ी के देशों में रोजगार चाहने वालों को ठग रही हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना विभिन्न पुलिस प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

### देश में मृदा-परीक्षण प्रयोगशालायें

4607. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें काम कर रही हैं; और

(ख) उन जिलों में प्रयोगशालायें स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है, जहां ऐसी प्रयोगशालाएं अभी तक नहीं हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उन जिलों की राज्यवार संख्या, जिनमें मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि कृषि क्षमता के प्रत्येक जिले में, कम से कम एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उस जगह स्थापित करें जहां इस समय कोई प्रयोगशाला नहीं है।

**विवरण**

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | उन जिलों की संख्या जहां मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं | मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या (मोबाइल प्रयोगशालाओं सहित) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दिल्ली | 1 | 1 |
| 2. | हरियाणा | 12 | 28 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 11 | 12 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 5 | 7 |
| 5. | पंजाब | 12 | 49 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 56 | 56 |
| 7. | आंध्र प्रदेश | 23 | 29 |
| 8. | कर्नाटक | 19 | 28 |
| 9. | केरल | 11 | 15 |
| 10. | पांडिचेरी | 1 | 2 |
| 11. | तमिलनाडु | 15 | 32 |
| 12. | असम | 11 | 13 |
| 13. | बिहार | 36 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | उड़ीसा | 11 | 13 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 8 | 17 |
| 16. | नागालैंड | 1 | 1 |
| 17. | मिजोरम | 1 | 1 |
| 18. | मेघालय | 1 | 1 |
| 19. | मणिपुर | 1 | 2 |
| 20. | त्रिपुरा | 2 | 2 |
| 21. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 1 |
| 22. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 1 |
| 24. | गुजरात | 18 | 22 |
| 25. | मध्य प्रदेश | 24 | 26 |
| 26. | महाराष्ट्र | 12 | 22 |
| 27. | राजस्थान | 8 | 9 |
| 28. | गोवा, दमन तथा दीव | 1 | 2 |
| | योग : | 304 | 432 |

[अनुवाद]

## मृदा परीक्षण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग

4608. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृदा परीक्षण और सिंचाई के प्रयोजन के लिए जल संरक्षण करने हेतु कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू करने और निकट भविष्य में समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रम निर्धारित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में क्या कठिनाइयां हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) उर्वरक सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए मृदा-परीक्षण हेतु कम्प्यूटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल जल संसाधन मन्त्रालय में केन्द्रीय जल आयोग और कन्क्रीट और मृदा मैकेनिक्स अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली जैसे संगठनों में जल संरक्षण सम्बन्धी ढ़ाचों के नियोजन और डिजाइन के लिए केन्द्रीय स्तर पर कम्प्यूटर लगाए जा रहे हैं। नदी के पानी के नियोजन और अधिकतम विकास और जल संरक्षण के जटिल ढ़ांचों के डिजाइन के लिए जिन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है उनके लिए कम्प्यूटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि सिंचाई परियोजनाओं का नियोजन, निर्माण और संचालन राज्य सरकारें करती हैं इसलिए, सिंचाई एक राज्य का विषय है। इन परियोजनाओं का लाभ तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के अनुसार दोनों सूखे के खतरे वाले तथा अन्य किस्म के क्षेत्रों को पहुंचता है।

## छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के संघों और संगठनों को मान्यता देना

4609. **श्री सुभाष यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के कितने संघों और संगठनों को मान्यता दी गई है;

(ख) क्या "इंडियन फेडरेशन आफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स" को मान्यता देने का मामला सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ग) मान्यता देने के लिए क्या मानदंड हैं और क्या इन संघों और संगठनों को सक्रिय सदस्यता का प्रतिवर्ष सर्वेक्षण किया जाता है; और

(घ) क्या छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों ने अपने रजिस्टरों में ऐसे समाचारपत्रों को सदस्य को दिखाया है जिन्होंने अपने प्रकाशन वर्षों पहले बन्द कर दिये थे और जिन्होंने वर्षों तक चन्दा नही दिया है; यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक संघ और संगठन की वास्तविक सदस्य संख्या के बारे में जांच करवाएगी और केवल वास्तविक संस्थाओं को ही मान्यता देगी।

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (घ) सरकार के पास लघु, मध्यम अथवा बड़े समाचारपत्रों के संघों और संगठनों को मान्यता देने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, भारतीय प्रेस परिषद, परिषद के गठन के बारे में केवल उनको अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए ही समाचारपत्र संगठनों को मान्यता देता है। परिषद द्वारा वर्ष 1985 के दौरान लघु और मझोले समाचारपत्रों के दो संगठनों अर्थात आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स एसोसिएशन और आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन को मान्यता दी गई थी। यह मान्यता इस प्रकार के संगठनों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर दी जाती है। इंडियन फेडरेशन आफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स, जिसकी स्थापना हाल ही में अर्थात 29.4.1985

को हुई थी, ने इस बारे में प्रेस परिषद से सम्पर्क किया था और परिषद द्वारा उन्हें अपना दावा 1988 में, जब मौजूदा प्रेस परिषद का कार्यकाल समाप्त होगा, करने की सलाह दी गई थी।

सरकार द्वारा सर्वेक्षण और जांच पड़ताल करने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, जब कोई एसोसिएशन अपना दावा प्रस्तुत करती है, जैसा कि इंडियन फैडरेशन आफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ने हाल ही में केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति और अखबारी कागज सलाहकार समिति, आदि जैसी किसी भी समिति में शामिल करने के लिए किया है, तो उस एसोसिएशन का यह दायित्व है कि वह अपने प्रतिनिधि कारी निकाय होने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करे। इस प्रकार के मामलों में निर्णय विभिन्न संगत बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

## असंगठित श्रमिकों की सेवा शर्तें

4610. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असंगठित श्रमिकों की स्थिति शोचनीय है तथा उनका शोषण किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे श्रमिक समूहों को संगठित करने में सहायता करेगी; और

(ख) क्या ऐसे श्रमिक समूह को कल्याण योजनाओं, विशेषकर कम किराए के मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा सुरक्षा और पेंशन सम्बन्धी लाभ दिए जाएंगे जैसा कि जाम्बिया जैसे कुछ अन्य विकासशील देशों में दिए जाते हैं ?

**श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित प्लान योजना चालू है। इस योजना के अन्तर्गत, 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवैतनिक ग्रामीण आयोजकों के 1500 पद आवंटित किए गए हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण मकान स्थल व मकान निर्माण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरी क्षेत्रों में भी, आवास कार्यक्रम को, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू किया जाता है।

सातवीं योजना में, लोगों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएंगे। गरीबी हटाओ कार्यक्रमों से असंगठित श्रमिकों की सौदाकारी स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है। प्राय: सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजनायें हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पेंशन दी जाती है।

## सस्यक्रम में परिवर्तन

4611. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के बजट में देश में वर्तमान सस्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए कृषि आवंटन में वृद्धि की है ताकि, कृषि क्षेत्र उत्पादन के उन क्षेत्रों में पूर्ति कर सके जिनमें कमी हो रही है;

(ख) क्या बजट आवंटन निर्धारित करने से पहले मन्त्रालय ने, विभिन्न फसलों के लिए, जिनकी कमी है, बढ़ाए गए आवंटन के लिए व्यापक क्रम तैयार किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) अब वर्ष 1986-87 के लिए विभिन्न फसलों के बढ़े हुए उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) कृषि कार्यकलापों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उन फसलों को छोड़ कर जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना है, वित्तीय आवंटन साधारणतया फसल-वार आधार पर नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष, प्लान/बजट प्रस्तावों को तैयार करने से पूर्व, क्षेत्रों के लिए आवंटन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्य किया जाता है। इस कार्य के एक भाग के रूप में मांग तथा आपूर्ति की स्थिति, सफल उत्पादन के असन्तुलन, प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विकास की अवस्था और श्रोतों की उपलब्धता जैसे संबंध घटकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(घ) 1986-87 के लिए विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

| फसल | ईकाई | 1986-87 के लिए लक्ष्य |
|---|---|---|
| चावल | दस लाख मीटरी टन | 65.0 |
| गेहूं | ,, | 49.0 |
| माटे अनाज | ,, | 32.0 |
| कुल धान्य | ,, | 146.0 |
| कुल दालें | ,, | 14.00 |
| कुल खाद्यान्न | ,, | 160.0 |
| तिलहन | ,, | 14.8 |
| गन्ना | ,, | 185.0-190.0 |
| कपास | प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की दस लाख गाठें | 8.8 |
| पटसन और मेस्ता | प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की दस लाख गाठें | 8.5 |

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केयमेस सहकारी ग्रुप आवास समिति के मामले में अड़चनें डालना

4612. श्री टी० बशीर
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केयमेस सहकारी ग्रुप आवास समिति द्वारा, अपने सदस्यों के लिए, मकान बनाने के समिति के प्रयासों के बारे में डाली गई अड़चनों, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना की अनुमति देने के बाद पहले से आबंटित भूमि की उपयुक्तता के बारे में प्राधिकरण और दिल्ली नगर कला आयोग के बीच विवाद नवीनतम है, के बारे में उक्त समिति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) सरकार द्वारा प्राधिकरण और नगर कला आयोग के बीच विवाद को तत्काल सुलझाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि उक्त समिति मकानों के निर्माण को शुरू कर सके ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली सहकारी आवास भवन संघ लि० के माध्यम से केयमित सहकारी सामूहिक आवास समिति लि० का दिनांक 19.2.1986 का एक अभ्यावेदन शहरी विकास मंत्रालय में 28.2.1986 को प्राप्त हुआ था।

(ख) इस समिति को गीता कालोनी में भूमि आवंटित की गई थी। दिल्ली नगर कला आयोग ने सामूहिक आवास समितियों के लिए गीता कालोनी कम्प्लैक्स की विन्यास एवं परिवेस्टन योजना पर विचार किया है तथा उचित मूल्यांकन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस क्षेत्र की वर्तमान विकास पद्धति, सड़कों, खुले स्थानों, टाट लाटों, पार्कों तथा सामुदायिक सुविधाओं की अवस्थिति आदि के पूर्ण ब्यौरे देते हुए व्यापक प्रस्ताव बनाने का परामर्श दिया है। इस मंत्रालय ने भी दिल्ली विकास प्राधिकरण को पृथक-पृथक समितियों द्वारा प्रस्तुत विन्यास/स्थल नक्शों के शीघ्र अनुमोदन सहित निर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर दिल्ली नगर कला आयोग के परामर्श से इस क्षेत्र की संरचनात्मक योजना को अन्तिम रूप देने की सलाह की है।

## औद्योगिक कामगारों के लिए विशेष आवास योजना

4613. श्री के० वी० शंकर गोडा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से औद्योगिक कामगारों के लिए विशेष आवास योजना

बनाने अथवा वर्तमान आवास योजनाओं में उनके लिए मकानों का कम से कम एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के निदेश से सहमत हो गई है;

(ग) क्या बहुत बड़ी संख्या में कामगार गृह निर्माण के लिए ऋण की उदार व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी है।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि काफी संख्या में भविष्य निधि अंशदाताओं ने मकान निर्माण के प्रयोजनार्थ, निकासी से संबंधित उदार उपबंधों का लाभ नहीं उठाया है, शायद ऐसा उपयुक्त आवास योजनाओं के अभाव में हुआ हो। इस संदर्भ में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे औद्योगिक कर्मकारों के लिए विशेष आवास योजनाएं तैयार करें।

## डी० डी० ए०, डी० टी० सी० और दिल्ली दुग्ध योजना में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करना

4614. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत**
**श्री सुभाष यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अभी कारखानों और प्रतिष्ठानों के कुछ अन्य विशिष्ट श्रेणियों पर लागू होता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सीमाक्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए, अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम की "कार्यशालाओं" के कर्मचारी पहले से ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली परिवहन निगम का रनिंग स्टाफ, यानी ड्राइवर, कन्डक्टर आदि अभी इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। तथापि, उन पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने के प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जब दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा के नए अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों पर पहले से ही लागू है लेकिन अभी उन्हें इसके संचालन से छूट दी हुई है।

## कर्नाटक में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत लाए गए जिले

4615. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में किन-किन जिलों में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना कार्य कर रही है;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान उक्त परियोजना का शेष सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा; और

(ग) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना कर्नाटक राज्य के 16 जिलों अर्थात बंगलौर, कोलार, तुमकुर, शिमोगा, चित्रदुर्गा, मैसूर, माण्डया, हस्सन, चिकमगलूर, धारवाड़, बेलगांव, बीजापुर, रायचुर, बैलारी, गुलबर्गा और विदार में चल रही हैं।

(ख) 1986-87 से राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में संशोधन किया गया है और राज्यों में, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, जिलों का चुनाव इन जिलों में कृषि के अन्तर्गत तिलहनों के वृहदाकार क्षेत्र के आधार पर और क्षमता के आधार पर, भले ही कवर किया गया वास्तविक क्षेत्र कम हो, किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत अधिक तिलहन उगाने के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन तथा सुविधाएं इस प्रकार हैं :—उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, बीज और उर्वरक मिनिकिटों का वितरण और किसानों को बीज, उर्वरक राइजोवियम कल्चर, पौध संरक्षण, सिंचाई प्रभाग और फार्म उपस्करों आदि के लिए राज सहायता।

## सूखा प्रवण क्षेत्रों में पनधाराओं का पता लगाना

4616. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों में पनधाराओं का पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और इस कार्यक्रम के शुरू किए जाने के बाद प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में कितनी पनधाराओं का पता लगाया गया;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए धनराशि केन्द्रीय सरकार ने उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

**कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य है—इसके अन्तर्गत आए क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और भूमि, जल, पशुधन एवं मानव संसाधनों का अधिकतम विकास करने के लिए लघु या सूक्ष्म वाटरशेडों के आधार पर समन्वित क्षेत्र को विकार करना। इसलिए वाटरशेडों का उचित चयन करने और ऐसे क्षेत्रों का योजनाबद्ध समन्वित विकास करने की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य सरकारों को कहा गया है।

(ख) इस कार्यक्रम वाले अधिकांश जिलों में यह प्रयास किया गया है कि कार्य-योजनाएं बनाते समय वाटरशेडों का पता लगाया जाए। पता लगाए गए वाटरशेडों की सही संख्या तथा ब्यौरे के बारे में सूचना नहीं रखी गई है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के क्षेत्रों, अर्थात अनन्तपुर और कुरनूल (आंध्र प्रदेश), पलामु (बिहार), पंचमहल और राजकोट (गुजरात), महेन्द्रगढ़ (हरियाणा), उधमपुर (जम्मू व कश्मीर), सीधी (मध्य प्रदेश), शोलापुर, बीड, अहमदनगर (महाराष्ट्र), बेल्लारी, बीजापुर और कोलार (कर्नाटक), फूलबनी (उड़ीसा), डूंगरपुर (राजस्थान), बहराइच और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), पुरुलिया और बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में 20 वाटरशेडों के विकास के लिए माडल योजनाएं तैयार की हैं। इन्हें कार्यान्वित करने के लिए संबंधित जिलों की सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वार्षिक कार्य-योजनाओं में मिलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का व्यय केन्द्रीय व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जा रहा है। पांचवीं योजना से इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों के कुल आबंटन, कुल व्यय तथा मुक्त की गई केन्द्रीय निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

## विवरण

पांचवीं योजना से 1985-86 तक सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आबंटनों, कुल व्यय तथा मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | राज्य | कुल आबंटन | फरवरी, 1986 तक कुल व्यय | मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 108.73 | 92.98 | 53.07 |
| 2. | बिहार | 65.88 | 48.74 | 25.88 |
| 3. | गुजरात | 71.96 | 72.42 | 36.73 |
| 4. | हरियाणा | 19.84 | 16.90 | 9.56 |
| 5. | जम्मू और काश्मीर | 20.77 | 17.19 | 7.26 |
| 6. | कर्नाटक | 92.51 | 76.59 | 41.94 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 70.94 | 57.11 | 28.88 |
| 8. | महाराष्ट्र | 87.62 | 77.20 | 38.64 |
| 9. | उड़ीसा | 43.58 | 31.22 | 17.38 |
| 10. | राजस्थान | 125.45 | 81.69 | 47.19 |
| 11. | तमिलनाडु | 51.68 | 50.31 | 24.76 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 88.73 | 71.98 | 40.27 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | 45.17 | 33.78 | 18.33 |
| | योग : | 802.86 | 728.11 | 389.89 |

## गुजरात में मत्स्य पालन विकास

4617. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गुजरात से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में मछली का निर्यात किया गया और किस एजेंसी के माध्यम से; और

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्यकी विकास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**ब्लू फिल्मों का प्रदर्शन**

4618. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर ब्लू फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे युवा पीढ़ी का नैतिक पतन हो रहा है;

(ख) क्या सेंसर बोर्ड ने इसे बन्द करने के लिए कोई पहल की है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह देने सहित अन्य क्या प्रभावशाली उपाय किए जा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में कुछ रिपोर्टें समय-समय पर समाचार-पत्रों में अवश्य प्रकाशित होती हैं। 2. फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन मुख्यतया निजी क्षेत्र में है। इसके अलावा, अप्रमाणिकृत फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए कानून पहले ही विद्यमान है। इस प्रकार के कानूनों का उल्लंघन करने वालों के संबंध में निवारक एवं दण्डात्मक कार्रवाई सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श देती रहती है।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों का वेतनमान**

4619. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की कोई श्रेणी, कर्मचारियों की अन्य श्रेणी की तुलना में उनसे भेदभाव किये जाने के बारे में आंदोलन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का

विचार है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियर विभाग में कार्यरत ड्राफ्ट्समैन, ग्रेड—I के समकक्ष अपने वेतनमान लाने के लिए इनके संशोधन के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

(ग) वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह मामला विचाराधीन है।

**मृदा संरक्षण उपायों के लिए राज्यों को अनुदान**

4620. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और लाभान्वित किसानों से राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में समानता लाने का है;

(ख) क्या सरकार ने मृदा संरक्षण कार्यक्रम को शतप्रतिशत अनुदान के आधार पर कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रावधान पर भी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे सभी प्रकार की भूमि तथा उससे संबंधित निकासी पद्धति के लिए समेकित पनधारा प्रबन्ध योजनाएं तैयार करें और उन्हें बहु-पक्षीय कार्यनीति अपनाकर कार्यान्वित करें। मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से लाभान्वित किसानों को दिए जाने वाले कर्जों की वसूली राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग) विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के अनुमोदित स्वरूप के अनुसार राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का स्वरूप अलग-अलग है जिनके अनुसार 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है जिसमें अनुदान तथा ऋण शामिल होते हैं।

**सरकारी आवास को आगे किराये पर देना**

4621. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि केन्द्रीय सरकार के आवास को आगे किराये पर देना अब अपराध माना जायेगा और इसके लिए कड़ी सजा दी जायेगी;

(ख) यदि यह पाया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी ने सरकारी आवास आगे किराये पर दे रखा है, तो क्या उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए सरकारी आवास का घर-घर जाकर सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या अन्य कदम उठाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि उन मामलों में जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी रिहायशी वास किराये पर दिए जाने के लिए दोषी पाया गया, मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी उपयुक्त सजा देने के लिए अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत उचित विभागी अनुशासनात्मक कार्यवाही करे।

(ख) दी जाने वाली सजा की मात्रा का निर्णय संबंधित प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्राधिकारी को करना है ।

(ग) और (घ) यह विभाग समय-समय पर सरकारी क्वार्टरों में उपकिरायेदारी का पता लगाने के लिए अचानक सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त प्राप्त विशेष शिकायतों की भी जांच की जाती है।

## गैर-सरकारी ठेकेदारों के भवन निर्माण कार्यकलाप

4622. डा० टी० कल्पना देवी
श्री सी० माधव रेड्डी
} : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी ठेकेदारों जो दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्मित्त मकानों में कमियों के लिए वास्तव में जिम्मेवार हैं के बजाय आवास और शहरी विकास निगम, भारतीय इंजीनियरी परियोजना, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसी एजेन्सियों को दिल्ली में निर्माण कार्य के लिए प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए सरकार का विचार वास्तविक भवन निर्माण सोसाइटियों को भी प्रोत्साहित करने का है जैसा पहले किया जाता था तथा जिस प्रकार अन्य राज्य में व्यवसायिक सोसायटियों, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की सोसाइटियों और पी० टी० आई० यू० एन० आई० डी० सी० एम० एस्कार्ट्स आदि जैसी गैर सरकारी सोसाइटियों से शुरूआत की गई है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नामतः इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ई० पी० आई०) तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित (एन० बी० सी० सी०) दिल्ली विकास प्राधिकरण की निर्माण परियोजनाओं में पहले से ही भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के 15000 मकानों के निर्माण का कार्य हाल ही में एवार्ड किया गया है। इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के फ्लैटों के निर्माण का एक प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा है। आवास तथा नगर विकास निगम एक वित्त पोषित अभिकरण होने के नाते प्रत्यक्ष रूप में निर्माण कार्य नहीं करता है।

(ख) सामूहिक आवास आधार पर मकानों के निर्माण के लिए 1970 से सरकार दिल्ली में सहकारी ग्रुप आवास समितियों को प्रोत्साहित करती आ रही है। अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 5 7 सहकारी ग्रुप आवास समितियों को विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आबंटित की है। वर्ष 1983 के दौरान पंजीकृत 1208 समितियों का पंजीकार, सहकारी समिति, नई दिल्ली ने भूमि के आबंटन के लिये समर्थन किया है।

## दुर्घटना प्रवण उद्योग और दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

4623. **श्री के० प्रधानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडस्ट्रियल डिजायन सेन्टर और इंडस्ट्रियल टैक्नालॉजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि वस्त्र, धातु कर्म, मशीनरी निर्माण, रसायन और परिवहन जैसे पांच औद्योगिक क्षेत्र दुर्घटना प्रवण हैं जिनमें 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या भोपाल गैस त्रासदी से यह आशा हुई थी कि उद्योगों द्वारा कड़े सुरक्षा विनियम अपनाए जाएंगे, परन्तु इस बीच गैस रिसने की अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं और स्थिति और अधिक चिन्ताजनक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) उक्त उल्लिखित सर्वेक्षणों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा, वर्ष 1982 के सम्बन्ध में किए गए विश्लेषण के अनुसार, उक्त उल्लिखित उद्योगों में दुर्घटनाओं की प्रतिशतता, दुर्घटनाओं की कुल संख्या की तुलना में 79 थी।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1984 के बाद, देश में कुछ औद्योगिक यूनिटों से गैस के रिसाव की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के सीमाक्षेत्र में आने वाले विनिर्माण यूनिटों में ऐसे गैस रिसाव पर नियंत्रण करने और बेहतर सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए भी निम्न-

लिखित उपाय किए गए हैं :—

1. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करें, प्रक्रियाओं को कारगर बनाए और कारखाना नियमों को मॉडल नियमों के समरूप अद्यतन बनाए।

2. केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई और कलकत्ता, कानपुर एवं मद्रास में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है जिससे रसायन यूनिटों में सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। सभी संस्थानों में सुरक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित किए जा रहे एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है।

3. 23 कारखाना निरीक्षकों और केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के चार तकनीकी अधिकारियों को आस्ट्रेलिया में औद्योगिक स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षित किया गया ताकि राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित कर सके।

4. तीन कारखाना निरीक्षकों को यूनाइटेड किंगडम में बड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

5. कारखाना अधिनियम, 1948 में व्यापक संशोधन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ रसायनों सहित खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट उपबंध किए जा सके और कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कठोर शास्तियों की व्यवस्था की जा सके, जिससे कानून के प्रवर्तन को अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके।

6. सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटना न्यूनीकरण कार्रवाई योजना नामक एक योजना बनाई गई है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय श्रमिक और नियोजक संगठनों को परिचालित किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विनिर्माण प्रक्रियाओं से सम्बद्ध प्रबन्धकों और कर्मकारों के मुख्य कर्तव्यों और बाध्यताओं को बताया गया है ताकि व्यावसायिक सुरक्षा बनाई रखी जा सके और स्वास्थ्य जोखिमों को कम से कम किया जा सके।

## औद्योगिक दुर्घटनाएं

4624. श्री मुकुल वासनिक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं से सम्बन्धित एक सामान्य बात यह है कि देश

में उद्योगों द्वारा पूर्व चेतावनियों की उपेक्षा की जाती है और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा)** : (क) और (ख) औद्योगिक दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं। सरकार ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

1. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करें, प्रक्रियाओं को कारगर बनाए और कारखाना नियमों को मॉडल नियमों के समरूप अद्यतन बनाए।

2. केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई और कलकत्ता, कानपुर एवं मद्रास में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है जिससे रसायन यूनिटों में सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। सभी संस्थानों में सुरक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित किए जा रहे एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है।

3. 23 कारखाना निरीक्षकों और केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के चार तकनीकी अधिकारियों को आस्ट्रेलिया में औद्योगिक स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षित किया गया ताकि राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकें।

4. तीन कारखाना निरीक्षकों को यूनाइटेड किंगडम में बड़े जोखिमों को नियंत्रित करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

5. कारखाना अधिनियम, 1948 में व्यापक संशोधन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ रसायनों सहित खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट उपबंध किए जा सकें और कानून उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए कठोर शास्तियों की व्यवस्था की जा सके, ताकि कानून के प्रवर्तन को अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके।

6. सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटना न्यूनीकरण कार्रवाई योजना नामक एक योजना बनाई गई है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय श्रमिक और नियोजक संगठनों को परिचालित किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विनिर्माण प्रक्रियाओं से सम्बद्ध प्रबंधकों और कर्मकारों के मुख्य कर्तव्यों और बाध्य-

ताओं को बताया गया है ताकि व्यावसायिक सुरक्षा बनाई रखी जा सके और स्वास्थ्य जोखिमों को कम से कम किया जा सके।

**मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट खनिजों पर आधारित फैक्टरी की स्थापना**

4625. श्री नन्द लाल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में सागर जिले में रॉक फास्फेट खनिजों पर आधारित एक फैक्टरी की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन पार्टियों ने इस फैक्टरी की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ग) सागर जिले में किस स्थान पर इस फैक्टरी को लगाने का विचार है;

(घ) फैक्टरी की अनुमानित लागत कितनी है और इस फैक्टरी में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस फैक्टरी के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सागर जिले में रॉक फास्फेट मिनरल्स पर आधारित-कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है। तथापि एक निजी पार्टी से 1984 के दौरान एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसे नामंजूर कर दिया गया था तथा पार्टी को प्रत्यक्षतः नामंजूरी पत्र 25.9.1985 को जारी किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

---

11.59 म०पू०

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व मुस्लिम अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, श्री सैयद रैफाई ने, जिन्हें केरल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, केरल में प्रवेश किया था और वहां डेढ़ सप्ताह ठहरे थे।

अध्यक्ष महोदय : मामला विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुरूप : उन्होंने 'अरब टाइम्स' को साक्षात्कार दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा है

कि भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** वह इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। हमें इस मामले की जानकारी है।

(व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) :** महोदय, कल मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित होने से पहले भोपाल पीड़ितों के लिए मुआवजा देने के बारे में फैली इस भ्रांति के बारे में हमने मामला उठाया था। आपने कहा था कि आप इस मामले की छानबीन करेंगे तथा आप उनसे सच्चाई का पता लगायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

12.00 मध्याह्न

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** किन्तु यह आवश्यक है कि सरकार इस सभा में इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे। वे भारत सरकार की अवहेलना करके थोड़ी-सी धनराशि के लिए कुछ समझौता करने की चेष्टा कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। वहां बहुत लोग मारे गये हैं; वहां घोर संकट आया है··· (व्यवधान) हम लोग समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं। हम इस बात की सरकारी पुष्टि, चाहते हैं, कि सरकार ···जा रही है। (व्यवधान) वे लोग अमरीकी न्यायालयों में जाने पर जोर दे रहे हैं और अब किस तरह से कम्पनी, हम लोगों को धोखा देने तथा सरकार की अवहेलना करने की चेष्टा कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपके द्वारा उठाये गये प्रश्न भेज दूंगा और आपको जानकारी दूंगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** आपने यही कहा था और इसीलिये मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैं इसके बारे में कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाऊंगा अथवा कुछ और तरीके से बात उठाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) :** सर, आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाले में सिंगरौनी की खान में 27 तारीख को, शाम के साढ़े सात बजे गैस लीक हो गई जिसके कारण 7 लोग मर गए हैं और 12 लोग सीरियस हैं। ऐसी ही ट्रेजडी वहां और हो सकती है। इसलिए इसके बारे में स्टेटमेंट आना चाहिए··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, मैं पता लगाऊंगा। आप मुझे लिखकर दीजिये।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूब नगर) : मैं आपका ध्यान अरब सागर पर भारतीय वायु सेना के विमान ए० एन०-32 के रहस्यमय ढंग से और अचानक गायब हो जाने की ओर दिलाता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, एक वक्तव्य देने वाले हैं, सभा में वक्तव्य दिया जाने वाला है।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : ऐसा दो बार हो चुका है।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : तोड़-फोड़ को आशंका है।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : मैं श्री जी० एम० शाह के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : इस बात को भूलते हुए कि 1938 में शेरे-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साम्प्रदायिक राजनीति का परित्याग कर दिया था, श्री शाह एक मुस्लिम सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं और उस समय चौधरी खलीफा-तुज-जमान··· **(व्यवधान)**

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाड़ा) : मैंने सिगरेनी कोयला क्षेत्र में आए संकट के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उसमें छः-सात व्यक्ति मर गये हैं··· **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम उसके लिये कार्यवाही कर चुके हैं। हम पता लगायेंगे।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : कृपया मेरी बात सुनिये··· **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : वह राजनीति से प्रेरित बात है।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : दी नेशनल कान्फ्रेंस राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्ष, आदि में विश्वास रखती है और यह डा० फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में है। इस, समय, बात स्पष्ट हो गई है ··**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? आप मेरी बात नहीं सुनते। यह आपकी उचित बात नहीं है। जब मैं कहता हूं, तब आप सुनें, आप क्यों नहीं सुन सकते ? मैं इस बात से सहमत हूं कि साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये और भारत में साम्प्रदायिक राजनीति में जो बुराई है हमें उससे पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना चाहिए। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब, श्री दास मुंशी।

**(व्यवधान)**

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : एक बात यह है कि हमारे राज्य के लोग उस विचार से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। यह सभी के लिए आंखें खोलने की बात है।··· (व्यवधान)

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा)** : मैंने पहले ही एक नोटिस दिया है। यह एक गम्भीर मामला है। पंजाब के अलावा त्रिपुरा के ट्राइबल नेशनल वालन्टियर्स का संबंध बंगलादेश सरकार से है। यह बात समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे नहीं पता। मुझे पता लगाना होगा, मैं इसे वेदवाक्य नहीं मान सकता।

**श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल)** : वायु सेना के दो हवाई जहाजों के गुम हो जाने के बारे में···

**अध्यक्ष महोदय** : एक वक्तव्य दिया जा रहा है।

**श्री पी० नामग्याल (लद्दाख)** : इंडियन एयर लाइन्स के अधिकारी लद्दाख के विमान यात्रियों को अन्य यात्रियों के बराबर नहीं समझते। यह बहुत गम्भीर मामला है। चंडीगढ़ और दिल्ली में अनेक व्यक्ति रुके पड़े हैं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा)** : आंध्र बैंक में एक धोखाधड़ी का मामला हुआ···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का नोटिस दीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती है।

**श्री पी० नामग्याल** : मैं बहुत बड़ा विरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : लिखित रूप में दीजिये।

[हिन्दी]

**श्री पी० नामग्याल** : सर, लिखकर देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिखकर दीजिए, ऐसा नहीं है···

(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : सर, 27 मार्च को फ्लाइट कैंसिल हो गई, कितनी देर तक यहां लोग पड़े रहेंगे, लोगों के पास पैसे नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाराज होने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। आप लिखकर दीजिए, मैं पता करवाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल : वे हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा ठण्डा गर्म को काटता है। गर्म से गर्म नहीं कटता है। आप लिखकर दे दीजिए। आप ऐसी बचपनी की बात क्यों करते हैं।

श्री पी० नामग्याल : सर, पिछले 5 साल से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर तो दें।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस : आंध्र बैंक और केरल बैंक में एक करोड़ और बहत्तर लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से कोई बात नहीं मान सकता। आप मुझे लिखित रूप में दीजिये।

12.07 म०प०

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

### हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 99(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 मार्च, 1986 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें हथकरघों द्वारा एकान्तिक उत्पादन के लिए कतिपय मदों के आरक्षण का आदेश दिया हुआ है । सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—2331/86]

## सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 491 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 204—सी० शु में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि संबंधित मंत्रालय का वर्तमान नाम उपदर्शित किया जा सके ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी०—2332/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 509 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86—के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि लघु छूट अधिसूचना के अन्तर्गत निकासियों के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनार्थ ऐसे माल के मूल्य का अपवर्जन किया जा सके जिसपर प्रभार्य शुल्क की दर शून्य है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०—2333/86]

## हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड शिमला के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा, और वार्षिक प्रतिवेदन, नेशनल कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा नेशनल कोआपरेटिव टुबैको ग्रोअर्स फेडरेशन लिमिटेड, आणंद के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—2334/86]

(3) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2335/86]

(4) (एक) नेशनल कोआपरेटिव टुबैको ग्रोअर्स फैडरेशन लिमिटेड, आणंद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव टुबैको ग्रोअर्स फैडरेशन लिमिटेड, आणंद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—2336/86]

———

12.08 म०प०

## लघु उद्योगों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी रियायतों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग के लिए वर्ष 1986-87 के बजट में यथा प्रस्तावित रियायतों की नई योजना पर बजट बाद के विभिन्न विचार-विमर्शों के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं तथा इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, मैं अप्रैल, 1986 के प्रथम सप्ताह में एक और वक्तव्य देना चाहता हूं। हालांकि नई योजना कुल मिला कर विकासोन्मुख है और आगे चलकर उद्योग के बहुत बड़े भाग को लाभ पहुंचाने वाली है, फिर भी कुछ निर्माताओं ने यह आवेदन किया है कि कुछ कारखानों की निकासियां फिलहाल रुक गई हैं। ऐसे एककों की तत्काल राहत दिए जाने की व्यवस्था किए जाने हेतु, मैंने लघु स्तर के एककों को दी जाने वाली छूटों और रियायतों के लाभों को जो पहली मार्च, 1986 से पहले उपलब्ध थे, वित्त विधेयक, 1986 में यथा प्रस्तावित विभिन्न वस्तुओं के लिए शुल्क की नई दरों में बिना परिवर्तन किए, दिनांक 31 मार्च, 1986 तक, बहाल कर दिया है।

ऐसा किए जाने से सभी लघु उद्योग सारी रुकी हुई निकासियों की निकासी कर सकेंगे क्योंकि रियायतों की दर अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि के समान माह मार्च, 1986 के लिए अपरिवर्तित रहेगी। इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं 25 मार्च, 1986 को जारी कर दी गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग को रुकी हुई निकासियों की निकासी करने के लिए 25 मार्च से 31 मार्च, 1986 के बीच की अवधि में यथा सम्भव अधिकाधिक समय मिल जाए।

ऐसे अभ्यावेदन भी मिले हैं कि नई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के लागू कर दिए जाने के साथ पुरानी टैरिफ मद 68 को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 56-ग की सुविधा अब और आगे उपलब्ध नहीं रही है। इस नियम के तहत, एक जॉब कारीगर दूसरे निर्माताओं से प्राप्त माल पर जॉब कार्य कर सकता है तथा वह बिना शुल्क अदा किए ऐसे माल को मूल निर्माता को लौटा सकता है। अब चूंकि नियम 56 ग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी इसलिए जॉब कारीगर को अपने निजी माल की निकासी के मूल्य में उस माल का पूरा मूल्य जोड़ना होता था जिस पर वह जॉब कार्य करता है। इसका प्रभाव यह था उस माल का निःशुल्क निकासी मूल्य कम हो जाएगा जो वह खुद बनाता है, जो उस माल से भिन्न होगा जिस पर वह जॉब कारीगर के रूप में कार्य करता है। उनकी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए एक ऐसी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए रियायत योजना के अधीन छूट की सीमा की गणना के प्रयोजनार्थ उस माल का मूल्य घटा दिया जाएगा जिस पर जॉब कार्य किया गया है। उसे ऐसे माल को शुल्क की अदायगी किए बिना मूल निर्माता को वापस किए जाने की अनुमति होगी। यह योजना ऐसे

[श्री जनार्दन पुजारी]

निर्मित उत्पादों पर लागू होगी जो मोडवाट योजना के तहत आते हैं। मामले की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुविधा और समय गंवाए बिना यथा सम्भव शीघ्र से शीघ्र उद्योग को बहाल की जाती है, इस मामले में आवश्यक अधिसूचना 25 मार्च, 1986 को जारी कर दी गई है।

मैं 25 मार्च, 1986 को सायं 6 बजे सदन में इन संशोधनों की घोषणा करने की दृष्टि से एक बयान देना चाहता था लेकिन कोरम पूरा न होने की वजह से सदन की बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अतः लघु उद्योग को दी गई राहतों की जानकारी प्रथम उपलब्ध अवसर पर सदन को दे रहा हूं।

———

12.10 म० प०

## निर्यात विकास नीधि की स्थापना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : अध्यक्ष महोदय, आज से भारतीय निर्यात-आयात बैंक में "निर्यात विकास कोष" के नाम से एक विशेष कोष बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इस कोष के लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

2. इस कोष से ऐसे क्षेत्रों के लिए ऋण तथा अग्रिम दिए जाएंगे, जिन्हें देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हित में प्राथमिकता दी जानी जरूरी हो। इस कोष का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन तथा विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान, तकनीकी-आर्थिक तथा अन्य सर्वेक्षण करने और वित्त-पोषण करने तथा किसी प्रकार के निर्यात के लिए तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इस कोष का उपयोग नये उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने और भारतीय माल के लिए नये बाजारों का संवर्धन करने के वास्ते भी किया जाएगा। यह कोष विकासशील देशों को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी उपलब्ध होगा।

———

12.11 म० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

### (एक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद और बांदा जिलों को सोन नदी पर बने बाण सागर बांध से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

**श्री उमा कान्त मिश्र** (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर बांध का निर्माण हो रहा है। इस बड़ी सिंचाई योजना में मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। सोन नदी के जल में इन तीनों राज्यों का अधिकार है क्योंकि यह बांध मध्य प्रदेश में बन रहा है और मध्य प्रदेश सरकार योजना को कार्यान्वित कर रही है इसलिए मध्य प्रदेश का अधिक अधिकार है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है। केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग की सहायता के अतिरिक्त तीनों राज्यों में यथा निर्धारित आर्थिक योगदान करना तय किया है। बाण सागर के जल से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के सूखाग्रस्त पहाड़ी और असिंचित इलाकों को लाभ होने वाला है, किन्तु मुझे अवगत हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उक्त जिले बाण सागर के जल से वंचित किये जा रहे हैं। इस समाचार से हमारे उक्त जिलों के लोगों में निराशा तथा क्षोभ है।

अत: जल संसाधन मंत्री तथा योजना मंत्री जी से अनुरोध है कि बाण सागर के पानी से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा बांदा जिलों को वंचित न होने दें और इन्हें लाभान्वित करें।

[अनुवाद]

### (दो) माध्यमिक स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में भारत के कृषि, औद्योगिक तथा आर्थिक विकास एवं विकसित देशों द्वारा की गई प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन को सम्मिलित करने की आवश्यकता

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाड़ा) : उद्योगों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में से अनेक लोगों द्वारा पूरी क्षमतानुसार कार्य न किए जाने के परिणामस्वरूप हमारा देश अधिक प्रगति नहीं कर पाया है। जापान और जर्मनी जैसे देशों ने, जो युद्ध के दौरान बिलकुल नष्ट हो गए थे बड़ी तेजी से विकास किया है और आज वे सफलता के शिखर पर हैं। अत: उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर औद्योगिक श्रमिकों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, अध्यापकों, कृषकों और खेतिहर मजदूरों द्वारा कड़ा परिश्रम करके देश के कृषि, औद्योगिक और आर्थिक विकास की अविलम्ब आवश्यकता को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए तथा अन्य देशों द्वारा की गई तुलनात्मक प्रगति को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का भी अंग बनाया जाए।

### (तीन) लेह-मंडी मार्ग पर लगाए गए "आन्तरिक रेखा" प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता

**श्री पी० नामग्याल** (लद्दाख) : कुछ वर्ष पूर्व लेह-मनाली सड़क को सीमित यातायात के

[श्री पी० नामग्याल]

लिए खोल दिया गया है। किन्तु इस सड़क के कुछ किलोमीटर हिस्से को जो लद्दाख जिले के उपशी और गिया भाग के बीच में है। "आंतरिक रेखा" भाग माना गया है जिस कारण विदेशी और देशी पर्यटकों को कुछ किलोमीटर तक के हिस्से से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती यद्यपि हिमाचल प्रदेश से पर्यटक लद्दाख में गिया तक और लेह की तरफ से उपशी तक यात्रा कर सकते हैं। इस कारण उन पर्यटकों में बहुत निराशा है जो काश्मीर में श्रीनगर से यात्रा शुरू कर हिमाचल प्रदेश में मनाली पर अपनी यात्रा समाप्त करके अथवा इसकी विपरीत दिशा में यात्रा करके नजारों का आनन्द उठाना चाहते हैं। लेह-मनाली राजमार्ग को खोलने से न केवल जम्मू और काश्मीर राज्य तथा हिमाचल राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा अपितु बरास्ता मनाली से लद्दाख तक कम दूरी होने और यातायात के सस्ता होने से लद्दाख के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दो राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने और यहां की अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिए इस राजमार्ग पर लगे "आंतरिक रेखा" प्रतिबन्ध को हटा दिया जाए।

### (चार) बिहार में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

**डा० गौरीशंकर राजहंस** (झंझारपुर) : भारत में रक्षा मंत्रालय के 35 आयुध कारखाने हैं। इन कारखानों में शस्त्र, गोला-बारूद, टैंक, सैनिक वाहन तथा थल, जल और वायु सेना में काम आने वाली अन्य चीजें तैयार की जाती हैं।

इन कारखानों की संख्या इस प्रकार है—महाराष्ट्र में नौ, उत्तर प्रदेश में नौ, मध्य प्रदेश में छः, तमिलनाडु में चार, पश्चिम बंगाल में चार, चंडीगढ़ में एक, आंध्र प्रदेश में एक और उड़ीसा में एक। लेकिन बिहार में ऐसा एक भी कारखाना नहीं है। बिहार में आयुध कारखाना स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक संसाधन तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ऐसा समझा जाता है कि संघ सरकार को देश में कुछ आयुध कारखानों की स्थापना करने की योजना है। इस संबंध में बिहार का दावा करना उचित है। इसके अतिरिक्त बिहार एक पिछड़ा राज्य है और वहां बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है।

इसलिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय को बिहार में एक आयुध कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

### (पांच) "थारू" जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता

**श्री राम बहादुर सिंह** (छपरा) : बिहार राज्य के पश्चिमी चम्पारन जिला एवं पूर्वी चम्पारन

जिला के जंगली क्षेत्र में लाखों की संख्या में थारू जाति के लोग करीब पिछले एक हजार वर्षों से बसे हुए हैं लेकिन खेद है कि उक्त थारू लोगों को आज तक अनूसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है जिसकी वजह से उन्हें अनुसूचित जन जाति को मिलने वाली सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो थारू लोग रह रहे हैं उन्हें अनुसूचित जन जाति में शामिल किया गया है और उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं।

इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि बिहार में रहने वाली थारू जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति में शामिल किया जाये। उन्हें भी अनुसूचित जन जाति को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएं।

[अनुवाद]

(छः) देश में सक्रिय खिलाड़ियों और कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने तथा उन्हें आय-कर से छूट देने की आवश्यकता

**श्री प्रियरंजन दास मुंशी** (हावड़ा) : पेशेवर पुरुष तथा महिला खिलाड़ी, एथलीट, पर्दे तथा स्टेज पर काम करने वाले कलाकार, गायक और संगीतकार अपने जीवन का स्वर्णिम भाग अपने क्षेत्र में राष्ट्र हित को बढ़ावा देने में व्यतीत कर देते हैं। ये खिलाड़ी, कलाकार आदि अपने सक्रिय जीवन में 45 वर्ष की आयु के आसपास अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग एक निश्चित आयु के पश्चात अपनी निपुणता को बनाए नहीं रख पाते। अत: इन्हें अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने युवावस्था की आय पर, जिस पर काफी कर लगाया जाता है, निर्भर रहना पड़ता है और इस तरह वे अपने भविष्य के लिए अधिक बचत नहीं कर पाते हैं।

ऐसे सभी लोगों के लिए वित्त मंत्रालय को आय-कर अधिनियम के सम्बद्ध उपबंधों में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधान पेश करना चाहिए ताकि इन खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किये गए धन पर कर की छूट दी जा सके। तथापि इन खिलाड़ियों द्वारा अन्य स्रोतों से अर्जित धन पर आय कर की छूट नहीं दी जानी चाहिये। आरम्भ में सरकार को देश में खेलों तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कम से कम पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को छूट देनी चाहिए।

सरकार को इस क्षेत्र में सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से इस मामले पर विचार करना चाहिए तथा इस वर्ग को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये।

[हिन्दी]

(सात) बिहार में बेगुसराय में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

**प्रो० चन्द्र भानु देवी** (बलिया) : बेगुसराय में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की अत्यंत

[प्रो० चन्द्र भानु देवी]

आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में दूरदर्शन की महत्ता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। दूरदर्शन न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ज्ञान का स्रोत भी है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी कारक है। देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने में भी इसकी अहम भूमिका है। दूरदर्शन के महत्व को देखते हुए ही हमारी सरकार ने दूरदर्शन रिले केन्द्रों को देश के दूर-दराज इलाकों में स्थापित करवाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश बेगुसराय जिला दूरदर्शन के मानचित्र पर नहीं आ सका है।

बेगुसराय जिला बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। यहां पर बरौनी, रिफाइनरी, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम कारखाना, बरौनी वाष्प विद्युत प्रतिष्ठान और कई लघु उद्योग अवस्थित हैं। फिर भी, यहां पर दूरदर्शन रिले केन्द्र नहीं हैं। हालांकि मुंगेर के दूरदर्शन रिले केन्द्र से बेगुसराय जिले के केवल दो ब्लाक लाभान्वित हो पाते हैं लेकिन बेगुसराय जिला का शेष जन समुदाय दूरदर्शन की सुविधा से वंचित रह जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि बेगुसराय में अतिशीघ्र दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे बेगुसराय राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाये और बेगुसराय जिले की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति की गति शीघ्र हो।

12.20 म० प०

## रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

## तथा

## अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

श्री हरद्वारी लाल (रोहतक) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह स्वागत योग्य है तथापि इसे प्रस्तुत करने में देरी हुई है। यह विधेयक पंजाब समझौते को लागू करने के प्रयास का एक भाग है।

रावी-व्यास जल विभाजन का इतिहास के बारे में कुछ दिन पूर्व मेरे मित्र राव वीरेन्द्र सिंह ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला था। मेरे कुछ अन्य मित्रों ने भी समझौते के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वे लोग जो कुछ कह चुके हैं, उसे मैं नहीं दोहराऊंगा।

मैं केवल एक या दो मुख्य मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक मुद्दा

उन घटनाओं से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत गत कुछ महीने के दौरान पंजाब समझौते के सम्बन्ध में नए आयाम जुड़े हैं तथा जिसके अन्तर्गत दुर्भाग्यवश हमें घटनाओं की प्रतीक्षा करनी पड़ी है और दूसरा मुद्दा मौजूदा परिस्थितियों से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत समझौते को लागू करना असम्भव हो गया है।

आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह समझौता सम्बन्धित दोनों सरकारों के आपसी सहयोग से कार्यान्वित किया जा सकता है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि यह समझौता केवल सम्बन्धित सरकारों के सहयोग से ही कार्यान्वित किया जा सकता है अपितु यह समझौता तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जबकि वे सरकारें उन तत्वों पर भी काबू पा सकें जो इस समझौते का अथवा इसके कार्यान्वयन का विरोध कर रहे हैं।

सर्वप्रथम पंजाब सरकार को लिया जाये। पंजाब के मुख्य मन्त्री जैसे व्यक्ति का कहना है कि पंजाब के पास हरियाणा को पानी देना सम्भव नहीं है और यह कि सतलुज-यमुना संपर्क नहर के निर्माण से धन का अपव्यय ही होगा। और यदि पंजाब के मुख्य मन्त्री को मना भी लिया जाए तो पंजाब में ऐसे तत्व हैं जो नहर के निर्माण का जोरदार विरोध करेंगे और उसमें बाधा उपस्थित करेंगे। वहां के उग्रवादी निश्चित रूप से समझौते को कार्यान्वित होने देना नहीं चाहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब सरकार का आदेश राज्य में नहीं चल रहा है। किन्तु यदि पंजाब सरकार केन्द्र की सहायता से सामान्य गतिविधि के लिए अपेक्षित शांति का वातावरण कायम भी कर लेती है तो वहां किसान संघ है। यह एक शक्तिशाली संगठन है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि कुछ समय पूर्व उसने चंडीगढ़ का जन-जीवन ठप्प कर दिया था। यह संगठन इस बात की खुले आम घोषणा कर रहा है। कि वह नहर नहीं बनने दी जायगी। हम लोग उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में नहर के निर्माण में बाधा डालने में यदि हम किसान संघ की शक्ति को कम आंकते हैं; तो हम गलती पर हैं।

अब हरियाणा को लिया जाये। राज्य में बड़ी उथल-पुथल है। मुख्य मन्त्री ने हरियाणा की मांगों और परेशानियों के प्रति सही आवाज उठाई थी। बहुत अधिक कटु होने के कारण उनकी बात नहीं मानी गई। इसका यह नतीजा निकला है कि उसकी स्थिति कमजोर पड़ गई है और जो लोग समझौते का विरोध कर रहे हैं, उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है। गत दो महीनों के दौरान उन्होंने दिल्ली में एक रैली आयोजित की, उन्होंने हरियाणा में "रास्ता रोको" कार्यक्रम चलाया और हरियाणा बन्द का आयोजन किया जो बहुत अधिक सफल रहा है। यहां तक कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार उसमें 2 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनके मुताबिक इसमें 10 लाख से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। भाग्यवश हरियाणा के सीधे-सादे किसान बहुत दुखी हैं। इसलिए उनका काम बहुत ही आसान हो गया है। आपको शायद याद होगा कि ब्रिटेन के एक इन्जीनियर ने तत्कालीन दक्षिण-पूर्वी पंजाब के एक मात्र लाभ के लिए भाखड़ा बांध का विचार 1907 में किया था। इस समय यह क्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र है। बांध का निर्माण बहुत पहले किया जा चुका है

[श्री हरद्वारी लाल]

किन्तु इस बांध से हरियाणा को बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ है। पंजाब के बटवारे से पहले, पुनर्गठित पंजाब से सम्बन्धित बहुत सारे समझौते और पंचाट हुए थे और उन पंचाटों और समझौतों में हरियाणा की उचित मांगों को मान्यता प्रदान की गई थी और उन्हें स्वीकार किया गया था किन्तु उनमें से अभी तक कोई भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। 1960 के दशक के मध्य में शाह कमीशन ने चंडीगढ़ और अम्बाला जिला की खरड़ तहसील हरियाणा को दी थी किन्तु उस आयोग की सिफारिशें बिल्कुल भी लागू नहीं की गईं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के 1971 के पंचाट के अनुसार हरियाणा को चंडीगढ़ के बदले फाजिल्का और अबोहर दिया जाना था। किन्तु उसे भी कार्यान्वित नहीं किया गया। 1976 तथा पुनः 1981 में, हरियाणा को यह आश्वासन दिया गया था कि रावी-व्यास समझौते के अनुसार हरियाणा को पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किन्तु उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

महोदय, जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा राज्य में भी ग्रामीण प्रधान राज्य है अधिकांश लोग पंजाब के लोगों की तरह कृषक हैं। हरियाणा के किसान धैर्य तथा खुशमिजाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। किन्तु इस विचार से रावी-व्यास जल से सम्बन्धित उसके दावे का क्या होगा, वह वास्तव में इस समझौते और उसके कार्यान्वयन के विरुद्ध विद्रोह पर उतारू हो गया है। संक्षेप में, दोनों राज्यों की स्थिति बहुत ही उत्तेजनापूर्ण बनी हुई है और यदि मैं यह सुझाव दूं; तो इसे विधेयक का विरोध करना न समझा जाए, कि सारी स्थिति की, पंजाब समझौता भी जिसका एक अंग है, तत्काल पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें बढ़ती हुई उत्तेजना तथा यथार्थ को समझ लेना चाहिए। मैथ्यू आयोग व्यर्थ सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसकी सेवा शर्तें बेकार थीं। यदि आप इराडी आयोग की सेवा शर्तें इस प्रकार निश्चित नहीं करते हैं कि हरियाणा को पर्याप्त पानी दिया जाना सुनिश्चित हो जाए, तो मुझे पता है कि हरियाणा न्यायाधिकरण के पंचाट को स्वीकार नहीं करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है किन्तु यह एक सच्चाई है। इसके बाद भी यदि हरियाणा को उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जितना पानी देने का उसे आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है; तो राष्ट्र की राजधानी के निकट के राज्य में आप पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में तथा पंजाब के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य और उसी प्रकार के अन्य वक्तव्यों के सम्बंध में राज्य का उग्ररूप देखेंगे। हरियाणा के किसान वास्तव में खतरा महसूस कर रहे हैं और वे नाराज हैं।

इसके अलावा एक तीसरी सच्चाई और है। पंजाब के कुछ तत्व निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि यदि इराडी न्यायाधिकरण का पंचाट हरियाणा के हित में हो भी जाए तो भी वे चाहेंगे कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की योजना पूरी न हो और हरियाणा को रावी व्यास जल का समुचित हिस्सा न मिले।

चौथा, इस समय इस बात की चर्चा है कि चंडीगढ़ के तत्काल अंतरित किये जाने से पंजाब में

शांति स्थापित हो सकती है। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि यह एक मात्र भ्रम है? चंडीगढ़ के तत्काल अन्तरित किये जाने से वहां लुधियाना अथवा बटाला के हालात पैदा हो सकते हैं किंतु पंजाब में शांति स्थापित नहीं होगी। इससे आतंकवादियों की गतिविधियों का दायरा और बढ़ जाएगा।

मेरा सुझाव है कि चंडीगढ़ के अंतरित किये जाने के मामले में देरी की जाये और इस मामले को सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के पूरा होने के मामले के साथ जोड़ा जाये। इससे इतना होगा कि हरियाणा को यह आश्वासन मिल जायगा कि हरियाणा के हित का ध्यान केन्द्र को है। मुझे आशा है कि मैंने जो भी सुझाव दिये हैं, उससे कोई नाराज न होगा। मेरा यह भी सुझाव है कि समझौते के प्रति कोई निष्ठावान नहीं है। लोंगोवाल, पंजाब और देश के प्रति निष्ठावान थे। वह एक बुद्धिमान और महान व्यक्ति थे। यदि वह जीवित होते तो सम्भवत: वह पंजाब में उभरे तूफान को समाप्त कर सकते थे। दुर्भाग्यवश वह हमारे बीच नहीं रहे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अकालियों को संतुष्ट करते हुए दंगाग्रस्त राज्य पंजाब में शांति स्थापित करना था। यही उद्देश्य था और इस उद्देश्य का तात्पर्य था कि वे संतुष्ट हो जायें। और वहां शांति स्थापित हो जाए। यह समझौता कार्यान्वित होता है, अथवा नहीं किन्तु इससे वांछित उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा करने का कोई और रास्ता सोचना होगा। महोदय, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को मिलाकर एक कर देना भी एक और तरीका हो सकता है। पंजाब के पुनर्गठन के बारे में 1966 में गठित की गई संसदीय समिति के समक्ष मैं भी एक साक्षी था। मैंने उस समय भी कहा था और मेरी हमेशा यह राय रही है कि पंजाब का पुनर्गठन करना स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भारी राजनैतिक भूल होगी और यदि इस राजनैतिक भूल को स्वीकार कर लिया जाये तो सम्पूर्ण क्षेत्र के हित में इस भूल का सुधार करना ही उचित होगा। मेरा एक और सुझाव है। पुनर्गठन के बाद से ही पंजाब हरियाणा के सीमावर्ती प्रदेश के बड़े खंड की मांग कर रहा है। यह सुझाव मान लिया जाये और अखंडित उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ डिविजनों को मिलाकर हरियाणा का विस्तार किया जाये जिससे कि उत्तर प्रदेश का भार भी कुछ कम हो जाये और वह अधिक उन्नति कर सके। यह मांग लगभग 25 वर्ष पूर्व रखी गई थी और तबसे यह मांग बार-बार दोहरायी गई है। एक तीसरा सुझाव और है जो पहले दो सुझावों से कम वांछनीय है। यदि इस समझौते को सभी रोगों की दवा रामबाण समझा जा रहा है, तो केन्द्र एक बार पुन: पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में ले ले और समझौते तो दृढ़तापूर्वक लागू कर दे—किन्तु यह 'यदि' बहुत कठिन 'यदि' है। किसी भी दशा में हमें अपनी स्थिति हास्यास्पद नहीं बनानी चाहिए। हम लोग संकट में हैं। हमें वास्तविक स्थिति महसूस करनी चाहिए। समझौता पंजाब की समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस समस्या पर नये सिरे से विचार करे और सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करके इस समस्या का समाधान करे। मुझे विश्वास है कि पूरी सभा सरकार का समर्थन करेगी।

जहां तक इस चर्चाधीन विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह सभी प्रकार से ठीक है किन्तु मैं यह सुझाव अवश्य दूंगा कि इससे मामले में कोई प्रगति नहीं होगी। इन शब्दों के

[श्री हरद्वारी लाल]

साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तव में इसे तो बहुत पहले ही पुरःस्थापित करना चाहिए था। इससे ऐतिहासिक पंजाब समझौते को कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। महोदय, इस सभा के सभी दलों के सदस्यों ने पंजाब समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते को लागू करने में देरी होने के कारण राष्ट्र को जन और धन दोनों की अपार हानि हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री राव वीरेन्द्र ने अपने विस्तृत भाषण में इस विषय पर प्रकाश डाला था।

12.35 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

महोदय, इसके सम्बन्ध में जो भ्रान्ति है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था तथा यह कहा था कि इस समस्या को सुलझाने के लिए इसे लागू करने की कोई समस्या नहीं है। यदि सरकार 1981 में तीन राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए अन्तर्राज्यीय जल विवाद समझौते को कार्यान्वित कर देती तो सम्भवतः इस सभा में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही न पड़ती। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय को यह विधेयक लाने की आवश्यकता ही न थी। किन्तु उस समय सत्ताधारी लोगों ने इसे कार्यान्वित करना आवश्यक नहीं समझा और इससे किसी न किसी तरह बचते रहे।

अब इस मामले को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अधीन रखा गया है तथा जिसे अब रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण के नाम से जाना जायेगा। इस विधेयक को इस न्यायाधिकरण के गठन के लिए, पंजाब समझौते के पैरा 9 (1) और 9 (2) में उल्लिखित मामले के सत्यापन और उसके बारे में निर्णय देने के लिए इस सभा के समक्ष रखा गया है। हमें यह पता है कि — इसमें कोई संदेह नहीं कि यह समझौते के अनुसार है — किन्तु इसके साथ ही, जैसा कि कुछ दिन पूर्व श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा था, हम राजस्थान के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस न्यायाधिकरण से राजस्थान के हित की भी रक्षा होगी। अधिक महत्व की बात तो यह है कि संसद द्वारा इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद, न्यायाधिकरण का गठन कर दिया जायेगा। किन्तु उससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि न्यायाधिकरण के निर्णय कार्यान्वित किये जायें। यह तभी संभव होगा जबकि सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा सम्बन्धित राज्यों की जनता इसमें अपना सहयोग दे।

मैं ऐसे बहुत से वाकये जानता हूं, और माननीय मंत्री भी जानते हैं, जिनमें आयोगों ने निर्णय दिए — चाहे वे निर्णय नदी जल विवाद के बारे में थे अथवा सीमा विवाद के सम्बन्ध में — परन्तु उन

निर्णयों के लागू नहीं किया गया। महोदय, कल ही मैंने अपने राज्य से प्रकाशित होनेवाले एक अखबार में पढ़ा है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्र के पास न्यायाधिकरणों के निर्णय का लागू करवाने के लिए राज्य को बाधा करने कीकोई प्रशासी शक्तियां नहीं हैं। तो प्रस्तावित न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का क्या होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर विचार है कि इस तरह के मामलों में बेहतर यही होगा कि सरकार सम्बन्धित राज्यों के बीच परस्पर समझौता कराने का प्रयास करे। मैं जानता हूं कि बहुत से मामलों में माननीय मंत्री श्री शंकरानन्द अन्तर-राज्य जल विवादों के सम्बन्ध में ये परीक्षण कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। यह बहुत जरूरी है। बहरहाल न्यायाधिकरण का गठन किया जा रहा है जो समझौते के अनुसार बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे उपायों का पतालगाया जाना चाहिए जिनसे सम्बन्धित राज्यों के बीच पारस्परिक समझौते से निर्णय हो जाए। परस्पर समझौता हमेशा स्थायी होता है और वह सभी सम्बन्धित राज्यों के लिए हितकर भी होगा। आमतौर पर हमारा अनुभव यह रहा है कि अगर निर्णय न्यायाधिकरण का हो तो वह अपने पीछे कड़वाहट छोड़ जाता है क्योंकि सभी सम्बन्धित राज्य—इस मामले में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य—हो सकता है कि एक राज्य को फायदा हो तो दूसरे को नहीं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को विचारार्थ विषय तय करते समय एक धारा यह भी जोड़ देनी चाहिए कि आयोग परस्पर समझौते की सम्भावना का पता लगाने का भी प्रयास करेगा। आशा है मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। सरकार को जिस एक और तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए वह यह है कि विचारार्थ विषय तय करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। दूसरा मैथ्यू आयोग नहीं बन जाना चाहिए। उस आयोग की भांति यह असफल सिद्ध नहीं होना चाहिए। इसीलिए विचारार्थ विषय के सम्बन्ध में सरकार का सतर्क रहना बहुत जरूरी है।

हर एक माननीय सदस्य चाहता है कि पंजाब समझौते को लागू किया जाए। इसे कागजों पर ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए। हमारे लिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, विशेषरूप से श्री बरनाला के नेतृत्व में अकाली सरकार से मैं अनुरोध करता हूं क्योंकि यह देखना उस सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार का दायित्व है, कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाए क्योंकि हाल ही में पंजाब विधान सभा में पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा से सारे देश को धक्का लगा है कि एस० वाई० एल० नहर योजना को लागू नहीं किया जा सकता। पता चला है कि उन्होंने कहा है कि "पंजाब में फालतू पानी नहीं है इसलिए इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता।" इस वक्तव्य से लोगों को सचमुच आघात पहुंचा।

**सभापति महोदय** : आप इसे सम्बन्धित व्यक्तियों पर क्यों नहीं छोड़ देते ?

**श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : मेरा अनुरोध है कि समझौते को पूर्ण रूप से लागू करना बहुत जरूरी है। सारे देश की रुचि इस बात में है कि हम पंजाब समस्या के सम्बन्ध में क्या करते हैं क्योंकि इसका इससे सम्बन्ध है।

[श्री वी० एम० कृष्ण अय्यर]

पंजाब में की जा रहीं हत्याओं को रोका जाना चाहिए। सभी दलों को चाहिए कि वे बरनाला सरकार को सहयोग दें, ताकि दोबारा सिर उठा रहे आतंकवादियों को नियंत्रित किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत)** : माननीय सभापति जी, मैं इन्टर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत लम्बे-चौड़े भाषण भी इस पर दिए जा चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली भाषण करने से काम नहीं चलेगा। भाषण से बहुत बड़ी किताब तो बन सकती है लेकिन हरियाणा और राजस्थान के किसानों और वहां की जनता का जीवन नहीं बन सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तमाम झगड़े के अन्दर तीन बातें बहुत ही ज्यादा संबंधित हैं। नम्बर एक बात यह है कि अब से पहले हरियाणा और राजस्थान का शेयर एस०वाई०एल० कैनाल में या रावी-व्यास कैनाल के अन्दर सात बार डिटरमिन हो चुका है और अब आठवीं बार हमारे सामने ट्रिब्युनल की बात आई है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1955 में जब वर्ल्ड बैंक की मदद से इन्डस वाटर ट्रीटी की बात चली तो उस समय यह बात आई थी कि सतलुज, रावी और व्यास का जो पानी लिया जायेगा, यह पंजाब के दक्षिणी और पश्चिमी भाग के लिए और जो बंजर इलाका है तथा राजस्थान के लिए पानी लिया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपया दिया है। उस संधि के मुताबिक 1970 तक इम्प्लीमेंट हो जाना था। 31-3-70 से पानी चालू हो जाना चाहिए था। लेकिन सोलह साल बीत चुके हैं, आज तक कोई टस से मस बात नहीं हुई है। सन् 1955 में पहली बार डिटरमीन हुआ कि हरियाणा को पानी का कितना शेयर मिलना है। उसके बाद सन 65 में एक फूड कमेटी और एक हरियाणा डवलपमेंट कमेटी अपाइंट की गई। पंजाब गवर्नमेंट ने दोनों कमेटी नियुक्त कीं। उन कमेटियों ने यह निर्णय दिया कि 3.75 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा को दिया जायेगा। दूसरी कमेटी ने यह कहा कि बल्क आफ वाटर जो पंजाब को मिलना है उस पानी का जो ज्यादा शेयर है, वह हरियाणा के लोगों को दिया जायेगा, जो उस समय हरियाणा नहीं था। लेकिन हरियाणा को दक्षिणी पंजाब या दक्षिणी पश्चिमी पंजाब का जिक्र करके दिया था। तीन वाक्ये ये हुए, जब हरियाणा का शेयर डिटरमीन हुआ। उसके बाद चौथी बार हरियाणा का शेयर जब डिटरमीन हुआ तो प्लानिंग कमीशन ने नोट दिया। उन्होंने कहा कि 3.74 एम०ए०एफ० पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। 1976 में कहा कि 3.5 एम०ए०एफ० हरियाणा को मिलना चाहिए। सन 81 में इन्टर-स्टेट एग्रीमेंट हुआ, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, उसमें 3.50 एम०ए०एफ० का शेयर हरियाणा के लिये डिटरमीन किया गया। उसके बाद अब आठवीं बार चांस आया जब राजीव-लोंगोवाल समझौता किया गया। उस समझौते के तहत ये तमाम बातें आईं और एस० वाइ० एल०

कैनाल के कंस्ट्रक्शन की बात आई। सात बार राजस्थान और हरियाणा का शेयर डिटरमीन किया जा चुका है। राजस्थान और हरियाणा का कितना-कितना हिस्सा होना चाहिये। हम इस बात को भी मानते हैं कि एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाये जो हरियाणा और राजस्थान के शेयर को डिटर्मिन करे, पिछली सारी चीजों को देखते हुए लेकिन मैं हरियाणा के विषय में खास तौर से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वह कोई अलग प्रान्त नहीं था। जिस समय इन्डस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके बाद हरियाणा एक सक्सैसिव स्टेट था, पहले वह पंजाब का एक हिस्सा था। हमारे हिन्दुस्तान में पुराने समय से एक रिवाज चला आ रहा है कि जब दो भाई अलग होते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि लो अपना मनपसन्द हिस्सा छांट लो, और इस तरह आधा हिस्सा उसको दे दिया जाता था। लेकिन हमारे साथ पिछले 20 सालों से बेइन्साफी होती रही, आप उसका स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।

मैं मानता हूं कि यदि कोई ट्रिब्यूनल शेअर डिटर्मिन भी कर दे लेकिन सवाल यह उठता है कि उस शेयर को दिलाने का तरीका कौन-सा है। उस एस० वाई० एल० को खोदने का तरीका कौन सा इस्तेमाल किया जाये। आप स्वयं बरनाला जी के स्टेटमेंट को देख लीजिये, उन्होंने एक स्थान पर कहा था कि इसमें हरियाणा को तो पानी मिलना ही नहीं, इसलिये नहर खोदने की जरूरत क्या है। यहां पर उनकी पार्टी के कई सदस्य बैठे हुए हैं, रामूवालिया जी स्वयं इस सदन में उठकर इसका बेशक जवाब दे दें। यदि हरियाणा को पानी मिलना ही नहीं था तो एग्रीमेंट के अन्दर एस०वाई०एल० नहर का कंसट्रक्शन और राजस्थान तथा हरियाणा को उनका शेयर डिटर्मिन करने की क्या जरूरत थी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमको पानी मिलना ही नहीं था तो पंजाब में चाहे जिस किसी की भी सरकार आई, पंजाब सरकार को अब तक 110.5 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और इसके अलावा 3 करोड़ रु० की मशीनरी दी जा चुकी है, यदि हमको पानी मिलना ही नहीं था तो वह पैसा किस काम के लिये दिया गया और पंजाब सरकार उसको लेती रही। यदि मैं आज किसी दुकान पर जाता हूं और दुकानदार से कहता हूं कि यदि 10 रुपये में मुझे फलां चीज आप दे दीजिये और वह दुकानदार मुझसे 10 रुपये लेकर बाद में कह दे कि वह चीज तो मेरे पास है ही नहीं तो उसके क्या माने हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे गहरी साजिश है, षडयन्त्र है। यदि पंजाब को पानी की जरूरत भी हो और हरियाणा तथा राजस्थान को जरूरत न हो, और पंजाब फालतू पानी का इस्तेमाल करे तो हमें उसमें कोई दुख नहीं क्योंकि वह भी हमारा बड़ा भाई है। लेकिन जब उनको पानी की जरूरत नहीं, पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में भी वह बात आई थी, बरनाला जी ने कहा था कि पंजाब को फ्लड कंट्रोल करने के लिये ज्यादा पैसा दिया जाये। उसी वक्त हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भजन लालजी भी मौजूद थे, उन्होंने तुरन्त कहा कि आप का फ्लड कंट्रोल स्वयं हो जाएगा, आप हमारे शेयर का पानी हमें दे दीजिये तो आपके प्रदेश में फ्लड नहीं आयेगा। आप स्वयं इंजीनियर्स से उसको असैस करवा लें, पंजाब में वाटर लेवल दो फुट ऊपर आया हुआ है और पंजाब की स्थिति इतनी बुरी हो चली है कि पानी की वजह से उनकी काफी धरती बेकार हो सकती है जबकि राजस्थान और हरियाणा में लोगों को पीने तक के लिये पानी नहीं है, खेती के लिए पानी की बात तो दूर, उनकी आंखों में पानी आया हुआ है। दूसरी तरफ पंजाब में बुरी हालत है। इन

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

तमाम चीजों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा यहां मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, हमें पंजाब एकार्ड को लागू करना चाहिए जिससे कि पंजाब में शांति स्थापित हो सके लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अगर आप कहते हैं कि पंजाब एग्रीमेंट के लागू न करने से या लोंगोवाल-राजीव एग्रीमेंट के लागू न करने की वजह से ही पंजाब में अशांति है तो मैं पूछना चाहता हूं कि लोंगोवाल साहब की हत्या क्यों हुई। लोंगोवाल साहब की हत्या उन लोगों ने की जो पंजाब एकार्ड को लागू करने देना ही नहीं चाहते, उसको मानते ही नहीं। राजीव जी का शुरू से यही कहना रहा है कि किसी तरह से भी हो, पजाब और हरियाणा के झगड़े को ठीक ढंग से निपटाया जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व सिर उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस देश में बर्बादी हो, इसमें आग लगे। वहां चण्डीगढ़, अबोहर, फाजिल्का का कोई झगड़ा नहीं है। उन उग्रवादियों की मंशा कुछ और है। यदि आप उनकी हरकतें देखें और अगर वे इस एकार्ड को ठीक मानते तो लोंगोवाल साहब की हत्या नहीं होती। जिस ढंग से सारी बातें शुरू हुई हैं और जो नहर आलरैडी खुदी हुई है उसको कहना कि हम आगे नहीं खोदने देंगे। हरियाणा पिछले 7 साल में अपने हिस्से के अन्दर उस नहर की खुदाई कर चुका है, बहुत पैसा उस पर लग चुका है लेकिन श्री प्रकाश सिंह बादल ने खुद भारतीय किसान यूनियन के 500 आदमियों को लेजाकर वहां एस०वाई०एल० कैनाल पर धरना दिया और कहा कि यहां नहीं खोदने देंगे। इस बात से आप अन्दाजा लगाइये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस मामले पर अकाली सरकार साफ है और वह एकार्ड को इम्प्लीमैंट करना चाहते हैं तो उग्रवादी इसमें कोई दखलअन्दाजी नहीं दे सकते हैं।

अगर कुछ मुट्ठीभर लोग नाजायज तरीके से इस देश को डि-स्टैबलाइज करना चाहें, अशांति फैलाना चाहें, खंडित करना चाहें तो हमारा और अकाली सरकार का फर्ज बनता है, जोकि वहां बैठी है कि इसे चैक करे।

अगर सरकार यह चाहती है कि हरियाणा और राजस्थान को सही मायनों में उसका हिस्सा दिया जाये, क्योंकि नहरें राष्ट्रीय सम्पदा हैं, वह किसी एक सूबे की प्रापर्टी नहीं है, सारे भारत की प्रापर्टी है तो जैसे सैंट्रल रिजर्व फोर्स है, उसी तरह की कैनाल रिजर्व फोर्स या पुलिस फोर्स या किसी और नाम से एक फोर्स खड़ी की जाये जो इस किस्म की राष्ट्रीय सम्पदा की, नहर वगैरह और दूसरे संसाधनों की ठीक तरह से देखभाल कर सके।

आपने यह भी देखा है कि भाखड़ा कैनाल को 12 बार तोड़ा गया। 1985 में इसे दो बार क्यों तोड़ा गया? उससे उनको कोई फायदा नहीं था लेकिन इसलिये तोड़ा गया जिससे हरियाणा को नुकसान हो। इसलिये आज जो पानी वहां नहीं आता है, वह पाकिस्तान में जाता है। वह पानी के पाकिस्तान में जाने के लिये तो राजी हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा के किसानों को पानी नहीं मिलना चाहिये, ये लोग इस किस्म की बातें करते हैं।

मैं कहना चाहूंगा हूं कि पानी के मामले में नहर की खुदाई, हिन्दी स्पीकिंग एरिया के गांवों का हरियाणा को मिलना और चण्डीगढ़ का पंजाब को देना, इन तीनों चीजों को पैकेज डील के तौर पर लिया जाये। इन तीनों चीजों को इकट्ठे ही इम्प्लीमेंट किया जाये।

मैंने एक अमैंडमैंट भी दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

समापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : **

समापति महोदय : चौधरी रामप्रकाश।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : सभापति महोदय, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट (अमैंडमैंट) बिल, जो इस हाउस में पेश हुआ है,

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अकाली दल के सभी माननीय सदस्यों को कुछ कहने के लिये कहिए ताकि हम उन्हें उत्तर दे सकें या हम उन्हें समझ सकें। वे अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। उनसे भी बोलने के लिये कहा जाना चाहिये। आशा है वे भी बोलेंगे ताकि···

(व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : हम ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिये मांग कर रहे हैं। वह हमारी सीमाएं नहीं समझ रहे। हम बार-बार जोर दे रहे हैं कि···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : चेयरमैन साहब, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल जो कि हाऊस में आया है, उसके लिये मन्त्री जी को शुक्रिया अदा करता हूं। सौभाग्य से मन्त्री जी भी इस समय यहां

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[चौधरी राम प्रकाश]

बैठे हुए हैं। इस बिल से यह उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा के अन्दर इस वक्त लोगों को जो रोना पड़ रहा है, उससे अब हरियाणा का कुछ भला हो सकता है। आपने इस अमेंडमेंट बिल में ट्रिब्यूनल की बात की है और उस ट्रिब्यूनल की मियाद 6 महीने रखी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी मियाद 6 महीने की बजाय 3 महीने की कर दें क्योंकि जितनी देर आप लगाएंगे यह बीमारी बढ़ती चली जायेगी और इस भयंकर बीमारी के बढ़ जाने से देश को खतरा होगा।

1955 से अब तक पता नहीं इस एस०वाई०एल० कैनाल और रावी, व्यास, सतलुज वाटर के झगड़ों के लिये कितने कमिशन बैठाये गये। उन कमीशनों ने फैसला भी किया। मैं समझता हूं कि जितने भी कमीशनों ने फैसला किया, सब ने हरियाणा और राजस्थान के हक में ही फैसला किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बंजर इलाकों को पानी की सख्त जरूरत है, इस कारण उन इलाकों को ज्यादा पानी देना चाहिये।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पहले सारा गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था। उन बातों को मद्देनजर रखते हुए 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से 110 करोड़ रुपये में पानी खरीदा। उस पानी के ऊपर पंजाब का कोई हक नहीं है। हरियाणा और राजस्थान ही इस पानी के मालिक हैं। अब पंजाब शिकायत कर रहा है कि हमारा सारा पंजाब फ्लड और सेम में डूब जाता है, हम मांग करते हैं कि वह पानी दे दो। मैं फिर यह कहूंगा कि जितने भी कमीशन बैठे सब ने हरियाणा के हक में फैसला किया।

मेरे ख्याल में 31 दिसम्बर 1981 को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तीनों चीफ मिनिस्टरों ने बैठकर यह फैसला किया कि अपने हिस्से का पानी हरेक से ले लें। हरियाणा के हिस्से में उस वक्त 3.5 लाख फुट एकड़ पानी आया था। उसके बाद फिर झगड़ा चलता रहा। फरवरी, 1982 में अपनी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा जी जो इस वक्त स्वर्ग में हैं, उन्होंने एस०वाई०एल० नहर का उद्घाटन किया और कहा कि नहर की खुदाई जल्दी कर दी जाये।

12.58 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : 8 अप्रैल, 1982 को उद्घाटन हुआ था।

चौधरी राम प्रकाश : टाइम कौन-सा था। वह शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा।

...(व्यवधान)...

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** आप ऐसे भाषण कर रहे हैं जैसे जौधपुर में बैठकर करते हैं।

**चौधरी राम प्रकाश :** मैं जोधपुर और पंजाब दोनों में गया हूं। आप इस बात को छोड़ो। आप उद्घाटन की बात करते हो, हमें पानी तक नहीं मिला। उसके लिये एग्रीमेंट भी किया, लेकिन फिर भी एक बूंद पानी नहीं मिला।

दुःखी होकर एक शेर कहता हूं—

ऐ अबर देख ली हमने तेरी दरियादिली।
तिश्नालब रखा मगर एक बूंद पानी की न दी।।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने उद्घाटन भी किया, सब कुछ किया। पंजाब एकार्ड वाली बात भी पंजाब सरकार नहीं मानती। उसमें बरनाला साहब भी थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, प्रधान मन्त्री ने दस्तखत भी किए। पर एकार्ड की बात भी आप नहीं मानते, तो मानेंगे किस की बात? वाहे गुरु की बात यह नहीं मानते, गुरुद्वारे की बात आप नहीं मानते, मन्दिर की बात आप नहीं मानते, तो मानेंगे किस की बात? भाईचारे की बात आप नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते। कौन-सी बात मानते हैं?

[अनुवाद]

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** महोदय, इस पर मुझे आपत्ति है। वह मेरी धार्मिक भावनाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह तो रिकार्ड में नहीं आना चाहिए। हम गुरुद्वारे को भी मानते हैं, वाहे गुरु को भी मानते हैं। इन्होंने कहा कि वाहे गुरु की बात नहीं मानते। आप हमको प्रोटेक्ट कीजिए।···(**व्यवधान**)··· यह बिल्कुल नहीं आना चाहिए।···(**व्यवधान**)···

**चौधरी राम प्रकाश :** वाहे गुरु तो परमात्मा होता है।··· (**व्यवधान**) ···मेरी बात सुनिए सरदार जी। आप वाहे गुरु की बात करते हैं। आपने गुरुद्वारे के अन्दर हर किसी को गोली मार दी है।

[अनुवाद]

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** महोदय, वह दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि ····· ग्रंथी को किसने मारा है? क्या मैंने मारा है? श्रीमान, मुझे संरक्षण दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने ग्रंथी को मारा है। उन्हें कहना चाहिए कि किसी ने ग्रंथी की हत्या की है।

**सभापति महोदय** : अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई शिकायत है, तो आप स्वयं स्पष्टीकरण कीजिए।

माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि विधेयक पर बोलें। बिल के ऊपर बोलिए।

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश** : मेरा आपसे यह निवेदन है कि हम तो बहुत शांति के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप 'ऐसी बात करेंगे तो हमारा दिल भी भड़क जायेगा। हम भी वही आग लगाना जानते हैं जो आप पंजाब के अन्दर लगा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात जरूर है, यह जो एस०वाई०एल० कैनाल है इसके ऊपर पंजाबियों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यह सेंटर की है। सेंटर ने इसके लिए रुपया दिया है। इसे या तो हरियाणा के हवाले कर दो या सेंटर के हवाले कर दो। इनके बस की बात नहीं है बेचारों के। ये तो हरियाणा को, राजस्थान को भूखा मारना चाहते हैं। ये तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो इनकी मर्जी हो वह आप कर दें।

तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसका कंट्रोल जो है या तो फौज के हवाले कर दें या हरियाणा के हवाले कर दें।

दूसरी बात यह है कि इनसे हमें वैसे भी डर लगता है। ये वे लोग हैं, भाखड़ा से जो हमें पानी मिलता था, वह दो दफा तो इन्होंने काट दिया, ताकि हरियाणा को पानी न जा सके। इनका क्या भरोसा ? इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, इस किस्म की बातों में।

दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर भजन लाल के मुताल्लिक बात करते हैं, मेरी बहन गीता मुखर्जी जी या कोई भी कह दे भजन लाल का कसूर है ? अगर भजन लाल न होते, तो आपने तो पंजाब में आग लगाई थी, वह आग वहां से हरियाणा में आ जाती और हरियाणा के बाद सैंटर में आ जाती। वहां से सारे मुल्क में फैल जाती। भजन लाल जैसा बहादुर आदमी आपको मिल नहीं सकता। ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : सदस्यों को सम्बोधित मत करिए। पीठ को सम्बोधित करिए।

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश** : मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जो चाहे करते रहेंगे, लेकिन आपको

एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि दिल्ली के अन्दर जो पिछली बैठक हुई थी, उसमें आपके मुख्य मंत्री भी थे और भजन लाल भी थे।···(व्यवधान)···आपने एक आग लगाई और उसके बाद फौरन सारे मुल्क में आग लग गई। अरे, वहां पर विदेशियों के अड्डे आपने पंजाब के अन्दर रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दंडवते :** महोदय, भजन लाल राज्य के विषय हैं।

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश :** आप उनकी बात नहीं करते। अरे, हिन्दी स्पीकिंग इलाका आपके पास रहे, या हमारे पास रहें उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो पानी की जरूरत है।···(व्यवधान)···मेरी बात सुनिए।

**सभापति महोदय :** आप बिल पर बोलिए।

[अनुवाद]

कृपया आप दोनों बैठ जाइए। सदस्यों को सम्बोधित मत करिए। कृपया पीठ को सम्बोधित करिए और विधेयक पर बोलिए।

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश :** मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी इस देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा अन्न की पैदावार हो रही है। दूसरे मुल्कों से हम अनाज मंगाते थे लेकिन अब हम अपना अनाज दूसरे मुल्कों को भेज रहे हैं। हमारे हरियाणा के किसान बहुत मेहनती हैं, बहुत जिन्दा-दिल हैं और काम करने वाले भी हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अगर इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की एस०वाई०एल० कैनाल के मामले में, और जैसा ये कहते हैं कि यह पंजाब से होकर गुजरती है तो मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली आते हैं तो हरियाणा से होकर ही निकलते हैं, हरियाणा के अन्दर से ही रास्ता है, अगर आप एस०वाई०एल० कैनाल नहीं बनाने देंगे तो पंजाब का जो रास्ता है उसमें राजपुर से आगे नहीं निकलने देंगे। (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आपका समय पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** महोदय, वह राष्ट्र-विरोधी बातें कर रहे हैं। वह समुदायों के

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

बीच कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से रोकिए। वह गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश :** इनको ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। पंजाब के अन्दर रोजाना कत्ल हो रहे हैं। जोश को मुल्क बर्बाद करने में लगा रहे हैं (व्यवधान) पंजाब को फौज के हवाले कर दिया जाए तब वहां हालत सुधर सकती है वरना वहां की हालत ठीक होने वाली नहीं है।

[अनुवाद]

***श्री चरनजीत सिंह अटवाल** (रोपड़) : महोदय, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके पास एक ही सम्पत्ति है जो नदियों का जल है। इसके पास और कोई सम्पत्ति नहीं है जो तरक्की करने मे इसकी मदद कर सके। इसके पास सोने की खानें नहीं हैं, कोयले की खानें नहीं हैं और बड़े उद्योग नहीं हैं वास्तव में इसके पास ऐसी कोई सम्पदा नहीं है जिसके सहारे इसका विकास हो सके। नदी जल ही केवल मात्र सम्पदा है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब भारत का अंग नहीं हैं, क्या पंजाब के लोग और विशेष तौर पर सिख भारत के नागरिक नहीं हैं? भारतीय नेता विदेश जाते हैं और खाद्यान्नों के लिए विनय करते हैं। क्या यह कहते हुए उन्हें प्रसन्नता नहीं होती कि हमारा देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो गया है? ऐसा पंजाब में किसानों के सहयोग से हुआ है। क्या उन्होंने सार्वजनिक भण्डार में अधिकतम हिस्सा नहीं दिया है? यदि यह सब सच है तो मैं इस सम्मानित सभा से पूछना चाहता हूं कि इस सुन्दर पंजाब राज्य को, जो संसार का धान्यागार है, और लुधियाना जैसे शहर की जो भारत के मानचेस्टर के नाम से विख्यात हैं बर्बाद करने के बारे में क्यों सोचा जा रहा है। लोग भारतीय सभ्यता के नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन कीर्ति स्तम्भ देखने के लिए आते हैं। क्या इस सभा के माननीय सदस्य यह पसंद करेंगे कि एक मुट्ठी भर लोग, जो साम्प्रदायिकता के आधार पर सोचते हैं, पंजाब को तबाह कर दें जो भारत का धान्यागार है और इस नगर को तबाह कर दें? क्या आप चाहते हैं कि समस्त विश्व से जो लोग यहां नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष देखने आते थे वे अब इसकी अपेक्षा पंजाब के नगरों को बूचड़खाने के रूप में देखने आयें। यदि माननीय सदस्य वास्तव में यह महसूस करते हैं कि पंजाब के लोग परिश्रमी हैं और उनको तबाही से बचाना है तो पंजाब के साथ न्याय अवश्य किया जाना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पंजाब अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून दोनों के हिसाब से तटवर्ती राज्य है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस तटवर्ती राज्य का पानी लूटा जा चुका है। अपने दुर्भाग्य की कथा शुरू करने से पूर्व

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं आपको बताना चाहता हूं जल वितरण के तरीके पर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं।

सभापति महोदय, इस जल का पहली बार वितरण 1954 में हुआ। सतलुज के पानी का वितरण 1954 में हुआ। इससे वर्तमान हरियाणा की 16 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी। राजस्थान को 9 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी दिया गया। (व्यवधान) जो मैं कह रहा हूं वह तथ्यों पर आधारित है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो गलत है। 16 लाख एकड़ भूमि जो वर्तमान हरियाणा का भाग है की सिंचाई के लिए पानी दिया गया था। राजस्थान को 9 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी दिया गया था। आपको आश्चर्य होगा कि वर्तमान पंजाब को 11 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी दिया गया था। यह कथा का अंत नहीं है। हमारे दुर्भाग्य के लिए 1955 में वाशिंगटन से एक पत्र आया था। उस समय श्री एन० डी० गुलाटी प्रमुख वार्ताकार थे। उसने भारत सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि पंजाब की नदियों सतलुज, रावी तथा व्यास के जल, जिस पर विवाद चल रहा था, के पूर्ण उपयोग हेतु विश्व बैंक की एक टोली योजना तैयार करने के लिए आ रही थी। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की कोई योजना इतनी शीघ्रतापूर्वक कभी तैयार नहीं की गई है। कार्यसूची परिचालित की गयी पर जो निर्णय लिए गये वे कार्यसूची से बाहर थे। यह सब 1955 में हुआ। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय के सिंचाई मंत्री महोदय ने पंजाब के लोगों, विशेष तौर पर सिखों से बदला लेने का कोई भी अवसर नहीं खोया। परिणाम यह था कि 1955 के पत्र के आधार पर पंजाब में पानी का वितरण किया गया। अत: पंजाब को 59 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया, पेपसू को 13 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया और राजस्थान को 80 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया। 1955 में इस कागजी कार्यवाही के अनुरूप पानी का निर्धारण किया गया। जब पंजाब के लोगों ने आन्दोलन शुरू किया और इसके विरुद्ध आवाज उठाई तब यह कहा गया कि पानी का बंटवारा केवल कागजों पर किया गया था वास्तविक रूप में नहीं।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यदि एक मापदण्ड के अपनाने से पंजाब के लोगों, विशेषतया सिखों और अकालियों को लाभ होता है तो इसे कभी भी नहीं अपनाया जायेगा। केवल वही मापदण्ड अपनाया जायेगा जो हमें क्षति पहुंचायेगा।

नर्मदा न्यायाधिकरण का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। राजस्थान ने इस न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन किया। जाने-माने वकीलों द्वारा इस मामले की पैरवी की गई। आखिरी परिणाम के तौर पर यह कहा गया कि राजस्थान निहित अधिकार के रूप में आवेदन नहीं कर सकता था। यह भी कहा गया कि नर्मदा का पानी राजस्थान को नहीं दिया जा सकता क्योंकि नर्मदा का कोई भी हिस्सा राजस्थान को नहीं छूता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि निहित अधिकार के रूप में राजस्थान को नर्मदा का पानी नहीं दिया जा सका तो क्या पंजाब की नदियों — सतलुज, रावी एवं व्यास का पानी राजस्थान को दिया जा सकता है जबकि इन नदियों का कोई भी हिस्सा राजस्थान को नहीं छूता है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान से तो आपका कोई झगड़ा नहीं है। आप भी चाहते हैं कि राजस्थान को इतना पानी मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चरन जीत सिंह अठवाल : मैं सभा को एक बात बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान को या हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंजाब का विकास हो, पंजाब समृद्ध बने। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि राजस्थान जो एक रेगिस्तान है, भी तरक्की करे। चिंतित मत होइये। मैं अपने सुझाव अन्त में दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1955 में राजस्थान को गैर-कानूनी ढंग से पानी दिया गया और पुनर्गठन अधिनियम में अनुच्छेद 78 शामिल करके इसे कानूनी जामा पहनाने का व्यर्थ प्रयास किया गया। सभापति महोदय, इस अनुच्छेद ने केन्द्र को मनमाने ढंग से व मनमाने अनुपात में पानी निर्धारण का अधिकार दे दिया था। मेरे विचार में इस सभा द्वारा ऐसा कोई पुनर्गठन अधिनियम पास नहीं किया गया होगा एक राज्य में अलग ढंग से व दूसरे राज्य में दूसरे ढंग से लागू होगा, परन्तु मेरे विचार में इस अनुच्छेद के अन्तर्गत 1976 में एक फैसला दिया गया था। फलस्वरूप पुनर्गठन अधिनियम के अनुच्छेद 78 की आड़ लेकर 1955 के दस्तावेजी प्रस्ताव को कानूनी जामा पहनाया गया था। 1976 में सम्पूर्ण देश एक जेल की भांति था। यह आपातकाल के दौरान किया गया। जब अकाली दल सरकार सत्ता में आई, इसने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया ; यह मुकदमा अभी चल ही रहा था कि अकाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 1981 में एक अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ। मेरे विचार में यह समझौता अनुच्छेद 78 के अधीन किया गया। इस समझौते के परिणामस्वरूप राजस्थान का हिस्सा 80 लाख एकड़ फुट से 6 लाख बढ़ाकर 86 लाख एकड़ फुट कर दिया गया। कागजात में पंजाब का हिस्सा 3.5 एम० ए० एफ० से बढ़ाकर 4.22 एम० ए० एफ० कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा और आप मुझ से पूछेंगे कि जब 1976 में पंजाब के पास 15.58 एम० ए० एफ० पानी था तो दिसम्बर 1981 में जब अन्तर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो यह 17.17 एम० ए० एफ० कैसे हो गया। वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं। जब हम 1921-22 और 1945-46 के अनुक्रम को लेते हैं तो 15.58 एम० ए० एफ० पानी का बंटवारा होना था। 1976 में 86 लाख एकड़ फुट पानी राजस्थान को दिया गया था; 1976 में नहीं परन्तु 1981 में (व्यवधान) मेरा जवाब यह है कि जब 1980-81 का अनुक्रम उपलब्ध था तो 1960-61 के अनुक्रम पर क्यों विचार किया गया।

सभापति महोदय, सभा यह जानना चाहती है कि इस विषय में हमारी सरकार का क्या रवैया है और पंजाब की क्या स्थिति है। इसलिए आप कृपा करके मुझे दिये जाने वाले समय के बारे में सोचें। कृपा करके घण्टी बजाकर मेरा ध्यान भंग मत कीजिए। 1981 के अन्तर्राज्यीय समझौते के बारे में कहना चाहता हूं कि समझौता संविधान के विरुद्ध था। संविधान की प्रविष्टि 56 और अनुच्छेद

262 के अन्तर्गत संसद को केवल अन्तर्राज्यीय नदियों के सम्बन्ध में ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, सतलुज, रावी एवं व्यास नदियों के सम्बन्ध में नहीं। सतलुज, रावी एवं व्यास नदियां केवल पंजाब से होकर ही बहती हैं और राजस्थान तथा हरियाणा में से इन नदियों का कोई हिस्सा नहीं बहता। अतः 1976 में दिया गया निर्णय संविधान के उपबंधों व भावना के प्रतिकूल था। संविधान के उपबन्धों व भावना के प्रतिकूल निर्णय या समझौता कानून की नजरों में वैध नहीं हो सकता। (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1981 में कागजात पर जो अनुपात बढ़ाया गया था और जो समझौता किया गया था, वे संविधान के अनुसार नहीं थे।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। यह कहा गया है कि पानी पाकिस्तान से खरीदा गया है। पानी पाकिस्तान से नहीं खरीदा गया है। हमारे द्वारा किया गया भुगतान पानी की कीमत नहीं है। दूसरी ओर यह मुआवजे के तौर पर पानी के पुरानी नहर से नई नहरों, चिनाव और जेहलम से पंजाब की पुरानी नहरों को विपणन के आवश्यक कार्यों की लागत के सम्बन्ध में दिया गया था। मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में वक्तव्य देते समय इस पहलू पर गौर नहीं किया। मेरे विचार में सिंधु जल समझौते की धारा 5 में से निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करना आवश्यक है "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्य संचालन पद्धति के हिस्से का उद्देश्य जिसका हवाला धारा IV (1) में दिया गया है प्रतिस्थापन है पश्चिमी नदियों से और पाकिस्तान में सिंचाई नहरों के लिए पानी के दूसरे स्रोतों जो 15 अगस्त 1947 को पूर्वी नदियों से जलपूर्ति पर निर्भर थे, इन परियोजनाओं की लागत के लिए भारत 62,060,000 पौंड स्टर्लिंग के एक निश्चित योगदान के लिए सहमत है।"

इसका अर्थ है कि भुगतान जेहलम तथा चिनाब नदियों के पानी को नई नहरों में मोड़ने के लिए मुआवजे के तौर पर किया गया है।

राजस्थान से आये माननीय सदस्यों ने 1960 के समझौते का हवाला दिया है। संविधान के अन्तर्गत समझौते सम्बन्धी अधिकार केन्द्र के पास निहित हैं। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब के मध्य नहीं। यदि संविधान ने समझौते सम्बन्धी अधिकार केन्द्र को दिए हैं तो इसने कुछ अधिकार पंजाब व अन्य राज्यों को भी दिए हैं क्योंकि राज्य भारत का एक हिस्सा है। संविधान एक राज्य को किसी अन्य राज्य को या एक तटवर्ती राज्य को एक गैर-तटवर्ती राज्य को पानी देने का अधिकार देता है। यह एक ऐसा अधिनियम है जो केवल एक राज्य विधान मण्डल द्वारा ही पारित किया जा सकता है।

हमारे पास संवैधानिक अधिकारी भी हैं। इसलिए सन्धि का यह मतलब नहीं है कि पानी के बारे में जो अधिकार पंजाब राज्य को दिया गया है, वह ले लिया गया है। संविधान ने केन्द्र को संधि करने का अधिकार दे रखा है। अगर यह माना गया है, तो फिर कानून के द्वारा राज्यों को दिये गए अधिकार को भी बनाये रखना है। संधि उस अधिकार को प्रभावित नहीं करती है।

[श्री चरनजीत सिंह अठवाल]

एक माननीय सदस्य ने कहा था और मैंने भी पहले बताया था कि हमें बदनाम करने के लिए··· (व्यवधान)

**श्री मूल चन्द डागा :** क्या वह समझौते के खिलाफ बोल रहे हैं ? श्री लोंगोवाल ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। क्या आप खण्ड (1) या समझौते के खिलाफ बोल रहे हैं। कृपया आप इसके बारे में सोचें। यहां विवरण है। इस पर लोंगोवाल ने हस्ताक्षर किये थे। वे पैराग्राफ 9 (1) से सहमत हुए हैं।

**सभापति महोदय :** जो कुछ वह बोलना चाहते हैं वह बोलें।

**श्री चरनजीत सिंह अठवाल :** हमारे मित्रों ने पंजाब के लोगों के बारे में यहां कहा था कि हम पाकिस्तान में पानी देने के लिए तैयार हैं लेकिन राजस्थान और हरियाणा में नहीं। यह पूर्णतया गलत और आधारहीन है। शायद उन्होंने रिकार्ड नहीं देखा है। भाकड़ा नंगल और पोंग बांध के पूरा होने के बाद सतलज और ब्यास से एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं गया है। जहां तक रावी नदी का संबंध है, ऊपरी बड़ी दोआब नहर और कश्मीर नहर को पानी देने के बाद, हमारे पास 18.7 लाख एकड़ फीट पानी बचा है जो अपर्याप्त है और उसकी माधोपुर हैडवर्क्स के लिए जरूरत है। मेरा विचार है कि मेरे साथी मुझसे सहमत होंगे। वर्षा ऋतु को छोड़कर रावी का पानी पाकिस्तान में कतई नहीं जाता है अर्थात् जुलाई और अगस्त जैसे तीन महीनों में 2.41 लाख एकड़ फीट पानी वहां जाता है। इसे भी रोका जा सकता है। मैं राजस्थान और हरियाणा के अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि अगर केन्द्र हमें थीन बांध पूरा करने की स्वीकृति दे देता और यदि थीन बांध पहले ही पूरा हो जाता तो हमारा पानी वहां नहीं जाता। लेकिन थीन बांध के लिए मंजूरी को देना हमारे खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। केन्द्र ने सोचा था कि अगर हमने 1976 का निर्णय और पूर्व जल वितरण की बात स्वीकार न की होती तो मंजूरी नहीं दी जाती। यह सत्य है कि 1981 में निर्णय स्वीकार किया गया। सरदार दरबारा सिंह ने इस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। ऐसा करते हुए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि वह कांग्रेस के एक अच्छे अनुयायी हैं और बीबीजी के प्रति बहुत वफादार, लेकिन उसने पंजाब के भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। इसके परिणामस्वरूप थीन बांध के लिए मंजूरी दी गई थी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थीन बांध को मंजूरी देने में देरी के कारण पानी पाकिस्तान को लगातार जाता रहा। अगर मेरे मित्र अब भी यह सोचते हैं कि वर्षाऋतु में सतलज और ब्यास का पानी पाकिस्तान में क्यों जाता है तब हम फाटक उनकी तरफ खोल सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) :** यह जो पानी है, यह केन्द्र, पंजाब या हरियाणा का नहीं है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री चरनजीत सिंह अठवाल :** 1964 में थीन बांध 65 करोड़ रुपये की लागत से बन सकता था। अब शायद यह 780 करोड़ रुपये से भी बनना संभव नहीं है। इसलिए केन्द्र की कमजोरी के कारण थीन बांध का पानी बाहर बहता रहा।

अब मैं कुछ मिनट सतलज यमुना संपर्क नहर के बारे में कुछ कहने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा जिसके बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने काफी शोर मचाया है। जैसाकि मैंने पहले कहा है और जैसाकि मुख्य मंत्री ने भी कहा है, यह एक तथ्य है कि यदि आप हमारी समस्या को समझते हैं, यदि भारत की जनता हमारी मजबूरी को समझती है, तो आप खुद ही कहेंगे कि पंजाब वास्तव में बड़ी कठिनाई में है। इसके पास दूसरे राज्यों को देने के लिये पानी बिल्कुल नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, हमारे पास 105 लाख एकड़ जमीन है जिसको हम जोतते हैं और जिसकी सिंचाई करनी होती है। इसमें से हम सिर्फ 45 प्रतिशत भूमि की नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं और शेष 55 प्रतिशत भूमि के लिए हम नलकूपों के माध्यम से भूमिगत पानी निकालते हैं। अब पंजाब में 117 खण्ड हैं। सभापति महोदय, आप यह सुनकर चकित होंगे कि इन खण्डों में से 67 में यह घोषणा कर दी गई है कि नलकूप लगाने के लिए कोई नया विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। यहां पर लगभग 32 खण्ड ऐसे हैं जिनमें कनेक्शन सिर्फ कुछ समय के लिए दिए जा सकते हैं लेकिन 20 खण्ड ऐसे हैं जिनमें भू-भाग ऐसा है कि वहां कोई नलकूप नहीं लगाया जा सकता। हम 55 प्रतिशत जमीन की सिंचाई नलकूप के पानी से करते हैं। हमें 30 लाख एकड़ फीट पानी निकालना चाहिए लेकिन सभापति महोदय, आप यह जानकर हैरान होंगे कि हम प्रतिवर्ष 120 लाख एकड़ फीट पानी जमीन से निकाल रहे हैं। परिणामस्वरूप, पंजाब विश्वविद्यालय के अनुसार भूमिगत पानी का स्तर प्रतिवर्ष एक फुट से डेढ़ फुट नीचे जा रहा है। इस कारण किसानों को नलकूप लगाने के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

सभापति महोदय, मुझे एक या दो निवेदन और करने हैं। सतलज-यमुना संपर्क नहर के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायाधिकरण स्थापित किया जाने वाले है। इसने अपना फैसला देना है। इसने अभी फैसला करना है कि हरियाणा का कितना हिस्सा है, 1-7-85 को राजस्थान कितना हिस्सा ले रहा था और कितना पानी पंजाब द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। (व्यवधान) राजस्थान के हिस्से के पानी पर ध्यान दिया जायेगा और उसके बाद ही एक फैसला दिया जायेगा। जैसाकि मैंने आरंभ में कहा था, हम चाहते हैं कि हरियाणा और राजस्थान को पानी दिया जाना चाहिए।

मैं एक सुझाव देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। उनको पानी दिया जाना चाहिए,

[श्री चरनजीत सिंह अठवाल]

लेकिन मैं नहीं चाहता कि पंजाब को बरबाद करते हुए उनको पानी दिया जाये। मैं चाहता हूं कि उनको भी समृद्ध होना चाहिए। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारा विश्वास है कि गंगा जल बहुत पवित्र है। सभी लोग, विशेषतया वे जो धर्म में विश्वास रखते हैं, यह सोचते हैं कि गंगाजल इतना पवित्र है कि इसमें एक डुबकी लगाने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर गंगाजल में स्नान करने से परमानन्द की प्राप्ति होती है तो वही पानी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। वह पानी हरियाणा और राजस्थान में लाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

पहले आप मुझे सुनें। सभापति महोदय, मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि पानी भीम गौडा बीयर स्थल से ताजेवाला हेडवर्क्स में लाया जाना चाहिए और फिर हिसार, रोहतक तथा हरियाणा के दूसरे लगते हुए क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है। इसी तरह राजस्थान फीडर नहर में रुड़की से पानी लाया जाना चाहिए। हम 200 मील लम्बी नहर बना सकते हैं। इसी तरह से राम गंगा परियोजना से पानी ओखला हेडवर्क्स प्वाईंट में लाया जा सकता है और यह देहली और गुड़गांव को सप्लाई किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि गंगा में 450 लाख एकड़ फीट पानी है लेकिन सिर्फ 30 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग किया जाता है। (व्यवधान) मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। 420 लाख एकड़ फीट पानी पहाड़ों से आता है और समुद्र में बह जाता है। अगर वह पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए उपयोग में लाया जाये तो राजस्थान और हरियाणा को पानी मिल सकता है और पंजाब को भी बचाया जा सकता है और लगातार समृद्धि प्राप्त कर सकता है......

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए यह अवसर प्रदान किया।

**श्री चिरंजी लाल शर्मा** (करनाल) : अकाली दल के इस माननीय सदस्य को सुनने के बाद, विपक्ष को अब यह नहीं कहना चाहिए कि सरकार को लोंगोवाल-राजीव समझौते को लागू करना चाहिए।

**डा० जी० एस० ढिल्लों** (फिरोजपुर) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस समझौते का समर्थन, समर्थन देने की भावना से करता हूं जिस पर हमारे प्रधान मंत्री और संत लोंगोवाल के हस्ताक्षर हुए हैं। मैं पूर्व वक्ता की तरह एक छोर से दूसरे तक नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने आपको विधेयक तक और उन मुद्दों तक सीमित रखना चाहता हूं जो संगत हैं और समझौते के बाद अपेक्षित हैं। मुझसे पहले के वक्ता अपने भाषण में समझौते से पूर्व और समझौता के बाद की घटनाओं को मिला रहे थे। मैं इतना कह सकता हूं कि यह विधेयक इस समझौते के

9.1 और 9.2 उपबन्धों को लागू करने की भावना से लाया गया है। मैं अपने को यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश, 1947 में विभाजन के बाद पंजाब में जो उत्तम सिंचाई व्यवस्था थी वह बंट गई। इसका श्रेष्ठ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन से पूर्व संयुक्त पंजाब की हमारी नहर प्रणाली विश्व की एक सर्वोत्तम प्रणाली थी। विभाजन के बाद शेष और कम विकसित हिस्सा जो हमारे भारत के हिस्से में आया उसका विकास हमें करना था। हमें इसे पूर्वी पंजाब में विकसित करना था। हमें उस समय यह नहीं पता था कि विभाजन के बाद जो पंजाब हमारे हिस्से में आया, उसका पुन: विभाजन हो जाएगा। उस समय इसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं था। हमने राज्य का नये सिरे से विकास करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो गया। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा गया। यह विश्व बैंक को दिया गया। हमारे चोटी के अभियन्ता इस मामले में सहायता करने के लिए वहां थे। इसके परिणामस्वरूप सिन्धु जल सन्धि हुई और उस सन्धि को आधार मानते हुए हम आगे जा रहे हैं। चाहे यह हरियाणा हो या राजस्थान या पंजाब, हम उसे नहीं भूल सकते। ये सब एक देश का हिस्सा हैं। हम सब एक देश के अंग हैं। हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि झगड़ा भाइयों में है और दूसरे राष्ट्रों की तरह विरोधियों में नहीं। यह एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा नहीं है। यह एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ झगड़ा है। यहां कई विवाद हैं जैसे कावेरी, नर्मदा और दूसरे विवाद जो अन्तर्राज्यीय विवादों की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के सम्बन्ध में पूर्व इतिहास, इसकी पृष्ठभूमि से बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। अगर राजस्थान सिन्धु जल सन्धि पर सहमत होता है और 11 सूत्र जैसी बात पर ही सहमत होता तो सारा देश बहुत से लोगों से वंचित रह जाता। उस समय अगर राजस्थान ने उस समय हमारा समर्थन नहीं किया होता तो हम उतनी प्रगति नहीं कर पाते जितनी कि हमने अब कर ली है। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हम सब भाई-भाई हैं। मामला 1976 में पुन: उभरा। उस समय मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में सदस्य था। कुल 7.2 पानी उपलब्ध था। इसमें से 3.5 पानी पंजाब को, 3.5 पानी हरियाणा को और 0.2 पानी पेय जल के उद्देश्य से दिल्ली को मिला।

सभापति महोदय, अगर मैं तत्कालीन मंत्रिमंडल की गुप्त बातों का रहस्योद्घाटन नहीं करता तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। उस समय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष का मत था कि पंजाब थोड़ा सा पानी और पाने का हकदार है पर उसे उससे वंचित रखा गया। लेकिन पक्षों में परस्पर सहमति हो गई थी। पेय जल को लेकर कोई झगड़ा नहीं था। सिलसिला जारी रहा। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तत्कालीन कांग्रेसी मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिये गये निर्णय का विरोध किया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे एक सहयोगी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य मंत्री बने, भी इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। लेकिन राष्ट्र के व्यापक हित में पंजाब ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह एक निरन्तर जारी रहने वाला झगड़ा नहीं था। जब हमारा दल सत्ता में आया तो उनमें कुछ सहमति हो गई। उस समय यह स्थिति थी। कुछ महीने बाद, 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई।

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

उनके दल — अकाली दल—के दोनों प्रमुख नेता मंत्री बने। 1977 में, श्रीमती गांधी द्वारा निर्णय दिये जाने के कुछ महीने बाद ही वे शासक बन गए। वे मोरार जी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। सरदार प्रकाश सिंह बादल केन्द्रीय मंत्रिमंडल में आ गए थे। उन्होंने केन्द्र में अपना पद छोड़ दिया और पंजाब का मुख्य मंत्री बनने के लिए चले गए। और पंजाब के वर्तमान मुख्य मन्त्री मोरार जी के मंत्रिमंडल में आ गए और कृषि और सिंचाई तथा इस मामले से संबंधित विषयों के केन्द्रीय मंत्री बन गए। हमने सोचा कि अगर हमने गलती की है तो राज्य और केन्द्रीय स्तर पर उनके बड़े-बड़े नेता हैं। एक साल बीता, दो साल बीते और तीन साल बीत गए। इस बारे में उन्होंने बात नहीं की। राजस्थान के बारे में कोई झगड़ा नहीं था। इंदिरा गांधी निर्णय के बारे में भी कोई झगड़ा नहीं था। कोई नया प्रस्ताव भी नहीं था। 1980 में हम जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने मामले को उठाया और पुराने मामलों को उन्होंने पुनः उठाया। ऐसी स्थिति हम अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं। मैं तथ्य बता रहा हूं। मैं तथ्यों को तोड़-मरोड़ नहीं रहा। अगर उन्हें तोड़ना मरोड़ना होता तो मैं बहुत सी बातें कह सकता था।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : उस निर्णय के बाद हम उच्च न्यायालय गए थे।

**डा० जी० एस० ढिल्लों** : जब आप न्यायाधिकरण उच्चतम न्यायालय के पास जा रहे हैं तो आप स्थगन आदेश क्यों नहीं ले लेते ? मेरा मत है कि हमें अतीत को भूल जाना चाहिए। भूल जाइए कि उन्होंने या हमने मन्त्रियों के रूप में क्या किया था ? अब असली बात तो पंजाब में शांति लाने की है। आपके नेता समझौते के उपबन्धों से सहमत हैं। इसमें से नौ को कार्यान्वित किया जा चुका है। केवल ये दो—यह न्यायाधिकरण और एक और—बचे हैं। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी राज्य ने इस मामले को केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजा इसलिए एक विशेष अध्यादेश जारी किया गया। लेकिन जैसे ही गलती का पता चला दोनों राज्यों ने इसका उल्लेख किया। अध्यादेश को वापस लिया गया और अन्तर्राज्यीय जल विवाद में संशोधन करने के लिये वर्तमान विधेयक लाया गया। मालूम नहीं इससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा हो या वैसा होगा। फर्क केवल यह पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की बजाय अब तीन न्यायाधीश होंगे—उच्चतम न्यायालय से एक और न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश। जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की बजाय अब अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत तीन न्यायाधीश और दो निर्धारक होंगे। इतना कुछ हो गया है और इतना कुछ किया गया है तो पुराने मामलों को दोबारा क्यों उठाया जाता है ? ऐसी बहुत सी गम्भीर घटनाएं हो रही हैं जिनमें हमारा ध्यान बंट सकता है। हमें खुशी होनी चाहिए कि इसके द्वारा कम से कम दो-तीन बकाया विवादों का हल हो सकता है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे और सरदार चरनजीत सिंह अठवाल से अनुरोध करूं कि यह ऐसा सवाल नहीं है जिस पर झगड़ा किया जाये। पंजाब पर देश को नाज है। यह मत सोचिये कि पानी शब्द पंजाब से संबंध रखता है। किसी समय पंजाब इस्लामाबाद से

दिल्ली तक फैला हुआ था। उनके लिये हमने अपनी सिंचाई प्रणाली के अधिकांश हिस्से को त्याग दिया। वर्तमान पंजाब पुराने पंजाब जैसा नहीं है। विभाजन के बाद यह सिंचाई प्रणाली हमें मिली। इसका हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के बीच फिर से बंटवारा किया गया। इसके लिए आपने काम किया। हरियाणा के लोगों को हरियाणा मिला क्योंकि आपने पंजाबी सूबे के लिए झगड़ा किया था और पंजाब का कुछ हिस्सा हरियाणा के पास चला गया। शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, चम्बा और बहुत से खूबसूरत स्थान हिमचाल प्रदेश को मिल गये। हमने उन सबको गंवा दिया। हमारी नदियों का जल-ग्रहण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हैं। मान लीजिए कल किसी परमाणु तरीके से यह जलग्रहण क्षेत्र किसी और क्षेत्र में चला जाये तो आप क्या करेंगे ? कोई इसे नहीं जानता। पंजाब विभाजन के समय आपको इस पहलू पर विचार करना चाहिए था। अबोहर और फजिल्का में हाल ही में हुए मतदान को लीजिए। उन्होंने हमें मत दिये, क्योंकि वे पंजाब में रहना चाहते थे। वे अपने जल का बंटवारा करना नहीं चाहते थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, आदि के बीच विवाद में इसी बात को लागू क्यों नहीं करते।

मेरा अनुरोध है कि उज्ज्वल भविष्य, शांतिपूर्ण और खुशहाल पंजाब के बारे में सोचिए।

[हिन्दी]

**चौधरी सुन्दर सिंह** (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, 1946 में सैयद हिदात की गवर्नमेंट थी। जब सैयद हिदात भाग गया तो हमारे पास डाक्टर अम्बेडकर ने आदमी भेजे कि तुम मुस्लिम लीग से मिलकर हिन्दुस्तान से बंटवारा कर लो। मैं उस वक्त लीडर था और मेरे साथ सारे आदमी थे। उस समय हिन्दुस्तान की जनसंख्या 34 करोड़ थी। उसमें से मुसलमानों की 9 करोड़, हरिजनों की 6 करोड़ जनसंख्या थी। अगर हम मुस्लिम लीग से मिल जाते तो न पंजाब रहता और न ही हरियाणा रहता। जैसा कि डाक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि :—

[अनुवाद]

मैं हिन्दू पैदा हुआ हूं। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं हिन्दू के रूप में मरना पसंद करूंगा।

[हिन्दी]

अगर हम उनकी बात को मान लेते तो अच्छा होता और आज जो यह झगड़े हो रहे हैं वह भी नहीं होते।

अब यह हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तो ये पानी के लिए लड़ रहे हैं···।

आव आव कर मुर्गों बच्चा इना फारसियों कर गाड़े।
इक भाई तू मंमदा में भर भर दीं दीं प्याले ॥

[चौधरी सुन्दर सिंह]

वे कहते हैं मुझे पानी चाहिए, ये कहते हैं मुझे पानी चाहिए। अरे, यह हिन्दुस्तान का पानी है। तुम क्यों आपस में लड़ते हो ? यह क्या बात है ? पानी वहां जाना चाहिए जहां जरूरत है, न पंजाब को मिलना चाहिए, न हरियाणा को मिलना चाहिए। जहां जरूरत है वहां जाना चाहिए।

डा० अम्बेडकर ने मेरे पास आदमी भेजा कि तुम मुस्लिम लीग से मिलकर हिन्दुस्तान का बंटवारा कर लो। मेरे पास नौ आदमी थे और मुझे राय साहब सोहन लाल के पास ले गए। उन्होंने कहा कि मेरी कोठी लाहौर में भी है, शिमले में भी है, दिल्ली में भी है। मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग से मिलकर गवर्नमेंट बना लो, तुमको तीन मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी। दो हिन्दुओं की, एक सिखों की उस वक्त मिलती थी। मैंने कहा भाई, तुम्हारे पास बहुत बड़ी जायदाद है, मेरे पास तो एक नेकनीयती है और वह यह है कि मैं हिन्दुस्तान में रहना चाहता हूं। मैंने उसे ठुकरा दिया। उस वक्त 34 करोड़ हिन्दुस्तान की आबादी थी, 9 करोड़ मुसलमान थे, 6 करोड़ हम थे। अगर उस वक्त हम उनकी बात मान जाते तो न हरियाणा बनता न पंजाब बनता और यह सब पानी हरिजनों का होता। तो यह जो मिला है यह हमारी कुर्बानी से मिला है। हरिजनों ने कुर्बानी दी है। यह पानी हिन्दुस्तान का है, न पंजाब का है न हरियाणा का है। ये बच्चों की तरह लड़ते हैं कि हमारा पानी है वह कहते हैं हमारा पानी है। पानी जहां जरूरत हो वहां जाना चाहिए। आप परमात्मा को मानते हैं··· (व्यवधान) ··

[अनुवाद]

"अच्छी मनोवृत्ति के बनिये और विश्वास करिये कि ईश्वर ने हमें महान कार्यों के लिए चुना है और हम वे कार्य करेंगे। हमेशा तत्पर रहिए। पवित्र बनिये और प्रेम के लिए प्रेम करिये। गरीबों, दुखी और दलितों से प्रेम करिये; ईश्वर आप पर कृपा करेगा।"

स्वामी विवेकानन्द का यही कहना है।

[हिन्दी]

जहां पानी की जरूरत है वहां पानी जाना चाहिए, न हरियाणा को देना चाहिए न पंजाब को देना चाहिए। मेरी राय यह है। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और मेरी जो ख्वाहिश है उसके अनुसार काम किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : इस वाद-विवाद को सुनने के बाद दिमाग में जो पहला सवाल उठता है वह यह है कि क्या हम परस्पर विरोध करने वाले ऐसे देशों के नागरिक हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं या हम विभिन्न राज्यों में रहने वाले एक ही देश के नागरिक हैं।

इस विवाद को किसी स्वीकृत और सभ्य तरीके से हल किया जा सकता है और हल कराया

भी जाना चाहिए। लड़ाई के मैदान में इसे हल नहीं किया जा सकता। मुझे खेद है कि उत्तेजित करने वाली कुछ बातें कही जा रही हैं - हो सकता है कि इस आशय से न की जा रही हो —पर इसका असर यही होगा कि तनाव, खासकर हरियाणा और पंजाब के बीच तनाव बढ़ेगा और दोनों जगह सदन के बाहर तनाव बढ़ रहा है। इस बात को पंजाब में वास्तव में घट रही घटनाओं के संदर्भ तथा पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। वैसे भी जल विवाद को हल करने संबंधी इस प्रश्न को पंजाब की मौजूदा स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में मुझे भय है कि इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा, अगर दोनों पक्षों के मूल रवैये में परिवर्तन नहीं होता और उनका यही रवैया रहता है। अगर इस तरह के तनाव और परस्पर विरोध को बढ़ने दिया गया तो सारा प्रयास एकदम बेकार हो जाएगा।

अत: मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि, चूंकि पंजाब समझौते पर केन्द्रीय सरकार या देश के प्रधानमन्त्री ने हस्ताक्षर किये थे अत: केन्द्रीय सरकार का यह पहला और प्रमुख कर्त्तव्य हो जाता है कि वह यह सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे कि पंजाब समझौते का कार्यान्वयन ईमानदारी से हो। इस उत्तरदायित्व को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर नहीं थोप सकती है। वास्तव में उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार इस प्रकार पर्दे के पीछे छिप नहीं सकती है जैसा कि यह करती आई है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है कि पंजाब समझौते के पैरा 9 के अन्तर्गत अपेक्षित न्यायाधिकरण कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से पहले स्थापित नहीं किया जा सका है। यह एक आश्चर्यजनक स्पष्टीकरण दिया गया है यदि आप पंजाब समझौते के कार्यान्वियन के बारे में गंभीर है और मैं समझता हूं कि कम से कम हर एक यह स्वीकार करता है कि पंजाब समझौते की कुछ सीमाएं हो सकती हैं तथा इसमे कुछ कमियां रह सकती है परन्तु यदि पंजाब समझौते को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है तो देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमांत राज्य में इस समय शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केवल यही एक आशा है। हमें वह सन्दर्भ नहीं भूलना चाहिए जिसमें कि हम कार्य कर रहे हैं और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सीमा पर तथा सीमा के पार क्या हो रहा है। वे लोग जो सब कुछ भूल जाते हैं और जो अपने मनोभावों को हर चीज पर हावी होने देते हैं वे एक ऐसी स्थिति को बनाने में सहायक होते हैं जिसका फायदा इस देश के सबसे बुरे दुश्मनों द्वारा उठाया जायेगा। हर रोज हम इस सदन में पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार वे साम्प्रदायिकता और अलगाववाद की ताकतों को भड़काने में लगे हैं परन्तु जब हम जल विवाद के इस प्रश्न को अलग रूप से लेते हैं तो हम कभी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि हम जो कुछ चारों तरफ हो रहा है उसे भूल चुके हैं।

सर्वप्रथम, मैं मंत्री जी से, जब वे उत्तर दें, एक या दो स्पष्टीकरण चाहूंगा, पहला प्रश्न यह है कि पंजाब समझौते में समाविष्ट 1-7-1985 की विशिष्ट तारीख निर्धारित करने का क्या आधार है ?

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

यह आश्वासन दिया गया है कि तीनों राज्य, अर्थात् पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 1-7-1985 तक रावी-व्यास प्रणाली से जितना पानी प्राप्त कर रहे थे उससे कम प्राप्त नहीं करेंगे। इस तारीख का क्या महत्व है ? क्या यह केवल एक तदर्थ तारीख है जिसे निर्धारित किया गया था इसका कोई विशेष महत्व है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आरोप लगाये जा रहे हैं कि, मैं नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, कि यह विशेष तारीख वह तारीख है जिस दिन पंजाब को दी गई पानी की मात्रा असामान्य रूप से अधिक थी या जितना वे प्राप्त कर रहे थे उससे औसतन से भी अधिक है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है परन्तु स्पष्टत: इसका अवश्य ही कोई ऐसा आधार होना चाहिए जिस पर इसका चयन हुआ है।

इसके अतिरिक्त समझौते के खण्ड 9(2) में कहा गया है कि न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा ? सर्वप्रथम इसे इस बात की जांच करनी होगी कि 1-7-1985 को वास्तव में पानी की कितनी मात्रा का उपयोग होता था। पहले यह निर्धारित करना होगा। यह निश्चित करने के बाद बचे हुए पानी का कैसा वितरण किया जाएगा। यह प्रश्न न्यायाधिकरणके समक्ष आयेगा और मैं नहीं समझता कि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के सदस्यों का यहां अपने मामले में तर्क देने का कोई फायदा है। जब न्यायाधिकरण स्थापित हो जाता है तो वे अपने मामले से सम्बद्ध सभी दस्तावेजों और तथ्यों के साथ इस मुद्दे के बारे में स्वतंत्र रूप से बहस कर सकते हैं और तर्क दे सकते हैं। इसी बात का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण बना है। 1-7-85 को पानी की कितनी मात्रा वितरित की गई थी इस बात की जांच के उपरांत बचे हुए पानी का वितरण किया जाना है और यह किस प्रकार किया जाना है, इस पर न्यायाधिकरण ने निर्णय लेना है।

2.00 म० प०

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : न्यायाधिकरण को पंजाब और हरियाणा के हिस्से के बारे में निर्णय लेना है न कि राजस्थान के हिस्से के बारे में परन्तु आप कह रहे हैं कि न्यायाधिकरण को यह निर्णय करना है कि कितना उनके द्वारा उपयोग किया जाता था और फिर यह निर्णय लेना है कि बचे हुए पानी का किस प्रकार वितरण किया जाना है। अत: राजस्थान किसी प्रकार से इससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और न ही मैंने समझौते का मसौदा तैयार किया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि राजस्थान का जिक्र नहीं किया गया है। यद्यपि मौखिक रूप से कई बार ये आश्वासन दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्थान के प्रति अन्याय नहीं होगा पूरा प्रयत्न किया जायेगा परन्तु वह एक सामान्य कथन है और मैं भी सही रूप में नहीं जानता कि इसके क्या मायने हैं। परन्तु मेरा सवाल

कुछ और ही है। मैं नहीं जानता कि यह संशोधी विधेयक जिसे अब लाया गया है, सही अर्थों में पंजाब समझौते की शर्तों के अनुरूप है या नहीं? क्योंकि पंजाब समझौते के अनुसार इस न्यायाधिकरण का निर्णय छः माह के अन्दर दिया जाएगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। परन्तु जहां तक इस न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है जिसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया जाना है, और जिसके बारे में हम यहां विचार कर रहे हैं, तो क्या इस न्यायाधिकरण का निर्णय भी बाध्यकारी होगा या केवल सिफारिश के ही रूप में होगा? मुझे सूचित किया गया है कि यह सिर्फ सिफारिश के स्वरूप में ही होगा। यह बाध्यकारी नहीं है। यदि इसे बाध्यकारी होना है तो इसके लिए एक अन्य कानून को लाना होगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : इस सम्बन्ध में योजनाएं बनानी होंगी इत्यादि।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सर्वप्रथम, अभी तक विचारार्थ विषयों का निर्धारण नहीं किया गया।

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : आवश्यक नहीं है। उसके लिए पहले ही कानून है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस न्यायाधिकरण के विरारार्थ विषय वे हैं जिन बातों के बारे के न्यायाधिरण को निर्णय करना है केन्द्रीय सरकार ने उन्हें निश्चित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त विवाद से सम्बद्ध राज्यों में से एक या दो को केन्द्र से न्यायाधिकरण के गठन के लिए कहना अपेक्षित है। यह स्पष्ट है कि किसी ने ऐसा नहीं किया है। यह भी स्पष्ट हैं इनमें से कोई भी सम्बन्धित पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष जाने का इच्छुक नहीं है। यही सारी समस्या है। यदि यह इस समझौते के कार्यान्वयन को लागू करना चाहता है तो इसमें केन्द्र की जिम्मेदारी कहां आती है? इस संशोधी विधेयक के माध्यम से अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण के गठन का फैसला किया गया है जबकि न तो पंजाब, न हरियाणा और और न ही राजस्थान ने इसके सम्बन्ध में कहा है।

दूसरे यदि इस न्यायाधिकरण का निर्णय केवल सिफारशी न होकर बाध्यकारी होना है तो मैं समझता हूं यह बाध्यकारो होना चाहिए। अन्यथा यह अर्थहीन है, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा या कोई भी जो महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय किया गया है क्या इसे स्वीकार करेगा और क्या वह न्यायालय में जायेगा और इसे चुनौती देगा। इसलिए, कैसे इसे बाध्यकारी बनाया जाये? वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत यह बाध्यकारी नहीं है, तकनीकी रूप से बाध्यकारी हो सकता है। ये सवाल स्पष्ट किए जाने हैं। भावनाओं को भड़काने का कोई फायदा नहीं है। मुझे जो कुछ बाहर हो रहा है उस पर अत्यधिक खेद है। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि यह देश किधर जा रहा है, तथा हम इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि दो शत्रु शिविर किसी प्रकार की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या यह ऐसा मसला है जो इस प्रकार से सुलझाया जाना है? क्या यह इस प्रकार हल किया

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जा सकता है ? हम पंजाब के किसानों की समृद्धि चाहते हैं, हम हरियाणा के किसानों की समृद्धि चाहते हैं, और हम राजस्थान के किसानों की समृद्धि चाहते हैं। वे सब हमारे भाई है, इस देश के हिस्से हैं और अब किसी के भी इस बहस को करने का कोई फायदा नहीं है कि हरियाणा और राजस्थान तटीय राज्य नहीं है क्योंकि रावी और व्यास उनके क्षेत्र में नहीं बहती हैं। यह कोई तर्क नहीं है। हरियाणा, पंजाब का एक हिस्सा था। यदि हरियाणा, पंजाब का एक भाग है तब यह एक तटीय राज्य बन जाता है क्योंकि रावी और व्यास वहां हैं।

समझदारी से यदि यह निर्णय लिया जाता है कि हरियाणा को पंजाब से अलग न किया जाए, तो यह एक तटवर्ती राज्य नहीं रहता। मेरा अभिप्राय यह है कि यह किसी प्रकार की कानूनी टाल-मटोल हो सकती है परन्तु यह समस्या को सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए जो मैं जानना चाहूंगा, वह यह है कि सतलज-यमुना सम्पर्क नहर को खुदवाया जाना चाहिए और 15 अगस्त, 1986 तक इसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन अब वहां उग्रवादियों द्वारा, या जो भी वे हैं, मैं नहीं जानता, एक बड़ा आन्दोलन चलाया जा रहा है, मैं नहीं जानता कि उनका काम नहर की खुदाई को रोकना है, मैं सोचता हूं कि काम में पहले ही ठप्प है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे आशा है कि अकाली दोस्त या श्री बरनाला की सरकार इसका समर्थन नहीं करती। वे इसका समर्थन कर ही नहीं सकते।

उन्हें उन लोगों के विरोध में आगे आना चाहिए जो नहर की खुदाई का काम रोक रहे हैं।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** हम उनका समर्थन नहीं करते।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** आप उनका समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि यह सन्त लोंगोवाल द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन है क्या आप ऐसी बात का विरोध कर सकते हैं जिस पर आपके नेता ने हस्ताक्षर किए हों और अपनी जान देकर इसकी कीमत अदा की हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह नहर नहीं खोदी जा रही है। और यदि यह नहर नहीं खोदी जाती तो सारा कार्य निरर्थक हैं, पानी के बंटवारे का सारा कार्य आप इसे कैसे बांटेंगे ? यह कोई नहीं कह रहा कि पंजाब को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी की निम्नतम मात्रा से वंचित किया जाए। ऐसे प्रस्ताव का कोई भी अनुमोदन नहीं कर सकता।

हम इसका समर्थन नहीं करते। हमें एक आयोग का अनुभव था मैथ्यू आयोग का। इसने सारे मामले का घोटला कर दिया। सम्भवतया यह पहला आयोग था जो यह कहकर समाप्त हुआ कि यह कोई भी निर्णय नहीं दे सकता यद्यपि इसे इसके कार्य की शर्तें, इसे वह कार्य हाथ में लेने से पहले ही अच्छी तरह मालूम थी। यदि इसके केवल एक भाग को कार्यान्वित किया जाता है अर्थात चन्डीगढ़ का एकपक्षीय हस्तांतरण पंजाब को कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह पंजाब समझौते का उल्लंघन

होगा। दूसरे भाग के कार्यान्वयन के बिना, जोकि हिन्दी भाषी क्षेत्र का हरियाणा में हस्तांतरण है इन दोनों को एक साथ होना चाहिए। मैं अब इन्दिरा गांधी पंचाट की बात नहीं कर रहा क्योंकि दुर्भाग्य से वह पंचाट उस समय नया-नया ही था। वह पंचाट दे दिया गया परन्तु उसे कार्यान्वित करने के लिए कुछ नहीं किया गया।

मैथ्यु आयोग की कार्य की शर्तें जो पंजाब समझौते से निकलती हैं, अबोहर और फाजिलका के बारे में एक शब्द भी नहीं कहती। यह कहती हैं कि हिन्दी-भाषी लोगों के बहुमत वाले गांव हरियाणा को तब हस्तांतरित किए जाने चाहिए यदि वे हरियाणा से संलग्न हों। वे विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं करते कि अबोहर व फाजिलका को शामिल करो या न करो लेकिन मैथ्यू आयोग ने अबोहर व फाजिलका का उल्लेख किया था जिसका मेरी राय में कोई अर्थ नहीं जब तक कि इसने कोई निर्णय न दिया हो। इसीलिए इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए कुछ गांवों का प्रश्न जरूरी था चाहे वे सीमा के इस पार हों या उस पार या कुछ तरफ गांवों को इस तरफ या उस तरफ मिलाने के लिए सीमा का दोबारा निर्धारण करना होगा, यह समस्या तभी सुलझाई जा सकती है जबकि आपसी सद्भाव हो और शान्तिपूर्ण भाईचारे से निपटारा करने की इच्छा हो। वरना इसे सैनिक-युद्ध से नहीं सुलझाया जा सकता और न ही ऐसा व्यवहार करने से कि छः गांव यदि इस पक्ष या उस पक्ष की ओर चले जाएंगे तो आसमान गिर पड़ेगा। क्या हम वर्षों से इस देश में इकट्ठे नहीं रह रहे हैं? केवल हरियाणा या पंजाब में ही नहीं अपितु अन्य बहुत से राज्यों में भी। क्या ऐसे आदमी नहीं रह रहे जो विशेष भाषा बोलते हैं और जिनके गांव पड़ोसी राज्य में स्थित है जिसकी भाषा भिन्न है? क्या इस कारण आसमान गिर पड़ा है? क्या हम एक देश के नागरिक नहीं है? यदि इस स्थिति को सुलझनाा है तो देशहित के लिए सभी ठीक ढंग से सोचने वाले समझदार व सभी समुदायों के देश भक्त लोगों को, चाहे वे हिन्दु हैं या सिख हैं चाहे वे पंजाब, हरियाणा या राजस्थान या कहीं से भी हों उन्हें देश की एकता, व देश को बचाने के सामूहिक हित के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। उन्हें यह देखने के लिए कदम उठाने चाहिएं कि ऐसे झगड़ों का निपटारा सामान्य, शान्तिजनक व भाई-चारे द्वारा होता है न कि लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने से जैसे कि अन्य उनके दुश्मन हों। यह देश की सुरक्षा व भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा।

मुझे बहुत दुःख है कि कुछ भाषण यहां इस प्रकार के भाव में दिए गए हैं कि उनसे वक्ता को अपने राज्य में कुछ वोट प्राप्त करने का लाभ मिलेगा लेकिन यदि उनका यहीं तक सम्बन्ध है जबकि वे लोक सभा के सदस्य भी बन जाते हैं कि कैसे अपने राज्य में कुछ मत प्राप्त किए जाएं और देश चाहे भाड में जाए, तो इस प्रकार के रवैये और वातावरण को बदलना पड़ेगा और इसके लिए गम्भीर प्रयत्न करने होंगे। अब केन्द्रीय सरकार को अपनी भूमिका अदा करनी है। यह सरकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली नहीं हो सकती जब तक कि वह अपना यह उत्तरदायित्व न निभाये कि इस समझौते का उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : सभापति जी, आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई जब अकाली दल के हमारे साथी बोल रहे थे। मैं और आप सब इस बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान को जितना गर्व पंजाब पर है, उतना ही गर्व हरियाणा पर है और देश के हर भाग पर है। आपने जो कुरबानी की, उसे हिन्दुस्तान नहीं भूल सकता और हिन्दुस्तान आज भी पंजाब पर बहुत गर्व करता है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है और न ही हम झगड़े की भाषा में बोल रहे हैं। कभी-कभी कुछ राजनीति के ठेकेदार, वोटों की राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग झगड़े की भाषा बोलते हैं। इसलिए हम लोगों का तो कोई झगड़ा नहीं है। पंजाब वालों को देखकर राजस्थान और राजस्थान को देखकर हरियाणा में इस तरह की बातें होती हैं, हम तो एक हैं। इंडसट्रीटी के अनुसार जो कि 1960 के अंदर हुआ, उसको हमें देखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी जिसको आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं और सारा हिन्दुस्तान इस पर गर्व करता है और उन्होंने यह बात कही थी वर्ल्ड बैंक के सामने—

[अनुवाद]

"रावी-व्यास के उपलब्ध फालतू पानी को राजस्थान, पैप्सू और पंजाब के बीच 1955 में बांटा गया था। बाद में पैप्सू को पंजाब में शामिल कर दिया गया···"

[हिन्दी]

जब यह बात होने लगी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात कही थी-—

[अनुवाद]

विश्व बैंक के सामने भारत का सम्पूर्ण मामला राजस्थान नहर के लिए पानी की मांग पर आधारित था जैसा कि प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा 10 जुलाई, 1960 को विश्व बैंक के अध्यक्ष को लिखे पत्र से स्पष्ट होता हैं। उन्होंने जोर दिया दिया था, "राजस्थान नहर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी योजनाएं इस पर आधारित हैं। इस नहर के लिए पर्याप्त पानी जुटाने में विलम्ब से हमारे लिए बहुत कठिन राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।"

[हिन्दी]

यह जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी और कहने के बाद ईस्टर्न रीवर्स रावी, व्यास और सतलुज, ये आपकी ईस्टर्न रीवर्स थीं और वेस्टर्न रीवर्स झेलम, चिनाब और इंडस थीं। सभापति जी, जैसा कि बोलने वाले लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग बहादुर हैं, अकाली दल के लोग भी सरदार हैं, फिर दाढ़ी लगाने से सरदार नहीं हैं बल्कि इनका दिल भी सरदार का है, इसलिए हम तो इनकी तारीफ करते हैं। हम तो आपको देखकर अपना सिर ऊंचा करते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई करने वाले

लोग भी अपने-आपको देखकर सिर ऊंचा करते हैं, इसलिए हमको आप पर नाज़ है।

सभापति जी, यह समझौता हमने नहीं किया था यह तो भाइयों का बंटवारा था, समझौता 1955 में हो चुका था और हमने यह कहा था कि जब तक राजस्थान पानी काम में नहीं लेगा तब तक पंजाब उस पानी को काम में लेगा और आपने कहा था कि ज्योंही राजस्थान कैनाल बन जाएगी, जिसको 2000 करोड़ रुपया खर्च करके बना लिया गया है, उस समय पंजाब खुशी के साथ अपना पानी राजस्थान को दे देगा, आपको धन्यवाद। एक चीफ मिनिस्टर ने यह समझौता किया, चैलेंज का सवाल नहीं है। वह 31 दिसम्बर का दिन था। 31 दिसम्बर 1981 को फैसला हुआ और 1955 में भी फैसला हुआ और आज यहां लोग कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। हम लोग घी नहीं खाते, इसलिए, तेजी से बोलते हैं लेकिन हमारे दिल में मोहब्बत है। इसलिए बीच में बोलने वालों को कह देते हैं कि आप तो मेहरबानी करके अलग हो जाओ। पंजाब में अगर एक खून होता है तो यहां जो अकाली दल के प्रतिनिधि बैठते हैं, वे यह दर्द फील करते हैं कि यह बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि कई सरदारों ने भी जुलूस निकाला। 24 जुलाई, 85 को हिन्दुस्तान की धरती पर जो समझौता लोंगोवाल और भारत के प्रधान मंत्री के बीच हुआ, उसके पीछे बात करना और उस पर और पीछे जाना होगा तो आप आयेंगे। सरदार आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं जाता और न हम लोग पीछे जाते हैं। इसलिए 9 (1) और 9 (2) क्लाज बिल्कुल साफ हैं। उसमें वेरीफीकेशन के लिए लिखा है।

[अनुवाद]

यह प्रश्न सत्यापन का है, यह न्याय सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

वहां पर एडजुडिकेशन के शब्द नहीं हैं। क्वेश्चन केवल वेरीफीकेशन के लिए है मैं आपकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को उतना ही पानी मिलेगा जितना वह रावी, व्यास प्रणाली 1-7-85 से प्राप्त कर रहे हैं पीने के उद्देश्य से पानी भी प्रभावित होगा।

[हिन्दी]

इस सवाल में झगड़ा कहां है। लोंगोवाल साहब का दिल एक सरदार का दिल था और बड़ी बहादुरी से उन्होंने देश की रक्षा एकता को कायम रखने के लिए 24 जुलाई को समझौता किया। वह दिन इतिहास में लिखा जायेगा कि उस दिन इस तरह का समझौता किया गया। जब यह समझौता

[श्री मूल चन्द डागा]

हुआ था तो सारे सदन ने तालियां थपथपाई थीं। उस एकोर्ड को लागू करने के बाद अगर कोई गलती होती है तो अलग बात है। दूसरा प्रश्न यह है कि हम राजस्थान वाले क्यों बीच में आएं। राजस्थान कैनाल तो बन जाएगी। वाटर लागिंग की प्राबलम पंजाब में हो सकती है। आपके मिनिस्टर कहते हैं कि वाटर लागिंग होता है, हम नहीं कहते हैं। राजस्थान वाले प्यासे हैं। हमारा तो पानी हाई लेवल से बहुत नीचे आ गया है। हम सूखे हैं। आपने एक बात अच्छी कही कि हम लोग तो नदियों पर आश्रित हैं। ये नदियां तो नेशनल वाटर हैं। ये तो राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उस सम्पत्ति को बताने वाले पण्डित नेहरू ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। आपने और हम सबने समझौता किया। 1978 एक्ट जो आपका पंजाब री-आरगेनाइजेशन एक्ट है, उसको आप जानते हैं, उसमें क्वेश्चन कहां है। उसमें क्वेश्चन है "आफ वेरीफिकेशन"। आप क्यों उसको कर रहे हैं। आपने तो कह दिया कि पीने के लिए दिल्ली को भी पानी देंगे। यह तो एकोर्ड हो चुका है। लोंगोवाल साहब ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस पर रिमार्क करना, उसके पीछे की बात करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, न समझदारी इधर से होगी और न उधर से होगी। उस बात को आपको और हमें दोनों को भूल जाना चाहिए और उस तारीख के बाद आगे चलना चाहिए। वर्ष 1981 में एक बार जो समझौता हो गया वह आप पर पाबन्द है, मेरे पर पाबन्द है और ट्रिब्यूनल पर भी पाबन्द है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने यह कह दिया है कि वह वैरिफिकेशन करेगा। और वैरिफिकेशन उसी का होगा जो डाक्यूमैंट्स में है। अब आप उसके बीच में एडजूडीकेशन का शब्द पता नहीं कहां से ले आये, मैं उसको समझ नहीं पाया। रिमेनिंग वाटर के बारे में जो 92 में लिखा है, वह बिल्कुल साफ है।

इसलिए श्रीमन्, हमारे ढिल्लों साहब ने यहां पर बहुत अच्छी बात कही और हम भी एक ही बात चाहते हैं कि एकोर्ड को लागू करने के लिए कार्यवाही हो। उसके लिए किसी का खून बहाना या कहीं जाकर भाषण देना वह तो विरोधी दलों का काम है, जिनको वोट नहीं मिलते। वोट सेंकने वालों से हमें और आप सबको सावधान रहने की जरूरत है जो किसी न किसी तरह जनता को बहका कर वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब पंजाब में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तो हर सरदार का दिल यहां रात को आंसू बहाता होगा। यदि इस समझौते के बारे में कोई व्यक्ति कोई दूसरी बात कह देता है तो सभापति जी, हमें उसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। आप यह मत कहिए कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग तेज इसलिये बोलना जानते हैं क्योंकि हम डालडा नहीं खाते हैं, हम तो शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं, हमारे यहां डालडा बहुत कम होता है बल्कि हमारे यहां अच्छे नस्ल की गाय और भैंस पायी जाती हैं। इसलिये वहां वहां वाटर लौगिंग नहीं होगा। हमें बस एक बात जरूर करनी है कि पंजाब के सम्बन्ध में लोंगोवाल साहब के साथ जो समझौता है, उसे पूरा करना है, जो कुछ उस समझौते में लिखा हुआ है, वही होना चाहिए। क्योंकि ···

[अनुवाद]

कथनी की अपेक्षा करनी अधिक महत्व रखती है।

[हिन्दी]

इसलिए श्रीमन्, कभी-कभी यहां बातें कर दी जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यास और भाखड़ा मैनेजमेंट को आप केन्द्र के हाथों में सौंप दें। क्योंकि किसने कहा था। हरिके, फिरोजपुर आदि हैडवर्क्स को केन्द्र के हाथों सौंपना बहुत जरूरी है। वह बातें मोरार जी देसाई ने कही थीं और उनके मंत्री बरनाला जी थे। हम उसको छोड़ते हैं क्योंकि वह सरकारी आदमियों का दोष है और वह आप पर मंढ़ना चाहते हैं। यदि वे ऐसा कहते हैं कि पंजाब वाले पानी नहीं देते तो हम कहें कि नहीं वह मशीनरी का काम है। आप दे दीजिए, तीनों हैडवर्क्स को केन्द्र के सुपुर्द कर दीजिए, फिर देखिये पानी का किस प्रकार से बंटवारा होगा। गलतियां सरकारी आदमी करवाते हैं और वह हम पर आ पड़ती है। हरिके, फिरोजपुर और रोपड़ तीनों हैडवर्क्स के साथ साथ व्यास और भाखड़ा मैनेजमैंट को ही आप केन्द्र के सुपुर्द कर दें। क्योंकि वह एग्रीमैंट किसने किया, क्या हम सैन्टर वाले उसके अन्दर देख भाल करते हैं।

सभापति जी, आपने अच्छे मौके पर घण्टी बजा दी लेकिन आप मेहरबानी करियेगा क्योंकि यह समझौते की बातें हैं और उनमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए एक्सैज वाटर का जहां तक सवाल है, यदि आप चाहते हैं कि कैनाल न बने तो कह दीजिये। वैसे आप आतंकवाद को खत्म करने के लिये प्रयत्नशील हैं, इसलिये आपका कसूर नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे कि पंजाब सरकार को हम नहीं मानते, बल्कि हम चाहते हैं कि पंजाब की सरकार बरकरार रहे, हम बरनाला सरकार को कायम रखने के लिए मदद देंगे, हम चाहेंगे कि वह कायम रहे और हमारे देश का हर हिस्सा मजबूत बने और सारा देश मजबूत बने। लेकिन सवाल यह है कि कहने के बाद मुकरना और वोटों की राजनीति में पड़ जाना कहां तक उचित है। ये बातें ही सब जगह झगड़े की जड़ होती हैं, हमको आपस में लड़ाती हैं। एग्रीमैंट में बिल्कुल साफ है, 91 बिल्कुल साफ है और ट्रिब्यूनल द्वारा डेट तय कर दी गई कि इस तारीख तक जो भी एग्रीमैंट हो चुके हैं, उनका वैरिफिकेशन किया जाएगा और जो ज्यादा पानी होगा, उसका बंटवारा किया जाएगा इसलिये यह कोई अन्याय की बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम मिलकर के दोनों पार्टियां 1981 वाले एग्रीमैंट को मानें उसमें शेयर वाली बात बिल्कुल साफ तौर पर है। उसको आपके सामने रखने के बाद मैं आपका और समय नहीं लूंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार बैठ जाऊंगा क्योंकि जब हर पार्टी अनुशासन में रहेगी तभी पंजाब एकोर्ड पूरा लागू होगा। तो मुझे तो अनुशासन में रहना ही है और मैं पांडेय जी से काफी सीख गया हूं और सरदार साहब ने जो भाषण दिया, उससे तो काफी सीख गया हूं। उस एग्रीमेंट के अनुसार पंजाब का शेयर 4.22 एम० ए० एफ०, हरियाणा का 3.50, राजस्थान का 8.60, दिल्ली का 0.20 और जम्मू-कश्मीर को 0.65 मिलियन एकड़ फीट शेयर दिया गया और उस पर 4 बातें और लागू हुईं, लेकिन एक भी बात किधर से भी लागू नहीं हो रही है। गलती इंसान से ही होती है, गलती करना इंसानों का काम है, लेकिन गलती का समर्थन करना शैतान का काम है। गलत को गलत कह देना कि गलती हुई, कोई बुरी बात नहीं है। यह सारा एग्रीमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि हम ये हैडवर्क्स दे देंगे। कब दे देंगे, आप मेहरबानी कर के बतलाइये। आपने कहा कि पानी काम में लेंगे, लेकिन आज केनाल बन चुकी है और इस पर

[श्री मूल चन्द डागा]

राजस्थान का दो हजार करोड़ रुपया लग चुका है, अगर दो हजार करोड़ रुपये लगने के बाद भी सारे हैडवर्क्स नहीं दिये गये, तो क्या होगा ? इसलिये हम पीछे नहीं जाएंगे, केवल जो एग्रीमेंट 24 जुलाई, 1985 को लौंगोवाल साहब और प्रधान मंत्री के बीच में हो चुका है, आप उस पर अमल करिये और उसके अनुसार भाई-भाई बैठकर बंटवारा कर लेंगे। पानी की मात्रा का सवाल नहीं है, प्रेम ज्यादा होना चाहिये। पानी देश का है और वह देश की तथा सबकी सम्पत्ति है।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** (श्रीनगर) : चेयरमैन साहब, मैंने इस वक्त पंजाब के दरियाओं के मामले में जो मसाइल हैं, उनके बारे में जो राय हैं, दोनों की तरफ की, वे सुनी हैं। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से जो इख्तिलाफात हैं, उनको दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार और इन सब स्टेट्स को आपस में मिलकर इन मसाइलों को हल करना चाहिये। खासतौर से ऐसी सूरते-हालात में जब पंजाब भी जल रहा है और पंजाब की इस आग के शोले बुलन्द हो रहे हैं उनमें इस वक्त हिन्दुस्तान के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर भी नहीं बच सके हैं और न बच पाएंगे। जब तक मयस्सर तौर पर इसका तदारूक न किया जाए। जहां तक दरियाओं का ताल्लुक है, मैं सभापति जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब पंजाब एक था और हिन्दुस्तान तकसीम नहीं हुआ था उस वक्त मर्कजी सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को बड़ी भारी रकम दे दी थी ताकि तीन दरियाओं का फायदा हिन्दुस्तान के लिये मखसूस करे और तीन दरियाओं को पाकिस्तान को दे दिया गया। मैं बड़े दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त "सिन्ध वाटर ट्रीटी" हुई, उस वक्त जम्मू-कश्मीर को बिल्कुल नजर अंदाज कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सिन्धु, झेलम और चिनाब के पाकिस्तान के प्लैंटर बन गये, इसके लिये मर्कज को किसने अख्तियार दिया और उसके बदले में जम्मू और कश्मीर को क्या मिला जबकि कैचमेंट एरियाज हमारे पास हैं, पानी वहां से निकलता है। चश्मे हमारी रियासत में उबलते हैं और ये पाकिस्तान जा रहे हैं और आपने उस वक्त बाकी मुल्क के लिए पाकिस्तान को तीन दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने के लिये और वहां पर नहरों का जाल बिछाने के लिये जो पाकिस्तान की उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, और व्यास, रावी व सतलुज के पानी के बन्द हो जाने से जो मसला खड़ा हो जाता है, उसके लिये 174 मिलियन डालर नकद और वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका और बाकी सारे बड़े देशों ने, 1,000 मिलियन डालर उनको दे दिये और इस तरीके से उनका मसला हल करा दिया। लेकिन खुद जम्मू-कश्मीर का यह मसला, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा सलाल प्रोजेक्ट बन रहा था और हम उसको वहां एक बड़ा डैम बनाना चाहते थे ताकि वहां आसपास जो पानी की रिक्वायरमेंट थी, नैसेसिटी थी, न सिर्फ वह बल्कि जो बिजली की पैदावार है, उसमें बढ़ोत्तरी करने के लिये हम उस डैम को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते थे। लेकिन उस ट्रीटी की वजह से आपके हाथों में हथकड़ियां थीं। पाकिस्तान से कमीशन आया, और उसने उसको देख लिया और उसके बाद आपको उसमें आल्ट्रेशन करनी पड़ी।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कल जम्मू-काश्मीर को पानी की जरूरत पड़ेगी, हमारी जरूरत बढ़ेगी, वादिये-काश्मीर की जरूरत बढ़ेगी तो उसके लिये पानी कहां से आयेगा ? पाकिस्तान को आपने वह पानी दे दिया है जो आपका सिन्धु वाटर ट्रीटी में एग्रीमैंट हुआ है तो फिर हमारा क्या बनेगा ?

जहां तक जम्मू-काश्मीर का सवाल है वह बहुत डैजर्टेड एरिया है, लेकिन उसमें बड़ा उत्पादन हो सकता है। हमारा जो थीन डैम है, उसमें हमारा कोई खास हिस्सा आपने नहीं रहने दिया है। थीन डैम में जो दरिया रावी गुजर रहा है, वह पंजाब, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर की सीमा को भी टच कर रहा है। आपको यह भी सोचना चाहिये कि जो हमारे जम्मू-काश्मीर के प्रोजेक्ट्स थे, जब वहां पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इस पानी का मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में क्या बनेगा ?

जहां तक सवाल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि पानी का हक पंजाब को भी है, राजस्थान को भी है और हरियाणा को भी है और उसमें जस्टिस होना चाहिये। इसके दो राय नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो एग्रीमेंट है, वह इम्पलीमैंट होना चाहिये। इस मामले में इस वक्त सिर्फ ट्रिब्यूनल बनाने से और उस पर बड़ा बहसो-मुबायसा करने से मसला हल नहीं होगा। हमारे श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त जो तकरीरें इस हाउस में हो रही हैं, उससे टेंशन बढ़ सकता है। इस वक्त जो परेशानी पंजाब और उसके आस-पास के प्रांतों में है, मैं समझता हूं कि ट्रिब्यूनल से यह समस्या हल नहीं होगी। रिकमैंडेटरी महदूद तक कल को और कोई समझोता भी हो सकता है जैसे कि डिबेट में बात पाई और यह बिल भी बता रहा है कि कल को कोई भी स्टेट इस सारी मेहनत को, जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, उसको तारपीडो कर सकता है, सैबोटाज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर या कहीं और जाकर स्टे ले सकता है। तो हम जो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका क्या होगा ?

मैं कहना चाहता हूं कि असल मसला यह है कि पंजाब में इस वक्त जो तनाजा है, झगड़ा है, फसादात हो रहे हैं, उनको खत्म करना है, जो आतंकवादियों ने सिलसिला शुरू कर दिया है, जो खून-खराबा हो रहा है, उसका अन्त होना चाहिये। इस विषय में जो पंजाब में अकाली सरकार है, मैं समझता हूं कि 2, 4 दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मूड बन रहा है और केन्द्रीय सरकार ने कुछ स्टैप भी लिये हैं, उनसे ऐसा लगा कि वह वाकई श्री बरनाला की सरकार को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर वाकई पंजाब को बचाना है, पंजाब इस वक्त शोलों की नजर हो चुका है, पंजाब में आग भड़क सकती है और क्या मालूम कि पंजाब के हालात क्या रुख अख्त्यार करें, लेकिन उसका इलाज पंजाब में मजबूत सरकार होना है और जिसको लोगों ने वोट दिया है, चुना है, वह बरनाला सरकार इस वक्त बहादुरी के साथ जुर्रत व हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर और कोई चीफ मिनिस्टर होता तो इन हालात में वह रिजाइन कर जाता। हमें शाबाशी देनी चाहिए, कांग्रेच्यूलेट करना चाहिये अकाली सरकार को कि वह इन सख्त, दुश्वारी की हालात में जो बीच में खुद सैंडविच हो रही है और इन हालात में मुकाबला कर रही और एक जबर्दस्त मुसीबत का

[श्री अब्दुलरशीद काबुली]

मुकाबला करके देश को बचा रहे हैं, मैं समझता हूं कि पंजाब की अकाली सरकार की कामयाबी के साथ ही पंजाब का मसला हल होगा।

जब पंजाब में आर्मी रूल हुआ और आपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो हमने देखा कि हालात काफी बिगड़ गये। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी इससे काफी दुख हुआ था। मुझे याद है तब उन्होंने कहा था कि हीलिंग टच देने की जरूरत है। हमें यह बात माननी चाहिये कि न सिर्फ अपरेशन ब्लू स्टार की वजह से बहुत तबाही और नुकसान हुआ बल्कि साइकालोजिकल एक बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी ने वहां पर जगह ली। सिखों ने महसूस किया कि वह सेफ नहीं हैं। एक डर और एक खौफ एक ऐसे तबके में पैदा हुआ जिसने हिन्दुस्तान की हिफाजत के लिये शानदार कुर्बानियां दी हैं। पंजाबी हिन्दू हों या सिख हों उन्होंने हमेशा सीमा की हिफाजत के लिये कुर्बानियां दीं। जब भी लड़ाई हुई, बहादुर सिख वीरों ने अपनी जिन्दगी कुर्बान कर और अपने खेतों और खलियानों को कुर्बान कर सारे देश को बचाया। मैं चाहता हूं कि इसको पोलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाये। ट्रिब्यूनल बनाना ही काफी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप वहां शांति बहाल करें। आज पंजाब में लोगों के दिल मुरझा गये हैं, वह दुखी हैं, इस कारण हमने इन आतंकवादियों को नाकाम करना है। अगर उन फोर्सिज को नीचा दिखाना है तो जरूरी है कि पंजाब के हिन्दुओं और सिखों में एक भरोसा पैदा करें और उनको पता चले कि वह भी हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं। जिस दिन वहां पर अमन शांति और एक दूसरे के लिये प्यार की भावना पैदा होगी तो फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा। यह पानी का मसला सिर्फ एक बैठक में हल हो सकता है। मैं राव वीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सब भाई-भाई हैं। यह कोई अलग-अलग देश नहीं। यह एक बड़े महान देश का हिस्सा है। सब मिल बैठकर इस मसले को हल करेंगे तो कोई प्राबलम नहीं रहेगी। पानी के मसले को हल करने से पहले पंजाब का मसला पहले हल करना चाहिए।

मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि पंजाब के मसले में मरकजी सरकार ने काफी गलती भी की है। चण्डीगढ़ के मामले में आपने बहुत जबर्दस्त प्रोपेगेंडा कर दिया कि 26 जनवरी को चण्डीगढ़ पंजाब के हवाले करने जा रहे हैं। अगर आपके मन में उस वक्त यह था कि हरियाणा को भी उसी वक्त विलेज मिलने चाहिएं तो फिर ओवर-ऐक्ट नहीं करना चाहिये था। आपने जिस ढंग से चण्डीगढ़ का मामला उछाला और बार-बार प्रेस और प्लेटफार्म पर प्रधान मन्त्री जी ने कमिटमेंट कर दिया कि 26 जनवरी को केन्द्र सरकार चण्डीगढ़ पंजाब के हवाले करने जा रही है। मुझे दुःख है कि जब 2 जनवरी आया तो उसका एंटी क्लाइमेक्स हुआ और मैथ्यू कमीशन पर सारा मामला छोड़ दिया। अब वह मैथ्यू कमीशन उस मामले के बारे में कहता है कि वह कुछ नहीं कर पाया। उसने वह मामला सेंटर को वापस कर दिया। मैं कहता हूं कि ऐसे कमीशन को**···

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मैं कहता हूं कि ईमानदारी की बात तो यह थी कि ऐसे हालात में ईमानदारी के साथ उस मसले को हल करना चाहिए था, जो मैथ्यू कमीशन के पास था। उनके पास जो रिफ्रेंस थी कि कैसे और किन हालात में उस मसले को वे हल करें, वह तो उनके पास साफ था। उसकी रोशनी में उनको फैसला कर देना चाहिये था, ताकि यह समस्या और न बढ़ती और आपके लिए प्राब्लम न खड़ी होती। इसलिये मैं चाहूंगा कि पंजाब एकार्ड को आप इम्पलीमेंट करें और बड़ी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ करें। पंजाब में अकाली सरकार को मजबूत करें। आप उसकी कमजोरियों का नाजाइज फायदा न उठाएं। सारी पोलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें, लेकिन अफसोस यह है कि यह आवाज हमने बहुत पहले उठाई थी माडरेट्स की मदद करें और माडरेट्स को नाकाम और कमजोर न बनाएं। उनको नाकाम बनाने से हमको खतरा है।

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)**: यह**···किसके लिए कहा ?

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : कमीशन को। मैथ्यू कमीशन को।

**श्री एच० के० एल० भगत** : कमीशन को**·· ?

[अनुवाद]

मैं आशा करता हूं कि आपका यह आशय नहीं है।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : मेरा कहने का यह अर्थ नहीं है। आयोग का आशय उन लोगों से है जो आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं।

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं आशा करता हूं कि आपका उससे अभिप्राय नहीं है और जो बातें आप कर रहे हैं उनको आप समझ रहे हैं (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : यह अभिव्यक्ति स्वागत करने योग्य नहीं है। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

**श्री एच० के० एल० भगत** : क्या आप अहिंसा की वकालत कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपका उससे अर्थ नहीं है।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

मैं जिस कान्टेक्स्ट में कह रहा हूं। जिन हालात में कह रहा हूं जो हालात आज पंजाब में बिगड़ रहे हैं, महज पंजाब, चंडीगढ़, अबोहर और फाजिलका का मसला···

---

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं सोचता हूं कि आप अपनी त्रुटि सुधार रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : ये मसले जो इतने वक्त में बढ़े, उनकी कीमत आप अदा कर दीजिये। जो सैंकड़ों आदमी तब से मरे हैं, बिकॉज आफ दिस कमीशन, उनकी डिले ट्रैक्टिक्स से, उसकी कीमत अदा कर दीजिये और हम लोगों का जब एक प्रिंसिपल्ड लाइन नहीं है, एक क्लीयर-कट नक्शा हमारे पास नहीं है, तो जितने लोग मर रहे हैं, मकान फूंके जा रहे हैं, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और यह सारी तबाही हो रही है तो मैं समझता हूं कि उसके लिये तो कुछ लोगों को जखारी शेयर करना चाहिये। कुछ मर्कजी सरकार को भी और कुछ कमीशन को भी। मर्कजी सरकार को भी, क्योंकि पंजाब एकार्ड का इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक इस ट्रिब्यूनल का ताल्लुक है, मैं उसके हक में दिलो-जान से हूं।

पंजाब की समस्या से हमको इसलिये भी दिलचस्पी है, चार टूरिस्ट सीजन हमारे तबाह हो गए, पंजाब की वजह से। पंजाब की जो समस्या है, वह हमारे लिये जिन्दगी और मौत का मसला है। राव बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इनके लिए पानी नहीं मिलता है, तो हरियाणा के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है। मैं आपसे कहता हूं कि पंजाब का मसला हमारे लिए जिन्दगी और मौत का मसला है। क्योंकि हमारी सारी जो इन्डस्ट्री है, जो हमारा जीना और रहना है, वह पंजाब से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी लाइफ-लाइन पंजाब से गुजर रही है, उस पर निर्भर है। हमारा जो टूरिज्म है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो कुछ भी हम जी रहे हैं, वह चार साल से सारा तबाह हो गया। हमारी सारी इन्डस्ट्री बर्बाद हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब के ये हालात ठीक कर दिए जाएं, ताकि सारी स्टेट में न सिर्फ यह पानी का मसला हल हो जाए, बल्कि खुद हमारी रियासत भी उस मुसीबत से बचे, जिसमें वह पिछले साल से फंसी है, जिसमें हमारे लोग तबाह हो गए, हमारे यहां के लोग गरीब थे, वे गरीब से गरीबतर होते गए।

## شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

چیئرمین صاحب میں نے اس وقت پنجاب کے دریاؤں کے معاملے میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو رائے ہیں دونوں طرف کی وہ سنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لئے کیندریہ سرکار اور ان سب اسٹیٹس کو آپس میں مل کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیئے خاص طور سے ایسی صورت حال میں جب پنجاب بھی جل رہا ہے اور پنجاب کی اس آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں ان میں اس وقت ہندوستان کے ہریانہ ہماچل پردیش اور میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر بھی نہیں بچ سکے ہیں اور نہ بچ پائیں گے۔ جب تک مؤثر طور پر اس کا ودارن نہ کیا جائے۔ جہاں تک دریاؤں کا تعلق ہے میں سبھاپتی جی آپ کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب پنجاب ایک تھا اور ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت مرکزی سرکار نے پاکستان کی سرکار کو بڑی بھاری رقم دے دی تھی تاکہ تین دریاؤں کا فائدہ ہندوستان کے لئے مخصوص کرے اور تین دریاؤں کا پاکستان کو دے دیا گیا۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت "سندھ واٹر ٹریٹی" ہوئی اس وقت جموں کشمیر کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا بالکل الگ کر دیا گیا۔ سبھاپتی جی آپ کے مادھیم سے سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ جہلم اور چناب کے پاکستان کے بن گئے اس کے لئے مرکز کو کس نے اختیار دیا اور اس کے بدلے میں جموں و کشمیر کو کیا ملا جب کہ کیچمینٹ ایریاز ہمارے پاس ہیں پانی وہاں سے نکلتا ہے۔ چشمے ہماری ریاست میں ابلتے ہیں اور یہ پاکستان جا رہے ہیں اور اس وقت آپ نے باقی ملک کے لئے پاکستان کو تین دریاؤں کا پانی استعمال کرنے کے لئے اور وہاں پر نہروں کا جال بچھانے کے لئے جو پاکستان کی اس وقت کی ریکوائرمینٹ تھی اور ویاس راوی

دستلج کے پانی کے بند ہو جانے سے جو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لئے ۷۰ ملین ڈالر فلڈ اور ورلڈ بینک یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور باقی سارے بڑے دیشوں نے ۱۰۰۰ ملین ڈالر ان کو دے دئے اور اس طریقے سے ان کا مسئلہ حل کرا دیا۔ لیکن خود جموں کشمیر کا یہ مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا سلال پراجیکٹ بن رہا تھا اور ہم اس کو وہاں ایک بڑا ڈیم بنانا چاہتے تھے تاکہ آس پاس وہاں جو پانی کی ریکوئرمینٹ تھی نیسیسٹی تھی نہ صرف وہ بلکہ جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں بڑھوتری کرنے کے لئے ہم اس ڈیم کو بہت اونچا لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن اس ٹریٹی کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ پاکستان سے کمیشن آیا اور اس نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ کو اس میں الٹریشن کرنی پڑی۔

میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جموں کشمیر کو پانی کی ضرورت پڑ گئی ہماری ضرورت بڑھے گی وادیٔ کشمیر کی ضرورت بڑھے گی تو اس کے لئے پانی کہاں سے آئے گا۔ پاکستان کو آپ نے وہ پانی دے دیا ہے جو آپ کا سندھو واٹر ٹریٹی میں ایگریمینٹ ہوا ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔

جہاں تک جموں کشمیر کا سوال ہے وہ بہت ڈیپنڈنٹ رہا ہے لیکن اس میں بڑا اتیادن ہو سکتا ہے ہمارا جو تھین ڈیم ہے اس میں ہمارا کوئی خاص حصہ آپ نے نہیں رہنے دیا ہے۔ تھین ڈیم میں جو دریا راوی ہے گزر رہا ہے وہ پنجاب، ہماچل، جموں کشمیر کی سیما کو بھی طے کر رہا ہے۔ آپ کو وہ بھی سوچنا چاہیئے کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے پراجیکٹس تھے جب وہاں پانی کی ضرورت پڑے گی تو اس پانی کا مستقبل میں آنے والے وقت میں کیا بنے گا۔

جہاں تک سوال پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ

کہ یہ بہت بڑی سمسیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا حق پنجاب کو بھی ہے راجستھان کو بھی ہے اور ہریانہ کو بھی ہے اور اس میں جسٹس ہونا چاہیئے۔ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیئے۔ لیکن جو ایگریمینٹ ہے وہ امپلیمینٹ ہونا چاہیئے۔ اس معاملے میں اس وقت صرف ٹربیونل بنانے سے اور اس پر بڑا بحث ومباحثہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے شری اندرجیت گپت جی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت جو تقریریں اس ہاؤس میں ہو رہی ہیں اس سے ٹینشن بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت جو پریشانی پنجاب اور اس کے آس پاس کے پرانتوں میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹربیونل سے یہ سمسیا حل نہیں ہوگی۔ ریکمنڈیٹری محدود ذنک کل کو اور کوئی سمجھوتہ بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ ڈیبیٹ میں آئی اور یہ بل بھی بتا رہا ہے کہ کل کو کوئی بھی اسٹیٹ اس ساری محنت کو جو بھی اسٹرگل ہم کر رہے ہیں اس کو ناربیٹیو کر سکتا ہے سبوٹل کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں جا کر یا کہیں اور جا کر اسٹے لے سکتا ہے۔ تو ہم جو ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا۔

میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو تنازع ہے جھگڑا ہے فسادات ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے آتنک وادیوں نے جو سلسلہ شروع کر دیا ہے جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کا انت ہونا چاہیئے۔ اس وشئے میں جو پنجاب میں اکالی سرکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم۔ کہ دن سے ہمارے پرائم منسٹر کا جو موڈ بن رہا ہے اور کیندریہ سرکار نے کچھ اسٹیپ بھی لئے ہیں اس سے ایسا لگا کہ وہ واقعی شری برنالہ کی سرکار کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی پنجاب کو بچانا ہے پنجاب اس وقت شعلوں کی نظر ہو چکا ہے۔ پنجاب میں آگ

بھڑک سکتی ہے اور کیا معلوم کہ پنجاب کے حالات کیا رُخ اختیار کریں لیکن اس کا علاج پنجاب میں مضبوط سرکار ہونا ہے اور جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے چنا ہے وہ بر نالہ سرکار اس وقت بہادری کے ساتھ جرأت وہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور کوئی چیف منسٹر ہوتا تو ان حالات میں وہ ریزائن کر جاتا۔ ہمیں شاباشی دینی چاہیئے کانگریس کو لیٹ کرنا چاہیئے۔ اکالی سرکار کو کہ وہ ان سخت دشواری کی حالات میں جو بیچ میں خود سینٹشن ہو رہی ہے اور ان حالات میں مقابلہ کر رہی ہے اور ایک زبردست مصیبت کا مقابلہ کر کے دیش کو بچا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اکالی سرکار کی کامیابی کے ساتھ ہی پنجاب کا مسئلہ حل ہوگا۔

جب پنجاب میں آرمی رول ہوا اور آپریشن بلواسٹار ہوا تو ہم نے دیکھا کہ حالات کافی بگڑ گئے۔ ہماری سورگیہ پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی کو بھی اس سے کافی دکھ ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے تب انھوں نے کہا تھا کہ ہیلنگ ٹچ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات ماننی چاہیئے کہ نہ صرف آپریشن بلواسٹار کی وجہ سے بہت تباہی اور نقصان ہوا بلکہ سائیکلالوجیکل ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے وہاں پر جگہ لی۔ سکھوں نے محسوس کیا کہ وہ سب کہیں ہیں۔ ایک ڈر اور ایک خوف ایک طبقے میں پیدا ہوا جس نے ہندوستان کی حفاظت کے لئے شاندار قربانیاں دی ہیں۔ پنجابی ہندو ہوں یا سکھ ہوں انھوں نے ہمیشہ سیما کی حفاظت کے لئے قربانیاں دیں۔ جب بھی لڑائی ہوئی بہادر سکھ ویروں نے اپنی زندگی قربان کر کے اور اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کو قربان کر کے سارے دیش کو بچایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے۔ ٹریبونل بنانا ہی

کافی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ وہاں شانتی سنبھال کریں۔ آج پنجاب میں لوگوں کے دل مرجھا گئے ہیں۔ وہ دکھی ہیں۔ اس کارن ہم نے ان آتنک وادیوں کو ناکام کرنا ہے۔ اگر ان فورسیز کو نیچے دکھانا ہے تو ضرورت ہے کہ پنجاب کے ہندوؤں اور سکھوں میں ایک بھروسہ پیدا کریں اور ان کو پتہ چلے کہ وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہیں جس دن وہاں پر امن اور شانتی اور ایک دوسرے کے لئے پیار کی بھاؤنا پیدا ہو گی تو پھر کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ صرف ایک بیٹھک میں حل ہو سکتا ہے۔ میں راؤ بریندر سنگھ جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پنجاب ہریانہ ہماچل راجستھان اور جموں کشمیر سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ کوئی الگ الگ دیش نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑے مہان دیش کا حصہ ہیں۔ سب مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہو گی۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے پنجاب کا مسئلہ پہلے حل کرنا چاہیئے۔

میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے مسئلے میں مرکزی سرکار نے کافی غلطی بھی کی ہے۔ چنڈی گڑھ کے معاملے میں آپ نے بہت زبردست پروپیگنڈہ کر دیا کہ ۲۶ جنوری کو چنڈی گڑھ پنجاب کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے من میں اس وقت یہ تھا کہ ہریانہ کو بھی اسی وقت ولیج ملنے چاہیئے تو پھر اوورایکٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ آپ نے جس ڈھنگ سے چنڈی گڑھ کا معاملہ اچھالا اور بار بار پریس اور پلیٹ فارم پر پردھان منتری جی نے کمیٹمنٹ کر دیا کہ ۲۶ جنوری کو کیندریہ سرکار چنڈی گڑھ پنجاب کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ جب ۲۶ جنوری آیا تو اس کا اینٹی کلائمیکس ہوا اور

میتھیو کمیشن پر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ اب وہ میتھیو کمیشن اس معاملے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس نے یہ معاملہ سینٹر کو واپس کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے کمیشن کو **

میں کہتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیئے تھا جو میتھیو کمیشن کے پاس تھا۔ ان کے پاس جو ریفرنس تھی کہ کیسے اور کن حالات میں اس مسئلے کو وہ حل کریں وہ تو ان کے پاس صاف تھا۔ اس کی روشنی میں ان کو فیصلہ کر دینا چاہیئے تھا تاکہ یہ سمسیا اور نہ بڑھتی اور آپ کے لئے یہ پرابلم نہ کھڑی ہوتی اس لئے میں چاہوں گا کہ پنجاب ایکارڈ کو آپ امپلیمنٹ کریں اور بڑی شردا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کریں۔ پنجاب میں اکالی سرکار کو مضبوط کریں۔ آپ اس کی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ساری پولٹیکل پارٹیز کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ آواز بہت پہلے اٹھائی تھی ہم نے کہ ماڈریٹس کی مدد کریں اور ماڈریٹس کو ناکام اور کمزور نہ بنائیں۔ ان کو ناکام بنانے میں ہم کو خطرہ ہے۔

سندریہ کاریہ اور پریٹمین منتری (شری ایچ کے ایل بھگت) : یہ ** کس کے لئے کہا۔

شری عبدالرشید کابلی : کمیشن کو۔ میتھیو کمیشن کو۔

شری ایچ کے ایل بھگت : کمیشن کو I hope you don't mean that.—**

**Shri Abdul Rashid Kabuli** : I don't mean that The Commission means the persons who are heading the Commission,



**Expunged as ordered by the Chair.

**Shri H. K. L. Bhagat** : I hope you don't mean that and you understand what you are talking

(Interruptions)

**Mr. Chairman** : This expression is undignified. I will expunge that.

**Shri H. K. L. Bhagat** : Are you advocating violence ? I know you don't mean that.

**Shri Abdul Rashid Kabuli** : No, no. میں جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں ۔ جن حالات میں کہہ رہا ہوں جو حالات آج پنجاب میں بگڑ رہے ہیں۔ محض پنجاب چنڈی گڑھ ابوہر اور فاضلکا کا مسئلہ . . . . . .

**Shri H. K. L. Bhagat** : Now, I think you are correcting yourself.

شری عبدالرشید کابلی :۔ یہ مسئلے جو اتنے قوت میں بڑھے ان کی قیمت آپ ادا کر دیجئے جو سیکڑوں آدمی تب سے مرے ہیں بکاز آف دس کمیشن ان کی ڈیلے ٹیکٹیکس سے اس کی قیمت ادا کر دیجئے اور ہم لوگوں کا جب ایک پرنسپلڈ لائن نہیں ہے ایک کلیئر کٹ نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے تو جتنے لوگ مر رہے ہیں مکان پھونکے جا رہے ہیں ہریانہ میں ہو رہا ہے پنجاب میں ہو رہا ہے ہماچل پردیش میں ہو رہا ہے اگر یہ ساری تباہی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے تو کچھ لوگوں کو ذمہ داری شیئر کرنا چاہیئے۔ کچھ مرکزی سرکار کو بھی اور کچھ کمیشن کو بھی۔ مرکزی سرکار کو بھی کیوں کہ پنجاب ایکارڈ کا امپلیمینٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک اس ٹربیونل کا تعلق ہے میں اس کے حل میں دل و جان سے ہوں۔

پنجاب کی سمسیا سے ہم کو اس لئے بھی دلچسپی ہے چار ٹورسٹ سیزن

ہمارے تباہ ہو گئے پنجاب کی وجہ سے۔ پنجاب کی جو سمسیا ہے وہ ہمارے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ راؤ بیریندر سنگھ جی نے کہا کہ ان کے لئے پانی نہیں ملتا ہے تو ہریانہ کے لئے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پنجاب کا مسئلہ ہمارے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کیوں کہ ہماری ساری جو انڈسٹری ہے جو ہمارا جینا اور رہنا ہے وہ پنجاب سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے جو ہماری لائف لائن پنجاب سے گزر رہی ہے اس پر نربھر ہے۔ ہمارا جو ٹورزم ہے جو ہمارا فارن ایکسچینج ہے جو کچھ بھی ہم جی رہے ہیں وہ چار سال سے سارا تباہ ہو گیا۔ ہماری ساری انڈسٹری برباد ہو گئی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے یہ حالات ٹھیک کر دئے جائیں تاکہ ساری اسٹیٹ میں نہ صرف یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے بلکہ خود ہماری ریاست بھی اس مصیبت سے بچیں جس میں وہ پچھلے جال میں پھنسی ہے جس میں ہمارے لوگ تباہ ہو گئے۔ ہمارے یہاں کے لوگ غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन काबुली साहब की तकरीर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपने विचार सदन के सामने रखने चाहिए। क्योंकि काबुली साहब के पहले गुप्ता जी और ढिल्लों साहब ने जो स्पीचें दीं, उससे उन्होंने एक अच्छा-सा माहौल पैदा कर दिया था। काबुली साहब ने इस बिल को सपोर्ट करते हुए, इस तरह से जजबात को उभारा और सारे मामले को इस तरह से कन्फ्यूज किया कि इससे मेरी समझ के मुताबिक कोई अच्छी बात नहीं निकली। वह इतने तजुर्बेकार आदमी हैं। मगर फिर भी गलती कर गये। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में एक फैसला हुआ हमारी दरियाओं का और जम्मू-काश्मीर स्टेट उसके सम्बन्ध से बहुत से खसारे में रही। बहरहाल उसके असरात दिन-पर-दिन हम पर पड़ रहे हैं। यूं तो हम तरक्की कर रहे हैं, मगर उस समझौते की रुकावट की वजह से और बुरे असर हम लोगों पर पड़ रहे हैं। यह बात तो दूसरी थी।

एक यह जो बात है, यह जो बिल है, यह एक ऐसा एकार्ड है···जिसके हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक सिगनेटरी हैं और संत लोंगोवाल इसके सिगनेटरी हैं। मैं नहीं समझता जहां तक उसका ताल्लुक है, कोई हिस्टारिकल स्पीच करे या जजबाती स्पीच करे या कोई किसी की तारीफ करे, उससे कोई चेंज हो नहीं सकता है। बात सिर्फ इतनी-सी है कि कितने पानी का यकीन दिलाया गया है। 1-7-1985 को जो पानी मिल रहा था, जिसको जितना पानी मिलता था, वह पानी देना है और उससे ज्यादा जो पानी है उसको तक्सीम करना है, उसके लिए कमीशन बनाना है। इसके मुताल्लिक झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह बात भी दुरुस्त है कि थीन डैम (Thien Dam) जब तक नहीं बनेगा तब तक पूरा पानी नहीं मिलेगा। उतना पानी नहीं मिलेगा जिससे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जरूरियात पूरी हो सकें। इसलिये थीन डम को बनाना बहुत जरूरी है। फिर पंजाब वाले कहेंगे कि इस वक्त इतना ही पानी हमारा है। इस वक्त पानी या तो जम्मू-काश्मीर से आ रहा है या हिमाचल प्रदेश से पंजाब के रास्ते से गुजर रहा है। थीन डैम बन जायेगा तो बरसाती पानी भी जमा होगा। उस वक्त हो सकता है कि डैम पर जिन रियासतों का पैसा लगेगा, जिन रियासतों का सर्माया लग रहा है, वे कह सकती हैं कि यह हमारा डैम है और इसका पानी इस्तेमाल करने का हक हमें भी होना चाहिए। लेकिन वह तो एक एप्रोच है, उसमें जजबात की कोई भी बात नहीं है। हम यह भी नहीं कहना चाहते जैसा कि इन्होंने कहा, काबुली साहब की स्पीच से मालूम होता था कि पंजाब को खुश कर दो, हरियाणा को भूल जाओ और बाद में उन्होंने कहा कि यह पंजाब और हरियाणा दोनो का मसला है। पंजाब के लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां की हैं। जब भी जरूरत पड़ी अपने वतन के लिए लड़े और आगे भी लड़ेंगे। यह भी ठीक है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो पंजाब में है उसको जिस कदर मदद की जरूरत है वह करनी चाहिए ताकि सिच्युएशन को वे काबू में ला सके, लेकिन पिछली हिस्ट्री में जाना और उसके मुताल्लिक कहना कि कौन क्या-क्या कहते रहे और कैसे ये हालात पैदा हुए—मेरे ख्याल से उससे भी कोई फायदेमन्द बात नहीं निकलेगी बल्कि यह तलखी बढ़ाने वाली बात ही होगी।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि थीन डैम पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए और उसको मैक्सिमम कैपेसिटी का डैम बनाया जाना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा मेकदार में पानी वहां पर जमा हो सके। थीन डैम में जम्मू-कश्मीर और पंजाब की जमीन आ रही है और हिमाचल प्रदेश की जमीन आ रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग उसमें बेघर हो जाएंगे और उनकी जमीनें भी चली जाएंगी। थीन डैम बनाने की जो प्लानिंग की गई वह अधूरी है उसमें बहुत जल्दी में फैसला किया गया कि इस डैम को बनाएंगे लेकिन जिन्होंने यह फैसला किया उन्होंने उसके सारे इम्पलीकेशंस देखे नहीं। इसलिए मैं अपने इरीगेशन मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि उनको इसके सारे इम्प्लीकेशंस देखने चाहिए। इसमें जितने लोग बेघर हो जाएंगे उनको आप सिर्फ कम्पेन्सेशन ही न दें बल्कि उनके रहने के लिए कहीं जगह नहीं होगी तो वह कहां जाएंगे ? उनको कोई जगह नहीं मिलेगी तो वे खाना-बदोश हो जाएंगे और आज के जमाने में आप किसी को खाना-बदोश नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी थीन डैम एथारिटी है, जिसमें आपका ज्यादा हाथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको ऐसे लोगों को बसाने का इन्तजाम करना होगा।

दूसरी मोटी यह है कि बात में बसौली जो कि एक बड़ा पुराना तारीखी कस्बा है, उस बारे में कहना चाहता हूं। इसका फासला थीन डैम से बीस किलोमीटर है, इस वक्त जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, उससे फासला 200 किलोमीटर हो जाएगा। जम्मू और कमुआ जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं। काम करने के लिए लोगों को वहां से आना पड़ेगा। यह उचित बात नहीं है कि बीस किलोमीटर की बजाय 200 कि०मी० चलने पर लोगों को मजबूर किया जाये। इस तरह का निर्णय लेने का हक किसी को भी नहीं है, न सैंट्रल गवर्नमेंट को है, न पंजाब गवर्नमेंट को है और न जम्मू-काश्मीर की सरकार को है। उसका एक ही इलाज है कि बसौली को पुल के जरिए पंजाब में जो भंटवा इलाका है, उससे इसको मिलाना होगा। यह थीन डैम अथोरिटी की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ डैम का किनारा होगा उस किनारे से औटोमैटिकली आने-जाने के रास्तों का काम लेना चाहिये और दूसरी तरफ आपको पुल बनाना होगा। डैम का काम नक्शा बनाकर शुरू नहीं हुआ। हालात के दबाव में फैसले किए गए हैं। इसलिए इसके क्या-क्या असरात हैं, इसको देखने की जरूरत है। इसलिए मैं इरिगेशन मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि एक जानकारों की कमेटी बनाकर इन सारी बातों को देखने की जरूरत है। खास करके जो बेघर हो जाएंगे उनको कहां बसाना है और कैसे बसाना है, उनके घर जमीन पानी में आएं, उससे पहले उनके लिए इन्तजाम करना होगा। पुल के बारे में भी आपको जल्द फैसला करना होगा। इस पुल को बना दें, तब जाकर थीन डैम बन सकता है। थीन डैम लोगों को आबाद करने के लिए है, न कि बर्बाद करने के लिए है। पंजाब वाले कह रहे हैं कि फ्लां हिस्सा अपना पानी के बगैर है उसे पानी चाहिए। और अब राजस्थान और हरियाणा भी कह रहे हैं। हमारे लोगों को पानी मिलना जरूरी है, जितने पानी की जरूरत है, वह सब लेना चाहते हैं। अगर लोगों को डुबोकर, उनकी जमीनों को डुबोकर, रास्ता काटकर, तारीखी कस्बे को बर्बाद करके थीन डैम बनेगा, तो वह किसी के हक में नहीं होगा। इसलिए इसका ख्याल रखना जरूरी है। मर्कजी सरकार और हमारे इरिगेशन मिनिस्टर को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, सदन में इन्टरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल पर विचार हो रहा है। यह पहले आर्डिनेंस आया था, उसके बदले में रावी-व्यास वाटर बिल के रूप में आया, उसको विद-ड्रा कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उसको क्यों विद-ड्रा कर लिया गया ? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। 1981 में तीन मुख्य मंत्रियों के बीच में जो एकार्ड हुआ था, उसको फिर क्यों दोहराया जा रहा है। इसका क्या कारण है ? क्यों लोंगोवाल-राजीव के बीच में हुए, जुलाई, 1985 में एकार्ड को अमल में लाने के लिए बिल में ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए संशोधन ला रहे हैं ? मैं पूछना चाहता हूं, उग्रवादी, आतंकवादी या हिंसावादी क्या पंजाब में पानी के लिए हिंसा कर रहे हैं ? क्या उनके लिए एम्पलायमेंट नहीं है ? क्यों हम एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी समस्या पैदा कर रहे हैं ? अगर पानी के लिए आतंकवादी या उग्रवादी ऐसे काम करते हैं, तो पानी के लिये हम राजस्थान और हरियाणा के लोगों को त्याग करने के लिए बोल सकते हैं। पंजाब की जनता देश की रक्षा के लिए है और पंजाब के बहुत से लोग सेना में हैं। बोर्डर स्टेट होने के कारण वे सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा करते हैं मगर सेना में हैं, इसलिये ज्यादा पानी दो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। पानी के बंटवारे का जो समझौता 1981 में हुआ था, वह अभी तक क्यों लागू नहीं हुआ। अब जो ट्रिब्यूनल बनने वाला है, वह एक रिकमेंडेटरी बोडी है, स्टेटूटरी बोडी नहीं है और स्टेटूटरी पावर्स उसके पास नहीं है और रिकमेंड करने के बाद अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो वह अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है और पहले जो बिल था, उसको वापस क्यों लिया गया। कुछ दबाव में आकर, कुछ पालीटिकल प्रेसर में आकर बिल को वापस लिया गया। अगर फैसला एकदम करना चाहते, तो बिल को पास करना चाहिये था और उस बिल के माध्यम से पूरे पानी का बंटवारा कर सकते थे मगर कुछ लोगों ने उस चीज को नहीं होने दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर फैसला उनके माफिक नहीं होता या ट्रिब्यूनल उनके माफिक रिकमेंड नहीं करता, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता, तो फिर कोर्ट में जा सकते थे और दोबारा उस मामले को उठाया जा सकता था। 1981 में एक बार फैसला होने के बाद, 1955 के बाद 1981 में फैसला होने के बाद, फिर इस चीज को ला रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा के मित्रों के हितों के खिलाफ अगर फैसला जाता है, तो वे कोर्ट में जा सकते हैं। अब यह बताते हैं कि देश की एकता के लिये, देश की रक्षा के लिये और नेशनल इनटेग्रेशन के लिये और पंजाब को अपने साथ रखने के लिए यह लाये हैं। खालिस्तान का नारा क्या पानी के बंटवारे से बन्द हो सकता है, पानी का बंटवारा क्या उग्रवाद को खत्म कर सकता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि चण्डीगढ़ पंजाब को देने से और ज्यादा पानी पंजाब को देने से उग्रवाद बन्द नहीं होगा। ये आतंकवादी और उग्रवादी अपने मूल तत्वों से प्रोत्साहन पाकर खालिस्तान के नारे लगाते हैं और विदेशियों से प्रोत्साहन लेकर यहां पर आते हैं और इस देश का बंटवारा करने के लिये बाहर की शक्तियां प्रयत्नशील हैं मगर उस बहाने को लेकर हमारे अकाली मित्र ज्यादा पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं और हरियाणा और राजस्थान के जो लेजीटीमेट राइट्स हैं, 1981 के जो उनके राइट्स हैं, उनके खिलाफ जाते हैं। इसके लिये हरियाणा और राजस्थान के लोग आन्दोलन शुरू कर सकते हैं चाहे वह आतंकवादी न हों मगर गांधी जी के सत्याग्रह की तरह एक शांतिपूर्वक आन्दोलन वे कर सकते हैं। मैं यही

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

कहना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या अगर चण्डीगढ़ और पानी के मसले की ही समस्या होती, तो अच्छा होता। यह चण्डीगढ़ और पानी का मसला नहीं है। इसके लिए एक पालीटिकल सोल्यूशन चाहिये। इसके पीछे कौन लोग हैं और वे क्या चाहते हैं और उनके लिये क्या बन्दोबस्त करना चाहिए। इसको किस प्रकार से हम बन्द कर सकते हैं। चण्डीगढ़ अगर समय पर पंजाब को दे देते, तो यह मसला हल नहीं हो जाता। चण्डीगढ़ हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आतंकवादी यह बोलते हैं कि चण्डीगढ़ आज दे दो, तो सब मसला हल हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है। किसके नेतृत्व में यह सब हो रहा है, यह समझ में नहीं आता। अकाली दल और लोंगोवाल के साथ समझौता हुआ और ऐसा सोचा गया था कि आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में खत्म होगा और खालिस्तान का नारा खत्म होगा, मगर जिन्होंने समझौता किया, उनकी हत्या हो गई और उसके बाद पंजाब में वारदातें और ज्यादा हो गई। एक हफ्ते से हम देखते आ रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को आतंकवादी मार रहे हैं। पहले चुन-चुनकर लोगों को मारते थे लेकिन अब बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। क्या चण्डीगढ़ के लिए उनको मार रहे हैं या पानी के लिए उनको मार रहे हैं। इस तरह से मनुष्यों के खून की नदियां बहती हैं। इसको कैसे हम बन्द कर सकते हैं, इसके लिए अलग दृष्टि से सोचना चाहिए और खालिस्तान के बारे में कोई पालीटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसके लिए सरकार को दूसरे ढंग से देखना चाहिए। पानी के डिस्प्यूट्स दक्षिण में भी चल रहे हैं। कावेरी का चल रहा है, तेलुगु गंगा का चल रहा है। ये सब राष्ट्र की, देश की सम्पत्ति हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी बड़ी नदियां नेशनल वाटर हों, नेशनल रीवर्स हों। इनके लिए राज्यों के बीच पानी की लड़ाई देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी नदियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में रखकर किस-किस राज्य को और किस प्रकार कितना-कितना पानी चाहिए, उसको देना चाहिए। आप उस पावर को रखकर ही देश की एकता को निभा सकते हैं।

3.00 म०प०

आप जानते हैं कि दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र में, उधर रीवर वैली के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये जगह-जगह झगड़े होते हैं? ये झगड़े क्यों होते हैं? इनका क्या कारण है? क्योंकि प्रोविजनल निर्णय होते हैं, क्योंकि कोई सेंट्रल बोर्ड नहीं है, कोई सेंट्रल कमेटी नहीं है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे देश में बड़ी-बड़ी नदियां हैं उन नदियों को राष्ट्र की सम्पत्ति के रूप में विकसित करें और किस राज्य को किस-किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पानी चाहिए, उसका निश्चय कीजिए। आप केवल कामचलाऊ निर्णय न करें। आप केवल प्रयोग करने के लिए निर्णय न करें। आपको स्थिर रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर पानी के डिस्ट्रिब्यूशन का सोल्यूशन निकालना चाहिए तभी यह समस्या हल हो सकती है। यदि आप पंजाब में आतंकवाद की दृष्टि से यह करना चाहते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ट्रीब्यूनल के माध्यम से भी कुछ कर सकते हैं तो भी उसके साथ हम हैं। मगर वह होने वाला नहीं है। इसके लिए पालीटिकल सोल्यूशन

होना चाहिए। अगर पंजाब के आतंकवादियों, अकालियों के दबाव में आकर कोई समझौता होता है और वह हरियाणा और राजस्थान के साथ हुए एग्रीमेंट के खिलाफ हो जाता है तो वह एक समस्या को छोड़कर दूसरी समस्या को उठाने की कोशिश की जाएगी।

3.01 म० प०

## दो एन-32 मालवाहक विमानों के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गहरे दुख के साथ में सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना के दो-एन-32 बिमान 22 और 25 मार्च, 1986 से लापता हैं। इन विमानों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है इसीलए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दोनों विमान उनमें सवार यात्रियों समेत नष्ट हो गए हैं। इस बारे में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। इस अवसर पर मैं लोक सभा को और इस सम्माननीय सदन की मार्फत राष्ट्र को तथा सशस्त्र सेनाओं को उन तथ्यों के बारे में सूचित करना चाहता हूं जो इन दो लापता विमानों के बारे में हमें मालूम है।

पहला ए एन-32 विमान लद्दाख क्षेत्र में वायु अनुरक्षा कार्य पर था। 22 मार्च, 1986 को सुबह 08.03 बजे यह पठानकोट वायु स्टेशन से उड़ा था। इस विमान में उसके चार कर्मियों के अलावा थल सेना के 14 कार्मिक और सीमा सड़क संगठन का एक अफसर सवार था। पठानकोट से जब यह 70 नॉटिकल मील और लगभग 25000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस समय पायलट ने खराब मोसम के कारण बेस पर वापस लौटने का फैसला किया था। उसके बाद विमान के साथ कोई सम्पर्क नहीं हो सका। इसके तुरन्त बाद वायु तथा भूमि गस्ती पार्टियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी परन्तु विमान या उसके मलबे का कहीं पता नहीं लगाया जा सका है। यह रिपोर्ट मिली है कि जब विमान के लापता होने की खबर मिली थी उस समय उस क्षेत्र में भारी बर्फ पड़ रही थी। सम्भवतः विमान बर्फ के नीचे दब हो गया होगा। इसकी तलाश अभी जारी है।

दूसरा ए एन-32 विमान सोवियत संघ से यहां की उड़ान पर था। जामनगर पहुंचने से पहले यह 25 मार्च को 13.28 बजे मस्कत से उड़ा था। विमान के कैप्टन से अंतिम बार सम्पर्क 14.45 बजे तब हुआ जब उसने सूचित किया कि विमान जामनगर 15.45 बजे पहुंच जाएगा। इसके बाद इस विमान के साथ, जो रडार की पकड़ से बाहर हो गया था, कोई रेडियो सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। विमान के पहुंचने का समय जब समाप्त हो गया उसी समय वायुसेना, नौसेना के विमानों तथा नौसेना और तटरक्षक संगठन के पोतों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सिविल अधिकारियों को भी इस बारे में सतर्क कर दिया गया। बम्बई से उड़ने वाले सभी विमानों से अनुरोध किया गया कि वे खतरे/आपात के संकेतों को पकड़ने की कोशिश करें। अभी तक इस

[श्री अरुण सिंह]

विमान का पता नहीं लगा है। तलाश जारी है। विमान में 3 कर्मीदल और 4 सहायक कर्मीदल सवार थे।

माननीय सदस्यों का इन दो अचानक और असम्भव दुर्घटनाओं के बारे में चिन्तित होना स्वाभाविक है इसलिए मैं भारतीय वायुसेना में इस विमान के शामिल किये जाने उसकी कार्यकुशलता और संचालन के इतिहास से आपके साथ सहभागी होना चाहूंगा।

वायुसेना के परिवहन बेड़े में पहले डकोटा, पैकेट और कैरिबाम विमान थे। पुराने पड़ गए इन विमानों के स्थान पर 10 किस्म के मध्यम परिवहन विमानों को जो सोवियत तथा पश्चिमी मूल के थे, मूल्यांकन किया गया। विस्तृत मूल्यांकन के बाद ए-एन-32 विमान लाने का फैसला किया गया जो भारतीय वायुसेना के मझोले दर्जे के परिवहन विमानों की गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप थे और अधिक ऊचाई वाले स्थानों से उड़ान भरने में सक्षम थे।

ए एन-32 एक सशक्त और दो टर्बो-इंजनों वाला विश्वसनीय विमान है। यह पूरी तरह दाबसह है और इसमें वैमानिकी के अति आधुनिक उपकरण लगे हैं। इसमें मौसम की जानकारी देने वाला रेडार लगा है। आधुनिक नौचालन प्रणालिया हैं और अल्प रेंज तथा दीर्घ रेंज की सशक्त रेडियो संचार सुविधाएं लगी हैं। इस प्रकार यह खराब मौसम में भी सही मार्ग संचालन कर सकता है। इन्स्ट्रमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा होने से यह बहुत कम दृश्यता पर भी हवाई अड्डों पर उतर सकता है।

ए एन-32 विमान भारतीय वायुसेना के मझोले दर्जे के परिवहन विमान बेड़े की रीढ़ है। पहला विमान जुलाई, 1984 में प्राप्त हुआ था। अब तक काफी बड़ी संख्या में ये विमान लाए गए हैं और ये नियमित स्क्वाड्रन सेवा में लगे हैं। इस बेड़े ने लगभग 23000 घंटों की उड़ान सेवा पूरी कर ली है। अब तक यह विमान दुर्घटनारहित होने का उत्कृष्ट रिकार्ड कायम कर चुका है। वायुसेना में शामिल किये जाने से अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है।

अतः इस समय इन दो विमानों के नष्ट होने के बारे में निश्चित रूप से कोई कारण नहीं दिया जा सकता। विमान में उड़ान के आंकड़े रिकार्ड करने के उपकरण और काकपिट ध्वनि रिकार्डर लगे हैं। इनके दुर्घटनाग्रस्त होने के स्थान का पता लगने पर रिकार्ड करने वाले उपकरणों के मिल जाने से सम्भवत: दुर्घटना के कारणों का पता लग सकेगा। इन दोनों विमानों के लापता होने की जांच करने के लिए जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं। इनके अचानक लापता होने के बारे में जो भी सुराग मिलेगा उसकी जांच की जाएगी।

निष्कर्षत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन दो विमानों की दुर्घटना से प्रभावित कार्मियों के परिवारों के साथ उनके दुख की इस घड़ी में सहानुभूति प्रकट करें।

3.07½ म० प०

## रावी व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
## तथा
## अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक (—जारी)

[हिन्दी]

**श्री बीरबल** (गंगानगर) : सभापति महोदय, आज अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक सन 1986 पर चर्चा हो रही है। मैं इसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। रावी-व्यास जल अधिकरण विधेयक 1986 में अगर रावी-व्यास के पानी में से राजस्थान के हिस्से में कोई कमी की गई तो राज्य के, विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तानी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में यह विपरीत प्रभाव डालेगी और इसको राजस्थान की जनता कभी मंजूर नहीं करेगी।

3.08 म० प०

[**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए**]

रावी व्यास के उपलब्ध 17.17 मिलियन एकड़ फुट पानी में से राज्य को उसका 8.60 एम ए एफ हिस्सा मिलेगा और जब उपलब्धता 17.17 एम ए एफ से कम होगी तब राज्य को 52.69 प्रतिशत पानी मिलेगा। अब जबकि संसद रावी व्यास अधिकरण कानून बनाने जा रही है तब इस प्रकार के कानून की शब्दावली इस प्रकार की होनी चाहिए कि पानी की सुरक्षा के बारे में राजस्थान कानूनी शब्दों में आश्वस्त हो। सन 1955 से लेकर अब तक रावीं व्यास के पानी के बंटवारे के मुख्य विवाद पंजाब व हरियाणा के बीच है। अत: पंजाब समझौते में राजस्थान का उल्लेख नहीं होना चाहिए था। अब चूंकि पंजाब समझौते के अनुच्छेद 9 (1) में राजस्थान का नाम भी है, अत: राजस्थान से सम्बन्धित सिंचाई एवं उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा की पुष्टि ही की जानी चाहिए तथा उसके 8.60 एम ए एफ और 52.69 प्रतिशत पानी की मात्रा को ज्यों का त्यों रखा जाना चाहिए।

रावी-व्यास जलाशय के निर्माण पर करोड़ों रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है। राज्य ने इस कार्य की लागत का अपना 52.69 प्रतिशत हिस्सा दे दिया है। इस पानी के लिए राज्य ने विश्व की सबसे बड़ी तथा हजारों किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण किया है। अब अगर राज्य के हिस्से के पानी में किसी प्रकार की कमी की तो विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

इतना ही नहीं जो नई नहर सिद्धमुख व नोहर केनाल निकाली जानी है, उस पर भी प्रभाव

[श्री बीरबल]

अवश्य पड़ेगा। वहां के काश्तकार लम्बी आशा लगाए हुए बैठे हैं कि ये नहरें कभी हमारे खेतों को हरा-भरा करेंगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि पिछड़े प्रदेश राजस्थान के हितों की रक्षा की जाए।

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, यदि देखा जाए तो इस इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिल को लाने का उद्देश्य पंजाब और हरियाणा के बीच झगड़े को समाप्त करना है लेकिन पानी की मांग की राजनीति में राजस्थान को बीच में घसीटा गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन दोनों राज्यों के बीच चाहे जो भी झगड़ा है, चाहे वह गांवों का झगड़ा है, नगर का मामला है अथवा किसी चीज के बंटवारे का प्रश्न है, सब में राजस्थान को घसीटा जाएगा, आप उसकी तरफ ध्यान दें। अब तो पंजाब की ओर से कहा जाने लगा है कि पानी में राजस्थान का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि वह रिपेरियन स्टेट नहीं है। इस तरह की बचकानी बातें कहना, मैं समझता हूं कि बहुत गलत है क्योंकि पंजाब के कट्टरपंथी राजनीतिक लोगों को सिर्फ पानी का बहाना दिखाई देता है और इसके जरिए, पंजाब के भीतर जो दूसरे उदारवादी नेता हैं उनको वे पीछे धकेलना चाहते हैं और अपना राजनैतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इन सब बातों को हमें नजर में रखना चाहिए और इस प्रकार पुराने समझौतों को बार-बार खोलने से अशान्ति बढ़ती ही जायेगी। उसके परिणामों की तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए।

जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान के हित पहले हुए दो समझौतों से तय हो चुके हैं—पहला समझौता 1955 में हुआ था और उसके 5 साल बाद इंडस वाटर ट्रीटी हुई। उससे राजस्थान का हिस्सा तय हो गया। अब जब केन्द्र सरकार यह नया बिल लेकर सदन में आई है, उसमें भी यह साबित करने की कोशिश की गई है कि जो रावी-व्यास का पानी पूरे सिन्ध क्षेत्र के रेगिस्तानों की समस्या को हल करने के लिए पाकिस्तान से मांगा गया था, और उसके बदले में केन्द्रीय सरकार की ओर से 11 करोड़ रुपया दिया गया था, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह पानी किसी एक राज्य विशेष का नहीं है और कोई एक राज्य उस पर अपना दावा नहीं कर सकता, रिपेरियन स्टेट बताते हुए अपना अधिकार नहीं बता सकता। इन तीन नदियों के झगड़े में, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि तीनों ही नदियां अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती हैं। यदि उस पर अकेला पंजाब ही दावा करे कि यह सारे का सारा पानी हमारा है, लेकिन पंजाब को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1960 में जो इन्डस वाटर ट्रीटी हुई थी, वह राजस्थान के मामले को ही लेकर हुई थी, इसलिये उनका बार-बार पुराने हुए समझौतों को खुलवाने की मांग करना और हर बार बढ़ा-चढ़ाकर मांग करना, गलत है। उस समय रावी और व्यास के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ, राजस्थान उसमें हमेशा एक पार्टी रहा है और कुल इन्डस बेसिन के 3 लाख 21 हजार स्क्वैयर किलोमीटर के एरिये में, राजस्थान का 15 हजार स्क्वैयर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया भी शामिल है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने सैंकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंजाब में कॉमन कन्सट्रक्शन का कार्य किया है, रावी-व्यास के पानी को लेने के लिये उसने बहुत पैसा खर्च किया

है। राजस्थान ने दुनिया की इस सबसे बड़ी नहर के पानी को काम में लेने के लिये यह सब कुछ किया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हजारों किलोमीटर का है। इतना सब कुछ करने के बाद, आज यदि राजस्थान के हितों पर कोई कुठाराघात किया जाता है, एक तरफ तो हम करोड़ों रुपया खर्च करके, अपने दूसरे विकास के कामों को रोक कर, नहर बना रहे हैं, दूसरी तरफ उसको पानी से रहित कर देना, पानी की मात्रा कम कर देना, पानी की कटौती कर देना, वह मैं समझता हूं कि उस राजस्थान के सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाके के ऊपर बड़ा कुठाराघात होगा। दिनांक 31-12-1981 को तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने 17.17 एम० ए० एफ० पानी के बंटवारे पर हस्ताक्षर किये हैं और उसी के अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी खेतों तक ले जाने के लिये सारे इंतजाम किए...

पंजाब की अकाली दल की ये सरकार और वहां के आतंकवादी लोग, जो विघटनकारी तत्व भी हैं, इस समझौते को खुलवाने की बार-बार और हमेशा बात करते हैं, जो मेरी दृष्टि में कतई अनैतिक है, गैर-कानूनी है, क्योंकि पंजाब में एक ही मसला नहीं है, कई मसले हैं। कई मसलों को लेकर आग लगी हुई है। जब ऐसे हालात हो रहे हैं कि पंजाब का कोई भी एक आदमी, चाहे पंजाब के प्रेजेण्ट चीफ मिनिस्टर, कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर कोई समझौता कर लें, तो उस समझौते के खिलाफ भी वहां पर आवाज नहीं उठे और दुबारा उस समझौते को खोलने के लिए प्रयत्न न हों। क्योंकि अगर आज कोई समझौता वहां हो जाए, तो फिर कोई दूसरे साहब आ जाएंगे और उस समझौते को गलत बताएंगे और अमान्य घोषित कर देंगे और ऐसी स्थिति में वहां पर फिर वही आगजनी, लूटमार और कई तरह की बातें चलेंगी। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

मान्यवर, रावी-व्यास का पानी राजस्थान में जहां लगता है वह भयंकर सूखे से ग्रसित रहने वाला इलाका है, जहां बरसात बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है तथा पीने के पानी की भी बहुत जबर्दस्त कमी है और वाटर लेवल कई कई जगह पांच सौ फीट से भी नीचे चला गया है जबकि पंजाब में काफी बरसात होती है, वाटर लॉगिंग भी काफी होती है और वाटर लेवल भी बहुत ऊंचा है तथा वाटर टेबल भी ठीक है। आंकड़े देखने से पता लगता है कि करोड़ों रुपये वाटर लागिंग से बचने के लिए ड्रेन की खुदाई वगैरह के लिए पंजाब में खर्च लिये जा चुके हैं और कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई जा रही है और इसी पानी को काम में लाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है इस उम्मीद में कि राजस्थान को उसके हिस्से का 8.60 एम० ए० एफ० पानी हमेशा मिलता रहेगा और फिर यह ट्रिब्यूनल बना करके और दुबारा से यह सारा निर्धारण करना तथा 1-7-85 की स्थिति को देखना, ये सब ऐसी बातें जिनसे हरियाणा और खासकर राजस्थान, इन दोनों के हितों पर आंच आ सकती है। इसलिए मेरा केन्द्र के सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मेरे दो-तीन प्रश्न हैं, जो राजस्थान की जनता में बहुत विवाद का विषय बने हुए हैं, इनका दृष्टिकोण वे अपने जवाब में दें। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि झगड़ा हरियाणा और पंजाब का है, तो राजस्थान को खण्ड 9 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने के लिये क्यों बाध्य किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि न्यायाधिकरण के निर्णय से 1955 और 1981 के समझौते तो नहीं खुलेंगे या खुलेंगे और तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के हिस्से

[श्री शान्ति धारीवाल]

में जो 86 लाख एकड़ फीट पानी देने की बात है इस पर तो कोई आंच नहीं आयेगी तथा उसी प्रकार से इस 8.60 परसेंटेज के पानी में कोई कमी तो नहीं आयेगी। राजस्थान के हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इस प्रकार का आश्वासन आप राजस्थान सरकार को दें। एक जुलाई, 1985 को उपयोग किये गये पानी के सत्यापन की क्या आवश्यकता है और आखिरी सवाल मेरा यह है कि रोपड़, हरीका तथा फिरोजपुर के हैडवर्क्स पर केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार के कंट्रोल को हटा कर भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को कब तक देने का विचार रखती है? मेहरबानी करके सिंचाई मंत्री महोदय से, सभापति महोदय मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये प्रश्न काफी विवाद के कारण राजस्थान की जनता में बने हुए हैं, वे अपने जवाब में इन बातों का खुलासा करें।

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़)** : माननीय सभापति महोदय, मैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेण्डमेण्ट बिल का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

मान्यवर, हमें पूरी आशा है कि इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से राजस्थान प्रान्त को अवश्य न्याय मिलेगा और खास तौर से हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी के हाथों में हम चाहते हैं कि सभी प्रान्तों का हित सुरक्षित होगा। फिर भी मान्यवर, राजस्थान की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी ओर प्रकाश डालना कुछ आवश्यक है।

मान्यवर, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश का दूसरा प्रान्त हैं, जहां पर पानी की कमी और भयंकर अकाल की एक महत्वपूर्ण समस्या बनी रहती है। रावी-व्यास के पानी के बारे में जो 1955 में समझौता हुआ था, उसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 52.6 प्रतिशत था। यह समझौता इसी उद्देश्य से किया गया था कि राजस्थान जैसे पिछड़े हुए और सूखे प्रान्त के लिये पानी उपलब्ध हो सके। नदियां किसी एक प्रान्त विशेष की या किसी समूह विशेष की सम्पत्ति नहीं होती हैं, नदियों का पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और राष्ट्र के हर पिछड़े हुए व्यक्ति का उस पर अधिकार है। इसी उद्देश्य से जो समझौता किया गया था, उसके बारे में बार-बार खोलना, उसका जिक्र करना, राजस्थान जैसे प्रदेश की शांतिप्रिय जनता के साथ एक बड़ा अन्याय है। मैं सोचती हूं कि ट्रिब्यूनल अवश्य न्याय करेगा और उसके सामने जो पक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, वह सही मायने में राजस्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किये जायेंगे।

1960 में पाकिस्तान के साथ सिन्धु घाटी नदी के बीच जो पानी का समझौता हुआ था, उसमें हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने खास तौर से इसके बारे में सोचा था, और राजस्थान के मरु प्रदेश की समस्या खासतौर से ध्यान में रखी गई थी। इसी कारण राजस्थान कैनाल बनी और उस पर 2 हजार करोड़ रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं। यह राजस्थान कैनाल आज इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानी जाती है, और श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति को अपने में संजोये हुए है। इंदिरा जी की इच्छा थी, कि राजस्थान वर्षों से सूखा प्रान्त है जहां लोगों को पीने का पानी भी

उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए यह राजस्थान कनाल जो कि उद्देशीय महत्वाकांक्षी परियोजना है, नदी-घाटी योजना है, इससे उस प्रान्त को हरा-भरा कर दिया जायेगा और वहां के प्यासे लोगों को पानी मिल सकेगा। इस पर हमने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को काटकर, हम यह कहें कि राजस्थान के लोगों का पेट काटकर, इस योजना को सींचा था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस योजना से राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए, अगर वह पानी नहीं मिलता है तो राजस्थान-वासियों के साथ यह घोर अन्याय होगा।

आज पंजाब के हिस्से के बारे में जो बात उठाई जाती है, और फिर से बार-बार कहा जाता है कि 1955 में जो समझौता हुआ था, उसमें 52.6 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का था, यह एक तरह से चुनौती है, राजस्थानवासियों के दबाने की बात कही जाती है या पानी को कम किया जाता है। इस तरह से अगर राजस्थान के हिस्से को दबाया गया तो यह बहुत ही अकथनीय और अपूर्णीय क्षति राजस्थान की होगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान के व्यक्ति शांतिप्रिय जरूर हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

ट्रिब्यूनल के सामने जो सारे फैक्ट्स रखे जायेंगे, उसमें पंजाब और हरियाणा की आवश्यकता रहेगी। पंजाब और हरियाणा का हमेशा ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहा है। पंजाब और हरियाणा ने, राजस्थान पर जब-जब विपत्ति आई है, अकाल की परिस्थितियां रही हैं तो उसको आर्थिक रूप में या अन्न के रूप में सहायता दी है। मैं समझती हूं कि हमारे जो पड़ोसी प्रान्त हैं, जिनका आपस का भाई-भाई का सम्बन्ध है, उसके साथ कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि रावी-व्यास के पानी के जो हैडवर्क्स हैं, उनका कन्ट्रोल आज भी पंजाब के हाथ में है। जब कभी पंजाब चाहता है, अतिरिक्त पानी होता है तो राजस्थान को पानी दे देता है, नहीं होता है तो नहीं देता, इस प्रकार से सूखे प्रान्त राजस्थान में पानी नहीं आता है।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार यदि इस काम को एक स्वतन्त्र संस्था को सौंप दे तो अच्छा होगा। अगर भाखड़ा विकास नियंत्रण बोर्ड को पानी के कंट्रोल का मामला सौंप दे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि इससे राजस्थान का हिस्सा सुरक्षित रहेगा।

हमारे प्रधान मंत्री राजस्थान की मुश्किलों को अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि राजस्थान के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि ट्रिब्यूनलों से जो भी फैसला किया जायेगा उसमें हरियाणा तथा पंजाब दोनों राजस्थान को अपना भाई मानते हुए, उसका पूरा हिस्सा देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं सरकार द्वारा 24 जनवरी 1986 को जारी किये गये अध्यादेश पर भारी आपत्ति करता हूं पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद का छः महीने का बहुमूल्य समय खो दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जब सत्ताधारी दल पंजाब समझौते का लाभ उठाना चाहता है। लेकिन वह समझौते को वास्तव में क्रियान्वित नहीं करना चाहते और इसी कारण असामान्य देरी हुई है और इसलिए 26 जनवरी के दो महीने बाद भी चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दे सके। उत्तेजित पंजाबी लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए सरकार इस अध्यादेश को लायी है।

कई बार रावी व्यास जल के बंटवारे के सम्बन्ध में निर्णय लिए गए थे। क्योंकि कई सदस्यों द्वारा इसका उल्लेख किया गया है अतः मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसे स्पष्ट करने के लिए यह कहना काफी है कि पंजाब बंटवारा होने से पहले एक समझौता हुआ था। पंजाब बंटवारे के बाद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था और फिर जब कुछ राज्यों द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया था। तब प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जीवित थीं। तब सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। लेकिन फिर भी समझौता क्रियान्वित नहीं किया गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नवीनतम समझौता भी लागू नहीं किया गया। इसका दायित्व भारत सरकार के कन्धों पर है अगर पंजाब इस महत्वपूर्ण नहर के मार्ग के सम्बन्ध में जो कि हरियाणा को पानी देती है, अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेता तो यह भारत सरकार का दायित्व हो जाता है कि इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय करे और देखें कि इस काम में कुछ प्रगति हुई है या नहीं लेकिन दुर्भाग्यवश वह समझौता या समझौते की भावना को सक्रिय नहीं रखा गया था और श्रीमन फिर पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नहर का कार्य रुक गया है। यह काम बिल्कुल ठप्प पड़ा है क्योंकि पंजाब के किसानों और कुछ राजनीतिक दलों ने नहर के कार्य में और उसके प्रस्तावित समरेखण कार्य में रुकावटें डाल रहे है। समझौते की शर्तों के अनुसार राजस्थान का क्या हाल होगा स्पष्ट नहीं है।

थार रेगिस्तान के पास इस नहर से लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी अतः मुझे इसकी महत्ता पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल राजस्थान राज्य का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का हित है। नहर द्वारा सिंचाई से थार रेगिस्तान को कम किया जा सकता है मैं मन्त्री जी को यह स्पष्ट करने का सुझाव दूंगा कि वास्तव में सरकार की क्या राय है ? क्या वह राजस्थान के आबंटित जल को लेगें जिसका समझौता श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय के दौरान हुआ था।

जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, तीसरे समझौते के माध्यम से हरियाणा का जल 3.5 एम ए एफ तक रखा गया था। जबकि पंजाब के आबंटित जल को 3.5 एम ए एफ से बढ़ाकर 4.2 एम ए एफ कर दिया गया है यद्यपि हरियाणा ने इस नहर की खुदाई के लिए बहुत सी धन राशि खर्च

की थी। लेकिन अभी तक वह आवंटित जल का लाभ नहीं उठा सका है और हम देखते है कि इन विषयों में भारत सरकार के विचार अस्थिर हैं। अगर राज्य सरकारें आपस में सहमत नहीं होती हैं, अगर एक राज्य सरकार समझौते को और न्यायाधिकरण के फैसले को लागू नहीं करती है तो इसका अर्थ है कि उसका विचार दृढ़ नहीं है भारत सरकार की ओर से लापरवाही स्पष्ट है। कृष्णा नदी जल न्यायाधिकरण के मामले में जबकि न्यायाधिकरण ने जल का आबंटन कर दिया था और विशेष रूप से कहा है कि इस मामले को 2000 वर्ष तक दुबारा नहीं खोला जा सकता तो फिर उसमें कुछ गलतफहमियां हैं। यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सम्बन्धित राज्यों को बताए कि यह न्यायालय का फैसला है और उन्हें इसे मानना ही पड़ेगा। ऐसा करने के बजाय वह न्यायाधिकरण के कार्य में रुकावट डाल कर बिना कारण देरी करते है जो न तो राज्य के हित में है और न ही राष्ट्र के हित में। मैं सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम इस निर्णय को, जो न्यायाधिकरण द्वारा दिया जा रहा है, भारत सरकार पूरे निश्चय के साथ क्रियान्वित करने की कोशिश करे अन्यथा सभी प्रयास व्यर्थ हो जायेंगे ।

**जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : सबसे पहले मैं पक्ष एवं विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और इस विधेयक के सभी उपबन्धो को एकमत से समर्थन दिया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यो, वास्तव में पूरे सदन का आभारी हूं, जिन्होंने न केवल रावी-व्यास जल के बटवारे के विवाद को निपटाने के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है अपितु देश की एकता और अखंडता, शांति और विकास और नदियों के जल के अंतर्राज्यीय बंटवारे के पूर्ण उपयोग के प्रति भी अपनी चिन्ता प्रकट की है। कुछ सदस्यों ने यहां तक भी कहा है कि जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति समझना चाहिए।

सदन को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को कृतज्ञतापूर्वक याद रखना चाहिए जिन्होंने पंजाब के लिए विशेष रूप से और साथ ही पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के भी आभारी हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई नीतियों को राष्ट्र के हित में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा साहस दिखाया है।

राजीव-लोंगोवाल समझौता संसद में तथा संसद से बाहर आम जनता में और समाचार पत्रों में चर्चा का विषय रहा है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सदन के भीतर तथा बाहर दोनों जगह इसे कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है। इक्का-दुक्का मामले इससे अलग भी हो सकते हैं किन्तु वे इतने मजबूत नहीं हैं। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं जो केवल तीन खंडों का छोटा सा विधेयक है किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह उस दिशा में एक और कदम है जो हमने विश्व को समझौते के कार्यान्वयन के प्रति अपनी दृढ़ता दर्शाने के लिए पकड़ी है। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे सभी बातें तर्कसंगत नहीं

[श्री० बी० शंकरानन्द]

है। मैं कहता हूं कि जहां तक समझौते का सवाल है वे तर्कसंगत हैं किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक समझौते के पूरे पैरा 9 तक ही सीमित नहीं है, ये केवल समझौते के पैरा 9.1 और 9.2 की क्रियान्विति से सम्बन्धित है, पैरा 9.3 भी नहीं जो सतलज-यमुना सम्पर्क नहर से संबंधित है।

मैं सदन का समय खराब न करने के लिए माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं कहूंगा। उन्होंने कुछ ऐसी बातें उठाई हैं जिनका विधेयक के साथ कोई सीधा-सम्बन्ध नहीं है। विधेयक के उपबंधों को भली प्रकार समझने के लिए हमें विधेयक के उद्देश्य को जानना होगा। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम किस विषय पर विचार कर रहे हैं और न्यायाधिकरण किस उद्देश्य से नियुक्त किया जा रहा है। उसके लिए मुझे सबसे पहले सदन को यह समझाना होगा कि यह समझौता क्या है और उसके कौन से भाग को हम इस विधेयक के माध्यम से कार्यान्वित करना चाहते हैं। इस समझौते में लगभग 11 महत्वपूर्ण बातें हैं किन्तु यह विधेयक समझौते के पैरा 9.1 और 9.2 से ही संबंधित है। यह सही है कि पैरा 9.1 और 9.2 में एक अथवा दूसरे राज्य के लिए कुछ जोड़ने अथवा हटाने के मामले में बहुत विवाद रहा है। किन्तु यह समझौता बहुत स्पष्ट है। इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। मैं समझौते का पैरा 9.1 उद्धृत करता हूं। पैरा 9 नदी के जल के बंटवारे के बारे में है, पैरा 9.1 इस प्रकार है :

"पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान उतना पानी प्राप्त करते रहेंगे जितना वे रावी-व्यास जल व्यवस्था से 1-7-1985 को प्राप्त कर रहे थे। पीने के पानी की व्यवस्था भी अप्रभावित रहेगी। नीचे पैरा 9.2 में बताए गए न्यायाधिकरण द्वारा यह सत्यापित किया जाएगा कि कितना पानी प्रयोग में लाया जा रहा था।"

इसमें कुछ अस्पष्ट नहीं है। मुझे किसी भी वाक्य में कोई अस्पष्टता नहीं मालूम पड़ती। इस पैरा में केवल 4 वाक्य हैं और वे इन राज्यों के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि वे कम से कम उतना पानी प्राप्त करते रहेंगे जितना वे 1-7-1985 को प्राप्त कर रहे थे। इसमें यह नहीं कहा गया कि चाहे कुछ भी हो उन्हें केवल इतना ही पानी मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कहा गया। उससे आगे इसमें कहा गया है कि 'पीने के पानी भी व्यवस्था अप्रभावित रहेगी।" ये बात केवल दो राज्यों के लिए नहीं कही गई है। अन्य राज्यों जैसे जम्मू-काश्मीर और दिल्ली में भी पीने के पानी की व्यवस्था वैसी ही रहेगी। वे भी यह पानी प्रयोग करते रहे हैं··· (व्यवधान) निश्चित रूप से वे भी इसी पानी का प्रयोग करते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें इस देश के भविष्य के बारे में निराशावादी नहीं होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी के हाथों में इस देश का भविष्य उज्ज्वल है। हमें ऐसी ही आशा करनी चाहिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और जहां तक इस देश के उज्ज्वल पक्षों का संबंध है, हमारी दृष्टि धुंधली नहीं होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए।

हमें प्रसन्न रहना चाहिए और जो भी समस्यायें हों उनका हल एकता, मैत्री, सहयोग और

भाईचारे के माहौल में करना चाहिये। आखिर हम सभी भाई-भाई हैं। सद्भावना के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि प्रयोग की मात्रा सत्यापित की जाएगी ? इसमें यह नहीं कहा गया कि किसी राज्य द्वारा कोई दावा किया जाएगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों ने समझौता पढ़ लिया होगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या जम्मू-काश्मीर अथवा कोई भी राज्य हो, घरेलू औद्योगिक अथवा पीने के लिए या सिंचाई के लिए कोई भी आवश्यकता हो। इसमें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। इस वाक्यांश में कहा गया है कि प्रयोग की बताई गई मात्रा पैरा 9.2 में बताये गए न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित की जाएगी। अब कृपया इसे समझने की कोशिश करें ताकि सभी संदेह दूर हो सके। अब पैरा 9.2 में क्या कहा गया है ? इसमें कहा गया है :—

> "9.2 बचे हुए पानी के सम्बन्ध में पंजाब तथा हरियाणा के हिस्से के दावे की जांच एक न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश करेगा और इस न्यायाधिकरण का निर्णय 6 माह के भीतर दिया जाएगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।"

इस सदन में अनेक संदेह व्यक्त किए गए हैं। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि अस्पष्टता कहां है (व्यवधान)। मैं माननीय सदस्यों की राजस्थान के प्रति चिंता को समझता हूं। मैं माननीय सदस्यों को जितना समझा कर कह सकता हूं उतना कह रहा हूं। इसमें कहा गया है कि इस न्यायाधिकरण का निर्णय छह माह के भीतर दे दिया जाएगा और यह दोनों पक्षों को मान्य होगा।' इसके बाद इसमें कहा गया है कि इस सम्बन्ध में 'सभी आवश्यक कानूनी और संवैधानिक कदम शीघ्र उठाए जाने चाहिए।'

अब, खंड 9.3 का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। यह विधेयक समझौते के खंड 9.3 के कार्यान्वियन के लिए अथवा इस हेतु आवश्यक कानूनी उपबंध करने के लिए नही है। इसका इस विधेयक से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैं समझौते के अविलम्ब कार्यान्वियन के लिए सदन के माननीय सदस्यों की चिंता को समझता हूं। कुछ सदस्यों ने यह भी शिकायत की है कि यह विधेयक अथवा अध्यादेश लाने में विलम्ब किया गया है। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि हम यह विधेयक अथवा अध्यादेश तत्काल क्यों नहीं लाये। मेरे विचार में सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। हम समझौते का कार्यान्वयन करना चाहते हैं। इस सदन में अथवा इससे बाहर, पंजाब में या हरियाणा में कहीं भी इस समझौते के विरोध में कुछ नहीं कहा गया। इस सदन में जो चिंता व्यक्त की है वह है इसके शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में। महोदय, देश में वर्तमान कानून क्या है ? इन सभी बातों के कार्यन्वियन के लिए कोई कानून होना आवश्यक है। कानून के बिना कोई समझौता लागू नहीं किया जा सकता और वर्तमान कानून केवल 1956 का—अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम है। यह अधिनियम इस समय मेरे पास है। इसमें कहा गया है कि जब तक किसी राज्य से कोई निर्देश न प्राप्त हो तब तक एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद के बारे में किसी समझौते को क्रियान्वित करने में इस कानून से किसी प्रकार की मदद नहीं ली जा सकती। 1956 के अधिनियम के उपबंध किसी काम नहीं आ सकते जब

[श्री बी० शंकरानन्द]

तक कि कोई राज्य भारत सरकार के पास यह शिकायत न लेकर आये कि 'हमारा यह विवाद है इसे आप किसी न्यायाधिकरण को सौंप दें और ये मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना है।' अब सदन यह भली प्रकार समझ सकता है कि एक ओर तो समझौता लागू करना है और दूसरी ओर इसे लागू करने का कोई साधन नहीं है जब तक कि किसी राज्य द्वारा इसके लिए अनुरोध न किया जाये। स्वाभाविक है कि केन्द्र अत्यन्त उत्सुक है और हमें यह कहना पड़ता है कि 'हां हमें अवश्य कानून बनाना चाहिए, हमें यह समझौता लागू करने के लिए संसद से प्राधिकार प्राप्त करना होगा।' कुछ समय के लिए हमने यह सोचा कि हम ऐसा संविधान के अनुच्छेद 248 की अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत कर सकते हैं। इस समय जो भी सूची 1, 2 या 3 में और यहां तक कि यह सूची 1 या 2 में नहीं आता उसे आप प्रविष्टि 97 के अन्तर्गत ला सकते हैं।

अब कुछ सदस्य इस भ्रम में हैं कि संविधान के उपबंध केवल अन्तर्राज्यीय जल के बारे में हैं और इसकी अवधारणा केवल तटवर्ती राज्यों के लिए है। शब्द 'तटवर्ती' न तो प्रविष्टी 97 में या 56 में, ना ही संविधान के अनुच्छेद 262 की सूची-दो की प्रविष्टि 17 में प्रयोग किया गया है क्या मैं संविधान का अनुच्छेद 262 उद्धृत कर सकता हूं ? (व्यवधान)। संविधान के अनुच्छेद 262 में 'तटवर्ती राज्य' नहीं कहा गया। यह बात मैं विशेष रूप से बता रहा हूं ताकि सदन को यह मालूम हो सके कि राजस्थान को किस प्रकार जल प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में अनुच्छेद 262 में कहा गया है कि 'अन्तर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के जल के सम्बन्ध में विवाद का न्याय निर्णयन, इसमें केवल अन्तर्राज्यीय नदियों के बारे में नहीं कहा गया बल्कि नदी घाटियों के बारे में भी कहा गया है। मैं बाद में बताऊंगा कि राजस्थान किस प्रकार एक नदी घाटी-सिंधु थाले का एक हिस्सा है — यह एक नदी थाला है। (व्यवधान)

अनुच्छेद 262(1) इस प्रकार है—

"संसद विधि द्वारा, किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी।"

जहां तक अनुच्छेद 262 (1) का सम्बन्ध है इसमें केवल 'जल-विवाद' अभिप्रेत नहीं है अपितु 'नदी घाटी जल' भी अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 262(2) में कहा गया है—

"(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि न तो उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी

विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।"

अब हम 1955 की बात करते हैं जब हमने समझौता किया था। 1960 में हमने विश्व बैंक समझौता किया था, मेरा मतलब है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु-जल संधि 1960। मैं उस संधि की प्रस्तावना उद्धृत करना चाहता हूं जो कि दो देशों के बीच में है—भारत द्वारा पूर्वी नदियों और पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी नदियों के जल के लिए की गई है और हमने किस आधार पर इन नदियों का जल प्राप्त किया है। पृष्ठभूमि के विस्तार में न जाते हुए मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जिन्होंने विश्व बैंक के समक्ष भारत के पक्ष की वकालत की थी, उन्होंने यह दलील दी थी कि यह जल हमें राजस्थान के शुष्क क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए चाहिए और इसके बिना हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंधु जल संधि 1960 पर भारत की महानतम विभूति श्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां ने हस्ताक्षर किए थे। मैं प्रस्तावना उद्धृत करता हूं :—

> "भारत सरकार तथा पाकिस्तान की सरकार ने सिंध नदियों के जल के पूर्ण एवं संतोषजनक उपयोग के लिए समान रूप से इच्छा रखते हुए तथा आवश्यकता महसूस करते हुए एवं इसके लिए सद्भावना तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रत्येक (प्रत्येक देश) के दूसरे के प्रति, इस जल के उपयोग, तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी प्रश्नों के निपटान के लिए उपबंध करने के लिए, जो कि इस प्रकार किए गए उपबंधों को लागू करने के संबंध में उठें, दूसरे के प्रति अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करने के लिए तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक समझौता करने का निर्णय किया है और इसके लिये अपने-अपने पूर्णाधिकारियों के नाम दिए हैं :
>
> भारत सरकार
>
> श्री जवाहर लाल नेहरू, प्रधान मंत्री
>
> तथा पाकिस्तान सरकार
>
> फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति।"

इस प्रकार सिंचाई हेतु यह जल हमारे देश को इस जल के लिये हमारे देश द्वारा दलील देने पर प्राप्त हुआ। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। मुझे यह बताने का अधिकार है कि राजस्थान ···(व्यवधान) राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता अधिक जल प्राप्त करने का मुख्य आधार था। अतः जहां तक सिंधु संधि का संबंध है यह अन्तर्राष्ट्रीय संधि का एक भाग है। इसकी यह पृष्ठभूमि है।

इसके बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। भाखड़ा और व्यास प्रबंध तंत्र बनाया गया।

[श्री बी० शंकरानन्द]

इसे कुछ कर्तव्य सौंपे गए थे—कुछ हैडवर्क्स की देखभाल, जिन पर कि राज्यों के बीच विवाद का सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं इन पहलुओं को नहीं लेना चाहता क्योंकि इस विधेयक द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों में संशोधन नहीं किया जा रहा। कुछ सदस्यों ने यह मामला नहीं उठाया है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण क्यों नहीं नियुक्त किया गया। अधिनियम में न्यायाधिकरण की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। अतः उस अधिनियम से कभी कोई मदद नहीं मिली है।

विधेयक में खण्ड 2 अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा 1956 के अधिनियम में एक और धारा जोड़ने का प्रस्ताव है। 1956 के अधिनियम में 13 धाराएं हैं तथा अंत में 14वीं धारा जोड़ी जा रही है। सरकार का मत है कि यह विवाद अन्तर-राज्य नदी जल तथा नदी घाटी के बारे में है। सभा के समक्ष वर्तमान विधेयक में खंड-2 द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण धारा 14 जोड़ने का विचार है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"इस अधिनियम के पहले उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी।"

इस अधिनियम से अभिप्राय है :

"इस अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायाधिकरण गठित कर सकेगी।"

इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई विवाद पैदा होने पर अथवा किसी अन्य राज्य द्वारा कहे जाने पर न्यायाधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है। 1985 के राजीव-लोंगोवाल, समझौते को कार्यान्वित करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। यह विधेयक 1956 के अधिनियम के उपबंधों—धारा 4(1) तथा धारा 5(1) को छोड़ कर—को रद्द नही करता। ये धारायें न्यायाधिकरण की नियुक्ति से संबंध रखती हैं—किसी राज्य के निर्देश पर न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाती है। ऐसे निर्देश के बिना हम 1956 के अधिनियम में नई धारा 14 जोड़ कर न्यायाधिकरण नियुक्त कर रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 9(1) और 9(2) के अन्तर्गत मामले न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय के लिए सौंपना चाहती हैं।

कई सदस्यों ने पूछा है कि क्या न्यायाधिकरण के निष्कर्ष सिफारिश के रूप में होंगे। यदि ऐसा है तो न्यायाधिकरण की नियुक्ति का लाभ क्या है ? क्या माननीय सदस्यों का ध्यान अधिनियम की धारा 6 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। धारा 6 को वर्तमान अधिनियम द्वारा रद्द अथवा संशोधित नहीं की गई है। अत: हम केवल पुराने अधिनियम में धारा 14 जोड़ रहे हैं। हम किसी उपबन्ध को रद्द नहीं कर रहे हैं। धारा 6 में कहा गया है :

"केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करेगी तथा वह निर्णय अंतिम होगा तथा विवादग्रस्त पक्षों को उसे मानना होगा तथा उसे···प्रभावी बनाया जायेगा।"

**श्री विष्णु मोदी** (अजमेर) : यदि वे उसे क्रियान्वित नहीं करते।

**श्री बी० शंकरानन्द** : तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। संसद विद्यमान है। प्रधान मन्त्री हैं। सरकार है। हम इसे क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक हैं। राज्य सरकारें विद्यमान हैं। वे भी ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं। (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कोई अन्य भी आयेगा।

**श्री बी० शंकरानन्द** : क्या मैं कुछ उद्धृत कर सकता हूं ? पानी ने मनुष्य का आविष्कार किया है ताकि उन्हें स्थान-स्थान पर पहुंचाया जा सके तथा मानव उसे स्थान-स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

4.00 म०प०

[हिन्दी]

**श्री चिरंजी लाल शर्मा** : दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंककर पीता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री बी० शंकरानन्द** : शीघ्र ही हम सभा में देश के लिए नई जल नीति ला रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद पहली बार नई राष्ट्रीय जल नीति बनाई जा रही है। हमारी एक राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परिषद है जिसके प्रधान मन्त्री चेयरमैन हैं तथा सभी मुख्य मन्त्री सदस्य हैं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्य मन्त्री भी उप-ग्रुप के सदस्य हैं जिस पर राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने का दायित्व है। यह उप-ग्रुप एक दस्तावेज भी तैयार करेगा जिस पर पूरी परिषद द्वारा वर्ष के अन्त तक विचार एवं चर्चा की जायेगी। मुझे अत्यन्त खुशी है कि पिछले सप्ताह हुई बोर्ड की बैठक में श्री बरनाला उपस्थित थे तथा उन्होंने राष्ट्रीय जल नीति के बारे में बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये। हमारी राष्ट्रीय जल नीति क्या है ? पूरी परिषद ने जिसमें कि सभी मुख्य मन्त्री हैं सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि जल एक दुर्लभ राष्ट्रीय संस्थान है। इस बारे में सामान्य मतैक्य यह रहा है कि उपलब्ध जल का हमें श्रेष्ठ रूप से उपयोग करना है तथा सतही जल को भूमिगत जल के रूप में उपयोग करना है तथा उसके लिए कृत्रिम जलाशय बनाकर लाभ उठाना है ताकि भूमिगत जल सदा उपलब्ध

[श्री बी० शंकरानन्द]

रहे तथा उससे उन क्षेत्रों की सिंचाई होती रहे जो सतही जल से सिंचित नहीं हो पाते।

हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य यह होगा कि जल को उन क्षेत्रों को जैसे राजस्थान जहां पर वर्षों तक वर्षा नहीं होती तथा लोग जल के अभाव में कष्ट उठा रहे हैं तथा जहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है ले जाया जाये जहां पर जल की अत्यन्त आवश्यकता है। पूरा क्षेत्र सूखा है तथा मीलों तक घास भी उगी हुई दिखाई नहीं देती। जहां तक सूखे का सम्बन्ध है राजस्थान की स्थिति इस वर्ष सबसे खराब है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है।

इस प्रकार राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत फालतू जल को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाया जायेगा। शायद सभा इस पर वर्षों से विचार करती रही है। समाचार पत्र तथा जनता डा० के० एल० राव द्वारा प्रतिपादित नीति अर्थात गंगा को कावेरी नदी से जोड़ने की नीति पर चर्चा कर रही है। उसका क्या अर्थ है? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** क्या ऐसा किया जा रहा है?

**श्री बी० शंकरानन्द :** मैं उस पर आ रहा हूं। इसे इतनी सरलता से नहीं लिया जा सकता। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है···

(व्यवधान)

**श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) :** मन्त्री महोदय ने बताया कि वह नदियों को जोड़ना चाहते हैं। भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री ने ऐसा सोचा था। परन्तु वह आन्ध्र प्रदेश को जल कब ले जाएंगे? हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं।

**श्री बी० शंकरानन्द :** क्या मैं अपने आंध्र प्रदेश के माननीय मित्र से पूछ सकता हूं? आप तेलुगु के बारे में ही नहीं अपितु पूरे देश के बारे में सोचें···

**श्री आनन्द गजपति राजू :** हमारा दल भले ही एक प्रादेशिक दल है, परन्तु हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय है।

**श्री बी० शंकरानन्द :** परन्तु मैं ऐसा देख नहीं पाया। एक गार्लैंड नहर की योजना थी। उस पर विशेषज्ञों तथा भारत सरकार ने विचार किया तथा उन्होंने पाया कि गंगा तथा कावेरी का जोड़ा जाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहार्य नहीं है। अतः क्या किया जाना चाहिये? हमने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। वह इस पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार कर रही है इसके दो पहलू हैं। एक, हिमालय की नदियों को मिलाना है। दूसरा, दक्षिण की नदियों को जोड़ना है। इसे सम्बद्ध राज्यों के

क्रियात्मक सहयोग एवं भाईचारे की भावना से पूरा किया जा सकता है, उसके बिना यह सम्भव नहीं है। उद्देश्य यह है कि फालतू पानी वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में फालतू पानी भेजा जाये। इसी भावना के साथ हम पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास विवाद को हल करना चाहते हैं। इस भावना से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** कृपया मन्त्री महोदय के भाषण में व्यवधान न डालें। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

**श्री बी० शंकरानन्द :** महोदय, मेरे पास देश में उत्पन्न की गई सिंचाई क्षमता के राज्यवार आंकड़े हैं। यह गर्व का विषय है कि पंजाब का सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक अर्थात 86.5 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश के लिए भी प्रसन्नता की बात है। उनका प्रतिशत 60.98% है।

**एक माननीय सदस्य :** कृपया इस बात को भी ध्यान में रखें कि हमारे राज्य में कितना सूखा पड़ा था।

**श्री बी० शंकरानन्द :** यदि आंध्र प्रदेश की यह स्थिति है तो आप अन्य राज्यों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। हमारा उससे सम्बन्ध है क्योंकि आंध्र, पंजाब तथा हरियाणा इस देश के अंग हैं। (व्यवधान)

पानी जमा होने की समस्या रही है। यह समस्या क्यों पैदा होती है? यह या तो अधिक सिंचाई अथवा अवैज्ञानिक ढंग से सिंचाई के कारण पैदा होती है या पानी का स्तर केवल 2-3 फुट नीचे होता है और फिर भी नहर बहती है। इससे पानी जमा हो जाता है तथा भूमि खेती के लिए बेकार हो जाती है। उसी पानी का वैज्ञानिक रीति से उपयोग किया जा सकता है तथा उपलब्ध पानी से अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकती है। अत: प्रश्न पानी बचाने का ही नहीं अपितु उसे अधिक वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने का भी है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके। पानी की बचत इस भावना से की जानी चाहिए कि इसका उपयोग कमी वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है। जिस राष्ट्रीय जल नीति के बारे में हम विचार कर रहे हैं उसकी यही भावना है।

(व्यवधान)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) **:** माननीय मन्त्री ने श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि समझौते में दी गई विशेष तारीख का क्या महत्व है?

**श्री बी० शंकरानन्द :** मैं उस पर आ रहा हूं। शायद माननीय सदस्यों को पता है कि देश में

[श्री बी० शंकरानन्द]

मानसून कब आती है। पहली जुलाई वह तारीख है जब कम से कम पानी किसानों को उपलब्ध होता है, उन्हें इससे कम पानी उपलब्ध नहीं किया जाना चाहिए। यही इस समझौते की भावना है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : मुझे आशा है कि इस कारण जो आरोप लगाया गया है उसमें कुछ भी नहीं है।

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, मैं जानता हूं कि माननीय महिला सदस्य ने कागज में तो 'नहीं' कहा लेकिन इस सदन में 'हां' कहा, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है। **(व्यवधान)** ऐसे भी अवसर होते हैं जब आप 'नहीं' कहते हैं उसका अर्थ होता है 'हां'। **(व्यवधान)**

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मेरा तात्पर्य बिल्कुल साफ है।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : हमारे मंत्री एक बड़े पंडित हैं और उनके अनुसार 'हां' का अर्थ है 'नहीं' और 'नहीं' का अर्थ है 'हां'।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मेरा कहना है कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने जोरदार ढंग से इस विधेयक का समर्थन किया है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : आपका स्पष्टीकरण एक तात्पर्य से अधिक बेहतर नहीं है। कृपया इसका स्पष्टीकरण कीजिये। **(व्यवधान)**

**श्री बी० शंकरानन्द** : जब उन्होंने प्रस्ताव रखा है तो शायद सभा इतना जानती ही होगी कि वह विधेयक का समर्थन कर रही हैं। इस संदर्भ में मैंने ऐसा कहा। क्या मैं माननीय सदस्य से अनुरोध कर सकता हूं कि वे जो कुछ मैंने कहा है उसमें से दूसरा अर्थ न निकालें? **(व्यवधान)**

महोदय, मैं नहीं समझता कि मुझे सभा का अब और समय लेना चाहिए क्योंकि इस विधेयक को माननीय सदस्यों का पूरा समर्थन मिला है।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय मंत्री जी ने केवल दो राज्यों के लिये ही प्रतिशत में आंकड़े दिए, हमें अन्य राज्यों के प्रतिशत आंकड़े भी जानने हैं।

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, मैं यह कहूंगा कि जब इस सदन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, मैं उस समय सभी राज्यों के विषय में सभी तथ्य तथा आंकड़े दे सकता हूं बजाय इसके कि इस समय सदन का समय बर्बाद करूं? महोदय, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई संदेह अभी बाकी है जिसको मुझे इस समय स्पष्ट करने की आवश्यकता है। राजस्थान

के माननीय सदस्यों के दिमाग में किसी प्रकार का शक नहीं रहना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री विष्णु मोदी** : मंत्री महोदय यह बता दें कि 91 में एडजुडिकेट होने के बाद 1785 के बाद 92 में राजस्थान के शेयर, जो कि 86 है, वह इफैक्टेड नहीं होगा ? क्या यह टर्म्स आफ रैफरेंस में होगा कि 92 में उसको एडजुडिकेट नहीं करेंगे ?

[अनुवाद]

**श्री बी० शंकरानन्द** : सभापति महोदय, मैंने लगभग प्रत्येक बात निश्चित रूप से कह दी है।

**श्री विष्णु मोदी** : मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैंने कहा है कि राजस्थान के हित सुरक्षित हैं। इस विषय में कोई आशंकाएं नहीं रहनी चाहिए। मैं न्यायाधिकरण के सदस्य की तरह कार्य नहीं कर रहा हूं। न ही सदन ही न्यायाधिकरण के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है। सदन इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। न्यायाधिकरण को अपना काम करना है। क्या मैं विधेयक के प्रावधानों को पढ़कर सुना सकता हूं ?

**श्री विष्णु मोदी** : राजस्थान के लिये नहीं।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैंने पहले ही माननीय सदस्य को बात समझा दी है। क्या मैं माननीय सदस्य को यह कह सकता हूं कि यदि वे समझ सकने में असमर्थ हैं तो मैं उन्हें नहीं समझा सकता ? मैंने कहाहै कि राजस्थान के हित सुरक्षित हैं और इस विषय में जो डर है वह काल्पनिक है। यदि वह फिर भीइ स बात का आग्रह कर रहे हैं तो यह आग्रह उनकी अपनी कीमत पर ही होगा। महोदय, इस बात में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, और मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा। मैं 1956 के अधिनियम की धारा 2 के खंड 5 में से उद्धृत करूंगा :—

> "(2) अधिकरण उन मामलों का अन्वेषण करेगा जो उसको निर्दिष्ट किये गये हैं और वह केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उसके द्वारा पाये गये तथ्य और उसको निर्दिष्ट मामलों पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा।"

खण्ड 3 में कहा गया है :—

> '(3) यदि, अधिकरण के विनिश्चय पर विचार करने पर, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की यह राय है कि उनमें अन्तर्विष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण अपेक्षित है या किसी मामले पर, जिसे अधिकरण को मूलतः निर्दिष्ट नहीं किया गया है, मार्गदर्शन की आव-

[श्री बी० शंकरानन्द]

श्यकता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, विनिश्चय की तारीख से तीन माह के अन्दर, मामले पर विचार करने के लिए अधिकरण को पुन:निर्दिष्ट कर सकेगी, और और ऐसे निर्देश पर अधिकरण एक और रिपोर्ट ऐसे स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन देते हुए जो वह ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी दशा में, अधिकरण का विनिश्चय तदनुसार उपान्तरित किया गया समझा जाएगा।"

**श्री चिरंजी लाल शर्मा** : इसमें अन्तिमता कहां है ?

**श्री बी० शंकरानन्द** : माननीय सदस्यों ने विधेयक को पढ़ा होगा। यह केवल एक तीन धाराओं वाला विधेयक था। धारा 2 (3) इस प्रकार है :—

"जब उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिकरण गठित किया जाता है तब केन्द्रीय सरकार ही स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे अधिकरण को पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में विनिर्दिष्ट मामले निर्देशित कर सकेगी।"

केवल केन्द्र सरकार ही कहा गया है, कोई अन्य इसे नहीं कर सकता। केवल केन्द्र सरकार ऐसा कर सकती है, इरादा यह है कि समझौते को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तथा अन्तिम रूप से कार्यान्वित किया जाये। विधेयक में भी इस बात का ध्यान रखा गया है।

मैंने पहले ही सदन का पर्याप्त समय ले लिया है और माननीय सदस्यों के मन-मस्तिष्क में विद्यमान सभी शंकाओं से तुष्ट करने का प्रयास किया है। पंजाब और हरियाणा के साथ कोई अन्याय नहीं किया जायेगा और इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार का यही मन्तव्य है। हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा साथ ही दूसरे राज्यों के किसानों का, यद्यपि वे इसमें भागीदार नहीं हैं हित देखना है। प्रश्न यह है कि जिस किसी किसान को पानी की आवश्यकता है उसे यह मिलना चाहिए, बिल का केवल यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। यह विधेयक न तो किसी (व्यक्ति विशेष) के विरुद्ध है और न किसी के (व्यक्ति विशेष) लिये यह इस देश के किसानों के लिये है, इस देश के सर्वांगीण हित के लिए है, इस देश की एकता के लिये है। यह बिल केवल इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया है। मैं नहीं समझता कि सदन इस मसले पर विभाजित होगा।

मैं इस विधेयक को इस सदन द्वारा हार्दिक समर्थन की विनती करता हूं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : सभापति महोदय, प्रारम्भ में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरा प्रस्ताव इस विषय पर भी अध्यादेशों की पुन: आवृत्ति का विरोधी था और मैंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था मुझे प्रस्तुत बिल की मुख्य बातों पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं वही रुख अपनाये हुए हूं। मैं आशा करती हूं कि न्यायाधिकरण के विचारार्थ विषय इस प्रकार निर्मित किये

जायेंगे कि ये वर्तमान की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होंगे।

मुझे लगता है कि यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने (इसकी) अत्यन्त विस्तार से व्याख्या की है, कुछ माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में कुछ प्रश्न अब भी स्पष्ट नहीं हैं। मैं आशा करती हूं कि न्यायाधिकरण के विचारार्थ विषय पर्याप्त स्पष्ट होंगे। मैं पुनः निवेदन करती हूं कि केवल सभी राज्यों के सहयोग और सभी धर्मनिरपेक्ष और देशप्रेमी शक्तियों की राजनीतिक इच्छा तथा दृढ़ संकल्प द्वारा ही हम इस संकट को वास्तविक रूप मे हल कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि यह एक रचनात्मक अन्त को पहुंचे।

इन सब्दों के साथ ही, मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं देती हूं।

**सभापति महोदय** : क्या माननीया सदस्या को अपना प्रस्ताव वापस लेने की सदन की अनुमति है ?

**माननीय सदस्य** : हां, है।

**संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड-2 —(नई धारा 14 का अन्तःस्थापन)**

**सभापति महोदय** : अब सदन विधेयक पर खंडशः विचार करेगा। श्री विष्णु मोदी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री विष्णु मोदी** : मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं एक विस्तृत स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : यदि आप संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो आप बोल नहीं सकते। कृपया बैठ जाइये। श्री धर्म पाल सिंह मलिक।

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : श्रीमान मैं केवल दो मिनट लेना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ? माननीय महोदय एक बात समझ लें। आप केवल तभी बोल सकते हैं जब आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें। अन्यथा नहीं। मैं केवल नियमों का अनुसरण कर रहा हूं। आप अपना संशोधन प्रस्तुत करने के बाद भी इसे वापस ले सकते हैं।

**श्री धर्म पाल सिंह मलिक** : तब मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं अपना प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 8,—अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये,—

"और वह अधिकरण उसे ऐसा प्रत्येक मामला सौंपे जाने की तिथि से तीन महीनों के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।" (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये,—

"(4) उप-धारा (1) के अधीन गठित अधिकरण के निष्कर्षों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी तथा इस प्रकार दिया गया पंचाट केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जायेगा।" (3)

[हिन्दी]

मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल जो ऐक्ट है जिसमें इस संशोधन बिल द्वारा आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें दो एप्रीहेंशंस हैं जो क्लीअर नहीं हैं जिसकी वजह से यह अमेंडमेंट मैंने मूव किया। अभी मंत्री महोदय ने सेक्शन 6 पढ़ा है और उसमें कहा है कि दोनों स्टेट उसको एफेक्टिव ढंग से लागू करेंगे। लेकिन इसमें मेरी एप्रीहेंशन यह है कि पहले बड़े साफ-साफ तरीके से यह बात आ चुकी है कि हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा साफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद किसी न किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं या किसी और तरह से पिछली बात को खत्म कर दिया जाता है, या नई लड़ाई शुरू कर दी जाती है, इसलिए सेक्शन 6 को पूरा करने के लिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। उसके सेक्शन 14 सब-सेक्शन 3 को देखें, इस वह प्रकार है :—

[अनुवाद]

"जब उप-धारा (1) के अधीन कोई अधिकरण गठित किया जाता है तब केन्द्रीय सरकार ही स्वप्रेरणा से या संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसे अधिकरण को पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और पैरा 9.2 में विनिर्दिष्ट मामले निर्देशित कर सकेगी।"

[हिन्दी]

इससे आगे मैं चाहता हूं :—

[अनुवाद]

"और वह अधिकरण उसे ऐसा प्रत्येक मामला सौंपे जाने की तिथि से तीन महीनों के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।"

[हिन्दी]

एक तो यह है इसके साथ जो सेक्शन 4 में जोड़ना चाहता हूं वह यह है कि :

[अनुवाद]

"उप-धारा (1) के अधीन गठित अधिकरण के निष्कर्षों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी तथा इस प्रकार दिया गया पंचाट केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जायेगा।"

[हिन्दी]

यह सिर्फ इसलिए कि किसी तरह भी यह बात क्लीअर कर दी जाय यह अमेंडमेंट लाकर कि किसी ढंग से भी न कोई इंडिविजुअल न कोई कंसर्न्ड स्टेट इसको चैलेंज कर सके।

दूसरा इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स के अन्दर यह दिया है :—

[अनुवाद]

"इस अधिकरण का विनिश्चय छह माह के अन्दर दे दिया जाएगा।"

[हिन्दी]

लेकिन मैं यह समझता हूं कि 15 अगस्त, 1986 डेट निश्चित की हुई है नहर खोदने के लिए और पानी लाने के लिए। लेकिन जैसा बरनाला जी ने बयान दिया है कि पानी है नहीं इसलिए नहर की खुदाई की क्या जरूरत है उससे साफ जाहिर है कि वहां पर खुदाई तभी शुरू होगी जब हमारा शेयर डिटर्मिन हो जायेगा। जिस समय हमारे मन्त्री जी जवाब दे रहे थे उस समय भी हमारे लायक दोस्त अकाली पार्टी के कह रहे थे कि हरियाणा का शेयर है भी—पहले तो यही देखना है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ट्रिब्यूनल के टर्म्स आफ रेफ्रेन्स में समय निश्चित किया जाए, तीन महीने

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

का समय निश्चित कर दिया जाए—यह मेरा अमेंडमेंट है।

[अनुवाद]

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैंने पहले ही सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

**सभापति महोदय** : क्या आप अपने संशोधनों के लिए आग्रह कर रहे हैं।

**श्री धर्म पाल सिंह मलिक** : मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को उनके संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

**कई माननीय सदस्य** : जी हां।

**संशोधन संख्या 2 और 3, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**सभापति महोदय** : खंड 3, पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

4.28 म० प०

## अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

### वाणिज्य मन्त्रालय

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : अब सभा वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 10 से 12 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परि-चालित किये जा चुके हैं वे, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्याओं 10,11 और 12 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले

वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

**लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)**

| मांग संख्या | मांग का नाम | 13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये |
| 10. | वाणिज्य मन्त्रालय | 53,64,000 | ... | 2,68,17,000 | ... |
| 11. | विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन | 1,47,25,84,00 | 15,06,86,000 | 5,51,09,22,000 | 77,84,28,000 |
| 12. | पूर्ति और निपटान | 2,58,47,000 | ... | 12,92,37,000 | ... |

**डा० चिन्ता मोहन** (तिरुपति) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार देश के गरीब लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है। वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट ने गरीब लोगों की आशाओं की पूर्ति नहीं की हैं और हमें लोगों में काफी वेदना, रोष, असन्तोष तथा निराशा देखने को मिलती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान वित्त मन्त्री का आधार मुद्दा यह है कि वर्तमान निर्यात विकास दर में काफी कमी आयी है।

मैं अपने देश, की आर्थिक समीक्षा से उद्धृत करता हूं जिसमें इस प्रकार कहा गया है :

"वर्ष 1985-86 के प्रथम छः माह (अप्रैल-सितम्बर) में विदेशी व्यापार में जो प्रवृत्तियां रही वे चिन्ताजनक हैं। एक ही समय—अवधि में जबकि 1984-85 में निर्यात में सीमांत कमी आई है आयात मूल्य में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। व्यापार घाटा वर्ष 1985-86 के प्रथम छः माह से विचलित करने वाले 4124 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच

गया है। दूसरे आधे वर्ष में सम्भावित मद निर्यात को ध्यान में रखते हुए व्यापार घाटा वर्ष 1984-85 के 5587 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 6000 करोड़ रुपये से बहुत आगे पहुंच जाएगा।"

यह दर्शाता है कि निर्यात संवर्धन में सरकार की असफलता को स्वीकारा गया है। 1985-86 में व्यापार घाटा लगभग 7500 करोड़ रुपये होगा।

वर्ष 1985-86 में व्यापार घाटा लगभग 7500 करोड़ रुपये था। वार्षिक प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि व्यापार घाटा 7500 करोड़ रुपये है। यही नहीं अगर आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1985-86 के प्रथम छः माह पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि निर्यात विकास की दर में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा यहां पर गलत आंकड़े दिये गए थे; भारत सरकार को आर्थिक समीक्षा में किसी भी आंकड़े को स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त कोई भी मासिक सूचना नहीं दिखाई गई और हम आशा करते हैं कि 21वीं सदी के अन्त तक कम से कम हमें भारत सरकार से कम्प्यूटरीकृत व्यापार आंकडे प्राप्त होंगे।

वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उन्होंने आत्म सन्तोष व्यक्त किया है, चुप्पी साध ली है और उन्होंने व्यापार को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है।

वास्तव में हमारे वाणिज्य मन्त्री ने अपना कार्य बेमन से शुरू किया है और शायद वह अपने पद में परिवर्तन की आशा कर रहे हैं, या जो भी हो··· (व्यवधान)

**वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) :** मुझे नहीं मालूम था कि ये एक भविष्यवक्ता हैं।

**डा० चिन्ता मोहन :** पिछले 15 माह में, नई लोक सभा के निर्वाचन के बाद, तीन या चार वाणिज्य मन्त्री बदल चुके हैं, और उनमें से कोई भी मन्त्री इस मन्त्रालय में कार्य करने में इच्छुक नहीं था; वे अन्य कहीं अथवा अन्य कार्यों में जो वाणिज्य मन्त्री पद से सम्बन्धित नहीं थे, संलग्न थे।

इसके आगे जहां तक प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है मैं पी०सी० एलकजेण्डर समिति, टंडन समिति, आबिद हुसैन समिति तथा अन्यों के प्रतिवेदनों से उद्धृत कर सकता हूं। आबिद हुसैन समिति ने राय व्यक्त की है कि वाणिज्य मन्त्रालय को शक्तिशाली बनाना होगा, अथवा इसके प्रशासन को मजबूत बनाना होगा। उसने कहा, "प्रशासन को मजबूत होना चाहिए," और इससे पता चलता है कि वर्तमान प्रशासन कमजोर है, और इसे एक जिम्मेदार निकाय के रूप में कार्य करना होगा परन्तु इसे विशेषज्ञों की समिति तथा योजना आयोग द्वारा भी सुझाए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करना है। यह तथ्य की समिति ने ऐसी राय व्यक्त की है, दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था अथवा मन्त्रालय सुस्त है।

अब निर्यातकों को दी गई सुविधाओं की तरफ देखें। उन्हें शत-प्रतिशत निर्यात करने के लिए

[डा० चिन्ता मोहन]

ग्रीन कार्ड दिया जाता है। परियोजना के स्थापित होने के बाद भी हम एक छोटा सा टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं दे सकते। इससे पता चलता है मन्त्रालय निर्यातकों के लिए कितना कार्य कर रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : टेलीफोन कनेक्शन किसके लिए ?

डा० चिंता मोहन : महोदय, मैं विवरण दे सकता हूं।

इसके अलावा सरकार द्वारा दिये जाने वाले नकद मुआवजा समर्थन के मामले में बहुत देर की जाती है। लोग खुश नहीं हैं, और इससे पता चलता है कि लोकतन्त्र का नैतिक पतन हो रहा है। जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को देखते हैं तो उनसे पता चलता है कि सरकार ने 6.8 प्रतिशत निर्यात विकास दर की कल्पना की है, परन्तु इसके बावजूद हम देखते हैं कि गत $4\frac{1}{2}$ वर्षों में निर्यात विकास दर में तेजी से गिरावट आ रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस 6.8 प्रतिशत निर्यात विकास की कल्पना को साकार नहीं कर सकते।

इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात में काफी कमी आई है। परन्तु अगर हम एक बार फिर से उत्पादन के पहलुओं पर नजर डालें तो ज्ञात होगा कि काउहाइड्स तक में काफी कमी आई है। इसके साथ मैं चाय और तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए मन्त्री महोदय की प्रशंसा करता हूं। परन्तु हमारे देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हीरे-जवाहरात के निर्यात पर निर्भर हैं। और जब हम विदेश व्यापार को देखते हैं, तथा विश्व व्यापार बाजार को देखते हैं, तो पता चलता है कि लगभग 40 अरब डालर मूल्य के हीरे जवाहरात निर्यात किये जाते हैं। यद्यपि हमारे देश में कुशल व्यक्ति काफी संख्या में हैं, हम 7 करोड़ डालर मूल्य की ही ये चीजें निर्यात कर पाते हैं।

हमारा देश कृषि पर आधारित है। जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहां हर किसान काफी अंगूरों का उत्पादन करते हैं। जब आप हमारे उत्पादन आंकड़ों का अन्य देशों के आंकड़ों के साथ मुकाबला करते हैं तो हम पाते हैं कि आंध्र प्रदेश के किसान विश्व के अन्य किसानों से बहुत बेहतर उत्पादन करते हैं। हमें इस बात के लिये आंध्र प्रदेश के किसानों को बधाई देनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से उन्हें अंगूरों की विमान द्वारा ढुलाई करने में रियायत नहीं दी जाती है। लोग इन अंगूरों को बम्बई भेजते हैं और वहां से उन्हें विमान द्वारा भेजा जाता है। उन्हें विमान भाड़े के रूप में 10 से 11 रुपये प्रति किलोग्राम तक देना पड़ता है। परिणामस्वरूप, उन्हें विश्व बाजार से लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर आप करांची और आबू-धाबी के बीच के विमान भाड़े को देखें तो आप पायेंगे कि वे केवल 4 रुपये प्रति किलोग्राम भाड़ा दे रहे हैं और नैरोबी और लन्दन के बीच लोग 4 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम भाड़ा दे रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे ? और उन्हें विमान भाड़े में रियायत देकर उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे ?

हम बासमती चावल का निर्यात करते हैं। काफी समय से 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर निश्चित है। मुझे खबरें प्राप्त हुई हैं कि आबू-धाबी सरकार और राज्य व्यापार निगम के बीच सौदे में काफी हेराफेरी हुई थी। आपके द्वारा मंत्रालय का कार्यभार संभाले जाने से पहले वहां पर काफी

हेराफेरी थी। सरकार का राज्य व्यापार निगम के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**श्री पी० शिव शंकर :** अगर आप मुझे कोई खास मामला दें तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

**डा० चिता मोहन :** आमों के संबंध में स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश में 10 लाख एकड़ भूमि पर आम के बाग हैं। लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए किसान आमों का निर्यात करने की योजना बना रहे हैं। परन्तु उन्हें आंध्र प्रदेश से आमों का निर्यात करने की सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं। मैं मंत्री महोदय से उन्हें निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने का निवेदन करूंगा ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिले और वे प्रसन्नतापूर्वक रह सकें।

आयात के सम्बन्ध में, हम मुख्य रूप से खाद, कच्चा तेल, खाद्य तेल तथा चीनी का काफी मात्रा में आयात करते हैं। हम इससे नहीं बच सकते क्योंकि ये चीजें हमें गरीबों को सस्ते दामों पर देनी पड़ती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6.8 प्रतिशत निर्यात विकास दर की कल्पना नहीं कर सकते।

जिन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना है उनके संबंध में वाणिज्य मंत्री ने लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 दिनांक 22 नवम्बर, 1985 के उत्तर में बताया जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"संवर्धन के लिये क्षेत्रों का पता लगाया गया है जो मध्यम स्तर पर निर्यात विकास के लिये महत्वपूर्ण गुंजाइश प्रदान करते हैं, चाय, विशेषत पैकेज तथा मूल्य-वर्धित रूपों में, अनाज, साधित खाद्य पदार्थ, दालों तथा रसों सहित, मांस तथा मांस उत्पाद, ताजा फल तथा सब्जियां, समुद्री उत्पाद, विशेषत. मूल्य-वर्धित रूपों में, लौह अयस्क, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं, हस्तशिल्प का सामान तथा आभूषण पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, इलैक्ट्रानिक्स, माल तथा कम्प्यूटर सोफ्टवेयर, मूल रसायन, फैब्रिक्स, पीस गुड्स तथा मेड अप्स, सिले-सिलाये परिधान, ऊनी फैब्रिक्स तथा निटवियर और परियोजनाएं व सेवाएं।"

मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस तीन माह की अवधि में क्या कार्यवाही की है। मैं सरकार द्वारा व्यापार में वृद्धि के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी जानना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन वस्तुओं का प्रचार किया जाना चाहिये जिनका निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्हें 'लाल पुस्तिका' अथवा 'हरी पुस्तिका' में रखने के बजाये उसे समाचार पत्रों अथवा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से उनका प्रचार करना चाहिये जिससे कि सभी निर्यात संवर्धन कक्षाओं को उनके बारे में पता चल सके और वे उससे लाभ उठा सकें।

हमारे यहां व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण जैसे अन्य संगठन भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में वे काम नहीं कर रहे हैं। सभी को पता है कि ये

[डा० चिन्ता मोहन]

संगठन रुग्ण हो गये हैं। वे बड़े ही सामान्य और प्रोटोकोल-उन्मुख भी हैं। वे वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें निर्यात संवर्धन की कोई चिन्ता नहीं है। राज्य व्यापार निगम के बारे में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में हाल ही में मंत्री महोदय ने बताया था कि दस वर्ष के अन्दर राज्य व्यापार निगम के नौ अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या अध्यक्ष कुछ समय तक टिक नहीं सकते हैं ? संभवतः जिस प्रकार बार-बार मंत्री बदल जाते हैं, उसी प्रकार सरकार राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष बदलना चाहती है। हाल में, 8 जुलाई 1985 को सरकार ने एम० एम० टी० सी० के अध्यक्ष श्री राघवन को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया था किन्तु सात महीने बाद ही मुझे नहीं पता कि इस बीच क्या हुआ -- उन्हें वहां से हटा दिया गया। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने यह सुना था कि उन्होंने 720 करोड़ रुपये के निर्यात में से 400 करोड़ से अधिक रुपये का जाली निर्यात रोक दिया था और यह कि उन्होंने देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धी व्यापार भी विकसित किया था। मैंने यह भी सुना था उन्होंने राज्य व्यापार निगम तथा एम० एम० टी० सी० के मध्य सहयोग स्थापित किया था। सात महीने के बाद श्री डांग को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत सरकार राज्य व्यापार निगम का नियमित अध्यक्ष नियुक्त क्यों नहीं कर पा रही है। क्या इसके पीछे कोई तर्क है अथवा आप यह स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं अथवा आप चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम और एम० एम० टी० सी० मिलकर एक हो जायें अथवा आप दोनों संगठनों का एक ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ? मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं।

महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाल में सरकार ने कृषि परिष्कृत खाद्य विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह स्वागत योग्य निर्णय है और हमें इसके बारे में जानकर प्रसन्नता है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में निर्यात और आयात के लिए एक मंत्रि मंडलीय समिति होनी चाहिए। इसके अलावा मंत्रि मंडल के सचिव के नियंत्रण के अधीन मंत्रिमंडल सचिवालय में एक निर्यात विंग होना चाहिए। जिससे कि निर्यात कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वित किए जा सकें। इसके साथ ही विभाग और मंत्रालय के मध्य सिंगल विंडो क्लीयरेंस होना चाहिए जिससे निर्यातकों को अपनी उत्पादों का निर्यात करने में कोई परेशानी न हो। यदि संभव हो सके तो सरकार निर्यात नीति के बारे में एक श्वेत पत्र यथाशीघ्र जारी करे। वे नयी निर्यात नीति और योजना भी तैयार करें। 1970 में संसद ने निर्यात के सम्बन्ध में एक संकल्प और एक विधेयक पारित किया था किन्तु उसके बाद सरकार ने कोई नया विधान प्रस्तुत नहीं किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी अन्तर आया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन आया है किन्तु निर्यात के संबंध में सरकार ने कोई नया विधान प्रस्तुत नहीं किया है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन चीजों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है उनका ठीक तरह से प्रचार किया जाना चाहिए जिससे संवर्धकों को पूरी जानकारी मिल सके। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[निर्यात संवर्धन एवं विपणन विकास सहायता के लिए कम से कम 555 करोड़ रुपये आबंटित करने की आवश्यकता।] (11)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रबड़, चाय, कॉफी और तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली प्रयास करने की आवश्यकता।] (12)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[समुद्री उत्पादों यथा झींगा, मछली तथा मेढ़कों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (13)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विदेशी सरकारों को तकनीकी ऋण देने के लिए ब्याज रहित 60 करोड़ रुपये का उपबन्ध करने की आवश्यकता।] (14)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[निर्यातित माल की सही गुणवत्ता सुनिश्चित करने में निरीक्षण निदेशालय की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता।] (15)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विशाखापत्तनम में तत्काल एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (जोन) स्थापित करने की आवश्यकता।] (16)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आयात में वृद्धि की तथा निर्यात में गिरावट की चिन्ताजनक प्रवृत्ति।] (17)

[श्री राम चन्द्र रेड्डी]

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा कृषि-उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।] (18)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[प्राइवेट व्यापारियों के स्थान पर सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता।] (19)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विशाखापत्तनम से फलों और कच्चे लोहे के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता।] (20)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आंध्र प्रदेश से मछली के निर्यात में उपेक्षा।] (21)

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकी नाडा) । मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[काकीनाडा पत्तन से चावल तथा चावल भूसी तेल का निर्यात करने की आवश्यकता।] (22)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[काकीनाडा पत्तन से नारियल तथा गुड़ के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता।] (23)

"कि विदेश व्यापार तथा निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[काकीनाडा पत्तन से मछली तथा झींगा के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता।] (24)

**प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की)** : महोदय, मैं···(व्यवधान)

**श्री पी० शिव शंकर** : इलायची।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : केवल इलायची ही नहीं, सभी वस्तुएं हैं।

महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं और मांगों का समर्थन करते हुए मुझे कुछ मुद्दे भी उठाने हैं। मैं वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ रहा था। उस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि चालू वर्ष के दौरान हमारा निर्यात संतोषजनक नहीं रहा है। मुझ से पहले वक्ता कह रहे थे कि वाणिज्य मंत्रालय ढंग से कार्य नहीं कर रहा है; वह कह रहे थे कि वह लापरवाह है आदि आदि। किन्तु मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वह इस प्रतिवेदन को पढ़ लें। वर्ष 1984-85 के बारे में कहा गया है कि वर्ष 1984-85 के दौरान हमने 11,656,93 करोड़ रुपये के सामान का निर्यात किया जो गत वर्ष की तुलना में 18.1 प्रतिशत अधिक है। पृष्ठ 11 पर वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह दिया हुआ है। उस वर्ष कुल आयात में गत वर्ष की अपेक्षा 8.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसलिए मैंने यह मुद्दा उठाया है। यह वही मंत्रालय है जिसकी इतनी अच्छी उपलब्धि है। इसके अलावा उस अवधि में हमारा व्यापार घाटा भी कम रहा था। महोदय, यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में हमारा निर्यात संतोषजनक नहीं रहा है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि वह हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। किन्तु कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि मेरे से पहले वक्ता ने इसका उल्लेख किया है इसीलिए मैं भी यह सब बातें कह रहा हूं अन्यथा मैं यह सब बातें नहीं कहना चाहता था। पहली बात तो यह है कि विश्व व्यापार को क्या हुआ है। वह भी इस पुस्तक में दिया गया है। 1984-85 में वह 9 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। स्वभावतः इससे हमारे व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप वे देश अधिकाधिक सुरक्षात्मक प्रवृत्तियां अपनायेंगे और स्वाभाविक है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ेगा। हमारा निर्यात संतोषजनक न होने का एक कारण यह भी है। एक और बात भी है जिसे संभवतः मेरे मित्र बताना भूल गये हैं। पिछले वर्ष हमने 1500 करोड़ रुपये के कच्चा तेल का निर्यात किया था। किन्तु इस वर्ष हम उसका निर्यात नहीं कर रहे हैं। इसका श्रेय सरकार को है क्योंकि हमने तेल को साफ करना आरम्भ कर दिया है; हमने अपनी शोधन क्षमता बढ़ा ली है। चूंकि हमारी शोधन क्षमता बढ़ गई है, इसलिए उतनी मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा है। इसलिए आंकड़ों के हिसाब से निर्यात में गिरावट आई है किंतु वास्तव में अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। क्योंकि कच्चे तेल का निर्यात करने की बजाय अब हम स्वयं इसका शोधन कर लेते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे से पहले वक्ता ने इन बातों को छोड़ दिया था। किन्तु इसके साथ ही मैं यह नहीं कहता कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। हम अपना निर्यात और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी बाधायें हैं। यह भी सत्य है कि उन देशों में सुरक्षात्मक प्रवृत्तियां बढ़ने, पूरे विश्व व्यापार में आई गिरावट तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मन्दी के कारण हमारे निर्यात में गिरावट आई है। हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है। इस वर्ष 6 महीने के भीतर, हमारे व्यापार घाटे की राशि 4,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है जो गत वर्ष 2290 करोड़ रुपए

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

थी। मैं मानता हूं कि इस स्थिति को सुधारना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा। यह बात सीधी सी है। हम किस प्रकार निर्यात कर सकते हैं? अधिक उत्पादन करके ही हम निर्यात कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा और हमारे उत्पादन मूल्य के संबंध में क्या बाधा है। हमारी अनेक वस्तुओं की उत्पादन लागत अन्य देशों की उत्पादन लागत से, विशेषकर आयातकर्त्ता देशों की उत्पादन लागत से, अधिक होती है। इसलिए सहज रूप से जब वे देश सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हैं तब हमारे बाजार में माल की भरमार हो जाती है। यह अपरिहार्य स्थिति है। किन्तु हमें ऐसी स्थिति से उभरना होगा। इसलिए मैं कुछ सुझाव देता हूं। मैं अपने सुझाव कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में ही दूंगा जिनका केरल से विशेष संबंध हैं। एक कहावत है। 'उद्योगीकरण करो या मरो'। मैं इसमें सुधार करके यह कहना चाहूंगा—"निर्यात करो या मरो।" हमारे पास जो भी वस्तु उपलब्ध है, उसका हमें निर्यात करना होगा और इतना ही नहीं, निर्यात करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। हमें यही करना होगा। जिस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है उस क्षेत्र में उत्पादन निर्यातोन्मुख होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वाणिज्य मंत्रालय को उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां उत्पादन को निर्यातोन्मुख बनाया जा सकता है और उन क्षेत्रों में वाणिज्य मंत्रालय को उत्पादन बढ़ाने के प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। एक मद है काली मिर्च। पिछले लगभग दस वर्षों में देश में इसका उत्पादन रुका हुआ है—इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और प्रसंगवश मैं यह बताना चाहूंगा कि काली मिर्च की 96 प्रतिशत काश्त का क्षेत्र केरल में हैं और इसकी 94 प्रतिशत पैदावार केरल में होती है। किन्तु गत 10 वर्षों से इसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह लगभग 25,000 टन पर स्थिर है और काली मिर्च की उपज का 90% निर्यात कर दिया है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय मेरी बात सुनें।

**सभापति महोदय :** चटर्जी महोदय, सदस्य महोदय को अपनी बात कहने दीजिए।

**श्री पी० शिव शंकर :** वास्तव में हम इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

**प्रो० पी० जे० कुरियन :** महोदय, काली मिर्च की उपज का 90% निर्यात कर दिया गया है। पिछले दस वर्षों से काली मिर्च का उत्पादन स्थिर है क्योंकि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। और यदि मैं वाणिज्य मन्त्रालय के अधिकारियों से कहता हूं तो वे कहेंगे कि यह कृषि मन्त्रालय का उत्तरदायित्व है। चाहे यह कृषि मन्त्रालय को जिम्मेदारी है या वाणिज्य मन्त्रालय की, यह एक ऐसी मद है जिसे केवल निर्यात के लिए माना जाना चाहिए और इसलिए, वाणिज्य मन्त्रालय को इसके उत्पादन पहलू पर गौर करना चाहिए और काली मिर्च के उत्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक विकासशील कार्य करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यदि इस बारे में कुछ किया जाता है तो आप इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ करोड़ रुपये पर्याप्त होंगे। 1973 में हमारा काली मिर्च का उत्पादन 31,000 टन था। आज यह 31,000 टन से भी कम है,

यह लगभग 22,000 टन है। 1973 में हमने 30,000 टन काली मिर्च का निर्यात किया। यदि पिछले 13 वर्षों से हम इसके उत्पादन को बढ़ाते रहते तो हमने 20 करोड़ रु० की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कमाई होती। परन्तु हमने कुछ भी नहीं किया। प्रति एकड़ हमारी काली मिर्च उत्पादन क्षमता 200 कि०ग्रा० है जबकि हमारे प्रतियोगी देशों जैसे मलेशिया, में यह 1100 कि०ग्रा० है, ब्राजील में यह 3400 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। हमारी उत्पादन क्षमता केवल 200 कि०ग्रा० है। इसलिए वर्तमान क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना बहुत आसान है। क्या यह कठिन है? यह कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें मात्र उच्च स्तर की रोपण सामग्री देनी पड़ेगी, उच्च स्तर की पौध प्रदान करनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटे और सीमान्त मिर्च उगाने वाले हैं। उनके पास केवल एक या दो एकड़ जमीन है और इसलिए इसे लागू करने के लिए उनके पास वित्त स्रोत नहीं है। अतः पौधरोपण के लिए, पुनः रोपण के लिए, खाद के लिए, वैज्ञानिक रख-रखाव के लिए और उत्पादन साधनों के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रत्येक मिर्च की बेल के लिए एक सहारा देने वाले पेड़ की जरूरत है। जब आप उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं, निःसंदेह अधिक वृक्ष लगाने पड़ेंगे और इसका अर्थ यह है कि वृक्षारोपण भी होगा। अतः बिना किसी अतिरिक्त जमीन के, कुछ करोड़ रुपये खर्च करके आप उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और आप मिर्च द्वारा प्राप्त आय को दुगना कर सकते हैं यानि 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और कमा सकते हैं। मेरा यह सुझाव है कि वाणिज्य मन्त्रालय को काली मिर्च की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की एक सुनिश्चित रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और इसे क्रियान्वित करना चाहिए ताकि इस योजना के अन्त तक आप काली मिर्च निर्यात आय को दो गुना कर सकें।

समुद्रीय उत्पादन पर आते हुए, जो फिर एक मिलता-जुलता क्षेत्र है, पिछले कुछ सालों से जलीय पदार्थों के निर्यात में कुछ गिरावट आई है। यहां भी उत्पादन पहलू का सम्बन्ध कृषि मन्त्रालय से है। उत्पादन में और जलीय पदार्थों को पकड़ने में कुछ रुकावटें हैं। आपने इस योजना के अन्त तक 700 करोड़ रुपये की निर्यात आय का लक्ष्य रखा है। परन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। कारण स्पष्ट है: पश्चिमी तट पर झींगा मछलियों का उत्पादन स्थिर या इसमें गिरावट आ रही है क्योंकि हमारे निर्यात की मुख्य मद झींगा मछली है। परन्तु झींगा मछली का उत्पादन स्थिर है और घट रहा है। मैं इसका कारण नहीं जानता। कुछ मत्स्य वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कारण अधिक शोषण है। यदि ऐसा है तो एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए। यदि ऐसा अधिक खपत के कारण है तो संरक्षण उपाय प्रयोग में लाने चाहिएं। अन्यथा, आप कारणों का पता लगाइये। बेहतर स्रोत प्रबन्ध होना चाहिए। अन्यथा, हमारी मछली पकड़ नहीं बढ़ेगी। फिर एक विपरीत परिस्थिति है। यदि तटवर्ती क्षेत्र का अधिक शोषण किया जाता है तो गहन समुद्रीय क्षेत्र का शोषण बिल्कुल भी नहीं होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 45 लाख टन गहन समुद्रीय मछली गहन समुद्रीय क्षेत्र से उपलब्ध है। परन्तु हमने इसको छुआ तक भी नहीं है। हमारे पास कुछ गहन सागरीर जहाज भी हैं। परन्तु वे एक प्रतिशत मछलियां भी नहीं पकड़ पा रहे हैं जो अन्यथा पकड़ी जा सकती थीं। अतः, यदि हम निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो वाणिज्य मन्त्रालय को विशेष परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि गहन समुद्रीय क्षमता प्राप्त करने के लिए 100% निर्यात मूलक परियोजनायें तैयार की जाएं। गहरे समुद्री जहाज आकार में बहुत बड़े होते हैं और एक

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

जहाज के लिए आपको एक करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए, केवल कुछ व्यवसायी, जिनको मछली पकड़ने से कुछ लेना देना नहीं है, गहन समुद्रीय जहाजों को खरीदने या लेने आ रहे हैं। हमारे पास मुट्ठीभर जहाज हैं। अतः हमें इन्हें बेच देना चाहिए। हमें मध्यम आकार या छोटे आकार के जहाजों का आविष्कार करना चाहिए जिनको हमारे मछली उद्योग में लगे लोग खरीद सकें, जिसकी कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए तक होती है। केवल ऐसे जहाज बनाने चाहिएं। उनमें से कुछ पहले ही हमारे पास हैं। परन्तु आपको इसे प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि इस योजना के अन्त तक हमारे पास गहन समुद्रीय क्षमता का उपयोग करने के लिए कम से कम 500 मध्य आकार के जहाज हों ताकि आपका लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अन्यथा आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते।

5.00 म०प०

एक और क्षेत्र झींगा मछली पालन है जिसका हमने लाभ नहीं उठाया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि झींगा पकड़ में गिरावट आई है। समुद्रीय उत्पाद आय में कमी आयेगी। आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। परन्तु भारत में हमारे पास 7 लाख हैक्टेयर खारे पानी की क्षमता है जिसे झींगा पालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसका 5% भाग भी प्रयोग मे नहीं लाया गया है। मुझे ज्ञात है कि केरल के कुछ क्षेत्रों में इसे प्रयोग में लाया गया है। श्री वक्कम पुरुषोत्तमन, हमारे सभापति महोदय, वहां मन्त्री थे और इसलिए वे इसे भली-भांति जानते हैं। इसी प्रकार, पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में भी कुछ प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु फिर भी 5% भाग भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। समस्त 7 लाख खारे पानी वाली भूमि व्यापक एवं सघन झींगा पालन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। अतः मेरा सुझाव है कि वाणिज्य मन्त्रालय को झींगा पालन के लिए 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों की रूपरेखा बनानी चाहिए। मैं वाणिज्य मन्त्रालय का नाम क्यों लेता हूं इसका कारण यह है कि कृषि मन्त्रालय पहले ही कहता है कि वे इसे कर रहे हैं परन्तु वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आलोचना नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं परन्तु मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसलिए, आप यह मामला कृषि मन्त्रालय तथा राज्य सरकार के समक्ष उठाएं और देखें कि पांच साल की अवधि में समस्त क्षेत्र मे झींगे की खेती की जाती है। यह सम्भव है। हमारे पास सुविज्ञता है। यदि इसके लिए कोई सुविज्ञता नहीं है तो आपको इसके लिए तकनीकी जानकारी और सुविज्ञता हासिल करनी चाहिए। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार प्रदान करेगी।

इलायची के विषय पर आते हुए, यहां एक धारणा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक ऊंचे मूल्यों की मांग कर रहे हैं, सूखे के समय जब आपको बहुत ऊंची कीमत मिली थी, की तुलना में उनको कम

कीमत मिल रही है। मैं पिछले चार सालों की कीमतों का विवरण दे रहा हूं।

1983-84 में जब सूखा पड़ा था हमारा उत्पादन केवल 1,600 टन था और औसत नीलामी कीमत 379 रु० प्रति कि०ग्रा० थी।

परन्तु पिछले वर्ष 1982-83 में सामान्य उत्पादन 3,900 टन था। औसत नीलामी कीमत 158.29 रु० प्रति कि०ग्रा० थी।

गत वर्ष 1984-85 में उत्पादन 4,000 टन था। कीमत 202.79 रु० प्रति कि०ग्रा० थी।

परन्तु चालू वर्ष में जबकि उत्पादन 4,000 टन है, औसत कीमत केवल 120 रु० प्रति कि०ग्रा० है।

पिछले चार सालों के दौरान, इस तरह कीमत कभी भी नीचे नहीं आई है। इलायची बोर्ड के अनुमान अनुसार उत्पादन लागत 145 रु० प्रति कि०ग्रा० है। अत: प्रत्येक बेचे गये कि०ग्रा० पर 25 रु० प्रति व्यक्ति हानि उठा रहा है। इसे रिकार्ड में लिख लीजिये कि इस वर्ष देश में उत्पादित सम्पूर्ण इलायची उत्पादकों द्वारा लागत मूल्य से कम कीमत पर बेची गई। यही कारण कि कुछ किया जाना चाहिए। इस वर्ष हमने कुछ नहीं किया।

लेकिन मेरा सुझाव है कि अगले वर्ष कुछ किया जाना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं कि माननीय मन्त्री ने पहले ही कहा है कि इलायची बोर्ड के प्रस्तावों का स्वागत किया जाएगा और वह उन पर कार्यवाही करेंगे। मुझे आशा है वह इस पर अटल रहेंगे और इलायची बोर्ड को बचाने के लिए अगले वर्ष कुछ किया जाएगा।

जहां तक रबड़ उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं रबड़ बोर्ड की उपलब्धि से बड़ा खुश हूं। इलायची बोर्ड की तरह, रबड़ बोर्ड ठीक चल रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस विस्तार योजना का सुझाव उन्होंने दिया है वह मन्त्रालय द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। जब तक आप 1990 तक विस्तार कार्यक्रम नहीं करते हैं जैसा कि रबड़ बोर्ड द्वारा सुझाया गया है, आपको विदेशी मुद्रा खर्च करके अब से तीन गुणा ज्यादा आयात करना पड़ेगा। आपने भविष्य के लिए योजना बनानी है। इसलिए, वाणिज्य मन्त्रालय को योजना आयोग से बातचीत करनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि गहन खेती का रबड़ बोर्ड का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

5.05 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

**श्री सी० डी० पटेल (सूरत)** : मैं वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक व्यापार घाटे और भुगतान संतुलन

[श्री सी० डी० पटेल]

की स्थिति का सम्बन्ध है, वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति है जहां भारी प्रयत्न करने हैं। जहां तक भुगतान सन्तुलन की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं आंकड़ों के विस्तार में जाना नहीं चाहता। जहां तक हमारे आयात व्यापार का सम्बन्ध है, उसमें 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस प्रकार स्थिति यह है—जिसके लिए मैं 'भयावह' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा—लेकिन स्थिति ऐसी है कि गम्भीर सोच-विचार की आवश्यकता है।

जहां तक हमारे निर्यात का सम्बन्ध है, हमारा व्यापार घाटा 6000 करोड़ रुपये तक का हो जाने की सम्भावना है और हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ठीक ही कहा है कि विदेशी मुद्रा परिव्यय 4500 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जबकि गत वर्ष यह 3600 करोड़ रुपये था। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न उठाया था कि क्या हम इसे वहन कर सकते हैं? बल्कि हमें एक प्रश्न उनसे करना चाहिए और मेरा विचार है कि उनका उत्तर होगा 'जी नहीं'। आदरपूर्वक मेरा निवेदन यह है कि इस विषय पर एक बहुत गम्भीर सोच-विचार की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, उसके लिए एक ही नहीं बल्कि 18 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें हैं और इन सभी परिषदों के ऊपर एक निर्यात निरीक्षण परिषद है। हम इन परिषदों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं उनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन मेरा केवल यह अनुरोध होगा कि जहां पर कई ऐसी परिषदें हैं जिनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किये जाने चाहिए। नहीं तो निर्यात की पुरानी धारणा कि जो कुछ भी बचता है उसका देश से बाहर निर्यात किया जाये। जितना जल्दी सम्भव हो छोड़ दें और हम अपने निर्यात और उत्पादन की योजना बनाएं तथा मदों को योजनाबद्ध करें और इस योजना को बहुत ही आरम्भिक चरण में तैयार करना पड़ेगा। जहां तक निर्यात में रचनात्मक महत्व का सम्बन्ध है हमें वह कृषि और समुद्री उत्पाद क्षेत्रों को देना होगा और उनकी सम्भावनाओं का गम्भीरता से पता लगाना होगा और ये निर्यात प्रोत्साहन परिषदों में इस ढंग से गति लानी पड़ेगी कि उनकी कार्य प्रणाली हमारी आशा के अनुरूप काम करे।

जहां तक भुगतान संतुलन की स्थिति का सम्बन्ध है, जो एक विषय में लेना चाहूंगा वह है अनिवासी भारतीयों से देश में आने वाली विदेशी मुद्रा। गत वर्ष यह 700 करोड़ रुपये की थी और अब यह 1000 करोड़ रुपये से भी ऊपर चली गई है। लेकिन एक छोटी कठिनाई है लालफीताशाही और नौकरशाही रवैया है। एक छोटी सी अड़चन का भी कई महीनों और वर्षों तक समाधान नहीं होता है। अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। ये लोग अपना लेन-देन अपने कुछ मित्रों के माध्यम से कर रहे हैं जिनके पास उनका मुख्तारनामा होता है। हमारे विभाग यह अपेक्षा करते हैं कि मुख्तारनामे का प्रत्येक अधिकार, चाहे भारतीय अधिकारियों द्वारा बाकायदा प्रमाणित हो, हर छः महीनों में पुनः प्रमाणित होना चाहिए। उनका कहना है कि एक अप्रतिसंहरण प्रमाणपत्र अर्थात यह प्रमाणपत्र कि उसका प्रतिसंहरण नहीं किया गया है लाया जाना चाहिए। जहां तक अप्रतिसंहरण प्रमाणपत्र का संबंध है, उसके बारे में भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यह बहुत मामूली रुकावट है। इसे तुरन्त ही हटाया जाना चाहिए। मुख्तारनामा एक प्रलेख है। जब तक उसे रद्द न किया जाए

वह विधिमान्य होता है। वह प्रलेख तब तक वैध प्रलेख के रूप में माना जाता है जब तक कि ऐसा अधिकार देने वाले व्यक्ति से कोई अन्यथा बात नहीं आती है। इस प्रकार की स्थिति चल रही है और कई महीनों से वे लोग प्रतिसंहरण प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में ढेर सारी मुश्किलें भुगत रहे हैं। इस छोटी सी बात ने ढेर सारी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। यह अड़चन सम्बन्धित विभाग को तुरन्त आवश्यक निर्देश जारी करके दूर की जा सकती है।

दूसरी वस्तु जो गुजरात में मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरत से सम्बन्धित है, वह हीरा है। बल्कि इस विशेष उद्योग के कामकाज में चमत्कारिक प्रगति है। 1966-67 में इसका निर्याग 10-15 करोड़ रुपये का था, पर अब 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पर पहुंच गया है और इसमें जल्दी ही हम 1500 करोड़ रुपये तक पहुंचने वाले हैं। अब सिर्फ एक विषय पर मैं माननीय मंत्री के सामने जोर देना चाहूंगा क्योंकि मेरे कई विद्वान साथियों ने कहा है कि उपयुक्त ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं महसूस करता हूं कि मन्त्रालय फिलहाल योग्य हाथों में है और मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब हमारे द्वारा एक कैरट का निर्यात किया जाता है तो ढेर सारा रोजगार भी पैदा होता है। हमारे देश में इस उद्योग में 3.5 लाख लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा निर्यात करोड़ों रुपयों में होता है। जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारा कच्चे हीरे का उत्पादन एक प्रतिशत से भी कम है जबकि हम 50 प्रतिशत से भी अधिक हीरों का व्यापार करते हैं। अब, हम विश्व में प्रथम हैं, बेल्जियम और इजराइल हमारे बाद 'हैं'। लेकिन मेरी एकमात्र आशंका यह है कि इस उद्योग के साथ उस ढंग से बर्ताव नहीं किया गया है जिस ढंग से करना चाहिए था। कच्चे हीरों की प्राप्ति के लिए हम एम०एम०टी० सी० और भारतीय हीरा व्यापार निगम के माध्यम से चल रहे हैं। इसके पीछे विचार यह था कि ये संगठन हमें प्राथमिक स्रोत से हीरे उपलब्ध करायेंगे, उदाहरण के तौर से जायरे और घाना से, जहां हीरों का उत्पादन होता है, लेकिन यहां, इस विषय में, वे व्यापारियों के साथ लेन-देन कर रहे हैं। इस प्रकार लघु ईकाइयों को इन दो संगठनों के माध्यम से कच्चे हीरों का प्रबन्ध कराना उपयुक्त नहीं है। हमें यह देखने के लिए वास्तविक प्रयत्न करना चाहिए कि इन संगठनों द्वारा कच्चे हीरों की जो प्राप्ति की जाए उसकी सप्लाई उन लोगों को हो जो हीरा कटाई और पालिशिंग का काम करते हैं। हमारा पहला देश है जहां हीरों की कटाई, पालिशिंग किया जाता है और दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार जो कुछ भी हम करते हैं इसका वास्तविक फायदा दूसरे देशों को है।

हमारे समक्ष एक ही और सबसे अच्छा विकल्प यह है कि अधिक मूल्यवान रत्नों और हीरों को आभूषणों में जड़ दिया जाये और आभूषणों को निर्यात किया जाये।

रत्न और आभूषण निर्यात संगठन के अनुसार वे योजना के अन्त तक सम्भवतः 4500 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि हम इसे तब तक प्राप्त कर पायेंगे जब तक कि हम इन बहुमूल्य आभूषणों का निर्यात न करें। इसलिए ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। यद्यपि यह एक छोटा विषय है फिर भी यह

[श्री सी० डी० पटेल]

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जैसे सूरत में जरी का निर्माण। भारत में तमिलनाडु, वाराणसी और सूरत जैसे बहुत कम स्थान हैं जहां जरी का निर्माण होता है। इन स्थानों पर यह बहुत पुरानी दस्तकारी है। यह एक लघु उद्योग है और वस्तुतः एक कुटीर उद्योग है जिसमें परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं। इस उद्योग को भी सोने की उपलब्धि, सोने की कीमतों, प्रतिपूर्ति समर्थन योजना आदि के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समझा जाता है कि सरकार अन्य देशों जैसे पाकिस्तान से जरी आयात करने के बारे में सोच रही है। मुझे बताया गया है कि इस उद्योग की ओर से यह अभ्यावेदन दिया गया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जितना भी हम उत्पादन करते हैं उसकी यहां खपत नहीं होती है। हम निर्यात भी कर रहे हैं। जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक सूती कपड़े, जरी और हीरों का सम्बन्ध है, सूरत इसका सबसे बड़ा केन्द्र है। मैं इस मन्त्रालय से सूरत में एक विदेशी डाकघर खोलने के बारे में विचार करने का निवेदन कर रहा हूं। जरी डाकघर के जरिये निर्यात की जा रही है। हीरे भी डाकघर के जरिये निर्यात किये जा सकते हैं। अब सूरत के लोगों को बम्बई जाना पड़ता है। जब कभी भी पहले मैंने यह प्रश्न उठाया तो मुझे बताया गया कि यह मामला दूसरे मन्त्रालय से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे वित्त और संचार मन्त्रालय के साथ उठाया जाये और एक विदेशी डाकघर सूरत में स्थापित किया जाये।

महोदय, जहां तक हमारी इंजीनियरी मदों के निर्यात का सम्बन्ध है स्थिति अच्छी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि गत वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आ रही है। गत वर्ष यह लगभग 9[illegible],800 करोड़ रुपये के आस-पास था। इस वर्ष यह 738 करोड़ रुपये का होने जा रहा है। जहां तक इंजीनियरी माल का सम्बन्ध है, इस पर यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हमें सस्ती मजदूरी और अन्य सुविधाओं के कारण जो भी लाभ प्राप्त होता है वह पुरानी प्रौद्योगिकी मशीनरी और उत्पादन के पुराने तरीकों के कारण समाप्त होता जा रहा है। जहां तक हीरे के उद्योग का सम्बन्ध है उन्हें कुछ कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं और वे कठिनाइयां अपर्याप्त बैंक ऋण, जो निर्यात निष्पादन से जुड़ा है, के कारण हो रही हैं।

एक अन्य प्रमुख बाधा है 1.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी का उपलब्ध न किया जाना जो सामान्यतः रुपये के रूप में मिलती है। तीसरी बात यह है कि यह उद्योग चाहता है कि विदेशी बैंकों को ब्याज के रूप में देय राशि को कर मुक्त किया जाये। मेरा चौथा सुझाव है कि सरकार रत्न और आभूषणों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनों, उपकरणों और औजारों को आयात मूल्य से मुक्त करे। मेरा अन्तिम सुझाव है कि सरकार कच्चे हीरे की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, गत वर्ष वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कतिपय आधारभूत प्रश्न उठाए थे, कि क्यों हमारे देश का भुगतान शेष हर साल बढ़ता जा रहा है और क्यों देश के ऋण का बोझ और उसके परिणामस्वरूप ऋण पर देय व्याज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और क्यों हमारा देश विश्व की संकट ग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है और क्यों हमारे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है और हम क्यों लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हो रहे हैं। मैंने ये आधारभूत प्रश्न उठाए थे। वाद-विवाद का उत्तर देते हुए तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री ने स्वीकार किया था कि हमारे निर्यात को विकसित देशों द्वारा अपनाए गए भेदभाव पूर्ण और मनमाने संरक्षणात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस समस्या से निपटने के अर्थोपायों पर विचार कर रही है।

परन्तु तब से आपने क्या अपनी नीति परिवर्तित कर दी है ? क्या स्थिति में कोई प्रशंसनीय परिवर्तन हुआ है—? नहीं, बिल्कुल नहीं—। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है : इसके विपरीत व्यापार अन्तराल बढ़ा है और भुगतान शेष की स्थिति, जैसा कि निम्न आंकड़ों से ज्ञात होता है, बिगड़ती जा रही है। भारत का हिस्सा विश्व व्यापार में हर तरह से नगण्य है और 1982-83 में व्यापार घाटा 5448 करोड़ रुपये था; 1983-84 में वह बढ़ कर 5898 करोड़ हो गया; 1984-85 में वह 5537 करोड़ रुपये था और यह अनुमान है कि 1985-86 में वह 9000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यद्यपि सरकार अभी तक यह नहीं बता सकी है कि 1985-86 में वास्तविक स्थिति क्या होगी और आने वाले वर्षों में जब विभिन्न आई० एम० एफ० ऋणों की वापसी शुरू हो जाएगी तब क्या स्थिति होगी। 1988-89 के दौरान वापसी की राशि सबसे अधिक होगी; हमें 90 करोड़ डालर से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा इसलिए आपका क्या करने का इरादा है ? आपको और अधिक व्यापारिक ऋण लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना के दौरान ऋण सेवा की दर औसतन 17.6 प्रतिशत आंकलित की गई है जिसके आठवीं योजना के अन्त तक 28 प्रतिशत के स्तर को छू जाने का अनुमान है।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की कड़ी आलोचना की थी और इसके परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। परन्तु सरकार ने दृढ़ता से इसकी हिमायत की और इसे मध्यवर्गीय जमींदारी समर्थक सरकार द्वारा अपनाए गए पूंजीवादी विकास मार्ग द्वारा उत्पन्न किए गए सभी आर्थिक संकटों के निवारण के लिए रामबाण सिद्ध करने का प्रयास किया। अब आप उस चीस को महसूस करेंगे

मैंने गत वर्ष अपने भाषण में आपको चेतावनी दी थी कि आपकी नीति देश को साम्राज्यवादी ऋण के फन्दे में ले जाएगी और आप कभी भी उससे निकल नहीं पाएंगे। परन्तु आपने तब कहा था कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि देश ऋण के फन्दे में न फंसे। परन्तु अब, क्या हो रहा है ? आपके हाथ बंधे हैं। आप देश के हित में अपनी ही नीति यह अमल नहीं कर सकते हैं। आप फैसला नहीं कर सकते कि क्या निर्यात करना है और क्या आयात करना है। इसका फैसला वे करते हैं।

विकसित पूंजीवादी देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत आत्म निर्भरता की नीति को जारी

[श्री आनन्द पाठक]

रखे। हमारे देश के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों की कीमत पर अपने संकटों को हल करने हेतु वे हमें अपने ऊपर आश्रित रखना चाहते हैं।

आर्थिक पुनंउत्थान की गति जिसके लिए बहुत शोर मचाया गया था, संकट से परिपूर्ण पूंजीवादी संसार में बहुत धीमी हैं और इसकी 1984 में ऊपर उठने की आशा नहीं है। यह दावा किया गया था कि यह मन्दी के चंगुल से पूर्णतः निकल चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गति में लगभग पूर्णतः गतिहीनता आई है और संसार की अर्थव्यवस्था में गम्भीर मन्दी की स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या आप इन देशों को अपना निर्यात बढ़ा कर अपने व्यापार के घाटे को कम करने की आशा कर सकते। हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते। ऐसा असम्भव है।

देश को 21वीं सदी में ले जाने के अपने लक्ष्य के लिए आपने अपनी नई आर्थिक नीति की घोषणा की। आपने बहुत सी मदों को लाइसेन्स से मुक्त करने की घोषणा की थी। और यह सब मुख्यतः आयात को उदार बनाने के लिए किया गया था।

इस नीति ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए रास्ता खोल दिया जिन्होंने अपनी पुरानी तकनीक, कम्प्यूटरों और स्वदेशी उत्पादों की कीमत पर अपने उत्पादों को हमारे बाजारों में भरमार कर दी है जिससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा को गवांया है और हमारे लोगों को लूटा गया है।

यह नीति केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए लाभप्रद हुई हैं जिन्होंने ग्राहकों की कीमत पर ऊंचा लाभ कमाया है। यह नीति स्वदेशी तकनीक का विनाश कर रही है और देश ने जो थोड़ी उन्नति की थी उसे चौपट कर रही है।

इस नीति से बहुत से स्वदेशी उद्योग, मिल व कारखाने बन्द हो जाएंगे जिनकी संख्या पहले से ही बन्द पड़े अस्सी हजार से अधिक उद्योगों में जुड़ जाएगी।

इस नीति से और अधिक प्रतिभा निष्कासन होगा और भारतीय कारीगरों के हाथों से काम ले लिया जाएगा और 10 करोड़ से अधिक बेरोजगारों की संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। यह नीति लघु क्षेत्र का विनाश कर रही है। और अब वे राहत व न्याय के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। आपने अपनी नई आर्थिक नीति व आयात उदारीकरण नीति से क्या प्राप्त कर लिया ?

आप केवल आयात बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। जो अप्रैल-सितम्बर 1984 में 7344.84 करोड़ रुपये के आयात से बढ़कर वर्ष 1985 में इसी अवधि में 9141.63 करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार इसमें 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निर्यात भी 1984-85 में 3.4 प्रतिशत और कम हो गया है अप्रैल—सितम्बर 1985 की अवधि में 0.7 प्रतिशत अर्थात 5017.63 करोड़ रुपये जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में वर्ष 1984 में यह 5054.26 करोड़ रुपये था।

वर्ष 1984-85 में 15,600 करोड़ रुपये का आयात किया गया और इसके चालू वित्त वर्ष में तेजी से बढ़ने की सम्भावना है।

सरकारी प्रवक्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापार घाटे में वृद्धि भारी मात्रा में तेल के आयात के कारण हुई है। लेकिन इस स्पष्टीकरण में कोई दम नहीं है क्योंकि अप्रैल-अगस्त 1985 में तेल के आंकड़ों को छोड़ कर घाटे का व्यापार 2722.7 करोड़ रुपये था जबकि इसकी तुलना में अप्रैल-अगस्त 1984 में तेल और अन्य वस्तुओं को मिलाकर घाटे का कुल व्यापार 2158 करोड़ रुपये था। इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि व्यापार घाटा अन्य वस्तुओं के कारण हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि आपके स्पष्टीकरण में कोई दम नहीं है।

लेकिन इन सभी असफलताओं के बावजूद सरकार वही आत्मघाती नीति अपना रही है और ऐसे हानिकारक आयात को नियन्त्रित करने के स्थान पर; यह रुपये के अवमूल्यन का प्रस्ताव रख रही है। वास्तव में रुपये की बाह्य कीमत में 15 प्रतिशत मूल्यह्रास पहले ही हो चुका है। आई०एम०एफ० और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेने के लिए रास्ता निकालने के लिए ऐसा किया गया था ताकि भुगतान संकट से निपटा जा सके यह आपकी नीति का दिवालियापन है और यह अपने आपको आई० एम० एफ० और साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय बैंकों के साथ बांधने का शर्मनाक परिणाम है।

यह आशा करना बिल्कुल मूर्खता है कि व्यापार सन्तुलन की स्थिति में ऐसे अवमूल्यन से सुधर जाएगी। इसके स्थान पर इसका वास्तविक असर मुद्रा स्फीति की दर पर पड़ेगा और परिणामस्वरूप लोगों के जीवन-स्तर पर। इससे पूरा कीमत-स्तर बढ़ जाएगा और सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मजदूरों की मजदूरी व आय कम हो जाएगी और पूंजीपतियों के हाथों में अधिक लाभ आएगा। यह आपकी नई आर्थिक नीति का परिणाम है जो कि अन्ततः देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगी।

इस प्रकार यदि आप समाजवाद की भविष्यवाणी जो संविधान में प्रतिस्थापित हैं और बम्बई में हुए कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन के राजनैतिक संकल्प में समाविष्ट है; के बारे में वास्तव में गम्भीर हैं तो आपको अपनी नीति बदलनी चाहिए। आपका उन्नति का अपना पूंजीवादी रास्ता बदल लेना चाहिए और नया रास्ता तथा नई आर्थिक नीति अपनानी चाहिए। केवल तभी आप इस संकट से निकल सकते हैं।

जहां तक आयात करने योग्य वस्तुओं का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि रत्नों और आभूषणों के निर्यात में वृद्धि को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के निर्यात के बारे में हमारी उपलब्धि संतोषजनक नहीं रही है। परन्तु रत्नों और आभूषणों के निर्यात को 1984-85 में कुछ आघात पहुंचा है। देश के लिए अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली दूसरी वस्तु चाय है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 1985-86 में विश्व चाय बाजार में गिरती हुई कीमतों के कारण निर्यात कम होने की सम्भावना है। यही केवल ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसकी देश और विदेश में मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन अपनी अव्यावहारिक नीति के कारण कभी-कभी आप अपेक्षित मात्रा में घरेलू बाजार में चाय की पूर्ति करने में असफल रहते हैं और कभी-कभी आप निर्यात बाजार में कम चाय की आपूर्ति करते हैं। कुछ

[श्री आनन्द पाठक]

समय पहले आपने सी० टी० सी० के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और विदेशी बाजार में भारतीय चाय की कमी उत्पन्न कर दी थी जिससे हमने अपना बाजार खो दिया और दूसरे देशों की चाय ने हमारा स्थान ग्रहण कर लिया। कई बार आप न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित कर देते हैं औ- उसके बाद आप उसे वापिस ले लेते हैं। यह आपकी नीति है। कोई ठोस नीति नहीं है। यही कारण है कि हमारा निर्यात गिरता जा रहा है।

मेरी राय में हमें विश्व बाजार में उत्तम किस्म की व मूल्य—वृद्धित चाय द्वारा स्थाई स्थान बनाना चाहिए ताकि सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। अगर आप प्रतिवेदन को पढ़ें तो आपको ज्ञात होगा कि निर्यात योग्य वस्तुओं जैसे चाय, जूट, इंजीनियरी सामान आदि का निर्यात गिर रहा है। इसका कारण बाजार की कमी होना नहीं है बल्कि सरकार की नीति जो यह तबाही ला रही है। मेरी मांग है कि सारी नीति पर पुर्नविचार होना चाहिए जिससे हम निर्यात बढ़ाकर अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें जिसकी हमारे देश को संकट का सामना करने के लिए नितांत आवश्यकता है। जब तक हम सारी नीति, आधारभूत नीति में परिवर्तन नहीं करते, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जहां पर साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व है कुछ नहीं कर सकते। जब तक आधारभूत नीति को नहीं बदला जाता तब तक अधिक निर्यात करने की गुंजाइश नहीं है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री जयप्रकाश अग्रवाल** (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं कामर्स मिनिस्ट्री की डिमांड्स का अनुमोदन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय का ध्यान सादे कपड़े और कपड़े से बनी हुई चीजों, सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात करने वालों की परेशानियों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

सबसे बड़ी परेशानी छोटे निर्यातकर्त्ताओं को यह होती है कि जब वे एग्जीबीशन के लिए देश से बाहर जाते हैं तो उनको यहां की ट्रेड डवलपमेंट अथारिटी या ट्रेड फेअर अथारिटी से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है। जब ये निर्यातकर्त्ता इनके माध्यम से बाहर एग्जीबीशन पर जाते हैं तो इनका लाखों रुपया खर्च होता है और उनको यह पता नहीं होता कि बाहर जाकर उन्हें आर्डर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो पदाधिकारीगण उनके साथ जाते हैं वे भी इन एक्सपोर्टर्स का वहां माल बिकवाने में कोई मदद नहीं करते। इसका नतीजा यह निकलता है और जैसा कि आपकी किताब में भी लिखा है कि तीन एग्जीबीशंस में हिस्सा लेने के बाद सिर्फ 12 करोड़ रुपये के आर्डर एक्सपोर्टर्स को मिले। जहां हम इतना पैसा खर्च करके इन एक्सपोर्टर्स को ले जाते हैं और उसके बाद हमें 12 करोड़ रुपए के ही आर्डर मिलें तो इससे ज्यादा शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।

दूसरे, जो ये संस्थाएं हैं और आप सरकुलर भेजते हैं, जो मेम्बर होते हैं, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको भी भेजें। और उसमें जो रेफरेंस दिए गए होते हैं कि इस-इस कंट्री में ये-ये इम्पोर्टर्स हैं, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करें, वे ज्यादातर नाम गलत होते हैं या उनके होते हैं जो फर्म्स बन्द हो चुकी होती हैं या जिस

आइटम के लिए उनका पता भेजा जाता है, वह उस आइटम को डील ही नहीं करती हैं। इस प्रकार से इन छोटे निर्यातकों का काफी खर्च उनसे सम्पर्क साधने उनसे मिलने के लिए जाने में होता है और उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अब, मैं आपका ध्यान सिले हुए कपड़ों के निर्यात की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर हम पिछले आंकड़े देखें, तो मालूम होगा कि इसका निर्यात असाधारण रूप से प्रशंसनीय रहा है। 1943-84 में 610 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। 198 से 1986 तक यह निर्यात बढ़कर लगभग 40.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करीब 860 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम इन छोटे निर्यातकों को सरकार की तरफ से और ज्यादा सुविधाएं दें, तो यह बारह-तेरह सौ करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट तीनों चीजों का बढ़कर तकरीबन 25 सौ करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगर सरकार की ओर से उनको शेड, मशीनरी मिले, सरकार बैंकों से पैसा दिलाने में मदद दे और उनको अच्छा इंसेंटिव दे। आज हिन्दुस्तान का जो छोटा एक्सपोर्टर है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उससे सस्ता माल कोरिया से मिलता है, चाइना से सस्ता माल मिलता है, पाकिस्तान से सस्ता माल मिलता है और श्रीलंका से सस्ता माल मिलता है, लेकिन चूंकि हमें ज्यादा फेसिलिटीज नहीं मिलती हैं या निर्यातकों को अच्छे इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं या उनको इंसेंटिव्स मिलने में दिक्कतें होती हैं। इसलिए वे अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पाते हैं और वहीं रह जाते हैं।

इसके बाद, मैं रेडीमेड गार्मेण्ट्स का जो कोटा सिस्टम है और उसमें जो डिफैक्ट्स हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका सारा काम ब्लैक मनी से होता है, उसकी ओर आप ध्यान दें जो कोटा रेडीमेड गार्मेण्ट में बड़े-बड़े एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, उसमें उनको ये छूट दी जाती है कि वे उस कोटे को किसी भी छोटे एक्सपोर्टर को या दूसरे एक्सपोर्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं। नतीजा यह होता है कि जब किसी कण्ट्री में शॉर्टेज हो जाती है, तो ट्रांसफर की जो कीमत है वह दस रुपए से तीस रुपए पर पीस तक होती है और इस प्रकार से लाखों रुपये का काला बाजार उसमें होता है। वह छोटा निर्यातकर्ता जिसका कि माल तैयार होता है, जिसके पास उस माल को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं होता, उस को तीस रुपए पर पीस उस कोटे की कीमत देकर, उस कोटे को खरीदना पड़ता है तब वह अपना माल भेज सकता है, वरना उस का लाखों रुपए का नुकसान हो जाए और वह बैंक्रप्ट भी हो सकता है। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस प्रकार की कोटा सिस्टम पालिसी को फौरन बन्द किया जाना चाहिए, जिसमें सारा काला बाजार होता है और काला धन एक जगह से दूसरी जगह जाता है।

इसके बाद मैं आपका ध्यान कपड़े की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे एक्सपोर्टर को बहुत परेशानी होती है। जब भी बाहर के मुल्कों से कोई आर्डर मिलते हैं और किसी पर्टीकुलर कपड़े की डिमाण्ड बढ़ती है, तो बाजार में उसकी कीमत दो रुपए से तीन या चार रुपए तक ज्यादा हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि या तो वह अपने आर्डर्स को भेज नहीं सकता है या अगर आर्डर भेजता है और माल बनाता है, तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं, मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहता हूं कि एन० टी० सी० या ए० पी० सी० और ट्रेड फेयर अथार्टी के आफिसर्स को मिलाकर कोई ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जिससे कि जब भी कभी इस प्रकार के

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

कपड़े की डिमाण्ड आए तो वह कमेटी फैसला ले कि एन० टी० सी० की मिलें वह कपड़ा बनाकर एक्सपोर्टर्स को दें, ताकि वह अपने आर्डर्स पूरे कर सकें।

इसके साथ-साथ, मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि जो इंसेंटिव पहले एक्सपोर्टर्स को दिया जाता था सिले हुए कपड़ों पर वही अब दिया जाना चाहिए। जब सिले हुए कपड़ों का एक्सपोर्ट चालू किया गया था उस समय कैश इंसेंटिव 40 परसेंट और लाइसेंस 25 परसेंट दिया जाता था एफ० ओ० बी० वैल्यू पर, लेकिन आज जो माल बाहर निर्यात किया जाता है उस पर कोई इंसेंटिव नहीं है। सिर्फ पांच प्रतिशत लाइसेंस मिलता है या पांच प्रतिशत ड्रा-बैक मिलता है, जो शायद अब साढ़े सात प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे उसको घाटा होता है। अगर उसको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाए, तो वह ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वह रुक जाता है और इससे उसका एक्सपोर्ट कम हो जाता है। आज छोटे निर्यात-कर्ता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बहुत सारी उसकी छोटी फैक्टरीज ऐसे इलाकों में हैं जहां लाइसेंस नहीं मिलता, स्माल स्केल इंडस्ट्री में फैसिलिटी नहीं मिलती। उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको सबसे ज्यादा हड़ताल का सामना करना पड़ता है। इससे फैलाव ज्यादा है, जो निर्यात करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

एक सबसे बड़ी दिक्कत पिछले साल में आई थी। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का कपड़ा न्यूयार्क में जाकर रुक गया और उसकी कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपये थी। यहां से कपड़ा पावरलूम का मानकर गया, उसका इंसपैक्शन हुआ, कस्टम से पास हुआ, हैंडलूम से पास हुआ लेकिन वहां जाकर उन्होंने उसे हैंडलूम का मानने से इंकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको पास नहीं करेंगे। वह कपड़ा 4 महीने तक वहां पोर्ट्स में पड़ा रहा। उसके बाद जब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इंटरफीयर किया तब जाकर वह माल क्लीयर हुआ। इतने दिन तक एक्सपोर्टर्स का सारा पैसा रुका रहा और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी दिक्कतें बराबर आती रहती हैं और उनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या टी० डी० ए० या आपके मंत्रालय को इसके बीच में आना चाहिए और इस तरह का फैसला जल्दी होना चाहिए ताकि उन लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मैंने अपनी मांगों में थोड़ी सी बातें रखी है जो मैं कहना चाहता हूं—

1. मैं आपसे मांग करता हूं कि कोटा देने का सही तरीका ढूंढा जाना चाहिए।

2. समय पर और सही दाम पर कपड़ा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

3. माल भेजने में जो रेलवे में दिक्कत होती है, उसको दूर किया जाना चाहिए।

4. जैसा और देशों में होता है, निर्यातकर्ता से प्री-शिपमैंट क्रैडिट पर कोई ब्याज नहीं लिया

जाता, उसी तरह से हिन्दुस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे भी प्री-शिपमैंट क्रैडिट पर कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए।

5. एक्सपोर्टर्स को 10 साल के लिए इन्कम टैक्स से छूट दी जानी चाहिए ताकि वह और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके।

**श्री पी० शिव शंकर :** अग्रवाल जी, इस बारे में अगर आप टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** यह एक्सपोर्टर्स की प्राब्लम मैं बता रहा हूं और एक्सपोर्टर्स आपकी मिनिस्ट्री के अन्दर आते हैं।

6. निर्यातकर्ता को ड्रा-बैंक, कैश इंसैंटिव और लाइसेंस जल्दी से मिलने चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी डिमांड्ज का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) :** मांगों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री जी का ध्यान कुछ चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री पी० शिवशंकर :** मैं सोच रहा था कि माननीय सांसद बजट में बढ़ोतरी के लिए कहेंगे।

**सभापति महोदय :** यह शुरूआत है, वह ऐसा कर सकते हैं।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** मैं आश्चर्य कर रहा था कि स्वतन्त्रता के बाद सबसे अधिक लाभान्वित लोग कौन से हैं। मेरे विचार में नौकरशाह और नौकरशाह द्वारा मदद किये गये कुछ व्यापारी सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।

उदाहरण के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अधीन राज्य व्यापार निगम को लीजिए। राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों ने एक एकाधिकारी ठेकेदार से सांठगाठ की हुई है और इस प्रकार राज्यकोष को 18 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं बल्कि उन्होंने 80 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा गैर-कानूनी तौर पर विदेश चले जाने में मदद की है।

जैसाकि आपको मालूम है राज्य व्यापार निगम शीरा निर्यात के लिए एक माध्यम एजेन्सी है लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 15 वर्षों से शीरे का निर्यात व्यापार केवल एक कम्पनी और उसकी सहयोगी कम्पनियों ने अपने हाथ में संकेन्द्रित किया हुआ है (व्यवधान)।

**श्री पी० शिव शंकर :** उस कम्पनी का क्या नाम है।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : इन्डियन मोलेसीस कम्पनी और उसकी सहयोगी कम्पनियां।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कौन-सा घराना ?

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : मुझे मालूम नहीं।

**श्री पी० शिव शंकर** : सोमनाथ का घराना ···(व्यवधान)

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : इस सदन की दो समितियों ने इस पर ऐतराज किया है। लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस पर आपत्ति की है और चाहा है कि इस प्रतिस्पर्धा में अन्य व्यापारियों को शामिल कर एकाधिकार को समाप्त किया जाए। परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने 1979 में निविदाएं आमंत्रित की थीं। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न संख्या 806 का 28 फरवरी, 1986 को जो उत्तर दिया था केवल उसके अनुसार यह कम्पनी शीरे के निर्यात व्यापार के तभी से कार्य कर रही है जब से यह निर्यात आरम्भ हुआ है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि केवल यह कम्पनी और इसकी सहयोगी कम्पनियां ही शीरे के निर्यात का कार्य कर रही है। मेरे और श्री बसवराजू के एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने निविदाओं का ब्यौरा दिया है···(व्यवधान)।

**श्री पी० शिव शंकर** : क्या आप फिर प्रश्न संख्या बताएंगे ?

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : प्रश्न संख्या 885 दिनांक 28 फरवरी 1986, इसमें उन्होंने बताया था कि 11 कम्पनियों ने शीरे के निर्यात की निविदाएं देते समय अपने मूल्य उद्धृत किए थे जिनमें से न्यूनतम था 223 प्रति मीटरी टन और अगला न्यूनतम था 250/- रुपये प्रति मीटरी टन। इस भारतीय शीरा कम्पनी और इसकी सहयोगी कम्पनियों ने 275 रु० की इसकी निविदा दी थीं। चूंकि शीरे के निर्यात पर रोक थी, इसलिए राज्य व्यापार निगम ने इसके ठेकेदारों को इस निविदा का समय बढ़ाने के लिए कहा जो उसी मूल्य पर समय बढ़ाती गई किस समय तक ? यह समय मार्च 1982 तक बढ़ा दिया गया जबकि शीरे के निर्यात पर से रोक हटा ली गई और इसके पश्चात क्या हुआ···(व्यवधान)

**श्री पी० शिव शंकर** : क्या आपका मतलब है कि 1979 से 1985 तक ?

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : हां, वे इसी मूल्य पर समय बढ़ाते गये। लेकिन जब शीरे के निर्यात पर रोक हटा ली गई इन निविदाओं की उपेक्षा कर दी गई। बड़ी हास्यास्पद बात है, एक दिन उन्होंने इस व्यक्ति को बुलाया और 10-9-82 को उसे ठेका दे दिया। शीरे के निर्यात के लिए हस्ताक्षर किए गये समझौते की नकल यह है। समझौता 10-9-82 को हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता 1-6-1982 से पांच वर्षों के लिए लागू किया गया और यह पिछली तारीख से लागू किया गया।

उन्होंने 275 रु० प्रति मीटरी टन की दर पर भाव बताया था और वे इसकी वैध अवधि को मार्च, अप्रैल 1982 तक बढ़ाते गए। बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि राज्य व्यापार निगम उसे क्या मूल्य देता है। उसे 360/- की दर दी गई। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ और चीज भी हैं। एक वर्ष के पश्चात् जून 1983 में राज्य व्यापार निगम ने एक और सहायक समझौता किया··· (व्यवधान)

**श्री पी० शिव शंकर .** मुझे खेद है क्या मुझे एक मुद्दा स्पष्ट करेंगे। क्या आपका केस यह है कि 1979 के निविदानुसार उन्होंने 275/- रु० भाव निर्धारित किये थे और इस निविदा की अवधि 1982 तक बढ़ा दी गई और 10 सितम्बर 1982 को निविदा 360/- रु० के लिए हस्ताक्षरित की गई अर्थात् जो उन्होंने भाव बताया था उससे अधिक मूल्य पर। क्या मेरी अवधारणा ठीक है।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** कृपया इसे दोहरा दें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** कृपया सारांश में बता दें।

**श्री पी० शिव शंकर :** मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं अपने रिकार्ड ठीक से देख सकूं। आपने कहा कि निविदाएं 1979 के आसपास आमंत्रित की गई और इस पार्टी में 275 रु० प्रति मीटरी टन का भाव बताया था और इन निविदाओं की तिथि को समय-समय पर बढ़ाया गया और उन्हें इस निविदा की वैध अवधि को बढ़ाने के लिए कहा गया। उनको 1982 तक बढ़ा दिया गया था। जब यह 10 सितम्बर, 1982 को आया था। जब इस दल के साथ एम० टी० सी० द्वारा करार किया गया था तो आपने कहा कि करार में यह 360 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर है। क्या मैं सही कह रहा हूं ?

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** जी हां।

**श्री पी० शिवशंकर :** यह ठीक है।

**(व्यवधान)**

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** इसके बाद एस० टी० सी० ने 21 जून, 1983 को एक पूरक करार में हस्ताक्षर करना बहुत सुविधाजनक समझा। यह केवल एक वर्ष बाद हुआ है। दर क्या दी गई है ? प्रस्तावित दर 595 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। यह करारपत्र है जिसे 21 जून, 1983 को जे० आर० इन्टरप्राइजेज को लिखा गया था। वे फिर कहते हैं कि यह 1-6-83 से 3 वर्षों के लिए लागू होगा।

**श्री पी० शिव शंकर :** मैंने समझा कि आपने 5 वर्ष कहा।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** अब उन्होंने पूरक पत्र में 595 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बढ़ी हुई दर के साथ 3 वर्ष कहा है। यदि आप उनको दी गई दर और निम्नतम टेंडर के बीच के अन्तर का

[श्री एच० एन० नन्जे गौडा]

हिसाब लगायें तो उन्होंने जो निर्यात किया है, उसकी मात्रा के लिए यह 14 करोड़ रुपये आएगा। (व्यवधान) जब निविदायें आमन्त्रित की गई थीं तब उन्होंने कभी नहीं बताया था कि ठेकेदार को कम चीनी के अंश मात्रा का अधिक लाभ होगा। चीनी की मात्रा का लाभ मिलेगा। न्यूनतम 48% चीनी की मात्रा वाले सीरे का निर्यात किया जाता है। इससे अधिक की मात्रा पर अधिक मूल्य दिया जाता है। निविदा अधि सूचना के अनुसार इसका भुगतान एस टी सी को देना होगा। परन्तु यहां विदेशों में एकत्रित करने के लिए ठेकेदार को अधिक लाभ दिया जा रहा है। आप अपने एस टी सी से पूछताछ करें कि कितनी चीनी फैक्ट्रियों ने शिकायत की है कि वह चीनी की कम मात्रा वाला सीरा नहीं उठा रहा है। उन्होंने हमेशा केवल 50% से अधिक की मात्रा वाली चीनी का सीरा उठाया है। विशेषज्ञों जिन्होंने मेरे साथ चर्चा की के अनुसार केवल चीनी की मात्रा पर प्रीमियम जिसे उन्होंने देश से बाहर डालरों में प्राप्त किया, कम से कम 80 लाख डालर है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह बेहिसाब है।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : निःसन्देह बेहिसाब है। इन दरों के कारण एस टी सी द्वारा उन्हें सहायता करने के बाद से उनका एक आदमी स्विटजरलैंड में रह रहा है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हम यहां अपना समय बरबाद कर रहे हैं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर)** : अनिवासी भारतीय द्वारा निवेदक के रूप में शायद उसे भारत वापस आना पड़ा हो।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : महोदय, अब क्या प्रक्रिया है। (व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों को जो लेखा विधि प्रक्रिया तथा इन चीजों के निर्यात से भली भांति परिचित हैं। मुझे सलाह देनी चाहिए। मुझे बताया गया था कि जब कोई माध्यम एजेंसी एक एजेंट को नियुक्त करेगी तो वह आन्तरिक साख पत्र खोलेगा। अर्थात वे इसे "बैक टु बैक" लेखा कहते हैं। मुझे ब्यौरों का पता नहीं है। परन्तु इस मामले में करार में यह उल्लेख है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "साख पत्र को अभिहस्तांकन एस० टी० सी० के पक्ष में विदेशी खरीददारों द्वारा स्थापित साख पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एस० टी० सी० एजेन्टों के पक्ष में अभिहस्तांकित करेगा।"

यह कुछ शर्तों के अधीन है। अब क्या होगा ? वह वापिस धनराशि प्राप्त करेगा। और वह अपना हिस्सा डालर में काटेगा। शेष एस टी सी को जाएगा। अतः एस टी सी एक माध्यम एजेन्सी नहीं है। वह स्वयं माध्यम एजेंट और निर्यातक है। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री जी ने इसकी अनुमति किस प्रकार से दी। कुछ लोग, जो वित्त सम्बन्धी अनुभव रखते हैं, इस बात से आश्चर्य चकित हैं कि वित्त मन्त्री ने किस प्रकार इस अनियमितता को होने दिया। सौभाग्य से 'फोटोस्टेट' कापी बनाने वाली मशीनों का आविष्कार हो गया है। वित्त मन्त्री का कार्यालय फोटोस्टेट कापी बनाता है और मोहर लगाता है ":मूल प्रति प्राप्त की : वित्त मन्त्री भारत सरकार।" हम नहीं जानते कि हमारे मूल पत्र का क्या होगा। यह मन्त्री जी के बयान में भी नहीं गया होगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इसके बाद यदि आप 'जिन्दाबाद' कहते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : इस कम्पनी का नवीनतम प्रयास क्या है? खाद्य तेल के आयात पर एकाधिकार स्थापित करना है। किस प्रकार? नौवहन मन्त्रालय की सहायता से नौवहन मन्त्रालय को भूमि आवंटन करना है। आपके एस० टी० सी० को भी एक निश्चित व्यापार देना होगा। परन्तु जो कुछ हो रहा है वह यह है कि एस टी सी कुछ ठेकेदारों के समर्थन में निश्चित व्यापार देगा लेकिन नौवहन मन्त्रालय कहता है कि "हमने इस व्यक्ति को भूमि दी है। दूसरे को निश्चित व्यापार मत दो' अतः वह खाद्य तेल पर भी एकाधिकार जमाना चाहता है।

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर)** : वह कौन सा व्यक्ति है?

**(व्यवधान)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह संगत प्रश्न है। **(व्यवधान)** वह उसका भेद नहीं खोल सकते वह मुसीबत में हो जाएगें।

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : अतः मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं— इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए मैंने प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री को पहले ही लिखा है और यदि सम्भव हो तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जाए। अतः मैं मन्त्री जी से इन मामलों पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं **(व्यवधान)**

महोदय, इस महीने की 24 तारीख से काफी उत्पादक अनिश्चित काल की हड़ताल पर हैं। ये लोग मेरे घर के सामने धरना दिये हैं, क्योंकि कर्नाटक में काफी उत्पादक क्षेत्र से मैं एक संसद सदस्य हूं। उनकी कुछ वास्तविक मांगें हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें क्योंकि काफी उत्पादकों के लिए···

**(व्यवधान)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप यहां हर समय बैठकर क्या कर रहे हैं जब कुछ लोग 80 लाख डालर बना रहे हैं?

**(व्यवधान)**

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : यह न्यूनतम राहत मूल्य है—इसी तरह आपको इसे संशोधित करने के लिए तुरन्त निर्णय लेना होगा। मुझे याद है कि इस बारे में आपके पास सिफारिश पड़ी हुई है। और काफी की प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत—क्योंकि उस दिन हमारे प्रश्न का जवाब देते समय आप बता रहे थे कि उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है, परन्तु भारी मात्रा में नहीं। वह मामला नहीं है। कर्नाटक में औसतन काफी की उपज का अर्थ 5 एकड़ में 2 टन है। यदि इसकी कुशलता से व्यवस्था की जाती है तो इसकी प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत 101 रुपये होगी, नहीं तो यह 12 रुपये तक जाएगी। अतः कम से कम न्यूनतम राहत मूल्य 10 रुपये होना चाहिए और इसे तुरन्त दिया जाना चाहिए अर्थात एक सप्ताह के अन्दर जब वे काफी इकट्ठा करेंगे और काफी बोर्ड के एजेंटों को देंगे।

1942 का काफी बोर्ड अधिनियम बहुत पुराना हो गया है। यह वर्तमान समय के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए तुरन्त प्रयास करने चाहिए। अब

[श्री एच० एन० नन्जे गौडा]

30-32 सदस्यों में से उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या केवल 10 है। सरकार द्वारा उन सभी को मनोनीत किया जाता है। वे उत्पादकों के उत्तरदायी नहीं हैं। उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या कम से कम 15 तक बढ़ाई जानी चाहिए तथा उनका चुनाव उत्पादकों में से होना चाहिए, ताकि वे उत्पादकों के जवाबदेह हो सकें। और वहां सेवानिवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नहीं होना चाहिए। कम से कम काफी उत्पादकों में से एक व्यक्ति को काफी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बनाया जाना चाहिए। यह एक सुझाव है जो मैं दे रहा हूं।

निर्यात शुल्क के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि 100 काफी उत्पादकों में से 10 बड़े उत्पादक और 90 छोटे उत्पादक हैं। परन्तु ये 10 लोग यानि 10 प्रतिशत उत्पादक 50 प्रतिशत जोत पर कब्जा किए हुए हैं और अन्य 90 प्रतिशत छोटे उत्पादकों के पास 50 प्रतिशत जोत है। आपको निर्यात शुल्क हटा देना चाहिए, क्योंकि यह एक 'पूल' सामग्री है। आप अमीर उत्पादकों से दूसरी तरह अर्थात आय कर के रूप में और अन्य चीजों के द्वारा धन एकत्र कर सकते हैं। परन्तु गरीब किसानों को लाभ होगा।

इलायची के बारे में…

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : आप कितना समय लेंगे ?

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : इलायची के बारे में केवल एक बात है। मेरे मित्र बता रहे थे कि केरल में यह 125 रुपये प्रति किलोग्राम है परन्तु कर्नाटक में यह 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसलिए भारतीय इलायची निगम को खरीद करनी चाहिए। उन्हें निश्चित मूल्य देना चाहिए। उन्हें सीधा निर्यात करने दो चाहे यह इलायची हो या तम्बाकू।

6.00 म० प०

तम्बाकू के मामले में भी तम्बाकू बोर्ड को विभिन्न देशों को तम्बाकू का निर्यात करना चाहिए। वे प्राइवेट पार्टियों के पास निर्यात करने के लिए क्यों जाएं ?

इन शब्दों के साथ मैं अपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

**सभापति महोदय** : श्री थम्पन थामस।

**श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा)** : महोदय, मैं अनुदानों की मांग पर बोलना चाहता हूं। क्या मैं कल अपना भाषण जारी रख सकता हूं ?

**सभापति महोदय** : ठीक है। आप बोल रहे हैं। आप कल जारी रख सकते हैं।

सभा कल 11 बजे म० पू० तक पुन: समवेत के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

**तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 1 अप्रैल, 1986/11 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53